

Annual Report 2010 - 11





The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Government of India)



ANNUAL REPORT

2010-2011



THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

PANAMPILLY AVENUE KOCHI - 682 036

CONTENTS

			Page No.
1.0	The Autho	rity	1
2.0	Office Stru	ıcture	1
3.0	3.1 Ov 3.2 Ma 3.3 Ma	rformance //erall export of marine products ajor items of export ajor export markets ajor port-wise exports	2 2 4
4.0	Annual Pla	an with budget and expenditure	9
5.0	Registration	on	10
6.0	6.1 Ma	omotion arket Servicesublicity & Market Promotion	10
7.0	Capture fis	sheries	17
8.0	8.1 Ex 8.2 Pr 8.3 Im 8.4 Ind 8.5 Pr	cheries comport production through aquaculture compositional activities complementation of financial assistance schemes dia Organic Aquaculture Projects (IOAP) composition of Ornamental fish breeding for export	19 23 27 28 31
9.0	9.1 Pr	g infrastructure and value additionogress of implementationetting up of Special Economic Zone	36
10.0	Quality Co	ontrol	39
11.0	Quality Co	ntrol Laboratories	42
12.0	12.1 Ra 12.2 Ne	under MPEDA ajiv Gandhi Centre for Aquaculture etwork for Fish Quality Management and Sustainable Fishing ational Centre for Sustainable Aquaculture	45 50
13.0	Official lar	nguage activities	59
14.0	Training P	rogrammes	61
15.0	Appendix -	1 to 3	64
16.0	Audited Ei	nancial Statemente 2010-11	72



1.0. THE AUTHORITY

The Marine Products Export Development Authority under the Ministry of Commerce and Industry is a statutory body entrusted with the primary task of promotion of export of marine products.

The Authority was re-constituted on 28th July 2010 and the members as on 31.03.2011 are given in Appendix - 1. Ms. Leena Nair, IAS continued as the Chairman of MPEDA during the period under report.

The list of members of the three Standing Committees viz. the Executive Committee, Export Promotion Committee and the Technical Committee as on 31.03.2011 is given in Appendix - 2.

During the year 2010-11, two meetings of the Authority (119th Authority on 20.09.2010 at Kochi and 120th Authority on 05.02.2011 at Chennai), one meeting of Technical Committee (52nd Technical Committee on 26.11.2010) and one meeting of Export Promotion Committee (52nd Export Promotion Committee on 31.01.2011) was held at Kochi.

2.0. OFFICE STRUCTURE

The Marine Products Export Development Authority functions under the overall supervision of the Chairman, supported by a team of officials both at the Head Office and the field offices.

The Authority has field offices in all the maritime States to carry out various export promotion functions assigned to it. It also runs Trade Promotion Offices to liaise with the importers and agencies in the seafood trade and various Central Ministries.

The team of officers of the Authority as on 31.03.2011 at the Head Office, Regional and Sub-Regional Offices, Trade Promotion Offices in New Delhi, Tokyo and New York, Regional and Sub-Regional Centres of Aquaculture and Laboratories at Nellore & Bhimavaram is given at Appendix - 3.

2.1. Regional & Sub-Regional Offices/Centres

The Regional Offices at Veraval, Mumbai, Kochi, Chennai, Vizag, Kolkata, and Sub-Regional Offices at Goa, Mangalore, Kollam, Tuticorin, Bhubaneswar and Guwahati continued to discharge its functions relating to export promotion by providing support and assistance to the processing industry and the trade. The Regional/Sub-Regional Offices functioned in close association with the Departments of Fisheries of the respective State Governments, the seafood industry and other organisations involved in the export trade. The Regional Centres for Aquaculture at Valsad, Panvel, Kochi, Thanjavur, Vijayawada, Bhubaneswar and the Sub-Regional Centres at Kolkata, Bhimavaram, Karwar and Kannur continued to promote aquaculture development for augmenting production for exports. MPEDA is implementing a National Residue Control Programme through its laboratories at Kochi, Nellore and Bhimavaram. An LCMSMS Laboratory at Bhubaneswar and sixteen Elisa test Laboratories in coastal states are also being operated under management contract basis for the benefit of the marine products export industry.

2.2. Trade Promotion Offices (Overseas)

MPEDA has two Trade Promotion Offices (TPO) - in Tokyo and New York - to service the leading markets of Indian seafood. The Trade Promotion Offices at Tokyo and New York have been functioning since 1978 and 1984 respectively. Japan and USA continued to be among the leading markets for marine products and these offices play a key role in sustaining our export inspite of high competition from other supplying nations. They liaise with importers, Government agencies, quarantine authorities, associations, etc and keep a close watch on various developments within the country as well as the adjoining countries that may have an impact on the seafood trade from India.








3.0 EXPORT PERFORMANCE

3.1. Overall export of marine products

Export of marine products during April - March 2010-11 have achieved the US\$ 2.86 billion mark by registering a growth of 19.85% in quantity, 28.39% in Rupee value and 33.95% in US\$ realisation compared to the same period of last year. This is the first time in the history of Marine Products Industry; we are crossing the 2.8 billion mark. Average unit value realization has also gone up by 11.77%.

Exports during 2010-11 compared to 2009-10

Export details	April - March 2010-11	April - March 2009-10	Growth %
Quantity Tones	813091	678436	19.85
Value ₹ crore	12901.47	10048.53	28.39
US\$ Million	2856.92	2132.84	33.95



3.2. Major items of export

According to the export figures, Frozen Shrimp continued to be the major export item accounting 44.17% of the total US\$ earnings. Shrimp exports during the period increased by 16.02%, 36.72% and 42.90% in quantity, Rupee value and US\$ value respectively. Also there is a considerable increase in unit value realization (23.17%). Export of Frozen Shrimp to USA has registered a tremendous growth of about 86.27% in volume and 140.47% in US\$ terms. Frozen Shrimp export to Japan also showed an increase of 16.82%, and 39.91% in volume and US\$ value respectively. Export of Vannamei shrimp had also picked up. We have exported about 11875 MT of Vannamei shrimp during this period.

Fish, the principal export item in quantity terms and the second largest export item in value term, accounted for a share of about 38.42% in quantity and 20.42% in US\$ earnings showed a growth of 19.68% in quantity and 35.39% in US\$ realization when compared to the last year.

Frozen Squid has a growth of about 42.53% and 69.14% in quantity and in US\$ terms respectively. Frozen Cuttlefish showed a decline of about 6.84% in quantity but showed an increase of 25% in US\$ realization and 34.18% in unit value realization. The decline in quantity is mainly due to the poor landing, especially in west coast. Dried items showed a growth of 68.02% in quantity and 1.68% in US\$ value compared to the same period last year.







Unit Value realization of Frozen Shrimp, Fish, Cuttlefish, Squid, Live and Chilled items showed a considerable increase during the current financial year.


Major Item-wise Export for April 2010 to March 2011 (Q: Quantity in Tons, V: Value in ₹ Crore, \$: US Dollar Million, UV: Unit Value \$/Kg.)


Item		Share %	April 2010 - March 2011	April 2009 - March 2010	Variation	(%)
1		2	3	4	5	6
Frozen shrimp	Q:	18.63	151465	130553	20912	16.02
•	V:	44.32	5718.13	4182.35	1535.77	36.72
	\$:	44.17	1261.81	883.03	378.79	42.90
	UV\$:		8.33	6.76	1.57	23.17
Frozen fish	Q:	38.42	312358	260988	51370	19.68
	V:	20.34	2623.89	2032.51	591.39	29.10
	\$:	20.42	583.48	430.98	152.51	35.39
	UV\$:		1.87	1.65	0.22	13.12
Frozen cuttlefish	Q:	7.28	59159	63504	-4346	-6.84
	V:	8.56	1104.57	923.83	180.74	19.56
	\$:	8.56	244.62	195.69	48.92	25.00
	UV\$:		4.13	3.08	1.05	34.18
Frozen squid	Q:	10.77	87579	61445	26135	42.53
•	V:	7.83	1010.57	622.63	387.94	62.31
	\$:	7.83	223.67	132.24	91.43	69.14
	UV\$:		2.55	2.15	0.40	18.67
Dried items	Q:	9.72	79059	47053	32006	68.02
	V:	7.40	954.94	981.11	-26.17	-2.67
	\$:	7.43	212.22	208.72	3.50	1.68
	UV\$:		2.68	4.44	-1.75	-39.49
Live items	Q:	0.64	5208	5492	-284	-5.17
	V:	1.10	142.15	139.14	3.01	2.17
	\$:	1.10	31.46	29.52	1.95	6.60
	UV\$:		6.04	5.37	0.67	12.42
Chilled items	Q:	2.60	21118	28817	-7699	-26.72
	V:	2.00	257.54	264.49	-6.95	-2.63
	\$:	1.99	56.93	55.87	1.06	1.90
	UV\$:		2.70	1.94	0.76	39.05
Others	Q:	11.95	97145	80584	16561	20.55
	V:	8.45	1089.67	902.47	187.20	20.74
	\$:	8.50	242.72	196.81	45.92	23.33
	UV\$:		2.50	2.44	0.06	2.31
Total	Q:	100.00	813091	678436	134655	19.85
	V:	100.00	12901.47	10048.53	2852.94	28.39
	\$:	100.00	2856.92	2132.84	724.07	33.95
	UV\$:		3.51	3.14	0.37	11.77











3.3. Major export markets

European Union (EU) continued to be the largest market with a share of 26.78% in US\$ realization followed by South East Asia with a share of 16.43%, China 15.41%, USA 15.35%, Japan 13.06%, Middle East 5.19% and Other Countries 7.79%. Exports to USA registered a remarkable growth of 105.36% in US\$ realization and 49.79% in terms of quantity. Increase in export of Frozen Shrimp and Frozen Squid contributed to the growth. Export to Japan also registered a positive growth of 12.80% in quantity and 33.90% in US\$ term. Export of all items except chilled items showed an increasing trend in Japanese market. South East Asian countries had also registered a positive growth of 56.65% in quantity and 49.08% in US\$ realization. Export to China showed an increase of 10.30% in quantity and 15.91% in US\$ terms. Export to Middle East countries also showed an increase of 25.85% in quantity and 26.61% in US\$ realization.








Major Market Wise Export for April 2010 to March 2011

(Q: Quantity in Tons, V: Value in ₹ Crore, \$: US Dollar Million)


Country		Share %	April 2010 - March 2011	April 2009 - March 2010	Variation	(%)
Japan	Q:	8.70	70714	62690	8024	12.80
	V:	13.05	1683.39	1289.58	393.81	30.54
	\$:	13.06	373.00	278.56	94.44	33.90
USA	Q:	6.16	50095	33444	16651	49.79
	V:	15.43	1990.26	1012.52	977.75	96.57
	\$:	15.35	438.49	213.52	224.97	105.36
European Union	Q:	21.03	170963	164800	6163	3.74
	V:	26.81	3459.40	3013.33	446.07	14.80
	\$:	26.78	765.15	637.40	127.75	20.04
China	Q:	19.57	159147	144290	14857	10.30
	V:	15.33	1977.81	1790.89	186.92	10.44
	\$:	15.41	440.10	379.70	60.41	15.91
South East Asia	Q:	28.77	233964	149353	84611	56.65
	V:	16.39	2114.48	1479.55	634.93	42.91
	\$:	16.43	469.36	314.85	154.51	49.08
Middle East	Q:	5.41	43950	34924	9027	25.85
	V:	5.19	669.90	553.59	116.31	21.01
	\$:	5.19	148.21	117.06	31.15	26.61
Others	Q:	10.36	84257	88937	-4679	-5.26
	V:	7.80	1006.23	909.07	97.16	10.69
	\$:	7.79	222.60	191.76	30.85	16.09
Total	Q:	100	813091	678436	134655	19.85
	V:	100	12901.47	10048.53	2852.94	28.39
	\$:	100	2856.92	2132.84	724.07	33.95











3.4. Major Port-wise Exports

Exports were effected through a total 21 sea / air / land ports. Exports improved from Pipavav, JNP, Chennai, Kochi, Kolkata, Vizag, Tuticorin, Mangalore/ICD and Goa compared to the previous year. The details are given in the following table.

Major Port Wise Export for April- 2010 to March- 2011 (Q: Quantity in Tons, V: Value in ₹ Crore, \$: US Dollar Million)

Ports		Share %	April 2010 -	April 2009 -	Variation	(%)
			March 2011	March 2010		
1		3	4	5	6	7
Pipavav	Q:	24.29	197478	182052	15425	8.47
	V:	15.70	2025.72	1673.74	351.98	21.03
	\$:	15.83	452.22	361.21	91.01	25.20
JNP	Q:	19.16	155829	129318	26510	20.5
	V:	15.27	1970.65	1564.42	406.23	25.97
	\$:	15.32	437.73	331.46	106.27	32.06
Chennai	Q:	6.88	55961	46009	9952	21.63
	V:	15.35	1979.76	1314.62	665.14	50.60
	\$:	15.29	436.77	277.91	158.86	57.16
Kochi	Q:	14.95	121550	104281	17270	16.56
	V:	14.67	1892.14	1576.19	315.95	20.05
	\$:	14.63	418.10	333.02	85.08	25.55
Kolkata	Q:	6.89	56060	46901	9159	19.53
	V:	10.18	1313.67	892.48	421.19	47.19
	\$:	10.17	290.50	188.10	102.40	54.44
Vizag	Q:	4.70	38217	31863	6354	19.94
	V:	10.08	1300.28	943.29	356.98	37.84
	\$:	10.03	286.44	199.24	87.21	43.77








1		3	4	5	6	7
Tuticorin	Q:	3.72	30220	27782	2438	8.77
	V:	6.82	880.41	686.45	193.96	28.26
	\$:	6.79	194.12	145.22	48.91	33.68
Mangalore/ICD	Q:	12.89	104821	59000	45820	77.66
	V:	5.34	688.32	400.33	287.99	71.94
	\$:	5.34	152.45	85.43	67.02	78.45
Goa	Q:	4.39	35728	29409	6319	21.49
	V:	2.13	275.30	219.24	56.06	25.57
	\$:	2.14	61.04	46.49	14.56	31.31
Mumbai	Q:	0.24	1965	2349	-384	-16.35
	V:	2.12	273.49	462.67	-189.19	-40.89
	\$:	2.13	60.73	97.97	-37.24	-38.01
Ahmadabad	Q:	0.05	432	1145	-714	-62.29
	V:	0.97	124.94	153.98	-29.04	-18.86
	\$:	0.97	27.81	32.80	-4.99	-15.21
Trivandrum	Q:	0.36	2932	2985	-53	-1.77
	V:	0.82	105.61	92.66	12.94	13.97
	\$:	0.82	23.33	19.66	3.68	18.70
Mid Sea	Q:	0.93	7600	6289	1311	20.85
	V:	0.40	52.23	36.82	15.42	41.88
	\$:	0.40	11.44	7.86	3.58	45.58
Hill Land customs	Q:	0.46	3714	8236	-4521	-54.9
	V:	0.06	8.35	19.12	-10.76	-56.3
	\$:	0.06	1.85	3.83	-1.98	-51.78
Calicut	Q:	0.02	132	28	104	373.02
	V:	0.03	4.36	1.16	3.19	273.95
	\$:	0.03	0.97	0.24	0.73	307.41
Mundra	Q:	0.03	263	671	-408	-60.84
	V:	0.03	3.79	11.02	-7.22	-65.56
	\$:	0.03	0.84	2.34	-1.49	-63.91
Kandla	Q:	0.02	124	0	124	***
	V:	0.01	1.75	0.00	1.75	***
	\$:	0.01	0.40	0.00	0.40	***
Trichy	Q:	0.00	10	0	10	***
Tricity	۷:	0.00	0.31	0.00	0.31	***
	\$:	0.00	0.07	0.00	0.07	***
Bangalore	Q:	0.00	3	0	3	***
Dangatore	ų. V:	0.00	0.22	0.00	0.22	***
	\$:	0.00	0.05	0.00	0.05	***
Karimganj	Q:	0.01	51	117	-66	-56.82
Natiniganj	Q. V:	0.00	0.14	0.25	-0.10	-42.41
	\$:	0.00	0.03	0.05	-0.02	-37.36
Hyderabad	۶. Q:	0.00	2	0.03	2	***
riyucrabau	Q. V:	0.00	0.03	0.00	0.03	***
	v. \$:	0.00	0.03	0.00	0.03	***
	٠,	0.00	0.01	0.00	0.01	








1		3	4	5	6	7
Delhi	Q:	0.00	0	0	0	-100
	V:	0.00	0.00	0.07	-0.07	-100
	\$:	0.00	0.00	0.02	-0.02	-100
Okha	Q:	0.00	0	1	-1	-100
	V:	0.00	0.00	0.02	-0.02	-100
	\$:	0.00	0.00	0.00	0.00	***
Total	Q:	100	813091	678436	134655	19.85
	V:	100	12,901.47	10,048.53	2,852.94	28.39
	\$:	100	2,856.92	2,132.84	724.07	33.95











4.0. ANNUAL PLAN WITH BUDGET AND EXPENDITURE

4.1. Progress of plan scheme implementation

The developmental/promotional activities were carried out under six major heads viz. (i) Market Promotion, (ii) Capture Fisheries, (iii) Culture Fisheries (iv) Processing infrastructure & value addition, (v) Quality Control (vi) Research & Development.

Plan Budget (RE) for 2010-11 was ₹ 90 crore. The Department of Commerce released ₹ 89.33 crore under Plan Scheme.

(₹ in lakh)

Sl. No.	Name of Heads	Amount
1.	Market Promotion	₹ 1843.84
2.	Capture Fisheries	₹ 771.66
3.	Culture Fisheries	₹ 1338.17
4.	Processing infrastructure & Value addition	₹ 1041.53
5.	Quality Control	₹ 1006.03
6.	Research and Development	₹ 3000.00
	Total:	₹ 9001.23

A statement showing Plan expenditure during the previous years can be seen in the following table:-

(₹ in lakh)

Year	Budget Provision	Plan funds released by the MoCl	Plan expenditure by the MPEDA	Unutilized funds at the end of the year
2001-02	3000.00	3000.00	3007.14	- 62.19*
2002-03	4000.00	4090.00	4061.84	- 8.11*
2003-04	4100.00	4100.00	4005.00	+643.70**
2004-05	4400.00	4400.00	4382.19	+661.51
2005-06	5400.00	4738.00	5209.00	214.80
2006-07	5835.00	4785.00	4952.25	- 47.72*
2007-08	8000.00	7666.60	7807.82	- 31.85
2008-09	9000.00	8763.00	8706.52	58.14#
2009-10	9050.00	8991.86	9018.37	66.93##
2010-11	9000.00	8933.07	9001.23	71.92###

- (*) Negative figure indicates excess of Plan expenditure over Plan funds received from the MoCI. Closing balance is arrived after adjusting Extra Budgetary Resources, if any.
- (**) Closing Balance as on 31.03.2004 includes ₹ 600 lakh reimbursed from ASIDE Fund towards purchase of HPLC MS-MS equipments, which was originally met from Plan Funds during 2002-03.
- (#) The closing balance of ₹ 58.14 lakh as on 31.03.2009 includes ₹ 25.00 lakh interest on General Deposit of Plan Funds received from MoCI as per instruction of MoCI.
- (##) The closing balance of ₹ 66.93 lakh as on 31.03.2010 includes ₹ 35.30 lakh interest on General Deposit of Plan Fund received from MoCI as per instruction of MoCI.
- (###) The closing balance of ₹71.92 lakh as on 31.03.2011 including ₹73.15 lakh interest earned on General deposit of Plan Fund received from MoCI.







5.0. REGISTRATION

The Authority under the statutory provisions of the MPEDA Act and Rules continued to register/deregister and cancel the Exporters, Fishing Vessels, Processing Plants, Ice Plants, Cold Storages, and Handling Centres, etc. during 2010-11. The details of registration/de-registration and cancellation effected as on 31.3.2011 under various categories are shown below:-

Registrations, deregistrations and cancellation during the period from 01-04-2010 to 31-03-2011

Category	Registered as on 01.04.2010	Registration done	De-Registration done	Cancellation done	Registered as on 31.03.2011	Capacity in M.T.
Manufacturer Exporter	403	51	16	12	426	NA
Merchant Exporter	428	93	34	22	465	NA
Route Thro Merchant Exporte	er 27	7	1	2	31	NA
Ornamental fish Exporter	50	8	7	0	51	NA
Fishing Vessels	6809	1409	52	27	8139	NA
Processing Plants	411	18	13	0	416	15621.33
Ice plants	65	9	1	0	73	2016.80
Peeling shed	586	20	15	0	591	5474.84
Conveyance	154	6	1	0	159	1112.77
Storages	490	28	19	0	499	170011.91
Fresh/ Chilled fish	27	4	0	0	31	1417.40
Live Fish Handling Centre	24	8	3	1	28	2347.73
Salted/Dried Fish H. Centre	43	8	1	0	50	1020.98

NA: Not Applicable

6.0. MARKET PROMOTION

6.1. MARKET SERVICES

6.1.1. US Anti Dumping Duty on frozen warm water shrimp imports

Information required for the Sunset Review on Antidumping duty imposed on Indian frozen shrimp was furnished to the Attorneys for the filing of questionnaires in response to US ITC Sunset Review.

The US DOC has examined the possibility of recurring dumping if antidumping duties are revoked and decided that such a revocation could lead to continuation or recurrence of dumping and hence maintained that the original rates of antidumping duty i.e. 10.17% fixed on 01.02.2005 will continue to be applicable to exporters other than the initial respondents.

Subsequently, in its notification dated 5th August 2010, the US International Trade Commission gave the notice of the scheduling of full five-year reviews concerning the antidumping duty orders on frozen warmwater shrimp from Brazil, China, India, Thailand and Vietnam pursuant to section 751(c)(5) of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1675(c)(5)) (the Act) to determine whether revocation of the anti-dumping duty orders on frozen warm-water shrimp from these countries would be likely to lead to continuation or recurrence of material injury within a reasonably foreseeable time.

The USITC after its Sunset Review voted 5-1 that revocation of ADD is likely to cause injury to the domestic shrimp production industry. This means that ADD will continue for another 5 years i.e. until next Sunset Review for the 5 respondent nations including India.







USDOC has also announced the Preliminary results of 5th Administrative Review on Antidumping duty for the period 01.02.2009 to 31.01.2010. The Review Specific Average Rate was brought down to 1.69% from 2.67% arrived at after 4th review.

The notification from US Department of Commerce on the 6th Administrative Review of Antidumping Duty was also circulated to the trade.

6.1.2. DEPB Benefit to retort pouch products

Representations received from exporters of canned marine products and retort pouch seafood products that they are denied of DEPB by the offices of DGFT on account that these products are not eligible under the Product Group Fish and Fishery Products was taken up with MoCI to include as eligible items for DEPB benefit.

6.1.3. Revision of interest subvention

The leading exporters represented that due to appreciation of Indian Rupee some of the banks are reluctant to negotiate the documents and extend credit facilities. Considering the facts mentioned above, MPEDA recommended to increase the present rate of 2% interest subvention to 2.75%.

6.1.4. Schemes:-

1) Sea freight assistance scheme

During 2010-11, an assistance of ₹ 9.54 crore was extended to 73 manufacturer exporters under the scheme for the export of value added marine products.

2) Logo promotion scheme

The Committee met on 7.1.2011 recommended ₹ 8,63,072/- as advance assistance to M/s. Nila Sea foods P. Ltd, Tuticorin for promotion of two of their value added marine products with MPEDA Quality Logo in Japan.

3) Insurance coverage for the processing workers

During 2010-11, 13,367 workers were brought under the scheme. A total claim of ₹ 1,57,442/- was also disbursed against one death and 30 medical claims.

The scheme is operated in association with M/s. United India Insurance Company Ltd., Kochi. The scheme has been revised with the same premium of ₹ 200/- with effect from 1st January 2011. Under the



Women workers involved in processing in a plant







revised scheme, the accidental death benefits have been increased to ₹1,00,000 from ₹50,000/- and medical claim to ₹20,000/- from ₹10,000/-. The accident also covers permanent and partial disability.

4) Development assistance for export of ornamental/aquarium fishes

During 2010-11 extended an assistance of ₹ 14.72 lakh to 10 exporters under the scheme.

6.1.5. Trade complaints

Out of the 16 trade complaints received during the year 2010-11, 7 complaints were settled.

6.1.6. Trade enquiries

163 trade enquiries received during the year 2010-11 were circulated to the trade.

6.1.7. Others

Inputs on 'India -EU BTIA Negative List', India - EFTA Trade Agreement and 'Indian Wish list to MERCUSOR', Comments on Korean SPS guidelines, Strategy to double the exports by 2014, Key targets fro 2011-12 etc. were provided to MoCI. Comments to MoCI were also offered to identify products from India's export interest angle under India EU-BTIA negotiations on SPS/TBT Chapters.

On a representation from Kerala State Cooperative Federation for Fisheries Development Ltd., (MATSYAFED) towards duty exemption for import of high quality machines for the expansion of the production line of their net factory and also for their new net factory proposed at Kannur, Kerala, MPEDA recommended the matter with DGFT to consider 0% EPCG Scheme for import of net making machinery.

6.2. PUBLICITY & MARKET PROMOTION

6.2.1. Participation in fairs within India and abroad

MPEDA participated in the following international fairs during 2010-11:-

- 1) European Seafood Exposition, Brussels, 27-29 April 2010
- 2) 12th Japan International Seafood Expo held at Tokyo, Japan 21-23 July 2010 (Organised by TPO)
- 3) Asian Fisheries Exposition, Hong Kong, 7-9 September 2010.
- 4) Sial Fair, Paris, 17-21, October 2010



A view of MPEDA Stall at European Seafood Exposition, Brussels







- 5) Dubai International Seafood & Fisheries Expo, 25-27, October 2010
- 6) China Fisheries & Seafood Expo, China, 2-4, November 2010
- 7) Busan International Seafood & Fisheries Expo, South Korea, 11-13 November 2010
- 8) International Boston Seafood Show, New York, 20-22, March 2011

Participation in international fairs is the best opportunity for India to introduce new products, advanced technologies on Aquaculture, processing, fishing etc. The trade could also get a chance to enter in to new markets. Moreover, importers seem to be very keen on importing Indian Seafood products. The Indian participants had good business, as large crowds were seen discussing on Indian Seafood products.



Smt. Asha C. Parameswaran, Deputy Director (P&MP) & Dr. Ansar Ali, Assistant Director, MPEDA in discussion with a visitor in MPEDA stall at Dubai fair

The participants reported that a good number of representatives from seafood importers from different countries visited MPEDA stall and enquired about sourcing of frozen products, especially fish items from India. Few exporters from India were also responded to the trade enquiries on the spot. Large no. of trade enquires received during the Shows were disseminated to the trade through the Website and through MPEDA publication, Newsletter.

6.2.2. Delegation visits

A delegation under the leadership of Chairman, MPEDA, along with Secretary General, SEAI, visited Japan during October 2010.

MPEDA's Quality Logo, has been registered with the Trade Mark/Copyright and registration in India. Subsequently registration of the Logo has been done in all the three major markets namely USA, European Union and Japan. M/s. Nila Sea foods (P) Ltd. is the first manufacturer exporter in India to be awarded with the logo and during the delegation visit to Japan, Chairman, MPEDA initiated logo promotion programmes in Japan. The programme will assist M/s. Nila Sea foods as well as the wholesalers and retailers in the Japanese market in projecting this product among the customers. Thus superior quality will be ensured from catch to table.

An official delegation consisting of Joint Director (M) and Deputy Director (M) visited Mauritius during 21-24, February 2011. The Officials had discussions with the Ministry of Industry & Commerce, Government









Quality Logo

of Mauritius, High Commissioner & Deputy High Commissioner, Embassy of India, Mauritius, Seafood Importers, Board of Investment, Mauritius, etc. This has opened up many business opportunities for the seafood trade which would further strengthened by future delegations. This has opened up many business opportunities for the seafood trade which would be further strengthened by future delegations.



Joint Director (Marketing), MPEDA (C) and Deputy Director (MS), MPEDA (R) having discussion with Mr. Shaukathally Soodhun (L), Hon'ble Minister of Industry & Commerce, Government of Mauritius

6.2.3. INFOFISH Governing Council Meeting

Chairman, MPEDA participated in the 11th International World Tuna Trade Conference & Exhibition held at Bangkok during 13-15 September 2010 along with Joint Secretary, MoCI.

6.2.4. Participation in Domestic fairs

In order to disseminate the vast potential of the fisheries sector and to highlight investment opportunities in this field, MPEDA participated in the 16 domestic fairs during this period.

By participating in these Shows, MPEDA could get a good opportunity to interact with the various fisheries related agencies on the market penetration, opportunities and scope for increasing and strengthening







India's market share. MPEDA could also create awareness among the general public about the activities of all the schemes operated for the development of the fishing industry.

6.2.5. Printing works

During the year under review, the following publications / brochures, etc. were brought out:-

- 1) Corporate Booklet
- 2) Indian Marine Products Exporters Directory
- 3) Brochure for Indian Seafood promotion in Japanese
- 4) Export with Sustainability (small booklet)
- 5) Pamphlet on MPEDA subsidy scheme for Aquaculture/Ornamental fish
- 6) Aqua Aquaria India letterheads, etc.
- 7) Aqua Aquaria Souvenir

6.2.6. Release of advertisement

During 2010 April to 2011 March, 86 internal advertisements and 21 External advertisements were released in order to give wide publicity of Indian Marine products in overseas markets and in other local dailies for promotion of events like India International Seafood Show, Aqua Aquaria India, etc.

6.2.7. Visit of students / delegations

Students / officials from 27 educational / other institutions visited MPEDA to get themselves acquainted with the activities of MPEDA and they were briefed by officials of MPEDA.

A delegation consisting of 10 FAO members from Sri Lanka visited MPEDA in order to get acquainted with MPEDA activities.

6.2.8. Agua Aguaria India 2011

MPEDA organized the first edition of Aqua Aquaria India, first in this series - a combined international event of Aquaculture and aquariculture, during 6-8 February 2011 at Chennai Trade Centre, Chennai. MPEDA had been organising these 2 events separately, INDAQUA biennially and INDAQUARIA annually.



Welcome address by Ms. Leena Nair, IAS, Chairman, MPEDA





The three days event comprised of technical sessions conducted by renowned International experts on aquaculture and ornamental fish, providing technical and marketing support in both the fields. Apart from participation of International and Indian delegates and exhibitors, more than 800 farmers from various states engaged in the farming of shrimp and ornamental fish had participated in the event. The show provided excellent opportunity for the farmers to learn about the advancements in technology and practices in both the sectors. The show also witnessed participation of exhibitors in large numbers. Among the total 230 stalls, there were stalls exclusively for aquaculture, ornamental fish, machinery and equipments, feed, packaging, additives, aquarium accessories, equipments, aqua products where in the latest trends and technologies were showcased. Various extension activities of MPEDA were also showcased through street plays and other visual Medias which attracted the attention of many visitors. Separate demonstration sessions were arranged for school children on the setting up of Aquariums and hundreds of children attended the same.

The programme was inaugurated by Prof. K V Thomas, Hon'ble Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, on 6th February 2011. During the inaugural function, "the Guidelines for Green Certification of Freshwater Ornamental Fishes" was released by him and Dr. Damodar Raut, Hon'ble Minister



Prof. K. V. Thomas, Hon'ble Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India inaugurates Aqua Aquaria India 2011 by lighting the ceremonial lamp



Presidential address by Prof. K. V. Thomas, Hon'ble Minister of State for Consumer Affairs, Food & Public Distribution







for Agriculture, Co-operation, Fisheries & ARD, Government of Orissa released the "Ornamental Fish Breeders / Traders Directory". Export awards for out standing performance in various categories of fish and fish products for the year 2009-10 were also distributed. The exhibition of Aquaculture, Ornamental fishes was also inaugurated by Prof. K V Thomas.



A view of the Audience in Aqua Aquaria India 2011

A buyer-seller meet was organised for the Ornamental fish breeders, traders and exporters on 7th February afternoon which provided an exciting platform for the Indian entrepreneurs to evolve joint ventures and business tie-ups with overseas buyers from U.K., Germany, Netherlands, Israel and Japan.

A total no. of 1300 delegates participated from different states in the Event.

7.0. CAPTURE FISHERIES

The capture fisheries sector plays significant role in the export of marine products from the country. Since exploitation from inshore waters has reached at the optimum level, of late attention has been focused on exploitation from off shore waters, and major thrust has been given to deep sea fishing especially for tuna and other under exploited species. It is envisaged that India through sustainable management of resources has to exploit its potential to the maximum in the coming years and emerge as a leading exporter of tuna in the world market.

In order to augment export production through capture fisheries, the following schemes are implemented by MPEDA:-

7.1. Financial assistance for the conversion of existing fishing vessels to tuna long liners

This scheme is to encourage fishing vessel owners for harvesting deep sea tuna by diversified fishing using mono filament long line system, by converting their existing fishing vessels to tuna long liners.

During the year 2010-11, 126 vessels were converted to tuna long liners. The total financial assistance provided was ₹ 508 lakh.

7.2. Interest subsidy scheme for the construction of new tuna long liners

This scheme is aimed to encourage fishermen to construct new tuna long liners availing finance from authorized financial institutions. No subsidy has been released under this head during the year 2010-11, though few beneficiaries had availed loan from the bank for this purpose.











Tuna Longliner

7.3. Financial assistance for installation of insulated / refrigerated fish hold / refrigerated Sea water System (RSW) and Ice making machine onboard mechanized fishing vessels

The scheme envisages assisting fishermen for the better preservation of catch and thereby augmenting export production. It will also help fishermen to carry out multiday fishing and bring the catch in better quality reducing post harvest loss. During 2010-11, 220 vessel owners were assisted under scheme and released an amount of ₹ 115.12 lakh as subsidy.

7.4. Catch certification scheme

The Catch Certification Scheme covered under the EU Regulation 1005/2008 has been designed to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing. It is an integral part of the IUU regulation which will improve traceability of all fishery products traded with the EU Community. This will also facilitates control of their compliance with conservation and management measures.

Through this certificate the exporter will certify that the marine fishery products have been caught in accordance with applicable laws, regulation and international conservation and management measures. The catch certificate will have to be validated by the competent authority of the flag state. MPEDA is the competent authority in India for validating the catch certificate, vide MoCI letter No.10/1/2009-EP(MP) dated 11.12.2009.

As on 31.3.2011 we have validated 11301 catch certificates through our field offices (From January 2010).

7.5. Assistance to Gujarat Fishermen

The assistance was provided to fishermen from the Government of India through PMNR fund and MOA scheme to ameliorate the hardships caused due to the continued retention of bread winners in captivity and to address the livelihood problems due to the seizure of boats by Pakistani Authorities. The Prime Minister's Office designated MPEDA as the implementation agency for this scheme.

Under the scheme,

a) Capital subsidy to the tune of 30% of the cost of the vessel subject to the maximum of ₹ 6 lakh to the owners of seized boat/trawler who wish to replace the boats seized by Pakistan by availing the loan from financial institutions. The assistance under the Soft Loan Package of Ministry of Agriculture will be provided once the applications are scrutinized and approved by the MPEDA.







b) Apart from the capital subsidy, each beneficiary is eligible for an outright grant of ₹ 5 lakh from the PMO fund towards margin money for acquisition of new fishing vessel for replacement. MEA has identified 326 fishing vessel owners, who had lost their fishing vessel in Pakistan.

MPEDA assisted for the release of ₹ 121 lakh to 11 fishing vessel owners from Gujarat for the replacement of their fishing crafts (₹ 66 lakh from Ministry of Agriculture and ₹ 55 lakh from PMNR fund).

7.6. Implementation of UNCTAD Project

During the year 2010-11, conducted 10 Advance Training programmes on Post harvest technique for Ornamental fish for export in various parts of the country for the benefit of Ornamental fish breeders and exporters. The Directory of Ornamental fish Breeders / Traders printed with the assistance of UNCTAD was released during Aqua-Aquaria India 2011 held at Chennai, during February 2011.

Also organized 10 awareness programme on "Antibiotic Residues and Micro Organism in Shrimp farms" through the Regional / Sub Regional Centres (Aqua).

8.0. CULTURE FISHERIES

8.1. Export production through aquaculture

During the year 2010-11, production from aquaculture has continued to contribute significantly to the seafood exports from the country. The increased production is attributed to a marginal increase in average productivity per unit area in the case of black tiger, comparative reduction of disease occurrence and adoption of Better Management Practices. With introduction of exotic SPF *L. vannamei*, the aqua farmers in Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra have utilized an area of 2930.32 ha during 2010-11 for farming of *L. vannamei* shrimp which has also contributed to the increase of seafood exports from the country.

8.1.1. Status of Aquaculture Production.

As per the reports received from the field centers of MPEDA, the aquaculture production from the coastal and inland areas of the maritime states have registered 39.71% increase in the production compared to 2009-10 with a significant contribution of shrimp aquaculture. This increase was the result of improved harvests from Tiger shrimp farms; increased production of Scampi from traditional farms, village ponds, reservoirs and Padasekharams; and substantial increase in production of *L. vannamei* in the country during the year under report.

8.1.2. Shrimp production.

During the year under report the total tiger shrimp production has been estimated to be around 118575.00 MT from an area of 113852.39 ha. State wise details on shrimp farming area and production are given in Table - 1.

Compared to the previous year production of 95,918.89 MT from 1,02,259.98 ha area, shrimp production has increased by 22,656 MT that is 23.62% while additional areas of 11,592.41 ha was brought under culture which contributed the additional production as well as increase of 11.34% in terms of area utilization. This was attributed to adoption of better management practices by aqua farmers, increasing demand for cultured shrimp and revival of economic situation in importing countries resulting in increased unit value and better raw material prices being offered to the producers. It is estimated that shrimps worth ₹ 3,080.00 crore were exported during the year 2010-11 with an increase of around ₹ 682.00 crore over 2009-10 (Table - 2).

Efforts taken by MPEDA in motivating the aqua farmers in adoption of better management practices and adopting bio-security protocols have contributed significantly in improving the average production of









Table - 1: State wise details of shrimp farming - 2010-11

SI. No.	State	Area Developed (ha)	Area Utilized (ha)	Production (MT)	Productivity (MT/ha/Year)
1	West Bengal	51,659.00	47,588.00	40,725.00	0.86
2	Orissa	15,174.00	5,324.00	7,520.00	1.41
3	Andhra Pradesh	58,145.00	42,055.00	49,030.00	1.17
4	Tamil Nadu	6,109.00	2,281.16	4,020.00	1.76
5	Kerala	15,099.39	11,787.90	8,075.00	0.69
6	Karnataka	3,708.84	1,715.00	2,090.00	1.22
7	Goa	867.00	305.80	320.00	1.05
8	Maharashtra	1,329.56	829.88	1,120.00	1.35
9	Gujarat	2,247.92	1,965.65	5,675.00	2.89
	Total	1,54,339.91	1,13,852.39	1,18,575.00	1.04

Table - 2: Shrimp Production through Aquaculture

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2009-2010	95,918.89	60,429.00	2,398.00
2010-2011	1,18,575.00	74,702.00	3,080.00
Increase	22,656.11	14,273.00	682.00
Difference %	23.62	23.62	28.44

shrimp per unit area from 940 kgs per hectare to 1040 Kgs per hectare resulting in increase of productivity of 10.6% per hectare.

A remarkable increase in production was noted in Gujarat where the productivity has increased from 1.88 MT/ha/year in 2009-10 to 2.89 MT/ha/year in 2010-11, which works out to be 53.6%.

8.1.3. L. vannamei Production

After careful introduction of the exotic SPF L. vannamei into the country by issuing the letters of permission to 24 hatcheries to import SPF *L. vannamei* brood stock for breeding, quarantining of the imported brood stock was undertaken at AQF of RGCA at Neelankarai, Chennai wherein the animals are screened for the OIE listed pathogens and then released to the permitted hatcheries for breeding. 21 out of the permitted 24 hatcheries have commenced seed productions, which were supplied to the farms that are permitted for L. vannamei farming as per the conditions of Coastal Aquaculture Authority.

During the year 2010-11 farming activities were carried out in 2,930.32.ha area resulting in production of 18,247 MT with an average productivity of 6.2 MT/Ha/year (Table - 3). Reports of higher production of L. vannamei was received from Gujarat where farming operations were carried out through sequential rotational practices under strict bio-security protocols specified by the CAA resulting in higher productivity of 11.3 MT as shown in the Table - 3.

Production from *L. vannamei* has contributed significantly to the seafood exports by over 10,000 MT valued at approximately ₹ 365 crore as indicated in Table - 4. It is reported that as larger sizes of shrimp were harvested in large quantity, average yield has increased over the previous year resulting in higher returns for the farm gate prices valued at approximately ₹ 200 per kg.







Table - 3: State wise details of Litopenaeus vannamei farming in 2010-11

Sl. No.	State	Area Utilized (ha)	Production (MT)	Productivity (MT/ha/Year)
1	Gujarat	63.60	717.00	11.3
2	Maharashtra	93.62	508.00	5.4
3	Andhra Pradesh	2,739.25	16,913.00	6.2
4	Tamil Nadu	33.85	109.00	3.2
	Total	2,930.32	18,247.00	6.2



Harvested L.vannamei

Table - 4: Litopenaeus vannamei Production through Aquaculture

	•	• •		
Year	Live weight	Product weight	Estimated Value	
	(MT)	(MT)	(₹ Crore)	
2009-2010	1,731.00	952.00	27.70	
2010-2011	18,247.00	10,948.00	365.00	
Increase	16,516.00	9,996.00	337.30	

8.1.4. Scampi

Scampi production has marginally increased during the current year as compared to 2009-10 though area utilization under scientific scampi farming has reduced which resulted drop in production. This downfall in production is mainly attributed to two factors - lack of good quality seed for farming and difficulty in marketing small quantities of harvested produce etc. However, it is observed that production from village ponds, reservoirs and Padasekharams has significantly contributed to the total production of scampi. One of the reasons for increase is due to adopting low stocking densities of scampi seeds by the aqua farmers in poly culture ponds and Padasekharams along with major carps and ranching of scampi seeds in reservoirs in Maharashtra, Gujarat that fetch additional income and also add to the production and exports. Compared to the previous year production of 6,567.92 MT, the production during the current year is 8,778 MT (Table - 5 and Table - 6) which is 33.64% more than the previous year and valued to ₹140.00 crore registering an increase of 33.33% over the previous year (Table - 7).









Table - 5: State wise details of Scampi culture - 2010-11

SI. No.	State	Area Developed (ha)	Area Utilized (ha)	Production (MT)	Productivity (MT/ha/Year)
1	West Bengal	5,300.00	3,355.00	2,258.00	0.67
2	Orissa	3,786.00	516.81	475.00	0.92
3	Andhra Pradesh	10,913.00	863.50	688.00	0.80
4	Tamil Nadu	465.60	455.46	141.00	0.31
5	Kerala	2,594.17	301.57	150.00	0.50
6	Karnataka	285.00	0.00	0.00	0.00
7	Maharashtra	86.49	19.84	9.00	0.45
8	Gujarat	34.00	0.00	0.00	0.00
	Total	23,464.26	5,512.18	3,721.00	0.68

Table - 6: State wise production of scampi through traditional systems of farming and reservoirs in 2010-11

Sl. No.	State	Type of farming	Area Utilized (ha)	Production (MT)
1	West Bengal	Poly culture and village ponds	1,600	340.00
2	Orissa	Poly culture and village ponds	6,825	917.00
3	Andhra Pradesh	Poly culture and reservoirs	No Report	1,500.00
4	Kerala	Padasekharams	No Report	425.00
5	Kerala	Reservoirs	No Report	145.00
6	Maharashtra	Reservoirs	No Report	630.00
7	Gujarat	Reservoirs	No Report	1,100.00
	Total			5,057.00

Table - 7: Scampi Production through Aquaculture in 2010-11

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2009-2010	6,567.92	3,283.96	105.00
2010-2011	8,778.00	4,388.00	140.00
Increase	2,210.08	1,104.04	35.00
Difference %	33.64	33.62	33.33

8.1.5. Total Aquaculture Production

Aquaculture production from export-oriented aquaculture during the year 2010-11 has improved significantly over the previous year with increasing number of aqua farmers attempting to revive the activities by investing in the sector. The total production from aquaculture is estimated to be 1,45,600 MT with a total value of ₹ 3,585 crore (Table - 8) that works out to an average farm gate price of ₹ 246.00 per kilogram of wet weight. The production has shown an increase of 39.71% (4,1381.19 MT) in volume and 41.66% (₹ 1,054.30 crore) in value respectively over the previous year.

Though it is anticipated that all the shrimp/scampi / <u>L. vannamei</u> produced from aqua farms would be exported, some quantities produced would have found its way to the domestic markets due to increasing







Table - 8.	Total Shrimp	G Ccamp	inroduction	through Aquaculture
Table - o.	TOTAL SHITTING	oc Scallib	i broduction	through Aduaculture

Year	Live weight (MT)	Product weight (MT)	Estimated Value (₹ Crore)
2009-2010	1,04,217.81	64,664.96	2,530.70
2010-2011	1,45,600.00	90,038.00	3,585.00
Increase	41,382.19	25,373.04	1,054.30
Difference %	39.71	39.24	41.66

demand for the seafood with attractive and remunerative prices even in the domestic market that are being realized for the produce.

Efforts are being made by field centres to diversify the aquaculture activities by facilitating and promoting Seabass and crab by taking up demonstration programmes that have started yielding encouraging results. The field offices supported and extended necessary technical assistance and also conducted awareness campaigns and training programmes in association with RGCA wherever necessary. Reports of aquaculture production of exportable finfish and shellfish varieties are compiled and given in Table -9.

Table - 9: State wise details of exportable finfish and shell fish production [AU (Ha): Area Utilized in Hectare, Pro (MT): Production in MT, NR: No report]

State		Gujarat	Maharashtra	Kerala	Tamil Nadu	Andhra Pradesh	Orissa	West Bengal	Total
Seabass	AU (Ha)		4,000.00		12.40	N.R	11.28	25,000	
	Pro (MT)		85.00		4.09	160.00	7.25	110.00	306.94
Pangasius sp	AU (Ha)	10.00	7.00	NR		N.R		600.00	
	Pro (MT)	10.00	470.00	1,330.50		N.R		500.00	2,310.50
Tilapia sp	AU (Ha)			N.R					
	Pro (MT)			52.80					52.80
Crab sp	AU (Ha)			N.R	70.00	N.R	11.16	370.00	
	Pro (MT)			77.071	9.00	445.00	4.80	135.00	670.871
Mussel	AU(Ha)			N.R					
	Pro(MT)			19,000					19,000.00
Other shrimps	AU(Ha)			N.R	23.00				
	Pro(MT)			3,594.44	41.00				3,635.44

8.2. Promotional activities


Promotional activities for development of Aquaculture is being planned, coordinated and reviewed from the Head Office and suitable guidelines were issued to the field centers for implementation of the programmes including financial assistance after proper scrutiny. The liaison activities with various Government institutions, national and international organizations are carried out and efforts are taken to promote sustainable aquaculture activities for export.

8.2.1. Co-ordination of the activities of National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA).

The efforts initiated through NaCSA for sustainable production has been well accepted by the small scale farmers by adopting better management practices so as to achieve sustainable production and







A Fin fish of India - Asian Seabass - Lates Calcarifer

improvement in the profit margins. It has been noticed that productivity from these farms has significantly increased enabling the farmers to improve the infrastructure facilities like electricity connections and procurement of aerators through cooperative efforts so that the small scale farmers could make considerable savings. NaCSA was able to assist and facilitate in formation of 241 societies involving 4,008 farmers and covering around 2,593.06 ha during the current year. The total number of societies that are formed as on date through NaCSA assistance is 772 spread over 6 maritime states (Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Orissa, Kerala, Karnataka and West Bengal) covering an area of 15,432 ha (TA) and 16,760 farmers.

So far 317 societies are provisionally registered with MPEDA including 109 societies registered during the year.



Discussion among members of an aqua farmer society on record keeping

During the current year, a Pilot Project of MPEDA-NaCSA-NACA on Testing of certification protocols developed for society farms was completed. Based on the outcome of the workshop and deliberations, it was decided that NaCSA shall continue the work on the certification protocols among the registered societies in a phased manner.







8.2.2. GIS Mapping of shrimp farming areas

The GIS project on creation of a database and digitization of aqua farming areas and aqua farmers was completed in Kerala, Karnataka & Goa, Orissa, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat and cross verification of the data and satellite imagery is progressing. In Maharashtra, the programme is progressing while steps are imitated for the implementation of the project in West Bengal. Efforts are being made to host the data generated through the state remote sensing agencies at MPEDA Head Quarters by hosting of enterprise GIS server.

To familiarize with the operations of the GIS data, a 15 days training programme is organized for the officials of MPEDA with the technical support of NRSC, Hyderabad at their facility by including the basics of GIS and software utilities in checking the attribute data and their interpretation.

8.2.3. Assistance for Padasekharams in Kerala for Scampi Development

Assistance to utilize the vast stretches of low lying water bodies in the state of Kerala for scampi farming is continued during the current year. In spite of the efforts of the field centers to motivate and promote scampi farming in the Padasekharams, there has been difficulty from the farmers side to avail the benefits of the scheme due to difficulties in raising sufficient resources for increasing the bunds of such Kole lands. An area of 33.23 ha only was brought under the scheme during the current year. The production from the Padasekharams during the current year was reported to be around 426.25 MT from an area of 1,311.1 ha.

8.2.4. Registration of hatcheries

Registration of hatcheries is in progress and during the current year 10 hatcheries were provisionally registered with MPEDA as per CAA Act. As per the stipulated guidelines hatcheries that have established an in house diagnostic laboratory and Effluent treatment systems are being recommended by the field centers for according permanent registration. Accordingly, 8 hatcheries have been considered for permanent registration under the Act. As on 31.3.2011, a total of 175 hatcheries situated in various maritime states have been registered by MPEDA. The registered hatcheries are expected to follow code of practices in accordance with the stipulations. Field Offices of MPEDA have been involved in quarterly monitoring of these hatcheries by collecting the samples for quality checks.

In addition to the registration process, officials from MPEDA are visiting the hatcheries along with the other committee members for inspection of these hatcheries and farms who have approached CAA for *L. vannamei* breeding and farming.

8.2.5. Demonstration of Seabass culture, mud crab and mussel farming

As part of the efforts to diversify the aquaculture activities, field centers have been involved in promoting other potential aquaculture species through demonstration programmes during the current year. Demonstration programmes initiated during 2009-10 were completed and the outcomes from those demonstrations are found to be encouraging. The demonstration in Kumta by Sub Regional Centre, Karwar yielded about 1,750 kgs of Seabass, which could create awareness among the local farmers on the culture practices. It is reported that a number of aqua farmers have expressed their interest in the farming of Seabass in the region. The demonstration conducted by Sub Regional Centre, Bhimavaram has yielded around 720 Kgs, and from the demonstration by Sub Regional Centre, Kannur yielded around 603 kgs. The demonstration conducted by Regional Centre, Thanjavur in fresh water body has resulted in higher production of over 1,400 kgs which is very encouraging.









In addition to the Seabass demonstrations, field centres of Kochi, Kolkata Bhimavaram, Bhubaneswar and Vijayawada have attempted the field demonstration of crab farming by procuring the crablets from RGCA. Being first of its kind of farming of mud crabs in the country, the demonstrations have given a hope to the rural masses in utilizing the small water bodies available in the villages for farming of crab that could fetch reasonable income. The out come of the 5 demonstrations have yielded a total production of around 1.02 MT. Proper planning and availability of crablets will definitely be an advantage for the scaling up of the crab farming operations.

As per the efforts to promote mussel farming in Karnataka region, seven mussel farming demonstrations were undertaken by Karwar field centre with better returns for farmers. A separate demonstration on Milk fish farming was initiated by Sub Regional Centre, Bhimavaram which has reported a production of around 1,110 Kgs.

8.2.6. Stake Holders Meeting

Field centers of MPEDA have organized 19 awareness meetings with hatchery operators at Kakinada, Nellore, Chennai, Gopalpur and Kochi, emphasizing on the need for production of shrimp seeds without use of any antibiotics and banned drugs.

8.2.7. Extension programmes by the field centres

As part of the efforts to create sustainable aqua farming, field centers are involved in implementing the targeted extension promotional programmes like training, farmers meets, organizing seminars, conducting inter-state study tours, awareness campaigns on misuse of banned drugs and chemicals/off flavour etc. for the benefit of aqua farmers.

8.2.8. Area developed for aquaculture

During the year under review, area developed for aquaculture is around 2,153.62 ha mainly in Gujarat for shrimp farming and for scampi in Orissa and West Bengal. With the introduction of *L. vannamei* farming, it is understood that farms that are idle during the past few years are in the process of revival.

8.2.9. Training Programmes

During the year field centres have organized 16 training programmes benefiting about 345 beneficiaries against the targeted number of 14 programmes on adoption of better management practices for sustainable farming, Mussel farming, utilization of Padasekharams for scampi farming, Seabass farming, Crab farming, Scampi farming etc. In addition to the above, field centres have also organized 10 training programmes for the benefit of 185 SC/ST beneficiaries on the better management practices, Scampi farming, etc in the year 2010-11.

8.2.10. Farmers Meets / Seminars / Workshops

Field centres have organized 11 farmer's meets and 7 seminars to discuss on various developmental activities in the aquaculture sector especially the concepts of organic farming, adoption of better management practices in aquaculture, diversification, etc.

8.2.11. Awareness campaigns against abuse of antibiotics/off flavour

Reports from the field centres indicate that 255 campaigns against use of banned antibiotics and pharmacologically active substances/chemicals in aqua farming and 15 programmes on the management practices for avoiding off flavour smell in the cultured shrimps were organized during the current year.







8.2.12. Awareness campaigns on diversification of aquaculture

As part of the efforts on diversification of aquaculture varieties, field centers have organized 21 awareness campaigns on diversification programmes focusing on Seabass farming in pond based cages, crab farming, organic farming, etc for the benefit of the aqua farmers based on the specific needs in each centre.

8.2.13. Inter-state study tour

To create awareness on practices of organic farming, concept of aqua society farming, Seabass cage farming technology, etc. field centres have conducted 8 inter-state study tours which has benefited 65 aqua farmers / entrepreneurs by visiting the RGCA facilities and farming areas in other states.

8.2.14. Monitoring of shrimp seed samples for viral pathogens and antibiotics

The field offices have been involved in the quarterly monitoring of the hatcheries during the current year by collecting the seed samples and getting them analyzed in the accredited laboratories for the presence of the pathogenic virus and presence of the antibiotic residues. During the year under report, 175 and 153 samples were screened for presence of viral pathogens and for antibiotic residues respectively and the outcome of these analysis are circulated to the stake holders and concerned agencies for further necessary action.

8.2.15. Liaison with other Institutes and Agencies

Aquaculture section at HO has been closely associating with the works related to aquaculture development with National and International agencies like the National Fisheries Development Board (NFDB), Coastal Aquaculture Authority, Ministry of Agriculture; NACA; USFDA, etc. Chairman, MPEDA and senior officials of the organization are co-opted as member in the Executive/Technical Committees of NFDB, CAA. Officials of the field centers continue to be represented in the state level committees and also in the Sub Committees constituted by the CAA during inspection/monitoring.

8.2.16. Publications

During the year under report all field offices have brought out a publication under UNCTAD programme covering topics on better management practices, Seabass, Mud Crab farming, Mussel farming, code of practices for farming and hatchery operations in the vernacular languages for the benefit of the aqua farmers.

8.3. Implementation of financial assistance schemes

Based on the targets earmarked to various field offices, financial assistance schemes are implemented for development of aquaculture sector by extending financial assistance for new farm development for shrimp and scampi, establishment of disease diagnostic laboratories, establishment of effluent treatment units in aqua farms and hatcheries and establishment of hatcheries for shrimp/scampi seed production, etc.

8.3.1. Financial assistance for new farm development

As against the target of ₹ 170 lakh for developing 340 ha of area under shrimp and scampi farming, an amount of ₹ 220.48 lakh was released to the aqua farmers for developing 509.95 ha area during the year. With the release of CAA approvals, aqua farmers from the states of Gujarat, Tamil Nadu have availed the assistance. In addition to the shrimp aqua farmers who have developed scampi farming in the states of West Bengal, Orissa, Kerala also availed the financial support extended under the scheme.

8.3.2. Assistance for establishment of disease diagnostic labs

A target of establishing 12 PCR labs was fixed keeping in view of the requirement of the sector due to introduction of the exotic shrimp for which an outlay of ₹ 60.00 lakh was earmarked. Against this target,







hatchery operators and private service providers in the states of Andhra Pradesh and Tamil Nadu have established 10 labs for which an amount of ₹ 49.84 lakh was released.

8.3.3. Assistance for establishment of commercial hatcheries and nurseries

During the period under review, a scampi nursery in Maharashtra, Scampi and shrimp hatcheries established in Tamil Nadu and Orissa were considered for financially assistance during the current year with a total outlay of ₹ 20 lakh.

8.3.4. Assistance for establishment of Effluent Treatment System (ETS) in hatcheries

To ensure that the organic load from the discharge water is significantly reduced and is within the permissible limits, a scheme is being formulated for extending assistance for establishing of an effluent treatment system in agua culture farms and hatcheries. With the mandatory requirement of establishing ETS for hatcheries for considering permanent registration, hatcheries are taking necessary steps to establish the ETS units as per a suitable design that could reduce the effluents from the units. During the current year 14 units were established as against 18 units for which ₹ 15.43 lakh was released as subsidy assistance.

8.3.5. Assistance for scampi farming in Padasekharams

During 2010-11, field centre in Kerala could motivate the farmers of the Padasekharams for developing 32.23 ha area with a financial assistance of ₹ 5.00 lakh for utilizing the area for additional stocking of scampi seeds after the paddy cultivation.

8.3.6. Assistance to Aquaculture Societies

Financial assistance to the registered societies is being extended after completing the process of provisional registration and subsequently according permanent registration. Accordingly, during the current year the Start up grant @ ₹ 50,000/- per society was released to 65 societies. Further, an amount of ₹ 26.56 lakh was also released to 16 societies as grant towards salary contribution of the technicians, electrification of farms, deepening of the intake canal and purchase of aerators.

8.4. INDIA ORGANIC AQUACULTURE PROJECTS (IOAP)

The demand for organic products is increasing in the international market, in view of the awareness being generated on food safety. The fish is basically considered as a healthy protein rich food and organic fish therefore, has an excellent demand. The India Organic Aquaculture Programme (IOAP) initiated by MPEDA to promote organic aquaculture activities in the country in the year 2007 was able to create a wider awareness on the prospects of organic aqua farming in the country. The IOAP was instrumental in pioneering the production and export of organic Scampi to the global market. The SIPPO assisted project was concluded in 2010, with all backward and forward linkages in the production line, duly certified for organic production and processing. MPEDA continued with the implementation of the organic aquaculture promotional programmes in India during 2010-11, as well. A detailed action plan is formulated by MPEDA for promoting organic Shrimp and Scampi in the coastal States. In order to expedite the progress, the scheme implemented by MPEDA on organic aquaculture was modified and submitted to the Ministry in the SFC format for approval, with a revised budget outlay. During the year, MPEDA promoted organic shrimp culture in the country, with the support of M/s. WAB Trading International (Asia) Ltd, Hong Kong. As a result, the organic shrimp farming activities in States such as West Bengal and Andhra Pradesh picked up momentum. The major developments during the year are briefed below:-







8.4.1. New areas identified for organic shrimp and scampi farming

MPEDA continued to identify potential areas for developing organic farming in the coastal States. As a result, 247.38 ha of brackish water area and 909.70 ha of freshwater area were surveyed during the year and found suitable for taking up organic farming projects.

8.4.2. Area brought under culture

In Kerala 21.6 ha fresh water area and 9.8 ha brackish water area were stocked with organic scampi and organic shrimp seed respectively, during 2010. The culture has been carried out and the crops harvested during the financial year. MPEDA released an amount of ₹ 11,316/-, to an entrepreneur from the Kuttanad organic Scampi group during the year, towards input assistance for carrying out organic Scampi farming.

Besides, 31 ha in Andhra Pradesh and 80 ha in West Bengal were stocked with the organic shrimp seed during March 2011, under the WAB assisted organic shrimp farming project. The organic farming in these states is under progress. The linkage sectors from these States are being certified for organic activities.

8.4.3. Monitoring of organic farms

The organic aquaculture projects were monitored periodically by MPEDA to provide necessary technical guidance to the farmers. The Internal Control System (ICS) adopted by the farmer's groups ensure compliance to the organic standards prescribed by the European Union (EU) as well as M/s. NATURLAND, Germany. The members of the ICS are inspected both by internal as well as external teams, to ensure the adoption of standards.

8.4.4. Harvest of organic farms

An estimated 2,795 kg of organic scampi were harvested from the organic scampi farms in the Kuttanad region of Kerala and the product supplied to certified organic processor. A price committee meeting was convened at MPEDA HO on 13.10.2010, in which the representatives of Kuttanad group of farmers and the certified organic processor participated, along with MPEDA officials. The committee fixed the price for organic scampi grades at 20% premium over the conventional prices.

8.4.5. Payment of Consultancy charges to M/s. OSEC, Switzerland

The technical collaboration with SIPPO, Switzerland for the India Organic Aquaculture Programme (IOAP) was concluded. MPEDA released an amount of ₹ 7,33,234/- towards the balance consultancy charges for implementing the IOAP, with SIPPO assistance.

8.4.6. Proposal for modifying the financial assistance scheme

The SFC proposal for modifying the scheme of MPEDA for assisting Organic Aquaculture was prepared and submitted to Ministry for approval, during the year. The approval is awaited for implementing the scheme, with enhanced subsidy package for organic farming.

8.4.7. Action Plan for Development of Organic Aqua farming in India

A detailed Action Plan to promote organic aquaculture in the coastal States was prepared by MPEDA, in order to plan the future development. The action plan envisaged the promotion of organic black Tiger as well as organic Scampi, along with the progress of other linkage sectors during the next three years.

8.4.8. Project Monitoring Committee meeting (PMC)

Two project monitoring committee meeting were conducted during the year to review the progress of the project and discuss the action points for implementation of the organic farming project.











A Bio secured organic scampi farm at Vaikom in Kerala



Organic Shrimp Feed

8.4.9. Brochure on Organic Aquaculture

A brochure on organic aqua farming was printed and brought out by MPEDA during the year to circulate same to prospective entrepreneurs and organic farmers.

8.4.10. Workshops & awareness programme

- * Assistant Director (AQ), IOAP participated the CFC Regional workshop on 'Organic Aquaculture Development' organized by INFOFISH at Bangkok during 3-5th March, and made a presentation on 'Development of Organic Aquaculture in India'.
- IOAP section in association with Regional Centre (Aqua) Kochi participated in the Exposition on Organic Farming at the India International Food and Agriculture Expo 2010 at Kochi from 11.12.2010 to 13.12.2010. MPEDA stall displayed the initiatives of IOAP for the promotion of organic aquaculture in India.
- The field offices in various states conducted workshops and awareness programmes at different places in their regions to create awareness on organic farming to entrepreneurs and other stake holders during the year.







8.5. PROMOTION OF ORNAMENTAL FISH BREEDING FOR EXPORT

8.5.1. Financial assistance for establishment of OFBUs (Ornamental Fish Breeding Units)

- a) Under the budget head 300.05, a total assistance of ₹ 96.44 lakh has been released for the setting up of 24 OFBUs in the scheme implementing states in the financial year 2010-11.
- b) National Fisheries Development Board (NFDB) has provided a funding support of ₹ 175 lakh to MPEDA for assisting the setting up of 38 ornamental fish breeding units in the scheme implementing five states. All the units have been set up and financial assistance of ₹145.25 lakh was released to 35 OFBU's in financial year 2010-11.



An Ornamental Fish Breeding Unit

8.5.2. Financial assistance for establishment of OFMS (Ornamental Fish Marketing Societies)

One ornamental fish marketing society has been setup in Kerala with a total assistance of $\ref{2.81}$ lake at Calicut in the financial year 2010-11.

8.5.3. Training programmes for ornamental fish development

MPEDA has organized two basic training programmes in Kerala during the period. MPEDA in association with UNCTAD has conducted 10 advanced training programmes on ornamental fish breeding and rearing in the five states of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra.

In addition to this, funding support was also provided for conducting three training programmes/ workshops on Ornamental fish breeding & culture to Tamil Nadu University of Veterinary & Animal Science (TANUVAS), College of Fisheries, Ratnagiri and Krishi Vigyan Kendra, Mangalore.

8.5.4. Peoples campaign and general awareness programmes on ornamental fish development

For mobilizing the public towards the scheme, MPEDA has conducted 14 awareness programmes in the five scheme implementing states.

8.5.5. Green certification of ornamental fishes

In order to address the social and environmental concerns as well as to ensure the sustainability of the trade in the long run, MPEDA has proposed a novel idea "Green certification of Ornamental fishes".









Release of Guidelines for Green Certification of Fresh Water Ornamental Fishes

The Guidelines for green certification of freshwater ornamental fishes prepared by the National Taskforce was sent to various national & international organizations for their comments and suggestions. After incorporating the same, the final guidelines were officially released during the inaugural function of Aqua Aquaria India 2011.

8.5.6. Publication of Ornamental fish breeders & traders directory

One of the basic requirements for any trade to prosper is the availability of an inventory of information to cater the needs of all segments of the sector. In line with this, MPEDA in association with UNCTAD has brought out a Directory of Ornamental fish Breeders and Traders, which was released during the inaugural function of Aqua Aquaria India 2011.

8.5.7. Publication of Handbook

Currently there is a dearth of cost effective reference manuals/ handbooks on ornamental fish, which can be easily understood by the layman and breeders. In line with this, MPEDA plans to publish a book entitled "Hand book on Ornamental fishes" which is now in the final stage for publication.

8.5.8. Health certification of export consignment of ornamental fish

Government of India has declared MPEDA and EIC as the central competent authorities for pre-shipment inspection and health certification of ornamental fishes for export to EU. The Local Competent Authorities empanelled by MPEDA are issuing the Health Certificate for ornamental fish consignments to EU. MPEDA has issued 13 health certificates for the ornamental fish consignments during 2010-11.

Other buyer countries have also started insisting for health certification from the country of origin. Hence, MPEDA has requested Ministry of Commerce & Industry to amend the order to make MPEDA as the Central Competent Authority for pre-shipment inspection and health certification of ornamental fish consignments irrespective of the country of destination.

8.5.9. Competent Authority status for exports to Australia

At present India is not in the list of countries permitted for export of ornamental fishes to Australia. AQIS (Australian Quarantine and Inspection Services) was contacted for recognizing MPEDA as the competent authority for certifying ornamental fish consignments to Australia. The services of National Aquatic Training Institute (NATI), Australia have also been sought for facilitating the procedures.







8.5.10. Foreign collaborative project with Peter Gunnel, Germany

MPEDA is facilitating a foreign collaborative project on production of different varieties of tetras. In connection with this, the foreign expert from Germany, Mr. Peter Gunnel conducted the preliminary site visits in the states of Kerala, Tamil Nadu & West Bengal during December 2010.

8.5.11. Exporter- Breeder meets

MPEDA, Regional Office, Kolkata organized a meeting of the ornamental fish exporters and MPEDA assisted breeders at Kolkata on 16.09.2010 in order to establish and encourage trade linkages between them.

8.5.12. Conference on Geographical Indication (GI)

Deputy Director (MS) and Assistant Director (OFD), had participated in the international conference on Geographical Indication arranged by UNCTAD at Taj Mahal hotel, New Delhi from 16-17 November 2010.

8.5.13. Participation in Exhibitions / Fairs

MPEDA participated in the 3rd "INFISH 2010" organized by National Fisheries Development Board (NFDB), from 9th to 12th July 2010 at Peoples Plaza, Hyderabad. MPEDA participated in the National Seminar on "Diversification of Aquaculture through Locally Available Fish species" and the exhibition organized by CIFE, Kolkata Center, from 27-28 August 2010 at Kolkata.

MPEDA participated in the "Ben Aqua 2010", National fish festival, organized by Department of Fisheries, West Bengal, from 1-4th October 2010.

The activities of MPEDA in ornamental fish sector were effectively showcased in these shows by putting up stalls.

8.5.14. Training programme on marine ornamental fish breeding

MPEDA has deputed Programme Manager (OFD-HO) to participate in the training programme on marine ornamental fish breeding & culture organized by CMFRI, Mandapam Camp.

8.5.15. Activities in Rajasthan

As per the instruction from MoCI, MPEDA expanded its ornamental fish developmental activities to the State of Rajasthan. As an initial step, in consultation with the State Government, awareness programmes about the scope and potential of this venture were organized in 5 potential districts (Udaipur, Rajsamand, Banswara, Jodhpur and Hanumangarh).

MPEDA also participated in "Krishi Utsav 2010" at Sri Ganganagar, Rajasthan, (from 7th & 8th September 2010). The MPEDA's activities, especially for the development of ornamental fish sector in Rajasthan could be showcased effectively during the exhibition.

MPEDA is in the process of posting a Programme Manager (OFD) to coordinate the activities for development of the sector in the State.

8.5.16. Successful breeding of Arowana by MPEDA assisted farmer

Arowana (Osteoglossum bicirrhosum) a highly priced ornamental fish, the breeding of which has not yet been done on a commercial level in India, was successfully bred at the farm of an MPEDA assisted ornamental fish breeder in Kerala.










Arowana (Osteoglossum bicirrhosum)

9.0. PROCESSING INFRASTRUCTURE AND VALUE ADDITION

The international market for seafood products has undergone several changes. Consumer preferences and tastes are strongly in favour of ready-to-cook and ready-to-eat convenience foods and eating in restaurants has become immensely popular. Convenience seafood items are now increasingly being purchased from the super markets. The food service sector has undergone drastic changes in terms of convenience ready-to-cook and ready-to-eat value added seafood items of products in demand. India's production of ready-to-cook and ready-to-eat value added seafood products is less than 10%. Hence there is a tremendous scope in the seafood processing industry for processing and export of various ready-to-cook and ready-to-eat convenience seafoods.

Seafood Meal Kits







Shrimp - Italian Style - Product

With a vision to increase the percentage of value addition and accord high priority to the promotion of export of ready-to-cook and ready-to-eat value added seafood products, MPEDA continued to strive for establishment of the required state-of-art facilitates in handling, preprocessing, processing, packaging, warehousing and transportation. To facilitate this, MPEDA is operating various subsidy schemes to help the existing exporters and the new entrepreneurs for creation of required infrastructure facilities for processing and export of value added marine products. Abstract of various developmental subsidy schemes are furnished hereunder:-







Abstract of various developmental subsidy schemes

Name of the Scheme 1	Objective 2	Quantum of Assistance 3		
Technology Upgradation Scheme for Marine Products (TUSMP)	This scheme is an effort to provide financial assistance to exporters for setting up new	Type of Category Category Category assistance I II III		
	units (Category I), to expand the existing production capacity for value added	Interest 150 125 125 Subsidy Lakh Lakh Lakh		
	products (Category II) and for diversifying into value addition (Category III). The assistance will be subject to full	Capital 100 85 85 Subsidy Lakh Lakh Lakh		
	assistance will be subject to full commitment of the exporter by fulfilling an annual export obligation covering specifically notified value added products. Financial assistance either in the shape of capital subsidy @ 25% (or) interest subsidy to the extent of 5 percentage points.			
Financial assistance for setting up large cold storages.	To encourage individuals to establish cold storages for keep the surplus seafood.	25% of the cost of cold storage subject to the maximum of ₹60 lakh.		
Financial support for acquisition of refrigerated truck / containers.	To encourage seafood processors to acquire refrigerated trucks / containers for transportation of raw material / finished products.	25% of the cost of Refrigerated Truck/container, subject to a maximum of ₹ 3.50 lakh.		
Subsidized distribution of insulated fish boxes.	For proper preservation of raw materials in iced condition onboard fishing vessel, in shrimp farms, peeling sheds and processing plants.	Moulded synthetic insulated fish boxes of various capacities are distributed at 50% subsidy.		
Subsidy for setting up new modern ice plant / renovation of existing plant.	Financial assistance to ice plants in order to upgrade themselves and develop the capacity to supply quality ice to fishermen, processors and shrimp farmers.	₹ 31 lakh @ 25% of the cost for a new block ice unit. ₹ 26 lakh @ 50% of the cost of renovation for existing unit. ₹ 14 lakh @25% of the cost for Flake / Chip / Tube ice unit.		
Subsidy for acquisition of machinery for tuna cannery/ processing of value added tuna products.	To assist seafood processors to set up tuna cannery / processing facilities for value added tuna products.	25% of the cost of machinery & equipment subject to a maximum of ₹ 65.25 lakh.		
Financial assistance for basic facilities for chilled fish / chilled tuna for export.	To boost the export of chilled fish items and to earn valuable foreign exchange to the country, to increase the share of chilled fish items in the seafood export basket of India and to facilitate creation of adequate facilities necessary and essential for chilled fish export and also to ensure quality	Maximum assistance shall be ₹ 35 lakh per beneficiary @ 33½% of the actual cost incurred. The financial assistance under the scheme will be available only once to a beneficiary.		

product for export markets.







2

Financial assistance for creating basic facilities for fish curing / drying / packing / storage for export

1

To facilitate creation of adequate facilities necessary and essential for dry fish processing, packing and storage also to ensure quality product for export markets. To boost the export of dried fish items and to earn valuable foreign exchange to the country. To increase the share of dried fish items in the seafood export basket of India.

Scheme - A: Financial assistance for setting up of dried fish handling facility. Maximum assistance shall be ₹ 23.50 lakh per beneficiary @ 331/3% of the actual cost incurred.

3

Scheme - B: Financial assistance for the setting up of dried fish packing and storage facility. Maximum assistance shall be $\stackrel{?}{\sim} 8.25$ lakh per beneficiary @ $331/_3\%$ of the actual cost incurred.

9.1. Progress of implementation

During the year 2010-11, a sum of ₹ 5.68 crore has been extended towards assistance under the head "Processing Infrastructure and Value Addition". Scheme-wise details of the financial assistance disbursed are furnished below:-

9.1.1. Assistance for exporters for value addition

a) Technology Upgradation Schemes for Marine Products (TUSMP)

During 2010-11, under TUSMP scheme financial assistance has been extended to the tune of ₹ 394.77 lakh to 6 processors for setting up new unit, expansion of the existing production capacity of value added products and for diversifying into value addition by installing required machinery and equipments.



A view of modern processing plant of value added marine products

As a result the beneficiaries could able to produce the following high end value added seafood products for export markets.

- 1) IQF Shrimp Burger
- 2) IQF Breaded Shrimps
- 3) Shrimp Nuggets







- 4) Shrimp Pop Corn
- 5) Shrimp Lollipop
- 6) Breaded Fish Fingers
- 7) Seafood Meal Kit in Mediterranean Style
- 8) Seafood Meal Kit in Asian Style
- 9) Micro-cuisine Scampi
- 10) Micro-cuisine Lemon Herb Tilapia
- 11) IQF Cooked PUD Shrimps
- 12) IQF Cooked PD Shrimps
- 13) Pasteurized Crab Meat in Plastic / Metal Cans
- 14) Accelerated Freeze Dried Shrimp and
- 15) IQF Tray Pack Shrimp

Since there was a slow progress in implementation of the scheme, as per the proposal of MPEDA, the Ministry has accorded permission for the following two modifications in the scheme:-

Reduction in export obligation requirement from \ref{thmu} 20 crore, \ref{thmu} 15 crore and \ref{thmu} 8 crore annually for 7 years to \ref{thmu} 7 crore, \ref{thmu} 5.3 crore and \ref{thmu} 2.8 crore annually for 10 years for beneficiaries of category I, II and III respectively.



Shrimp burger

- i) Reduction of bank guarantee from the present level of 50% of the eligible subsidy to 10% of the eligible subsidy for availing capital subsidy assistance.
- ii) As a result, more manufacturer exporters have now furnished their proposals for acquisition of machinery items under the scheme and this will definitely lead to increased export production of value added seafoods in subsequent years.







b) Subsidy for acquisition of all processing machinery and equipments

Based on the sanction accorded during the previous years, we had extend subsidy to a unit under the earlier scheme "Subsidy for acquisition of all processing machinery and equipments for production of value added marine products" to the tune of ₹ 17.50 lakh.

9.1.2. Assistance for maintenance of cold chain

Financial support for acquisition of refrigerated truck / containers a)

A sum of ₹ 9.79 lakh was given to three processors for acquisition of refrigerated truck / containers for transportation of raw material / finished products at the required temperature so as to maintain the cold chain during transportation.

Financial assistance for setting up large cold storages b)

Financial assistance amounting to ₹ 74.93 lakh has been extended to 5 units for establishment of modern large cold storages to store 3,747 Tons of various seafood products at -20°C for maintenance of the quality of frozen marine products.



Inside view of a Large Cold Storage

c) Subsidized distribution of insulated fish boxes

Financial assistance of ₹ 57.19 lakh was given to 1,486 beneficiaries under various categories of the scheme for proper preservation of raw materials in iced condition onboard fishing vessel, in shrimp farms, peeling sheds, processing plants and chilled fish handling centers.

d) Subsidy for infrastructure facilities (Gen. Set, WPS, ETP, etc)

Based on the sanction accorded during the previous years, we had extend subsidy to a unit under the earlier scheme for setting up of water purification system, effluent treatment plant and acquisition of generator set to the tune of ₹ 14.16 lakh.

9.2. Setting up of Special Economic Zone

Based on the earlier Pre-feasibility study of M/s. IL & FS Infrastructure, Bangalore the IFFCO Kisan SEZ has been found to be suitable location, amongst the options available in Andhra Pradesh, for the purpose of setting up of the Exclusive Value Added Marine Products Node by MPEDA. Accordingly, as per our request,









Marinated Barbeque Scampi

IFFCO Kisan SEZ Ltd have agreed in principle to allot 125 acres for the development of Value Added Marine Products Node adjacent to the land to be allocated to National Fisheries Development Board (NFDB) and another 50 acres for development of an ornamental fish park. However as part of detailed feasibility and business plan preparation a detailed demand assessment and viability analysis needs to be carried out before structuring the project for implementation. As the NFBD has also floated a proposal for setting up of a node in the SEZ for processing of value added seafood products mainly for domestic markets, MPEDA has proposed the NFDB to have joint study and to have synergic effect and also to avoid any possible duplication. The study was being carried out by the NFDB and waiting for its report.

10.0. QUALITY CONTROL

Quality control is a very vital element in the seafood industry. MPEDA has a mandate to take such steps to improve the quality of seafood exported from the country. The Quality Control Section is oriented towards strengthening the seafood industry to produce internationally acceptable quality fishery products for export market. An outline of the work done by the Section during 2010-11 is given below:-

10.1. Subsidy for setting up of Mini Laboratory

For the effective implementation of in-process quality control, MPEDA assists the processing plants to set up their own quality control laboratories by subsidizing 25% of the cost subject to a maximum of ₹ 1,50,000/- per unit. During 2010-11, an amount of ₹ 4.73 lakh was sanctioned/released as subsidy assistance to 6 processing plants.

10.2. Subsidy for Captive Pre-Processing Centre.

The scheme aims to bring the pre-processing activities under the control of processors and to upgrade the facilities as per HACCP and EC Regulations. The subsidy assistance is 50% of the actual expenditure with a ceiling of $\stackrel{?}{\sim}$ 15.00 lakh for new construction and 45% of the actual expenditure with a ceiling of $\stackrel{?}{\sim}$ 13.50 lakh for renovation, which is also linked with the area of the pre-processing hall. The maximum limit for independent pre-processing centers is $\stackrel{?}{\sim}$ 22.00 lakh. An amount of $\stackrel{?}{\sim}$ 52.96 lakh was sanctioned / disbursed as subsidy to 6 beneficiaries for construction of Captive Pre-processing center.

10.3. Subsidy for Independent Pre-Processing Centre

The scheme aims to upgrade the pre-processing facilities as per HACCP and EC Regulations. The subsidy assistance is 50% of the actual expenditure with a ceiling of ₹ 22.00 lakh for new construction and 45% of the







actual expenditure with a ceiling of ₹ 19.80 lakh for renovation. An amount of ₹106.80 lakh was disbursed during the period as subsidy/additional subsidy to 16 beneficiaries for construction of Independent Preprocessing center.

10.4. Interest Subsidy Assistance

MPEDA with the approval of MoCI introduced the Interest Subsidy scheme to compensate a certain amount of interest payable by the plant owners to the bankers from whom they have availed loan for the upgradation of their facilities to achieve equivalency to EO/GOI norms. Providing such facilities require heavy capital investment. Even though institutional finance is available, such term loans attract high interest ranging from 14 to 18.5%. The quantum of assistance is 7% of the rate of interest charged by the Bank over and above the International Interest of 7% or the actual rate of interest over and above the International Interest (i.e. 7%) whichever is less subject to a maximum of $\stackrel{?}{\sim}$ 15.00 lakh per unit. During the year under report an amount of $\stackrel{?}{\sim}$ 97.04 lakh was sanctioned/disbursed to 15 beneficiaries towards Interest subsidy assistance for upgradation of seafood processing plant.



Inauguration of Common Pre-processing Centre, Sakthikulangara

10.5. Rapid Alert notifications by EU (RASFF)

34 Rapid Alert Notifications were received during the financial year and the concerned Regional Officers / Sub Regional Officers have investigated and furnished their report.

10.6. Common Pre-processing Centre at Ambalapuzha and Sakthikulangara

The Common Pre-processing Centre at Ambalapuzha and Sakthikulangara has been completed.

10.7. HACCP Training Programme

As a technically competent authority in India, MPEDA has been providing technical assistance to the seafood industry in HACCP implementation by imparting training to the technical personnel from the industry. Three HACCP (basic) training programmes were conducted at Cochin, Chennai and Goa during the year under report, which were attended by 90 technologists / Quality Control personnel attached to the seafood industry.

10.8. HACCP Manual Scrutiny

14 HACCP manuals were scrutinised during the year. HACCP scrutiny certificate was issued to 2 units and HACCP compliance certificate was issued to two units during the year under report.







10.9. EU Approved establishments

Periodic updation of the list of seafood processing establishments approved for export to EU in the MPEDA website was done. At the end of the financial year there were 236 seafood processing establishments and 31 independent cold storages approved by the EU.

10.10. Export of marine products to Russia

Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (FSVPS) has so far approved 78 Indian seafood processing establishments for export of marine products to Russian Federation.

10.11. Export of marine products to Vietnam

There are 188 Indian seafood processing establishments approved for export of seafood products to Vietnam.

10.12. Upgradation of Fishing Harbours

Out of 19 fishing harbours proposed, 5 fishing harbours (3 in Kerala and 2 in Karnataka) were upgraded by providing flake ice/tube ice making machines and chill rooms in the auction halls.

The other State Governments (viz. Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and Goa) are being persuaded to provide the basic infrastructural facilities in the fishing harbours identified in those states so that ice plants/chill rooms can be installed in the remaining 14 identified harbours as well.

10.13. Logo Scheme

During the year under report, one unit at Tuticorin approved under the Marine Products (Quality Marking) Scheme, 2010 commenced production and export. Another unit in Gujarat is under assessment under the scheme.

10.14. Training on EU Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF)

Training on the EU Rapid Alert System for Food and Feed was organised by MPEDA in association with Directorate General for Health & Consumers of the European Commission (DG SANCO) and Better Training for Safer Food (BTSF), at Cochin from 15th to 16th November, 2010. Twenty one participants attended the training/workshop. (8 participants each from Export Inspection Agency and MPEDA, 2 participants from Spices Board and one participant each from APEDA, Coastal Aquaculture Authority (CAA) and NIFPHATT).



Training on EU RASFF - Ms. Caroline Krejci addressing the participants







The faculty members were M/s. Caroline Krejci, from the National RASFF Contact Point in Austria and Mr. Sebastien Rahoux, Project Manager (Quality, Conformity Assessment & Safety Department) of AETS.

11.0. QUALITY CONTROL LABORATORIES

11.1. National Residue Control Plan (NRCP) 2010

Under the residue control programme NRCP 2010, a total number of 2,017 samples were analyzed by the three MPEDA QC Laboratories (Kochi, Bhimavaram & Nellore) against the target of 1,981 samples. The particulars of samples analyzed by each lab are as:-

Sl. No.	Laboratory	No. of s	samples
		Target	Achievement
(a)	QC Laboratory Kochi	732	746
(b)	QC Laboratory, Nellore	646	667
(c)	QC Laboratory, Bhimavaram	603	604
	Total	1,981	2,017



View of an LCMSMS equipment in MPEDA Laboratory

11.2. Communication of Results and Alert notification on non-compliant results

The results of sample analysis are generated online (immediate electronic transmission) after analysis of samples. The alert notifications in case of samples tested non-compliant (residue positive cases) are also generated / communicated immediately.

11.3. ELISA Screening Laboratories (16 ELISA Labs)

- i) Andhra Pradesh:- 6 Labs at Kakinada, Amalapuram, Bhimavaram, Bapatla, Ongole & Nellore (operational from April 2009 onwards).
- ii) Other States:- (10 Labs) operational from November 2009 onwards.
 - 1) 3 Labs in West Bengal (Khariberi, Haroa & Contai)
 - 2) 2 Labs in Orissa (Balasore & Paradeep)









An overseas delegation during their visit to MPEDA Laboratory, Kochi (L to R): Mr. Saby (Mg. Director, Flying Seafood Group, Dubai-UAE), Mr. Jon Safey (General Manager, Nippon Suisan Kaisha Ltd, Tokyo, Japan) and Mr. Jens Peter Klausen (Mg. Director, JP Klausen & Co A/S, Denmark) with Mr. N Ramesh, Director (Marketing), MPEDA and Mr. V I George, Deputy Director (Lab)

- 3) Tamil Nadu (Nagapattinam)
- 4) Kerala (Payyannur)
- 5) Karnataka (Kumta)
- 6) Maharashtra (Palghar)
- 7) Gujarat (Valsad)

11.4. Pre-Harvest Testing

Under the Pre-Harvest Testing programme, the aquaculture farmers have to get their produce (shrimp/fish) tested for the banned/prohibited antibiotics like Nitrofuran metabolites and Chloramphenicol and certified before supplying of the produce to the processors/exporters. The 16 ELISA Screening Laboratories set up in 8 maritime states for the Pre-harvest testing are functioning properly. Under the Pre-Harvest Testing (PHT) programme, during 2010-11, the 16 Labs altogether have analyzed a total number of 21,997 samples, as follows:-

Pre-Harvest Testing during 2010-11

Sl. No.	ELISA Labs	No. of Samples tested by ELSA	No. of ELISA positives	No. of non-compliant samples
1	Andhra Pradesh (6)	14,660	58	14
2	West Bengal (3)	2,243	100	8
3	Orissa (2)	1,427	0	0
4	Tamil Nadu	1,163	0	0
5	Kerala	23	0	0
6	Karnataka	57	0	0
7	Maharashtra	323	3	0
8	Gujarat	2,101	6	0
	Total	21,997	167	22







11.5. Testing of Commercial Samples by QC Lab Bhimavaram

During the year 2010-11, the Lab Bhimavaram had analyzed a total number of 76 commercial samples.

11.6. Accreditation for Laboratories

The NABL accreditations for MPEDA Labs - Kochi and Bhimavaram have been renewed for the period up to 24th September 2012 and 24th October 2012 respectively. Accreditation of Lab Nellore is valid upto 11th January 2011. The re-assessment audit of Lab Nellore by NABL Auditors was carried out on 8th and 9th of January, 2011 for the purpose of renewal of accreditation.

11.7. Monitoring of Shellfish Growing Waters

Monitoring study on Shellfish growing waters at Padanna region in Kannur District (Kerala) is entrusted to M/s. Sea Lab as per agreement continued during the current year 2010-11. Different water parameters were analyzed during the period under report.

11.8. Monitoring of Cadmium in Cephalopods off Veraval

The cephalopods (cuttlefish/squid/octopus) caught off Veraval Coast are reported with the exceeded levels of Cadmium content and therefore, the catches landed in Gujarat are monitored by collecting samples from 7 landing centers (Veraval, Kharakua, Mangrol, Porbandar, Okha, Bhidiya & Diu) as per seasonal availability of samples and tested at MPEDA QC Laboratory, Kochi. During the year 2010-11, 80 Cephalopod samples received from Regional Offices were analyzed.

11.9. Monitoring of Pesticide Residues at National Level (MPRNL)

The project being funded by Department of Agriculture (MoA) is ongoing and during the year 2010-11, samples of inland fishes and crustaceans, marine crustaceans from the maritime states of India are analyzed. During the year under report 480 samples (inland fishes and crustaceans, marine crustaceans, etc.) have been analyzed and the results communicated.

11.10. MPEDA QC Labs at Bhubaneswar

The MPEDA Lab at Bhubaneswar, leased out on management contract basis to M/s. Interfield Laboratories, has been analyzing commercial samples.

11.11. Proposal for setting of new QC Labs in Tamil Nadu and Orissa

Action has been initiated for availing of government land allotted from the State (Tamil Nadu) Governments (by purchase or long-term lease) at Bhubaneswar (Orissa) and Chennai (TN) for the purpose of setting up of own facilities for housing the two new labs (full fledged) proposed.

11.12. Proposal for setting up own facilities for shifting of QC Labs Nellore & Bhimavaram in Andhra Pradesh

Land allocated by the State Government at Nellore is being purchased / taken over by MPEDA for the purpose of setting up own facility to house the QC Laboratory at Nellore. Efforts are also made to identify and get suitable land allocated at Bhimavaram for constructing own facility to house the QC lab at Bhimavaram.

11.13. Training of personnel of the QC labs

During the year 2010-11, the personnel of Labs Kochi, Bhimavaram & Nellore were trained in 18 different training programmes (management and technical), inclusive of 2 overseas programmes.







11.14. Audit by EIC/ NABL

- i) The re-assessment audit of Lab Nellore by NABL Auditors was carried out on 8th and 9th of January, 2011 for the purpose of renewal of accreditation under their approval scheme. The Internal Audit of QC Laboratory, Nellore was conducted on 17th and 18th of March, 2011 by officers from Bhimavaram and Kochi laboratories.
- ii) EIC audited the QC Laboratory, Bhimavaram for renewal of approval under EIC. The Internal audit of QC Lab, Bhimavaram was conducted on 20th and 21st of February, 2011 by officers from Nellore and Kochi laboratories.
- iii) The Kochi Lab was audited by NABL for compliance under ISO:IEC:17025: 2005 on 26th and 27th of June, 2010 and the accreditation is valid up to 28.09.2012. Internal Audit of Kochi Lab was conducted by the officers from Nellore and Bhimavaram Lab.

11.15. Inter-Laboratory Comparison programme

QC Laboratories Kochi, Bhimavaram and Nellore organized the following Inter Laboratory Testing programmes during the period under review:-

- i) Kochi (1) Sulphadiazine (2) Gama BHC and Chlordane (3) AHD & AMOZ (4) Oxy Tetracycline (5) Chloramphenicol
- ii) Bhimavaram (1) HCB-4, 4 DDT (2) Arsenic & Lead (3) AOZ (4) Semicarbazide (5) BHC (6) Aldrin (7) Arsenic & Cadmium (8) Sulphadiazine
- iii) Nellore (1) Chloramphenicol (2) Cadmium (3) Mercury (4) Oxolinic Acid

11.16. Validation study as per 657/2002/EC

Uncertainty measurements for various parameters have been re-calculated and data submitted to EIC, New Delhi.

12.0. SOCIETIES UNDER MPEDA

12.1. Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture

Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture (RGCA) comes under the Research and Development plan scheme of the Marine Products Export Development Authority. RGCA has been implementing several species specific R & D projects in the development of aquaculture technologies for finfish and shell fish, export oriented ones in particular to strengthen the aquaculture production base in the country. In this connection, RGCA has established a State-of-the-Art Technology Transfer Training and Administrative Complex at Sirkali, Nagapattinam District in Tamil Nadu for dissemination of the technologies developed at these projects to the industry through training programmes and demonstrations organized from time to time.

The activities and progress of implementation at these technology development projects during the year under review are detailed below:-

12.1.1. Technology Transfer Training and Administrative Complex (TTTAC) - Sirkali

The construction works at the Technology Transfer Training and Administrative Complex at Sirkali has been completed in March 2010 and the RGCA head quarter has started functioning from this complex since July 28th 2010. Development of a modern, Aquaculture Library, the Central Pathology lab and the Central Genetics lab is progressing.







During the year 2010-11, the Technology Transfer and Training (TTT) wing of RGCA has organized 5 hands on training programmes in Best Husbandry practices in Asian Seabass Aquaculture for 48 beneficiaries and one training programme in Mud Crab Aquaculture for 10 beneficiaries. Apart from these, the TTT wing has also conducted 7 awareness and orientation programmes in Seabass and Mud Crab farming for the benefit of farmers, fishermen, technocrats, students and Government officials around 178 persons were benefitted through these programmes.

12.1.2. Domestication of Tiger Shrimp Project- Andamans

During the period under review, civil construction of the main component of the DTSP - the Nucleus Breeding Centre (NBC) has been completed. RGCA has taken also possession of the 33 acre land provided by the Government of Tamil Nadu at Kanyakumari Dist. for the development of the Broodstock Multiplication Centre.



Admn Block of Domestication of Tiger Shrimp Project at Kodiaghat in Andamans

Meanwhile development of new founder families for the full scale Domestication of Tiger Shrimp Project operations continued at the Pre-primary and Primary Quarantine facility at Amkunj in Middle Andamans and 8 families were successfully developed at the facility. The project successfully developed the fourth generation SPF families at the Pilot scale operations at Andamans. The Orissa State Shrimp Production and Research Centre (OSSPARC) facility at Gopalpur-on-Sea in Orissa has been taken by RGCA for the operation of a Pilot scale Broodstock Multiplication Centre (BMC) using the 4th Generation SPF stocks from Andamans.

A field trial was carried out using the G4 SPF seed from Andamans at the RGCA demonstration Karaikal, UT of Pondicherry to study the performance of SPF seeds produced by RGCA in field conditions.

12.1.3. Scampi Broodstock Development Project

The Scampi Broodstock Development Project of RGCA established at Kankipadu in Krishna District, Andhra Pradesh has successfully completed the diallel crossing experiment for the identification of the best Indian strain of Scampi developed from three geographically distinct wild strains collected from different areas in the country.

The project has also been able to develop and breed large numbers of suspected Neofemales required for all male scampi seed production. Quality checks to ascertain production of all male seed from these suspected Neofemales is presently underway.









View of the Neofemale pond at the Scampi Farm

12.1.4. Aquatic Quarantine Facility - Neelankarai, Chennai

Quarantine activities at the facility continued and during the period under review, a total of 17,299 broodstock (8,618 males & 8,681 females) were imported in 42 batches by 21 stakeholders approved by CAA. The number of broodstock quarantined and despatched from the facility were recorded to be 16,443 (8,209 male & 8,234 female). The final survival rate achieved on the basis of live received by the quarantine facility was 96.73%.

12.1.5. Mud Crab Hatchery Project - Thoduvai

In a major breakthrough achieved this year, the pilot scale Mud Crab hatchery facility recorded a highest survival rate of 14% as against the normal world average of 3%. Adoption of improved management strategies along with the use of probiotics have helped in the enhancement of survival rates. Production of Crab instars continued at the facility and in 13 cycles undertaken during the period under review, 2.27 lakh crab instars were produced.

Meanwhile construction of the Main Mud Crab Hatchery that was taken up during July 2010 is progressing.

12.1.6. Artemia Project - Tuticorin

The Artemia project of RGCA, located at Tharuvaikulam in Tuticorin has successfully been able to standardize the production of Artemia Biomass and Cyst. The project has also initiated the supply of frozen WSSV (White spot syndrome virus) free biomass to Ornamental Fish breeding units, Shrimp and other finfish hatcheries. This product has become extremely popular and in great demand among the units mentioned above.

During the period under review, the project has been able to produce and supply around 1.6 Tons of Artemia biomass. Cyst production also continued and around 32 Kgs of wet Artemia cyst were produced during the year. Processing methodology has been standardized and around 19 Kgs of dry cysts were produced this year.

A package for transfer of technology for Artemia cyst and Biomass production has been worked out for dissemination to SHGs in the area.











View of the Artemia Farm

12.1.7. Seabass Hatchery Project

The construction of the Seawater reservoirs, the Seabass and Mud Crab office building and the new link across Buckingham Canal for approaching the facility had been taken up during July 2010. While the construction of the Seawater reservoirs has been completed, the construction of the Office and link across Buckingham canal is being taken up.



A view of Seabass hatchery

Meanwhile production of Seabass seed continued at the hatchery facility and around 4.88 lakh fingerlings have been produced and supplied from the facility during the period under review. The RAS - Recirculation Aquaculture Systems installed for Seabass broodstock has been made fully operational and successful spawning have been obtained from the fishes in the system. Quarantine procedures for wild fish to be introduced in the hatchery have also been standardized during the year.

12.1.8. Aquaculture demonstration Farm - Karaikal, UT of Puducherry

Demonstration of Cage farming of Seabass in Aquaculture ponds continued at the Demonstration farm at Karaikal. Harvesting of the batch stocked in January 2010 was initiated in July 2010 and the batch yielded a production of around 4,300 Kgs.







Crab instars produced at the Mud Crab hatchery of RGCA at Thoduvai were reared in hapas at the demonstration farm to crablets for supply to farmers, MPEDA demonstrations and research institutions such as CIBA for their research trials. During the period under review around 21,500 crablets were produced and sold from the demo farm.

Apart from training programmes in Cage farming of Seabass in Aquaculture ponds, several awareness and orientation programmes in Seabass and Mud Crab farming were also conducted at the facility during the period.

12.1.9. Grouper Project - Andamans

An additional 8 HDPE cage rafts were fabricated and moored along with existing 13 HDPE cage rafts at the Grouper Cage station to hold and condition grouper broodstock as well as to carry out Grow-out farming trials of Grouper fingerlings produced at the hatchery. In addition to the existing wooden working platform a separate working wooden platform (5Mtr x 5Mtr dimension) was also fabricated and moored at the station mainly for handling broodstock during fresh water bath treatment, to hold and pack spawned eggs.

During the period under review, three successful larval rearing cycles have been carried out at the Hatchery facility and approximately 2500 fingerlings have been produced.

Two trial runs in farming of Grouper in open sea cages from hatchery produced seed are progressing at the Grouper project. The project presently has over 600 Kgs of marketable Tiger Grouper.

Natural spawning of the Square tail coral trout - Plectropomus aerolatus was achieved at the broodstock maintenance cages and larval rearing of this species was carried out at the hatchery upto 26 days for the first time in the country.



GIFT Tilapia

12.1.10. Tilapia Project - Krishna District, Andhra Pradesh

GIFT Tilapia imported from Worldfish Centre Malaysia in December 2009 has been grown to broodstock sizes at the Tilapia Project located at Manikonda Village, Krishna District, Andhra Pradesh. A breeding unit was also set up at the Tilapia project to undertake breeding activities of GIFT strain Tilapia. The next generation of GIFT brooders has been successfully developed at the project. Around 568 fingerlings of the Red Line YY Tilapia were also imported in November 2010 from M/s. FishGen UK and are being reared to broodstock at the farm.







12.1.11. Marine Finfish Hatchery Project

A major breakthrough was achieved at the Marine Finfish project of RGCA this year in breeding of Cobia. Subsequently, larval rearing trials were carried out with different feeding regimes in an effort to standardize the larval rearing protocols. Nursery rearing operations were also carried out and around 500 fingerlings of 12 cms length were ranched to the sea at Pozhiyur.

An extensive survey of coastal areas was also carried out to identify more suitable sites for Cobia broodstock maintenance and grow out farming in open sea cages.



Breeding unit developed at the Tilapia Project

12.2. NETWORK FOR FISH QUALITY MANAGEMENT AND SUSTAINABLE FISHING (NETFISH)

Network for Fish Quality Management and Sustainable Fishing (NETFISH), a registered society under the aegis of the Marine Products Export Development Authority (MPEDA), Kochi, was formed with an aim to extend and transfer useful information and know how to fisher folk and other stakeholders leading to the betterment of fish quality management and sustainable fishing. The major objective of NETFISH is capacity building through extension programmes among fishermen and other stake holder groups in areas such as fish quality management, post harvest handling, conservation of fishery resources and sustainable fishing.

12.2.1. NETFISH activities

During the year 2010-11, NETFISH conducted repeated training programmes at selected areas. These selected areas were identified considering the proximity to fishing harbours / landing centers and based on its importance in terms of fishing and material available for exporting. Various issues on fish quality management and sustainable fishing at these selected areas were identified and programmes were organized based on the requirements.

NETFISH conducted 3,005 extension programmes in the coastal states of India during the fiscal year 2010-11 (Table - 1). Besides the regular training programmes on various aspects of fish quality management, conservation and sustainable fishing, NETFISH conducted special programmes such as Street plays (368 nos.), Medical camps (1 no.), Harbour/coastal clean ups (2 nos.), Rallys (2 nos.), school programmes (16 nos.), Door to door programmes (3 nos.), Mass communications (24 nos.) and other special programmes (19 nos.) to have a lasting image in the minds of fisher folk. Apart from these programmes an intensive campaigning on Boat







Registration was also organized and around 209 numbers of programmes were conducted in these aspects. During the year NETFISH developed new extension tools such as documentary (one), animation film (one), and a training manual.

Table - 1: Details of No: of programmes conducted by NETFISH during 2010-11

Regular Programmes						Special Programmes											
SI. No.	State/ Region	Landing Centre - Quality	Conservation	On board	Pre-processing	Aqua farm	Dry fish	Street-plays	Medical Camps	Harbour/coastal clean-ups	Procession / Rally	School programme	Door to door programme	Mass communications	Others	Boat Registration Campaign	Financial Year Total
1	Kerala - South	59	43	10	103			45		1				4	5	52	322
2	Kerala - North	101	96	7				95						11		20	330
3	Karnataka/Goa	94	89	8	12	16	27	27					3	2	1		279
4	Maharashtra	73	92	11	27	9	28	45		1	1	5			2	7	301
5	Gujarat	117	64	6	36		22	5						1	2	29	282
6	Tamil Nadu (S)	100	103	22	20	11		48				5					309
7	Tamil Nadu (N)	113	85	10	8							2					218
8	Andhra Pradesh	96	67	8	22	10	12	55						3		18	291
9	Orissa	43	85	104	24	12	6		1						9	58	342
10	West Bengal	84	39	18	21	73	15	48			1	4		3		25	331
	Break-up	880	763	204	273	131	110	368	1	2	2	16	3	24	19	209	3,005

12.2.2. Other activities

1) Mass Communication at Veraval

NETFISH participated in the 'Fishermen Day' organized by "Shri Akhil Gujarat Machhimar Maha Mandal", Veraval on 6th March, 2011. Around 1 lakh fisher folks from more than 125 big and small landing centers attended the programme. NETFISH took this opportunity to give a wider publicity of its activities. A stall was set up to provide information for fishermen on various aspects of Fish Quality management, conservation and sustainable fishing as well as on various subsidy schemes of MPEDA. NETFISH posters, leaflets and documentaries were distributed and displayed at the stall.

2) Mass Boat Clean-up Programmes

NETFISH conducted mass boat clean-up programmes at Veraval & Mangrol with an aim to spread the message to fishermen community on cleanliness of vessels and fish contact surfaces. As part of the programme, detergents, brushes, wipers, etc were provided to the crew members. Department of Fisheries provided their support by providing water supply and workers to clean the boats. PG student of college of Fisheries, Veraval also took active participation by educating crew member about the importance of cleaning of fishing vessel, crates and fish contact surfaces and on maintenance of good personal hygiene. Around 141 fishing vessel were cleaned as part of the programme.









3) Field Day and Demonstration

NETFISH in association with Karnataka Veterinary and Fisheries University's Marine Fisheries Research wing at Ankola & BFDA organized the 'Field Day' on May 20th, 2010 at Ankola for the shrimp farmers of Uttara Kannada district. NETFISH state coordinator gave a lecture on harvesting and post harvest handling of cultured shrimps. Later the farmers were taken for a field visit where demonstration on feeding and preservation after harvesting were organised.

Participation in "Agri-Fish-Mela" at Karwar 4)

The Agriculture, Horticulture and Fisheries Departments in Karnataka; the Karnataka Veterinary, Animal and Fisheries Sciences University, Bidar; and the NFDB, Hyderabad, jointly organized an Agricultural Festival, Flower Exhibition and Fish Mela in Karwar from 9th - 11th October, 2010. In an effort to spread awareness about the importance of fish and fisheries in the region, NETFISH put up a stall in the mela. Activities of MPEDA and NETFISH in the region were explained in details to all the participants of the programme. NETFISH street plays on "Sustainable Fishing and Conservation" were performed during evening hours for the participants and documentaries were shown to the gathering.

International Beach Clean-up Day celebration 5)

NETFISH in collaboration with College of Fisheries, Ratnagiri observed 20th September 2010 as the International Beach Clean-up Day. The major objective behind this was to create awareness among fisher folk regarding conservation of marine resources and cleanliness of beaches, harbours and its surroundings. NETFISH state coordinator, NGO members, professors and 35 students from College of Fisheries, Ratnagiri and the fishermen from Ratnagiri harbour area had actively involved in the programme. Programme commenced with a Rally started from the Ratnagiri harbour in which students and other participants used placards with slogans on marine conservation, importance of clean surroundings and hygienic handling of fishes, personal hygiene etc. After the rally participants cleaned the beach White Sea beach near Ratnagiri harbour. The participants helped out in cleaning trashes such as plastic wastes, polythene bags, thermocol pieces, mineral water bottles, etc that were scattered along the coastline. The coastal clean-up programmes were an inspiration for the fishermen to properly dispose of trash to keep the beach clean.



Bleach Clean-up programme at White Sea Beach, Ratnagiri







6) Demonstrations of BRDs

In Ratnagiri and Harne area demonstration classes on the use of by-catch reduction devises (BRD) were arranged by NETFISH. Use of BRDs, which have a mesh size of 35 mm at fish collection cod end and 20 mm at prawn collection cod end, in minimizing the by-catch and juveniles were taught to the fishermen. As part of the programme training were imparted to fishermen to identify the juveniles and endangered species and explained to them the importance in conservation of natural resources and sustainable fishing.

7) Free Medical Camp at Paradeep

A medical camp was organized for fisher folks at Paradeep Fishing Harbour on 24th December, 2010. Trawler owners, crew members of fishing boats and fishermen made use of the camp and had free medical check-up and blood grouping. Such medical camps are helping NETFISH to establish a rapport among fishermen community and it make the NETFISH programmes more effective.

8) NETFISH introduced small plastic baskets at Vishakhapatnam fishing harbour to eradicate the usage of bamboo baskets in fishing vessels

NETFISH successfully introduced small type plastic baskets at Vishakhapatnam fishing harbour in a function conducted at the harbour on 22nd January, 2011. The newly introduced plastic baskets are a replica of the bamboo baskets hither to being used in the harbour. Boat owners association informed that all vessels would be replacing the bamboo baskets with the new plastic baskets as soon as the stocks are available at the market.

9) Procession/Rally

On 25th April, 2010 NETFISH arranged a Motor Cycle Rally from Digha to Bajkul displaying NETFISH banners and posters to create awareness on importance of water resources and its conservation, pollution of sea and coast line, etc. The programme was organized by Sarboday Sangha in collaboration with "Water for People" and "West Bengal Gandhi Peace Foundation".

10) Radio Programmes

On 6th September 2010 three mass awareness programmes were organized through All India Radio, Kolkata. A 30 minutes talk on "Conservation of Marine Resources and Sustainable Fishing" was broadcasted on 13th September 2010 through out West Bengal. Short talks on the topics "Muddy-moldy smell problems in farm raised shrimp", "Abuse of Antibiotics and Pre-Harvest Test for Farm Raised Shrimp" respectively were also broadcasted daily at 6.30 am at AIR, Kolkata for a period of one month.

11) Aqua Farm programme

In West Bengal, NETFISH conducted wide programmes at Aquafarms in collaboration with State Fisheries Department and MPEDA Sub Regional Centre (Aqua), Kolkata with a view to educate the aqua farmers on "Muddy-moldy smell problems in farm raised shrimp", "Abuse of Antibiotics and Pre Harvest Testing", hygienic handling and harvesting in aqua farms etc. While conducting awareness programmes at aqua farms NETFISH campaigned on PHT and registration of farm/bheries with the Coastal Aquaculture Authority of India (CAAI). After conducting continuous awareness programmes at aqua farms on abuse of antibiotics, no consignment of black tiger shrimp has been rejected due to presence of residual antibiotic in West Bengal. All the farms at Purba Medinipur are carrying adequate ice for harvesting of shrimp. Chill killing and proper washing of shrimp in chill water after harvest are being followed in 70% of aqua farms







at Purba Medinipur. At Purba Medinipur segregation of shrimp after harvest is carried out under the polythene sheet covered sheds to prevent direct sunlight over the catch. After attending awareness programmes farmers are now removing the sludge from the pond bottom before preparing the pond for stocking.

12) NETFISH associates with MATSYAFED to conduct awareness programmes for fishermen

NETFISH in association with MATSYAFED district office Kannur conducted awareness training programmes for fishermen at Mopla Bay harbour, Kannur district on 13th October 2010. Stake holder groups including fishermen, auctioneers, and boat owners attended the training programme. Different aspects of quality measures to be taken while handling fishes onboard as well as in harbours were discussed in detail during the class. The fishermen community actively participated in the programme asking their doubts and seeking clarifications. Various awareness tools developed by NETFISH like documentaries, posters also were shown to the participants. MATSYAFED expressed their interest to associate with NETFISH in future to organize similar programmes in different parts of Kannur district to fisherfolk as well as the fishermen societies of MATSYAFED.

13) Participation in Aqua-Aquaria 2011

NETFISH participated in the Aqua Aquaria 2011, one of the largest aquaculture and aquarium shows in Asia, hosted by the Marine Products Exports Development Authority (MPEDA) at Chennai Trade Centre, from 6-8th February 2011. NETFISH used this opportunity to present all its extension activities to the public and exhibited all extension tools such as posters, leaflets, documentary films, animation films, training manual, etc in the stall. Farmers, scientists, business personals, state fisheries officials, school and college students visited the NETFISH stall. Various documentary films and animation films of NETFISH on conservation and hygienic handling of fishes were shown to public on a separate stage which attracted many people from all sectors of the society. The messages of NETFISH on conservation of fish resources, quality management and sustainable fishing were presented to the public in the form of street plays. The Yakshagana style of performance of Karnataka team and street drama by Andhra and Kerala teams and folk dances by Tamil Nadu team were the major attractions of the 3 day programme. During the show NETFISH officials interacted with hundreds of farmers from various maritime states and discussed with them in detail on the hygienic practices in aquaculture.



NETFISH stall in Aqua Aquaria 2011







14) Development of extension tools

NETFISH has developed various extension tools such as street plays, leaflets, documentaries, posters and animation films, etc. to strengthen the extension programmes.

NETFISH street play programme on in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada and Bengali has been recorded and converted to DVD for the purpose of broadcasting through Dooradarsan and other local TV channels. A new street play on conservation and sustainable fishing has also been developed during the year.

15) Documentaries and Animation films

NETFISH has produced one documentary film on hygienic handling practices in pre-processing centers. Production work of an animation film on responsible fishing is also in progress.

16) Training Manual

A training manual on fish quality management and conservation of marine fishery resources was prepared during the fiscal year.

12.3. NATIONAL CENTER FOR SUSTAINABLE AQUACULTURE (NaCSA)

National Centre for Sustainable Aquaculture (NaCSA) was established as an outreach organization of MPEDA to address the need for capacity building of small-scale shrimp farmers for shrimp health and quality management through the collective use of Better Management Practices (BMPs), cluster formation and management.

The overall goal of NaCSA is to achieve sustainable aquaculture through empowering small scale farmers and its objectives are to:

- promote science-based management to improve aquaculture sustainability through participatory approach
- empower and build capacity of small scale aquaculture farmers
- facilitate improved service provision to small scale aquaculture farmers
- connect farmers to markets to receive better prices for good quality products
- facilitate interaction among stakeholders

12.3.1. Organization of Aquaculture Farmer Societies

NaCSA has achieved the registration of 250 societies during the financial year 2010-11. As of today there are 772 societies under NaCSA involving 16,760 farmers covering an area of 15,432 ha. 315 societies have provisionally registered with MPEDA for adoption of COP. The summary of societies registered is given in Table -1. The details of the societies registered in CAA and MPEDA are given in Table - 2.

Table - 1: Status of state-wise society registration

State	Societies	Farmers	Area (Ha)
Andhra Pradesh	605	13,240	12,082
Orissa	54	1,168	786
Tamil Nadu	42	1,013	1,796
West Bengal	50	980	358
Karnataka and Kerala	21	359	410
Total	772	16,760	15,432









Table - 2: Summary of the societies registered so far

Year	State reg.	MPEDA 2006-07	MPEDA 2007-08	MPEDA 2008-09	MPEDA 2009-10	MPEDA 2010-11	MPEDA Total	Pending
2004-05	2	1	-	-	-	-	1	1
2005-06	0	0	-	-	-	-	0	0
2006-07	27	7	7	7	-	-	21	6
2007-08	52	-	21	26	2	3	52	0
2008-09	143	-	-	56	51	9	116	27
2009-10	245	-	-	-	35	48	83	162
2010-11	105	-	-	-	-	42	42	63
Applied	78	-	-	-	-	-	-	-
Processing	120	-	-	-	-	-	-	-
Total	772	8	28	89	88	102	315	259

12.3.2. Crop situation 2010

Technical Staff of NaCSA is giving assistance to the societies to increase the crop performance. Summary of Crop Comparison from the NaCSA societies are given in the Table - 3. The economic performance of societies in Andhra Pradesh and Karnataka are given in Table - 4.

Pond Performance data collected from individual ponds provided technical assistance by NaCSA only was considered for comparison.

Table - 3: Summary of crop comparison in the NACSA societies

Component	2009	2010
Average Stocking Number	58660	71621
DOC	94 days	124 days
Survival	89%	70%
FCR	1.4	1.4
Average Production	1058.274 Kgs.	1479.842 kgs.
Average Body Weight	20.27 gram	27.2 gram
Production Cost ₹/Kg	157.57	174.22
Revenue ₹/kg	251.87	276.21
Profit ₹/kg	94.3	101.99
Profit for every ₹ 1000/- Spent	₹ 599/-	₹ 585/-

12.3.3. Other Activities performed by NaCSA

i) Meeting of Shrimp farmers at Nellore

Meeting was organized with society presidents and farmers of Nellore district on 14.07.2010 to the various problems pertaining to the shrimp farming and to appraise the status of shrimp faming in Andhra Pradesh particularly in Nellore district. Mr. Duvurru Radhakrishna Reddy the president of shrimp farming association president and Mr. Samanthula Gopal Reddy Ex. President and NaCSA officials participated in the programme. 35 society farmers attended the meeting from various farming villages / Panchayath including Kavali, Myapadu, Ramudupalem and Pudiparthi areas. Various issues such as CAA registration, License for Vannamei culture, importance of bio-security measures, PHT certificate, abuse of antibiotics, etc were







Table - 4.	Franchic	performance	of	Shrimn	farming	in societies
Iable - T.	LCOHOHIL	per rui mance	UΙ	טווווווט	Iaiiiiiig	III 30CIECIE3

State	District	Average of AVG HARVEST SIZE	Average of COP per kg	Average of Revenue per kg
Andhra Pradesh	East Godavari	25.8	184.99	249.99
	Guntur	26.2	182.62	286.32
	Krishna	29.2	146.89	285.62
	Prakasam	27.0	164.12	320.32
	SPSR Nellore	31.6	175.31	305.62
	West Godavari	25.1	170.87	267.40
	Total	27.2	174.37	277.01
Karnataka	Dakshinakannada	36.2	181.20	363.00
	Udupi	24.4	135.80	219.99
	Uttarakannada	22.5	272.00	220.04
	Total	23.8	169.48	223.82
	Grand Total	27.2	174.22	276.21

explained in detail in the meeting. Farmers expressed their grievances regarding non availability of electricity, hectic delay in getting no objection certificate for applying to CAA registration etc. President assured that these issues would be brought into the notice to local MLA at the earliest.

ii) Final workshop of MPEDA-NaCSA / NACA on cluster certification project held at Kakinada from 27th to 28th October

The final project workshop was organised in Kakinada on 27th & 28th October. There were 60 participants at the workshop attended, were Chairman MPEDA and President NaCSA, Commissioner of Fisheries, Andhra Pradesh and other Stakeholders who attended the workshop included leaders of the pilot tested aqua societies, selected leaders of other aqua societies, representatives of certifying bodies, processors cum exporters, representatives of shrimp hatchery operators, researchers from ICAR institutions (CIBA, CIFA) and State Agricultural Universities (College of Fisheries from Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh), representatives from MPEDA, NaCSA, NACA, NFDB, CAA, State Fisheries Departments and other organizations.

Outcomes from the project

- Continuation of the present work on group/cluster certification and provide technical support to small scale farmer clusters/societies in order to build their capacity and prepare them for participation in group certification programs in future.
- * Training programs on ICS and implement the training in a structured manner so that the capacity of ICS committees is significantly strengthened.
- * To implement a systematic compliance analysis program in place so that selected clusters can be monitored and evaluated for compliance to standards and compliance to ICS functioning.
- Small scale farmers must be linked to modern markets so as to remain competitive and sustainable
- The workshop strongly endorsed the idea that NaCSA should use the documents in their ongoing programs to build capacity of clusters/societies on ICS functioning and group certification
- The concept of BMP adoption through group/cluster management approach and group certification programs so as to benefit the small scale farmers of India to be extended in coming years









iii) Facilitating meeting of farmers with Honorable Minister for Fisheries, Andhra Pradesh

NaCSA facilitated the meeting of aqua farmers from Krishna and Guntur districts with Hon'ble Minister for Fisheries, Andhra Pradesh Shri Parthasarathi at Vijayawada on 09.06.2010 to discuss on the provision of electrification subsidy scheme from NFDB. A memorandum has been submitted to him by the farmers participated in the meeting. Hon'ble Minister enquired about the status of shrimp farming in the state and responded positively to take up the issue with concerned Authorities.

Farmers meeting with Hon'ble Minister of State for Agriculture, Govt. of India

NFDB, MPEDA, NaCSA jointly organized a meeting of aqua farmers from west Godavari district in Andhra Pradesh with Prof. K. V. Thomas, Honorable Minister of State for Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India on 28.06.2010 to discuss the various issues regarding the aquaculture in India. A memorandum was submitted to the Hon'ble Minister in the meeting seeking the subsidy for electrification to reduce the cost of production in farms.



Prof. K. V. Thomas Hon'ble Minster of State for Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India interact with farmers

v) Farmers field days has organized in East, West Godavari and Guntur district

A field day celebration was organized on 09.08.2010 at Chinnamainalanka village, Narsapur Mandal, West Godavari district to disseminate the message of successful crop of the society's farmers in NaCSA. Around 150 farmers were participated in the program. Officials from NaCSA, Regional Centre Vijayawada and Department of Fisheries Eluru were led the programme and explained to the various doubts and questions for the farmers. Information regarding the PHT certificate, antibiotics abuse, CAA license, etc were also explained to the farmers. A similar programme was conducted on 10.08.2010 at Kesanakuru village in East Godavari district where 250 farmers had participated. Officials from NABARD and Andhra Bank also participated in the meeting and explained about the various schemes available for the farmers. Similar programme was conducted in Dindi Aduvula Guntur district to disseminate the success of society concept with adoption of BMP's officials from NABARD and LDM Andhra bank was participated in the meeting where 200 farmers were attended.

A similar field day was organized in Avarikadu, Tamil Nadu to disseminate the success of society concept and adoption of BMP's to other farmers nearly 200 farmers were attended the field day and the dignitaries attended were Honorable Collector of Nagapattinam district Shri Munianathan and addressed the gathering and given the message about the success of aquaculture farming by following the better management practices through society concept.







Capacity Building

- NaCSA trained 19 fisheries diploma students on better management practices implementation, extension activities at society farms in Andhra Pradesh.
- * As a part of capacity building NaCSA has trained seven farmers from Andaman & Nicobar on 'Brackish water Aquaculture' on 16.12.2010.
- As a part of interstate study tour, ten farmers from Thanjavur, Tamil Nadu have been trained by NaCSA on better management practices on 9.12.2010.
- * Twenty four students from Central Institute of Fisheries Education has visited NaCSA for their exposure visits in which they have been learnt about the societies concept and better management practices.
- As a part of capacity building NaCSA staff has been trained in premier extension institute MANAGE, Hyderabad.

vi) Preparation of extension tools

A video has been produced on Best Management Practices in Aquaculture (BMP) for conducting extension programmes among aqua farmers.

Calendars have been used as an extension tool to disseminate the society concept and adoption of BMP's.

13.0. OFFICIAL LANGUAGE ACTIVITIES

The Marine Products Export Development Authority is a notified office under Rule 10(4) of the Official Languages Rules 1976. 22 Field Offices of the Authority have also been notified under Rule 10(4) of the Official Language Rules. Almost all points of Official Language activities prescribed in the Annual Programme for the year 2010-11 issued by the Department of Official Language have been implemented in the Authority. Close liaison was maintained with all field offices to achieve the target prescribed by the Department of Official Language. 99.37% employees of the Authority has already acquired working knowledge of Hindi. All incentive schemes introduced by the Department of Official Language have been implemented by the Authority. 10 Rajbhasha Trophies have been instituted by MPEDA - 3 for field offices located in Region 'A' & 'B', 4 for Region 'C' and 3 for Head Office sections for their outstanding Official Language performance.

Other than this, the following incentive schemes have been introduced for the effective Official Language implementation:-

- Officers/staff writing 10000 Hindi words in files and registers are awarded cash incentives @ ₹ 1000/each.
- Personal pay and cash incentives are awarded to the employees on passing Hindi/Hindi typewriting/ Hindi stenography examinations as per the orders of the Department of Official Language.
- The Officer/staff who secures highest points in various Hindi competitions conducted in connection with the Hindi Fortnight Celebration is awarded a cash incentive of ₹ 600/- along with the title 'Rajbhasha Prathibha'.
- A Rajbhasha trophy is awarded to the section, which secures highest points in various Hindi competitions, conducted in connection with the Hindi Fortnight Celebrations.
- Cash incentives are awarded to the officers/staff coming first, second and third in the test conducted in connection with the Hindi workshops.









- - Cash incentives @ ₹ 400/- each are awarded to the children of the employees who secure highest marks in Hindi in the SSLC/CBSE/ICSE 10th standard and plus 2 examinations.
 - Cash incentive @ ₹ 750 each was awarded to the Group 'C' employees who write a Hindi word with its English equivalent in the black/white board exhibited at the entrance of the field offices.

MPEDA won Indira Gandhi Rajbhasha Shield (3rd Prize) instituted by the Department of Official Language, Ministry of Home affairs, Government of India for its outstanding Official Language performance during the year. Authority also won the Rajbhasha Shield (1st Prize) instituted by the Cochin town Official Language Implementation Committee during the year. Hindi House magazine 'Sagarika' published by the Authority was also awarded with the Rajbhasha Shield (1st prize) among the other member organisations of the Cochin TOLIC during 2009-10.



Students of Toc H School receiving the Rajbhasha Rolling Trophy instituted by MPEDA for scoring maximum points in the Children's Hindi competition organised in connection with the Hindi Fortnight celebration, 2010.

During the year 2010-11, 38 employees were awarded cash incentives for writing original noting and drafting in Hindi. Hindi Fortnight was celebrated from 14th to 28th September 2010 by conducting various Hindi competitions and cash awards were given to the winners. Rajbhasha shield was awarded to Marketing Service section for securing highest points in Hindi competitions conducted in connection with Hindi Fortnight. A series of Hindi competitions were conducted for the children of employees and nearby schools on 28 September 2010 and prizes were awarded to the winners. A Rajbhasha Rolling Trophy was also introduced for securing highest points in the Children's Hindi Competitions. Rajbhasha Rolling Trophy was awarded to the Toc-H School. A Hindi promotion picnic was organised to 'Thumbormozhi' on 08.05.2010 for the children who won prizes in the Hindi competitions.

Four issues of the Hindi house magazine, "Sagarika" were brought out and distributed among the employees of the Authority, members of the Kochi TOLIC, members of the Hindi Salahkar Samiti and different Ministries.

The inspection of the Official Language activities of 10 field offices was carried out during the year and instructions were communicated to the Offices concerned to rectify the deficiencies in their Official Language implementation.

During the year, 4 Hindi workshops of 2 days duration were organised at HO and 18 in the field offices. As in previous years, we have conducted written tests during the 2nd day of the Hindi workshops on the topics discussed in the workshop and awarded cash incentives to the officers/staff coming 1st, 2nd and 3rd in each test.







14.0. TRAINING PROGRAMMES

Training Programmes / Workshops / Seminar etc. conducted / attended during the period for the participation of officers and staff for their capacity building are given below:-

SI.	Duration of the training	Subject of training	No. of officials attended	Name of the faculty members
1	2	3	4	5
1.	8 days training programme from 17 th to 24 th April 2010	Hands on Training on Mud Crab Aquaculture	5	Organized by RGCA
2.	One day seminar on 22 nd May, 2010 at CMFRI Kochi	"Biodiversity"	1	The Kerala Forest Department along with the Kerala State Biodiversity Board
3.	12 days training programme on 3 rd to 14 th May 2010	Remote sensing and GIS application for aquaculture	15	NRSC, Hyderabad
4.	3 days symposium from 26.05.2010 to 28.05.2010	Indian Aqua Invest Congress and Expo 2010	2	CIFE, Mumbai
5.	5 days training programme from 21st to 25th June 2010	Promotion to the post of Accounts Assistant	29	MPEDA
6.	One day seminar on 25 th June 2010	Seminar on Right to Information Act 2005	2	Institute of Secretariat Training and Management, New Delhi
7.	One day workshop on 25 th June 2010	One day workshop on Export -Import Documentation and Procedure	1	Management Study Centre, Chennai
8.	Two days training on 2 nd & 3 rd July 2010.	Training on "Genetic improvement in M. rosenbergii in India"	1	CIFA, Bhubaneswar
9.	One day Workshop on 06.07.2010.	Workshop on "Introduction seed production and farming of <i>L. vannamei</i> in India"	1	CIBA & CAA
10.	Two days workshop from 17 th to 18 th July 2010.	National Seminar on "Harvest function of Seabass from oper sea cage farming and National workshop on open sea cage farming".		CMFRI & NFDB
11.	One day workshop on 28.07.2010	Workshop on <i>L. vannamei</i> farming in India	1	CIBA, Chennai
12.	Two days seminar from 27 th to 28 th August 2010	National Seminar on "Diversification of aquaculture through locally available fish species"	2	Central Institute of Fisheries Education, Kolkata







Annual Report 2010-11

13.	One day review workshop on 27.08.2010 at Chennai	Review workshop on commercial introduction of SPF L. vannamei culture in India.	7	CAA
14.	10 days training programme from 25.08.2010 to 3.9.2010	Training on Best Husbandry Practices for Asian Seabass Aquaculture	4	RGCA
15.	5 days training programme from 6-10 September 2010	Direct Trainer Skills (DTS) Course sponsored by DoPT, Ernakulam	2	Bharat Petroleum Corporation Limited
16.	One day training on 15.09.2010 for representatives from Processing plant, Hatchery, Farmers, MPEDA and NaCSA officials.	EU guidelines for organic production by INDORCET, Alwaye	20	MPEDA
17.	5 days training programme from 13 th to 17 th September 2010	Export - Import Procedure and Documentation	2	The Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi
18.	One day training on 03.10.2010.	Aqua Industry - A prospective resource	5	CIFE, Kolkata
19.	Two days training programme from 11 th -12 th October 2010	Accrual Accounting in Government	1	National Institute of Financial Management (NIFM), Faridabad
20.	Two days training 29th and 30th October 2010 at Chennai	Aqua India 2010 progress and profit in Indian Aquaculture	1	Society for Aquaculture Professional (SAP)
21.	3 days training programme from 1st - 3rd December 2010	Management Development Programme on International Negotiation	1	Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi
22.	One day training programme on 18 th December 2010	National Conference on Commercial / Maritime arbitration and mediation as dispute resolution mechanisms	7	Kerala Chamber Hall, Kochi
23.	5 days training programme from 21st - 25th March 2011	Training programme for SOs and Sr. Accountants for the promotion to the post of Asst. Director (Admn) & Accounts Officer	4	MPEDA

15.0. ACKNOWLEDGEMENT

The achievement in the export front was made possible through the sincere and valuable efforts made by the seafood export industry including the members representing the trade in the Authority.







The Authority has received the active co-operation of all Ministries, the Planning Commission and the State Governments and the Authority gratefully acknowledges the same. The Export Inspection Council of India (EIC), the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), the ICAR Institutes (CIFT/ CMFRI/ CIBA), the National Institute of Fisheries Post Harvest Technology, the Fishery Survey of India (FSI) and the Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training (CIFNET), Department of Ocean Development, Department of Bio-Technology etc. have also played active role in developing the trade and achieving the export of marine products. Our embassies in the important overseas markets have extended their co-operation in solving various problems relating to export marketing of seafoods and also played an important role in boosting our exports to those markets. The Authority also wishes to place on record its gratitude to all these organisations. The Authority is also deeply indebted to the support and co-operation extended by the seafood export industry and trade.

The dedicated services of the officers and staff of MPEDA at its Head Quarters, Regional Offices and the Sub Regional Offices, Aquaculture Promotion Centres, Quality Control Laboratories and the Trade Promotion Offices overseas and at Delhi have contributed significantly to the overall functioning and performance and the Authority wishes to acknowledge their contribution with appreciation.







Appendix - 1

LIST OF AUTHORITY MEMBERS AS ON 31.03.2011

- Ms. Leena Nair, IAS Chairman MPEDA MPEDA House Panampilly Avenue Kochi - 682 036
- 3. Shri K. P. Dhanapalan
 Member of Parliament (Lok Sabha)
 Kalathil House
 North Paravur
 Ernakulam 683 513
- Smt. T. Ratna Bai
 Member of Parliament (Rajya Sabha)
 36, Meena Bagh
 Moulana Azad Road
 New Delhi 110 011
- 7. Ms. Amrit Raj
 Director (Finance)
 Department of Commerce
 Ministry of Commerce & Industry
 Room No. 224
 Udyog Bhawan
 New Delhi 110 011
- Shri Rajbir Singh Panvar, IAS
 Director
 Ministry of Food Processing Industries
 Room No. 101- B
 Punchasheel Bhawan
 August Kranti Marg
 New Delhi 110 049
- 11. Shri Shripad Bhalerao, IAS
 Special Chief Secretary
 (AH, DD & Fisheries Deptt.)
 Government of Andhra Pradesh
 Room No.236-A, 1st Floor, 'D' Block
 A P Secretariat, Hyderabad
 Andhra Pradesh 500 022

- 2. Director (Vacant)
- 4. Shri Bishnu Pada RayMember of Parliament (Lok Sabha)12, Andaman & Nicobar HouseNew Delhi 110001
- 6. Shri Tarun Shridhar, IAS
 Joint Secretary (Fisheries)
 Government of India
 Ministry of Agriculture, Deptt. of
 AH Dairying & Fisheries
 Room No.221, Krishi Bhawan
 Dr. Rajendra Prasad Road
 New Delhi 110 001
- 8. Shri Sanoj Kumar Jha, IAS
 Deputy Secretary EP (MP)
 Department of Commerce
 Ministry of Commerce & Industry
 Room No.221
 Udyog Bhawan
 New Delhi 110 011
- 10. Shri S. G. Bhandare Deputy Director General Directorate General of Shipping Jahaz Bhawan Walchand Hirachand Marg Mumbai - 400 001
- 12. Dr. Rajeev Kumar Gupta, IAS
 Secretary to Government
 (AH, CB, Dairying & Fisheries)
 Government of Gujarat
 Block No.5, 2nd Floor
 Sachivalaya
 Gandhinagar 382 010







- 13. Shri K. R. Jyothilal, IAS
 Secretary to Government
 Fisheries Department
 Government of Kerala
 Room No. 394
 Secretariat
 Thiruvananthapuram 695 001
- 15. Shri D. V. Prasad, IAS
 Principal Secretary
 (Animal Husbandry & Fisheries)
 Karnataka Government Secretariat
 Room No.404, 4th Floor, Vikasa Soudha
 Dr. B. R. Ambedkar Veedhi
 Bangalore 560 001
- 17. Smt. M. P. Nirmala, IAS
 Secretary to Government
 AH, Dairying and Fisheries Deptt.
 Government of Tamil Nadu
 Secretariat, Fort St. George
 Chennai
 Tamil Nadu 600 009
- Dr. Vasanthakumar, IAS
 Secretary (Fisheries)
 Union Territory of Lakshadweep
 Lakshadweep Administration
 Kavaratti 682 555
- 21. Shri Manish Mavji Lodhary Opposite Old Light House Bundar Road Porbandar Gujarat - 360 575
- 23. Shri S. Venugopal
 63 / 28
 P. V. Koil Street
 Royapuram
 Chennai
 Tamil Nadu 600 013

- 14. Shri Rajesh Aggarwal, IAS
 Secretary to Government
 (Animal Husbandry, Diary
 Development & Fisheries Deptt.)
 Government of Maharashtra
 5th Floor, Room No 524 (Annex)
 Mantralaya
 Mumbai 400 032
- 16. Shri Satyabrata Sahu, IAS
 Commissioner-cum-Secretary
 (Fisheries & ARD Deptt.)
 Government of Orissa
 Orissa Secretariat
 Sachivalaya Marg
 Bhubaneswar 751 001
- 18. Shri R. P. S. Kahlon, IAS
 Principal Secretary
 Government of West Bengal
 Fisheries Department
 Ground Floor (Near Gate No.6)
 Writers Building
 Kolkata 700 001
- 20. Shri Anwar Hashim Managing Director Abad Fisheries Pvt. Ltd Abad Building, 13 / 681 Jew Town Road Kochangadi Cochin - 682 002
- 22. Shri K. G. Lawrence
 Managing Partner &
 President SEAI (Kerala Region)
 M/s. Geo Seafoods
 Pallichal Road, Palluruthy
 Kochi- 682 006
- 24. Shri Anis Ahmed Khan Partner M/s. S. A. Exports 548, Jessore Road Kolkata West Bengal - 700 055







Annual Report 2010-11

- 25. Shri M. S. Rawther
 "Crecent",
 15, C. S. M. Nagar
 Edappazhinji
 Sasthamangalam PO
 Thiruvananthapuram 695 010
- 27. Dr. B. Meenakumari
 Deputy Director General (Fy)
 Indian Council of Agricultural Research
 Department of Fisheries
 Krishi Anusandhan Bhawan II
 Dr. K. S. Krishnan Marg, Pusa
 New Delhi 110 012
- 29. Vacant

- 26. Dr. K. V. Prasad
 Managing Director
 M/s. Sandhya Marine Ltd
 402, Vantage Apartments
 East Point Colony, Vizag
 Andhra Pradesh 530 017
- 28. Prof. Vinod Ramkrishna Bonde Kishor Appa's Farm Nakane Road Deopur Dhule Maharashtra - 424 002
- 30. Shri I. Moosa Irakuniyil Vellikulangara Orkkatteri - PO Vadakara (Via) Calicut - 673 101



66





Appendix - 2

LIST OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS AS ON 31.03.2011

- 1. Ms. Leena Nair, IAS, Chairman, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi 682 036.
- 2. Shri Anwar Hashim, Vice Chairman MPEDA & Managing Director, Abad Fisheries Pvt. Ltd, Abad Building, 13 / 681, Jew Town Road, Kochangadi, Kochi 682 002.
- 3. Shri K. P. Dhanapalan, Member of Parliament (Lok Sabha), Kalathil House, North Parur, Ernakulam 683 513.
- 4. Director (Vacant)
- 5. Shri Sanoj Kumar Jha, IAS, Deputy Secretary EP (MP), Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Room No.221,Udyog Bhawan, New Delhi 110 011.
- 6. Shri K. R. Jyothilal, IAS, Secretary to Government, Fisheries Department, Room No.394, Government of Kerala, Secretariat, Thiruvananthapuram 695 001.
- 7. Shri J. Ramesh, Secretary, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi 682 036.

LIST OF EXPORT PROMOTION COMMITTEE MEMBERS AS ON 31.03.2011

- 1. Ms. Leena Nair, IAS, Chairman, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi 682 036.
- 2. Shri Anwar Hashim, Vice Chairman MPEDA & Managing Director, Abad Fisheries Pvt. Ltd, Abad Building, 13 / 681, Jew Town Road, Kochangadi, Kochi 682 002.
- 3. Director (Vacant)
- 4. Shri Bishnu Pada Ray, Member of Parliament (Lok Sabha), 26, North Avenue, New Delhi 110001.
- 5. Shri M. S. Rawther, "Crecent", 15, C. S. M. Nagar, Edappazhinji, Sasthamangalam PO, Thiruvananthapuram 695 010.
- 6. Shri D. V. Prasad, IAS, Principal Secretary, (Animal Husbandry & Fisheries), Karnataka Government Secretariat, Room No.404, 4th Floor, Vikasa Soudha, Dr.B. R. Ambedkar Veedhi, Bangalore 560 001.

LIST OF TECHNICAL COMMITTEE MEMBERS AS ON 31.03.2011

- 1. Ms. Leena Nair, IAS, Chairman, MPEDA, MPEDA House, Panampilly Avenue, Kochi 682 036.
- 2. Shri Anwar Hashim, Vice Chairman MPEDA & Managing Director, Abad Fisheries Pvt. Ltd, Abad Building, 13 / 681, Jew Town Road, Kochangadi, Kochi 682 002.
- 3. Director (Vacant)
- 4. Smt. T. Ratna Bai, Member of Parliament (Rajya Sabha), 36, Meena Bagh, Moulana Azad Road, New Delhi 110 011.
- 5. Shri I. Moosa, Irakuniyil, Vellikulangara, Orkkatteri P.O., Vadakara (Via), Calicut 673 101.
- 6. Shri K. G. Lawrence, Managing Partner & President SEAI (Kerala Region), M/s. Geo Seafoods, Pallichal Road, Palluruthy, Kochi- 682 006.







Annual Report 2010-11

- 7. Shri Tarun Shridhar, IAS, Joint Secretary (Fisheries), Government of India, Ministry of Agriculture, Deptt. of AH, Dairying & Fisheries, Room No.221, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001.
- 9. Shri S. G. Bhandare, Deputy Director General, Directorate General of Shipping, Jahaz Bhawan, Walchand Hirachand Marg, Mumbai 400 001.
- 10. Dr. B. Meenakumari, Deputy Director General (Fisheries), Indian Council of Agricultural Research, Division of Fisheries, Krishi Anusandhan Bhawan II, Dr. K. S. Krishnan Marg, Pusa, New Delhi 110 012.
- 11. Smt. M. P. Nirmala, IAS, Secretary to Government, AH, Dairying and Fisheries Deptt., Government of Tamil Nadu, Secretariat, Fort St. George, Chennai 600 009, Tamil Nadu.
- 12. Shri S. Venugopal, 63/28 P. V. Koil Street, Royapuram, Chennai 600 013, Tamil Nadu.







Appendix - 3

LIST OF OFFICERS OF THE AUTHORITY AS ON 31.03.2011

HEAD OFFICE:

1. Chairman Ms. Leena Nair, IAS 2. Director (Marketing) Shri N. Ramesh, ITS

3. Vacant Director

4. Shri J. Ramesh Secretary

5. Joint Director (QC) Shri Joy Ipe Kurian

6. Shri S. Sasidharan Pillai Joint Director (Marketing)

7. Joint Director (Aqua & Trg) Shri Y. C. Thampi Samraj 8. Joint Director (Aqua) Dr. A. S. Upadhyay

9. Shri T.T. Jayan Deputy Director (Pers)

10. Chief Accounts Officer Shri V. A. Krishnakumar

Dr. Al Muthuraman 11. Deputy Director (Aqua)

12. Deputy Director (OL) Smt. A. K. Indiradevi

Shri S. X. Prince 13. Deputy Director (Aqua)

14. Shri K. N. Vimalkumar Deputy Director (Stat)

15. Deputy Director (P&MP) Smt. Asha C. Parameswaran

16. Deputy Director (MS) Dr. M. K. Ram Mohan

17. Shri P. K. Unnikrishnan Deputy Director (Admn)

18. Deputy Director (C&G) Shri K. J. Antony

19. Deputy Director (QC) Shri V. L. Patrick

20. Deputy Director (Dev) Shri T. S. Baby

21. Deputy Director (Soc) Dr. S. Vijayakumar

22. Deputy Director (QC) Shri V. I. George

23. Shri K. Muralidharan Assistant Director (Pers)

24. Assistant Director (Dev) Shri T. Vasudevan Pillai

25.

Shri N. Chandrasekharan Assistant Director (Pub)

26. Assistant Director (A&I) Shri Raju K. Joseph

28. Assistant Director (MS) Shri T. Rajagopal

29. Assistant Director (QC) Shri K. Sasidharan Nair

Shri Shaji George

30. Shri P. D. Satheesan Assistant Director (QC)

Shri G. Mahesh 31. Assistant Director (QC)

32. Assistant Director (Aqua) Shri J. Purushotham Sai

33. Shri K. V. Premdev Assistant Director (Stat)



27.

Assistant Director (A&I)





Annual Report 2010-11

34. Assistant Director (OFD) : Dr. K. K. Anikuttan

35. Assistant Director (Dev) : Shri Asok Kumar

36. Assistant Director (Aqua) : Shri M. Shaji

37. Assistant Director (Aqua) : Shri P. N. Vinod

38. Assistant Director (Aqua) : Shri R. Sankara Pillai

39. Assistant Director (Agua) : Shri M. Viswakumar

40. Systems Analyst : Smt. Usha Singh

41. Technical Officer (QC) : Shri Walter John Meyn

42. Technical Officer (QC) : Shri V. Vinod

43. Technical Officer (QC) : Shri P. Uthirapathy

44. Technical Officer (QC) : Smt. A. Suma

45. Accounts Officer : Smt. Verlin Patrick

46. Accounts Officer : Shri P. K. Vinu

47 Accounts Officer : Shri G. Rajendran

48. Hindi Officer : Smt. Mallika Unnikrishnan

49. Section Officer : Smt. A. R. Sajibai

50. Section Officer : Shri Darshan Lal Dhondiyal

51. Senior Accountant : Shri K. A. Jacob

52. Senior Accountant : Shri K. S. Unnikrishnan

53. Assistant Library & Information officer : Shri R. Prabhakaran

54. Senior Hindi Translator : Smt. Tulsi Nair

REGIONAL OFFICE, KOCHI:

1. Joint Director : Smt. K. M. Veena

2. Assistant Director (EP) : Smt. V. K. Vijayakumari

3. Technical Officer (QC) : Shri S. S. Shaji

REGIONAL OFFICE, CHENNAI:

1. Deputy Director : Shri C. R. Rajan

2. Assistant Director (EP) : Shri A. Jayabal

3. Technical Officer : Shri V. Lakshmikanthan

REGIONAL OFFICE, MUMBAI:

1. Deputy Director : Smt. P. V. Karthyayani

2. Assistant Director (EP) : Shri V. V. Raju

3. Technical Officer (QC) : Shri Rajesh A Dagare

4. Senior Hindi Translator : Smt. Mrinalini P Arekar







REGIONAL OFFICE, KOLKATA:

Deputy Director
 Assistant Director (QC)
 Shri Barun Kumar Das
 Technical Officer (QC)
 Shri P. K. Pramanik

REGIONAL OFFICE, VIZAG:

1. Deputy Director : Shri Vijayakumar C. Yaragal

Assistant Director (QC)
 Shri P. G. Sreenath
 Assistant Director (QC)
 Shri P. P. Suresh Babu

REGIONAL OFFICE, VERAVAL:

1. Assistant Director (EP) : Dr. C. S. Shine Kumar

3. Technical Officer (QC) : Shri M. Shrimali Vinodkumar

SUB-REGIONAL OFFICE, MANGALORE:

1. Assistant Director (EP) : Shri Rajkumar S. Naik

SUB-REGIONAL OFFICE, GOA:

1. Assistant Director (EP) : Dr. A. Ansar Ali

SUB-REGIONAL OFFICE, KOLLAM:

1. Deputy Director (EP) : Smt. R. Vijayalakshmy (on Leave)

SUB-REGIONAL OFFICE, BHUBANESWAR:

1. Assistant Director (EP) : Shri S. K. Patra

SUB-REGIONAL OFFICE, TUTICORIN:

1. Assistant Director (EP) : Shri K. Rajendramany

SUB-REGIONAL OFFICE, GUWAHATI

1. Assistant Director (EP) : No Officer

REGIONAL CENTRES (AQUACULTURE):

KOCHI:

Deputy Director (Aqua)
 Assistant Director (AE)
 Shri K. V. Raghu
 Shri K. Sivarajan
 Assistant Director (Aqua)
 Smt. Elsamma Ithack

BHUBANESWAR:

1. Deputy Director (Aqua) : Shri C. Wilson

2. Assistant Director (Aqua) : Shri U. C. Mohapatra

VIJAYAWADA:

Deputy Director (Aqua)
 Shri G. Rathinaraj
 Assistant Director (AE)
 Shri Ram Adhar Gupta







THANJAVUR:

1. Deputy Director (Aqua) : Shri C. J. Sampathkumar

Assistant Director (Aqua)
 Assistant Director (AE)
 Shri Razak Ali

VALSAD:

Deputy Director (Aqua)
 Shri Saifuddin Anis
 Assistant Director (Aqua)
 Shri Brahmeswara Rao

3. Assistant Director (AE) : Shri Dhirit Ekka

PANVEL:

Deputy Director (Aqua)
 Assistant Director (Aqua)
 Shri Maruti D. Yaligar
 Shri Reji Mathew

3. Assistant Director (AE) : Shri K. Shanmukha Rao

SUB-REGIONAL CENTRES (AQUACULTURE):

KARWAR:

1. Assistant Director (Aqua) : Dr. G. Gopakumar

KOLKATA:

1. Deputy Director (Aqua) : Shri Dileep Kumar Biswas

BHIMAVARAM:

1. Assistant Director (Aqua) : Shri Vasa Subha Rao

KANNUR:

1. Assistant Director (Aqua) : No officer

QUALITY CONTROL LABORATORY, BHIMAVARAM:

Deputy Director (QC)
 Shri K. Vijayakumar
 Technical Officer (QC)
 Shri D. Venugopal

QUALITY CONTROL LABORATORY, NELLORE:

Assistant Director (QC)
 Shri V. Vivekanandan
 Technical Officer (QC)
 Shri Jyotiranjan Nayak

TRADE PROMOTION OFFICE:

NEW DELHI:

1. Assistant Director (EP) : Shri T. R. Gibin Kumar

NEW YORK:

1. Resident Director : No officer

JAPAN:

1. Resident Director : Shri K. Premachandran







FINANCIAL STATEMENTS 2010-11



THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY

KOCHI - 36









ANNUAL ACCOUNTS 2010-11

INDEX

Sl. No.	Description	Page No
1.	Balance Sheet	75
2.	Income and Expenditure Accounts	76
3.	Receipts and Payments Account	77
4.	Schedules Forming Part of Balance Sheet (Schedules 1 to 11)	79
5.	Schedules Forming Part of Income and Expenditure Accounts (Schedules 12 to 23)	88
6	Significant accounting policies (Schedule 24 & 25)	94
7.	Notes attached to and forming part of the accounts	98
8.	Annexure to Schedules - 1 to 19	104
9.	Audit Report and its Annexure	116
10.	Replies to Audit Report	119







(Amount - ₹)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year 2010-11	Previous Year (2009-10)
CORPUS/CAPITAL FUND	1	123313761	118950318
RESERVES AND SURPLUS	2	0	
EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	٣	239912474	417677732
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	0	
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	0	
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	9	0	
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	1119007179	955140771
TOTAL		1482233414	1491768821
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	114740863	128428035
INVESTMENTS - FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	6	235571738	398070117
INVESTMENTS - OTHERS	10	0	0
CURRENT ASSETS, LOAN, ADVANCES ETC.	1	247718094	33828869
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (Provison for employees retirement & terminal benefits)		884202719	931441800
(In the extent not written off or adjusted)			
TOTAL		1482233414	1491768821
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

CHIEF ACCOUNTS OFFICER C11/20 0 7

SECRETARY

CHAIRMAN







Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2011 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS)

			(Amount - ₹)
INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Sales/Services	12	13057797	9328114
Grants/Subsidies	13	957736235	908340688
Fees/Subscriptions	4	7247497	6476848
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/endowment funds transferred to Funds)	() 15	0	0
Income from Royalty, Publication etc.	16	852788	964167
Interest Earned	17	8947556	5160680
Other Income	18	2697755	12184768
Increased/(decrease) in stock of Finished goods and work-in-progress	19	0	0
TOTAL (A)		990539628	942455265
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	209251346	177890265
Other Administrative Expenses etc.	21	86897126	95113672
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	672775153	661999415
Interest	23	0	0
Depreciation (Net Total at the year-end-corresponding to Schedule 8)		28108137	28043986
TOTAL (B)		997031762	963047338
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		(6492134)	(20592073)
Prior Period Adjustments		211861	2350369
Transfer to Special Reserve (Specify each) Transfer to/ from General Reserve			
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT)CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		(6280273)	(18241704)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	24 25		
The way		and the same of th	Berry Nam
CHIEF ACCOUNTS OFFICER		CHAI	CHAIRMAN







THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31.03.2011

					(Amount - ₹)
	RECEIPTS	2010-11		PAYMENTS	2010-11
		₩~			₩
.	1. Opening Balance	15426947.00	.	Expenses	296266941.00
	i. Cash	80541.00	.–	i. Establishment expenses	209251346.00
	ii. Bank Account; in Current Account	15346406.00	-	ii. Administrative Expenses	86897126.00
				iii. Cost of stationery (Net in stock)	118469.00
2.	Grant Received from Govt. of India;	1017170605.00	2. F	Payments made against fund for various projects	716722725.00
	i. Grants from Ministry (Plan & Non Plan)	963307000.00			
	ii. Others (Indaqua)	3969700.00	-	i. Exp. on grants/subsidy	681737653.00
	iii. Towards Earmarked/ Endow. Fund	49893905.00	-	ii. Utilisation/Expenditure of	34985072.00
	a. ASIDE Central Fund	26300000.00		Earmarked fund	
	b. MPRNL	1448500.00			
	c. UNCTAD	1148124.00			
	d. NFDB	17500000.00			
	e. PMNRF	2500000.00			
	f. GPF A/C	997281.00			
ب	Income on Investments from	9423561.00	3.	Investments and Deposits made	44312397.00
	i. Earmarked/Endowment	2108678.00	-	i. GPF F.D.	3841856.00
	ii. Own fund	7314883.00		ii. EPS investment in FD (net)	26362680.00
			-	iii. ASIDE Central	14107861.00





	RECEIPTS	2010-11	PAYMENTS	2010-11
		th~		₩
4.	Other Income	33010788.00 4.	. Expenditure on Fixed Assets and Capital work-in progress	13510165.00
	i. Income from sale (Services)	22020297.00	i. Purchase of Fixed Assets	13510165.00
	ii. Fees/subscription	7247497.00		
	iii. Income from Royalty/publication	852788.00		
	iv. Others (incl.profit on asset sold)	2890206.00		
5.	Other Receipts	1322392.00 5.	. Advance & Receivable (net)	2973901.00
	i. EPS investments	0.00	Advances and other amount receivable	1327003.00
	ii. Loans recovery of staff (Net)	1322392.00	Other current liabilities	1646898.00
9.	6. Other source	13660680.00 6.	. Closing Balance	16440705.00
	i. Replacement of fishing vessels	6118941.00	i. Cash in Hand	38175.00
	ii. GPF S.B.	1550335.00	ii. Bank Balance: in Current Account	16402530.00
	iii. Interest from adv. to employees	1632673.00		
	iv. FD Contributory Pension	4358731.00		
7.	7. Prior Period Adjustment	211861.00		
	TOTAL	1090226834.00	TOTAL	1090226834.00

SECRETARY

CHAIRMAN

CHIEF ACCOUNTS OFFICER





Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS) SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2011

(Amount - ₹)

	Current year (2010-11)	(2010-11)	Previous year	Previous year (2009-10)
SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:				
Balance as at the beginning of the year	118950318	118950318	96346710	96346710
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund	10643716	10643716	40845312	40845312
Add/Less: Excess of income over expenditure	(6280273)	(6280273)	(18241704)	(18241704)
BALANCE AS AT THE YEAR - END		123313761		118950318
	Current year (2010-11)	(2010-11)	Previous yes	Previous year (2009-10)
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:				ij

Capital Reserve:

As per last Account

Addition during the year

Less: Deductions during the year

Revaluation Reserve:

7

As per last Account

Addition during the year

Less: Deductions during the year

Special Reserves: ٠÷

As per last Account

-ess: Deductions during the year Addition during the year

General Reserves:

As per last Account

Addition during the year

Less: Deductions during the year







SC	SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUND (Annexure-1)	Current year (2010-11)	Previous year (2009-10)
a)	Opening balance of the funds	417677732	414031114
(q	Additions to the Funds:		
	i. Donations/grants	52866324	13938418
	ii. Income from Investments made on account of funds	9934772	12821214
	iii. Other additions (specify nature)	44866686	40883307
	TOTAL (a+b)	525345514	481674053
C	Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
	i. Capital Expenditure		
	- Fixed Assets		
	- Others	21932995	30181755
	Total	21932995	30181755
	ii. Revenue Expenditure		
	- Salaries, Wages and allowances etc.	834533	692673
	- Rent	0	0
	- Other Administrative expenses	16187244	1878225
	- Refund	33725881	31243668
	- Others (EPS)	212752387	
	Total	263500045	33814566
	TOTAL (c)	285433040	63996321
	NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	239912474	417677732







Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS) SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2011

(Amount - ₹)

Current Year (2010-11)

Previous year (2009-10)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:

- Central Government
- State Government (Specify)
- Financial Institutions ٣.
- **Term Loans**
- b) Interest accrued and due
- Banks:

4.

- a) Term Loans
- Interest accrued and due
- Other loans (specify)

q

- Interest accrued and due
- Other Institutions and Agencies 5
- Debentures and Bonds ٠.
- Others (Specify)

TOTAL

Note: Amounts due within one year







Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 FORM OF FINANCIAL STATEMENTS (NON-PROFIT ORGANISATIONS) SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2011

(Amount - ₹)

Previous year (2009-10)

Current Year (2010-11)

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:

Central Government

State Government (Specify)

Financial Institutions

Banks:

Term Loans

Other loans (specify)

Other Institutions and Agencies

Debentures and Bonds

ં

Fixed Deposits

Others (Specify) ∞:

TOTAL

Note: Amounts due within one year

Current Year (2010-11)

Previous Year (2009-10)

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:

a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets

Others Q

TOTAL

Note: Amounts due within one year







						(Amount - ₹)
			Current Yea	Current Year (2010-11)	Previous Year (2009-10)	ar (2009-10)
SC	EDUI	SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:				
Ä	5	CURRENT LIABILITIES				
	-	1. Acceptances				
	2.	Sundry Creditors:				
		a) For Goods				
		b) Others				
	3.	Advances Received (Annexure-2)	2704542	2704542	2722142	2722142
	4.	Interest accrued but not due on:				
		a) Secured Loans/borrowings				
		b) Unsecured Loans/borrowings				
	5.	Statutory Liabilities:				
		a) Overdue				
		b) Others (Annexure-3)	5358629	5358629	6430728	6430728
	9	Other current Liabilities (annexure-4)	13988902	13988902	14546101	14546101
		Others (EPS)	212752387	212752387		
	2	TOTAL (A)	234804460	234804460		23698971
ъ.	PR	PROVISIONS				
	-	Gratuity	111514149	111514149	102518758	102518758
	2.	Superannuation/Pension	720881867	720881867	780357701	780357701
	ς.	Accumulated Leave Encashment	51806703	51806703	48565341	48565341
	4.	Trade Warranties/Claims				
	5.	Others (Specify)				
	2	TOTAL (B)	884202719	884202719		931441800
	2	TOTAL (A + B)	1119007179	1119007179		955140771







SCHEDULE 8

(Amount - ₹)

GROUP	JP DESCRIPTION		GROSS	BLOCK			Δ	DEPRECIATION	7		NET BLOCK	LOCK
		Cost/Valuation	Additions	Deductions	Cost/valuation	Rate	As at the	During C	On Deduction Total	n Total	As at the	As at the
		as at beginning	during	during	as at the		beginning	the year	during	npto the	current	previous
		of the year	the year	the year	year-end		of the year		the year	year end	year-end	year-end
—	BOOKS	1733755	41576	644	1774687	10	1000783	75594	644	1075733	698954	732972
2	BUILDINGS	25831823	0	0	25831823	5	13491360	617023	0	14108383	11723440	12340463
~	COMPUTERS/PERIPHERALS	23728353	1359807	731599	24356561	09	19266241	2778667	714984	21329924	3026637	4462112
4	FURNITURE AND FIXTURES (MOVABLE)	19872538	1271607	771424	20372721	10	7232173	1333728	726248	7839653	12533068	12640365
2	HATCHERY COMPLEX VALARPADOM	10143895	0	0	10143895	5	5555790	229406	0	5785196	4358699	4588105
9	HATCHERY EQUIPMENT VALLARPADOM	207120	0	176920	30200	25	190497	1177	163170	28504	1696	16623
7	LAB AND FARM EQUIPMENTS	219620585	2877737	1946042	220552280	25	146049865	18791758	1918094	162923529	57628751	73570720
∞	LAND	1968738	0	0	1968738	0	0	0	0	0	1968738	1968738
6	OFFICE VEHICLE	6235253	7675	1286667	4956261	25	4629141	319149	1265823	3682467	1273794	1606112
10	OTHER ASSETS	3256763	17285	325647	2948401	25	2317298	228585	314879	2231004	717397	939465
=	PLANT MACHINERY & DRY FISH STORAGE	1085246	0	0	1085246	10	1025529	5455	0	1030984	54262	59717
12	OFFICE EQUIPMENTS	9610553	202103	934683	8877973	20	7543997	412290	877333	7078954	1799019	2066556
13	FIXTURES (IMMOVABLE)	19442893	5339627	435770	24346750	20	9959531	3223367	435770	12747128	11599622	9483362
	TOTAL Current Year	342737515	11117417	9660999	347245536		218262205	28016199	6416945	239861459	239861459 107384077 124475310	24475310
	Previous year	302271585	40845312	379382	342737515		190289515	28043986	71296	218262205	218262205 124475310 111982070	11982070
	:											

Work in progress:

₹ 7356786





(Amount - ₹)

		Current Year (2010-11)	Previous Year (2009-10)
SCH	SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS		
- :	In Government Securities		
2.	Other approved Securities		
 	Shares (Annexure-5)	55490700	258099563
4.	Debentures and Bonds		
5.	Subsidiaries and Joint Ventures	25000000	25000000
9	Others (to be specified) (Annexure-6)	155081038	114970554
	TOTAL	235571738	398070117

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS

Previous Year (2009-10)

Current Year (2010-11)

- . In Government Securities
- Other approved Securities
- Shares
- . Debentures and Bonds
- Subsidiaries and Joint Ventures
- 6. Others (to be specified)

TOTAL







						(Villagille)
			Current Yea	Current Year (2010-11)	Previous year (2009-10)	r (2009-10)
SCHEDL	JLE 11	SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.				
A. CL	JRRENT	CURRENT ASSETS:				
.	Inve	1. Inventories:				
	a)	Stores and Spares	981709	981709	863240	863240
	p	Loose Tools				
	C	Stock-in-trade				
		Finished Goods				
		Work-in-progress				
		Raw Materials				
2.		Sundry Debtors:				
	a)	Debts Outstanding for a period exceeding six months				
	(q	Others - Doubtful debts (EPS)	212752387	212752387		
3.		Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest) (Annexure-7)	38175	38175	80541	80541
4		Bank Balances:				
	a)	With Scheduled Banks:				
		- On Current Accounts (Annexure-8)	16402530	16402530	15346406	15346406
		- On Deposit Accounts (includes margin money)				
		- On Savings Accounts				
	p	With non-Scheduled Banks				
		- On Current Accounts				
		- On Deposit Accounts				
		- On Savings Accounts				
5.		Post Office-Savings Accounts				
	5	TOTAL (A)		230174801		16290187







						(·
			Current Year (2010-11)	. (2010-11)	Previous yea	Previous year (2009-10)
SCHEDI	JLE 11	SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)				
B. L(JANS, 4	LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS				
-	1. Loans:	ns:				
	a)	Staff (Annexure-9)	4895579	4895579	6217971	6217971
	(q	Other Entities engaged in activities/objectives similar to that of the Entity				
	C	Other (specify)				
2.		Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received				
	a)	On Capital Account				
	(q	Prepayments	1151758	1151758	493780	493780
	C	Others (Annexure-10)	6332739	6332739	8128236	8128236
 		Income Accrued:				
	a)	On Investments from Earmarked/Endowment Funds				
	(q	On Investments - Others				
	C	On Loans and Advances				
	þ	Others				
		(includes income due unrealised ₹)				
4.		Claims Receivable	5163217	5163217	2698692	2698692
	10	TOTAL (B)		17543293		17538682
	T0T	TOTAL (A + B)		247718094		33828869







Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2011

		PLAN	Current Year (2010-11) NON PLAN TO	0-11) TOTAL	Previ PLAN	Previous Year (2009-10)	09-10) TOTAL
2) Incc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES 1) Income from Sales a) Sale of Finished Goods b) Sale of Raw Material c) Sale of Scraps (Sale of old items) d) Others (Sale of Fish/Prawn) 2) Income from Services a) Labour and Processing Charges b) Professional/Consultancy Services c) Agency Commission and Brokerage d) Maintenance Services (Equipment/Property) e) Others (Specify) (Lease Rent-Lab BBSR-ELISA LAB) TOTAL		87388	87388 12970409 13057797		16409 73033 9238672	16409 73033 9238672 9328114
		PLAN	Current Year(2010-11) NON PLAN T	0-11) TOTAL	Previ PLAN	Previous Year (2009-10)	09-10) TOTAL
SCHEDUI (Irrevoca	SCHEDULE 13- GRANTS/SUBSIDIES (Irrevocable Grants & Subsidies Received) 1) Central Government	887626778	8 66139757	953766535	861266068	47074620	908340688
2) 3) 4) 5) 6)	State Government(s) Government Agencies Institutions/Welfare Bodies International Organisations Others (Specify) INDAQUA for truss work TOTAL	887626778	3969700	3969700 957736235	861266068	47074620 908340688	008340688





SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2011 Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

(Amount - ₹)

		ี่	Current Year (2010-11)	-11)	Pre	Previous Year (2009-10)	01-10)
		PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN TOTAL	TOTAL
SCHEDUL	SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS						
7	1) Entrance Fees						
2)	2) Annual Fees/Subscriptions(Annexure-11)		70250	70250		48526	48526
3)	Seminar/Program Fees(Annexure-12)		7177247	7177247		6428322	6428322
4	Consultancy Fees						
2)	Others (Specify)						
	TOTAL			7247497			6476848
Note: Acc	Note: Accounting Policies towards each item are to be disclosed						

	Investment from Earmmarked Fund	armmarked Fund	Investment - Others	
	Current Year	Previous year	Current Year	
	(2010-11)	(2009-10)	(2010-11)	
EDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS				

SCHED

(Income on Invest.from Earmarked/Endowment Funds transferred to Funds)

- Interest 7
- On Govt. Securities a
- Other Bonds/Debentures q
- Dividends: 5
- On Shares
- On Mutual Fund Securities
 - Rents $\widehat{\mathfrak{S}}$

4	Others (Specify)
	TOTAL

12821214 12821214 12821214

9934772 9934772 9934772

0.	
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	
	1





Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2011

9-10)	IOIAL			496076	468091	964167	9-10)	TOTAL			3530285										1630395			5160680
Previous Year (2009-10)	NON PLAN			496076	468091		Previous Year (2009-10)	NON PLAN													1630395			1630395
Previ	PLAN						Previ	PLAN			3530285													3530285
-11)	IOIAL			426513	426275	852788	-11)	TOTAL		7314883											1632673			8947556
Current year (2010-11)	NON PLAN			426513	426275		Current Year (2010-11)	NON PLAN													1632673			1632673
	PLAN						3	PLAN		7314883														7314883
		SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	 Income from Royalty 	2) Income from Publications(Annexure-13)	3) Others (Specify)(Annexure-14)	TOTAL			SCHEDULE 17- INTEREST EARNED	1) On Term Deposits	a) With Scheduled Banks	b) With Non-Scheduled Banks	c) With Institutions	d) Others	2) On Savings Accounts:	a) With Scheduled Banks	b) With Non-Scheduled Banks	c) Post Office Savings Accounts	d) Others	3) On Loans	a) Employees/Staff (Annexure-15)	b) Others	4) Interest on Debtors and Other Receivables	TOTAL







SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2011 Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

(Amount - ₹)

HER INCOME In Sale/disposal of Assets In Sale/disposal o			ರ	Current Year (2010-11)	-11)	Prev	Previous Year (2009-10)	(01-6)
Profit on Sale/disposal of Assets a) Owned assets b) Assets acquired out of grants, or received free of cost Export Incentives realized Fees for Miscellaneous Services Miscellaneous Income TOTAL	SCHEDULE		AN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN TOTAL	TOTAL
a) Owned assets b) Assets acquired out of grants, or received free of cost Export Incentives realized Fees for Miscellaneous Services Miscellaneous Income TOTAL		Profit on Sale/disposal of Assets						
 b) Assets acquired out of grants, or received free of cost Export Incentives realized Fees for Miscellaneous Services Miscellaneous Income 2323498 1077AL 		a) Owned assets		374257	374257		212378	212378
Export Incentives realized Fees for Miscellaneous Services Miscellaneous Income 2697755								
Fees for Miscellaneous Services Miscellaneous Income 2323498 1323498 100TAL		Export Incentives realized						
Miscellaneous Income 2323498 10TAL 2697755	3)	Fees for Miscellaneous Services						
	4	Miscellaneous Income		2323498	2323498		11972390	11972390
		TOTAL			2697755			12184768

SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN -PROGRESS

Currer	Current Year (2010-11)	1	Prev	Previous Year (2009-10)	-10)
PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN TOTAL	TOTAL

Closing stock а Э

- Work-in-progress - Finished Goods

Less: Opening Stock

Q

Finished Goods

Work-in-progress

NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)

		Π̈́O	Current Year (2010-11)	10-11)	ā	Previous Year (2009-10)	(2009-10)
SCHEDU	SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	PLAN NON PLAN	TOTAL
a)	Salaries and Wages	122578664	30238300	152816964	108345479	28461828	136807307
(q	Allowances and Bonus	1771675	699085	2470760	992038	1505719	2497757
C	Contribution to Provident Fund				0	0	0
p	Contribution to Other Fund (DCPS Contribution)		1090583	1090583	0	1019878	1019878
(e)	Staff Welfare Expenses	42879	107138	150017	16677	175272	191949
(J	Expenses on Employees' Retirement and Terminal Benefits	19108340	33614682	52723022	12505491	24867883	37373374
(SG	Provision for Retirement Benefits				0	0	0
h)	Others (specify)				0	0	0
	TOTAL	143501558	65749788	209251346	121859685	56030580	56030580 177890265







SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD/YEAR ENDED 31.03.2011 Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36

SCHEDL	SCHEDULE 21-OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES ETC.	PLAN	CUKKENI YEAK (2010-11) NON PLAN TC	0-11) TOTAL	Previ	Previous YEAK (2009-10) N NON PLAN TOT	09-10) TOTAL
a)	Purchases	0	0	0	0	0	0
(q	Labour and processing expenses	0	0	0	0	0	0
C	Cartage and Carriage Inwards	0	0	0	0	0	0
(p	Electricity and Power	2756686	1704500	4461186	2663480	1433737	4097217
(e)	Water charges	0	0	0	0	0	0
f)	Insurance	1783401	28676	1812077	583250	39394	622644
g	Repairs and maintenance	3859283	2701686	6960959	3871828	1798404	5670232
h)	Excise Duty	0	0	0	0	0	0
j.	Rent, Rates and Taxes	18950288	0	18950288	19899176	46791	19945967
j)	Vehicles Running and Maintenance	965321	257474	1222795	826178	425894	1285672
Ā	Postage, Telephone and Communication Charges	3232862	995279	4228141	2851681	845934	3697615
(1	Printing and Stationary	2830340	487016	3317356	6408740	865243	7273983
m (m) Travelling and Conveyance Expenses	12927415	2195262	15122677	23180684	1222778	24403462
(u	Expenses on Seminar/Workshops	0	0	0	0	0	0
0	Subscription Expenses	0	0	0	0	0	0
(d	Expenses on Fees	0	0	0	0	0	0
(b	Auditors Remuneration	0	902100	902100	0	185770	185770
(r)	Hospitality Expenses (Entertainment)	489862	23273	513135	65436	15645	81081
(s	Professional Charges (Legal)	259290	421684	680974	715051	594935	1309986
t)	Provision for Bad and Doubtful Debts/Advances	0	0	0	0	0	0
n	Irrecoverable Balances Written-off	0	0	0	0	0	0
^	Packing Charges	0	0	0	0	0	0
×) Freight and Forwarding Expenses	0	0	0	0	0	0
×	Distribution Expenses	0	0	0	0	0	0
χ	Advertisement and Publicity	0	0	0	0	0	0
(z	Others(Annexure-16)	21221474	7903954	29125428	18479719	8060324	26540043
	TOTAL	69276222	17620904	86897126	79578823	15534849	95113672





Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2011

(Amount - ₹)

		Cur	Current Year (2010-11)	10-11)	Previ	Previous Year (2009-10)	00-10)
SCH	SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN TOTAL	TOTAL
a)	a) Grants given to Institutions/Organisations (Annexure-17)	323300000	0		33300000	0	0 333000000
p)	Subsidies given to Institutions/Organisations (Annexure-18) 293340035	293340035	0		263973806	0	263973806
Û	c) Others (Annexure-19)	56135118	0		62025609	0	65025609
	TOTAL	672775153	0	672775153 661999415	661999415	0	0 661999415

Note: Name of the Entities, their Activities along with the amount of Grants/Subsidies are to be disclosed

Previous Year (2009-10)	PLAN NON PLAN TOTAL	
(010-11)	'N TOTAL	
Current Year (2010-11	NON PLAN	
	PLAN	
	SCHEDULE 23 - INTEREST	

On Fixed Loans

a)

On other Loans (including Bank Charges)

q

c) Others (specify)

TOTAL





Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2011

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Authority follows accrual basis of accounting in the preparation of Income and Expenditure and Balance Sheet from the year 2007-08. The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. All departmental incomes (IEBR) received by the Authority except the interest earned on short term deposits of plan fund are taken under Non Plan.

2. INVENTORY VALUATION

- 2.1. Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost N.A.
- 2.2. Raw materials, semi-finished goods and finished goods are valued at lower of cost and net realizable value. The costs are based on weighted average cost. Cost of finished goods and semi-finished goods is determined by considering material, labour and related overhead N.A.

3. INVESTMENTS

- 3.1. Investments classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments N.A.
- 3.2. Investments classified as "Current" are carried at lower cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis.
- 3.3. Cost includes acquisiton expenses like brokerage, transfer stamps.

4. EXCISE DUTY

Liability for excise duty in respect of goods produced by the entity, other than for exports, is accounted upon completion of manufacture and provision is made for excisable manufactured goods as at the year-end.

5. FIXED ASSETS

- 5.1. Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), form part of the value of the assets capitalized.
- 5.2. Fixed Assets received by way of non-monetary grants, (other than towards the Corpus Fund), are capitalized at values stated, by corresponding credit to Capital Reserve.

6. DEPRECIATION

6.1. Depreciation is provided on Written Down Value (WDV) method except depreciation on cost adjustments arising on account of conversion of foreign currency liabilities for acquisition of fixed assets, which is amortized over the residual life of the respective assets.







Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2011

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Illustrative) - Contd...

- 6.2 In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered on prorata basis.
- 6.3 Depreciation is provided on WDV basis upto 95% of the original cost of assets and thereafter retained at book value without any further depreciation.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Under this head provision for employees retirement and terminal benefits have been made.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Sales include excise duty and are net of sales returns, rebate and trade discount.

GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

- 9.1. Government grants of the nature of contribution towards capital cost of setting up projects are treated as Capital Reserve.
- 9.2. Grants in respects of specific fixed assets acquired are shown as a deduction from the cost of the related assets.
- 9.3. Government grants/subsidy are accounted on realization basis.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 10.1. Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.
- 10.2. Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/ loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms

12. RETIREMENT BENEFITS

12.1 & 12.2 Every year budget provision is made under non plan for the retirement benefits like gratuity, leave encashment, pension commutation, pension etc. and the expenditure is met from this. During the year, the liability existing as on 31.03.2011 have been valued on actuarial basis and the liability provided in the accounts. There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits. The liability on gratuity etc. are not accrued for the current year and hence not charged under Income and Expenditure Account. The commitments are subjected to release of funds by the Government towards the specific purposes.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER

1 B. Pry 1.

SECRETARY

HAIRMAN





Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2011

1.	CON	CONTINGENT LIABILITIES				
	1.1.	Claims against the Entity not acknowledged as debts - ₹(Previous year ₹)				
	1.2.	In respect of:				
		- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity - ₹ (Previous year ₹				
		- Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity ₹ (Previous year ₹				
		- Bills discounted with banks ₹ (Previous year ₹				
	1.3	Disputed demands in respect of				
		Income tax ₹ (Previous year ₹)				
		Sales-tax ₹ (Previous year ₹)				
		Municipal Taxes ₹ (Previous year ₹)				
	1.4	In respect of claims from parties of non-execution of orders, but contested by the Entity - N.A.				
2.	CAPITAL COMMITMENTS					
		nated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) (Previous year ₹)				
3.	LEASE OBLIGATIONS					
	Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to ₹ · (Previous year ₹					
4.	CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES					
	In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregated amount shown in the Balance Sheet.					
5.	TAX	ATION				
		ew of there being no taxable income under Income-Tax Act, 1961, no provision for Income tax has been idered necessary.				







Name of Entity: THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY, KOCHI - 36 SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2011

SCHEDULE 25- CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS (Illustrative) - Contd.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Current Year

Previous year

- 6.1. Value of Imports Calculated on C.I.F.Basis:
 - Purchase of finished Goods
 - Raw Materials & Components (Inluding in transit)
 - Capital Goods
 - Stores, Spares and Consumables
- 6.2. Expenditure in foreign currency

a) Travel(per diem allowance)

US \$ 8279

US \$ 12190

- b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Banks in Foreign Currency
- c) Other expenditure:

US \$ 1241044

US\$ 1129064

- Commission on Sales
- Legal and Professional Expenses
- Miscellaneous Expenses
- 6.3. Earnings:

Value of Exports on FOB basis

6.4. Remuneration to auditors:

As Auditors

- Taxation matters
- For Management services
- For certification

Others

Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever necessary

Schedule 1 to 25 are annexed to and forming an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2011 and the Income Expenditure Account for the year ended on that date.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER

SECRETARY

CHAIRMAN







SCHEDULE - 25

NOTES ATTACHED TO AND FORMING PART OF THE ACCOUNTS OF MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY (MPEDA) FOR THE YEAR 2010-2011

1. CAPITAL FUND

Balance of the fund as on 01.04.2010 was ₹ 11,89,50,318.00. Entire source of fund was the allocation received from Central Government. Excess of expenditure over income for the year is ₹ 62,80,273.00. Fund received during the year as grants for acquisition of fixed assets under Plan and Non-Plan, has not been considered as earmarked funds for specific usage since it is not fund meant for any specific asset but is fund of capital nature for acquisition of assets from general fund of MPEDA. Such Grants utilized for acquisition of assets (₹ 95,40,465.00) has been added to the Capital Fund.

- **2.** The organization has not created any capital reserves/revaluation reserves during the year considering the fact that there is deficit for the year 2010-2011. There is no General reserve also created/appropriated.
- 3. During the year earmarked funds existing are viz.,

a) Critical Infrastructure fund

b) Equity Participation Scheme

Balance in the fund account as on 01.04.2010 was $\stackrel{?}{_}$ 28,88,13,982.00, which included equity amount as well as interest. Income received/assessed during the year by way of interest and increase in value of shares by way of financial collaboration agreement was $\stackrel{?}{_}$ 1,15,14,997.00. No utilization has been made from fund during 2010-2011. The share value has been taken at cost for $\stackrel{?}{_}$ 554,90,700.00. A sum of $\stackrel{?}{_}$ 3,20,85,892.00 is invested in Fixed Deposit, balance in the fund account as on 31.03.2011 is $\stackrel{?}{_}$ 8,75,76,592.00.

The share value has been taken at cost for ₹ 5,54,90,700.00. The Authority has constituted a Committee for devising a solution for the settlement of dues under EPS. In all the eleven cases where the buy back of shares were made, we received the full amount, further in all the cases where arbitration award were made, all are in favour of MPEDA. In view of the above no provision for doubtful debts is made during the year 2010-11. The issue is pending with the Ministry.

c) ASIDE Fund

Balance in the fund account on 01.04.2010 was nil. Fund received during the year from Government was $\stackrel{?}{\stackrel{?}{?}}$ 2,63,00,000.00. Income from investments for the year was $\stackrel{?}{\stackrel{?}{?}}$ 2,11,818.00. The amount utilized during the year was $\stackrel{?}{\stackrel{?}{?}}$ 1,23,00,000.00. Balance in the fund account as on 31.03.2011 is $\stackrel{?}{\stackrel{?}{?}}$ 1,42,11,818.00.







d) GPF Fund

The balance in the fund account as on 01.04.2010 was ₹ 9,13,00,412.00. The fund represents the accumulated contribution by employees and interest thereon. The total contribution by way of subscription and loan repayment aggregated to ₹ 3,47,23,162.00. Interest received for the year was ₹ 78,69,510.00. Accordingly total utilization for the year was ₹ 3,37,25,881.00. The balance in the fund account on 31.03.2011 is ₹ 10,01,67,203.00.

e) Fund for Replacement of Fishing Vessels held in Captivity in Pakistan (MOA)

Balance under this as on 01.04.2010 was ₹ 1,02,80,848.00. No fund for the scheme was received during the financial year. Under this scheme capital subsidy of 30% cost of each vessel subject to a ceiling of ₹ 6,00,000.00 will be provided to each vessel owner for replacement of fishing vessels seized in Pakistan. The amount utilized during the year was ₹ 24,00,000.00. Income from investment from the fund for the year was ₹ 4,81,971.00. Balance in the fund as on 31.03.2011 is ₹ 83,62,819.00. Out of this ₹ 41,62,819.00 is kept under fixed deposit and the balance of ₹ 42,00,000.00 in the current account at Regional Office Veravel as on 31.03.2011.

f) Other Funds

i. UNCTAD FUND

ii. MPRNL FUND

Balance under MPRNL fund as on 01.04.2010 was ₹ 15,51,518.00. Fund received during the year was ₹ 14,48,500.00. An amount of ₹ 15,14,937.00 was utilized during the year and balance as on 31.03.2011 is ₹ 14,85,081.00.

iii. Prime Minister's National Relief FUND (MOA)

Fund received during the year 2010-11 was ₹ 25,00,000.00. The amount was fully utilized during the year. Balance as on 31.03.2011 is NIL.

iv. NFDB FUND

A sum of $\ref{thmosphip}$ 1,75,00,000.00 was received from NFDB during 2010-11 towards setting up of 38 ornamental fish breeding units. Utilization during 2010-11 was $\ref{thmosphip}$ 1,45,25,084.00. The Balance under this fund as on 31.03.2011 is $\ref{thmosphip}$ 29,74,916.00.

v. INDAQUA FUND ₹ 39,69,700.00

The fund received during the year 2010-11 was ₹ 39,69,700.00. The entire amount was paid as advance for the truss work on MPEDA Head Office building.





In 2010-11



4. Fixed Assets

- a) Fixed Assets are recorded in the books of Accounts at its cost of acquisition together with expenditure incurred incidental or ancillary to acquisition or construction. Depreciation has been charged in the Accounts under Written Down Value (WDV) method. Depreciation has been provided proportionately on assets from the date of its acquisition. Rate of depreciation is fixed by the organizations and charged under WDV basis based on the expected utilization/life time of the fixed assets.
- b) During the year old assets disposed off realized ₹ 5,66,708.00. Book value of disposed assets as on the date of disposal was ₹ 1,92,451.00. Profit on sale of asset ₹ 3,74,257.00 was charged in the Income and Expenditure Account.
- c) Capital work in progress (included in Schedule 8) for the year ended 31.03.2011 is ₹ 73,56,786.00 (Previous year ₹ 39,52,725.00). This amount represents ₹ 39,69,700.00 for truss on the top of Head Office building which was received from INDAQUA and ₹ 33,87,086.00 for opening LC for import of Lab equipments.
- d) The details of fund utilized from Plan & Non Plan fund for Asset purchase during the year 2010-11 are as follows:-

1. Assets procured during 2010-11 as per **Schedule 8** : ₹ 1,11,17,417.00

2. Add Amount utilized for opening LC for import of Lab Equipments : ₹ 33,87,086.00

Total : ₹ 1,45,04,503.00

3. Less (i) Asset procured during 2009-10 but taken into account in 2010-11 (Net after depreciation for 2009-10)

(ii) Advance paid prior to 2010-11 for Purchase of asset taken into account

₹ 39,52,725.00

Net fund utilized : ₹ 95,40,465.00

- e) Some of the assets (Elisa Labs) under Lab and Farm equipments amounting to ₹ 11,03,251.00, actually procured during the year 2009-10, but were taken into account during the year 2010-11 only at the book value of the assets as on 1.4.2010. The depreciation for the period from the date of procurement upto 31.3.2010 has been charged.
 - The items like Elisa test kits, standards, columns glass wares etc. though costly items are taken as consumables.
- f) Out of the fixed assets given in Schedule 8, LCMS MS machines are placed with Export Inspection Agency Chennai, Kolkatta & Mumbai and one in MPEDA Lab Bhubaneswar operated by M/s Interfield Laboratories on Management contract. Further, out of the 16 Elisa Labs set up by MPEDA are operated by Sea Lab (13 nos) and Interfield (3 Nos.) on management contract which are located 6 in Andhra Pradesh, 3 in West Bengal, 2 in Orissa and 1 each in Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Gujarat & Maharashtra.







g) The fixed asset schedule include the Dry Fish Storage Tuticorin on the leasehold land given by Tamil Nadu Government.

5. Earmarked/Endowment Fund Investments-as on 31.03.2011

Break up of Funds and the pattern of Investment is briefly stated below:-

SI. No.	Fund	₹	Investment	Investment
(a)	(i) Critical infrastructure Fund	25000000	Invested in shares of joint venture	25000000
(b)	EPS Fund	87576592	(1) Invested in Equity Shares (including	
			increase in value of shares)	55490700
			(2) EPS Fixed Deposit	32085892
			(3) Current A/cs	0
(c)	ASIDE Central Fund	14211818	Invested in F D	14211818
(d)	GPF Fund Investments		Investments	
	1. Net Liability as on	86240843	(1) CSB	5172353
	31.03.2011		(2) SBT	40855614
	2. Interest Liability as on	6870356	(3) IDBI	32059947
	31.03.2011		(4) KTDFC	21092913
	3. Excess Interest earned on	11041946	(5) SB A/c with SBT	4972318
	investment than Liability		(6) Receivable for March 2010	2536165
	4. GPF Liability for March 2011	2536165		
		106689310		106689310
(e)	Indian Agriculture Research Fund (MPRNL)	1485081	Invested in F D	0
(f)	Fund for Replacement of	8362819	Invested in F D	4162819
	Fishing Vessel		Current A/C at RO Veraval	4200000
(g)	UNCTAD	134045	Invested in F D	0
(h)	NFDB Fund	2974916	Invested in F D	0

The balance of funds remaining in the UNCTAD, MPRNL, NFDB funds have not been invested in Fixed Deposits as these are running accounts from which payment of revenue nature have to be made periodically.

6. Stock and Spares as on 31.03.2011 is ₹ 9,81,709.00 includes:-

	Total	-	₹	981709
(iii)	Stock of Stationary	-	₹	336527
(ii)	Stock of Stamp	-	₹	11387
(i)	Stock of priced pub forms	-	₹	633795

Stock and spares are valued at cost.







- - 7. a) A sum of ₹ 48,95,579.00 shown outstanding towards loans and advances to staff refers to various advances provided to staff. The recovery of principal is made first. Interest repayment is made only after principal is fully repaid. Interest income is recognized only on receipt basis. No provision is made for receivables for the year as is the normal practice.
 - b) Every year MPEDA makes Budget provision under Non-Plan for meeting Pension and other retirement benefits to the staff for that particular year and the expenditure is met from the funds released by the Ministry under Non - Plan. The same was done during the year 2010-11 also. During the year 2009-10, in addition to this, the retirement benefits payable to employees have been provided on actuarial valuation basis and net present value of the liability as on 31.3.2010. During the year 2010-11 a fresh actuarial valuation for the retirement benefits payable to employees as on 31.3.2011 has been made and provisions made in the books of accounts. There is no separate reserve fund for retirement/terminal benefits. The liability on gratuity, leave encashment, superannuation pension etc. are not accrued for the current year and hence not charged under Income & Expenditure Account. The commitments are subjected to release of funds by the Government towards the specific purpose.
 - 8. Profit on sale of fixed assets, ₹ 374257 has been considered separately in Schedule 18.
 - 9. The stall rentals and registration fee for stalls recovered from the participants (exporters) during the year have been taken under the plan head Trade Fairs (Other Expenses) and thus the total expenditure under other expenses in Annexure 19 is shown the net figure only.
 - 10. The interest earned on fixed deposits other than plan funds are taken under departmental receipts.
 - 11. Till the year 2007-08 all departmental incomes (IEBR) were taken under non-plan. However, since the year 2008-09, the interest earned on short term deposits of plan funds received is taken under plan (IEBR) as per Ministry's orders.
 - 12. The expenditure on grants, subsidies (Schedule 22) does not include plan expenditure on establishment/ administration and acquisition of assets.
 - 13. HACCP Department receipts ₹ 2,80,000.00 represent fees collected from participants of training programme on Hazard Analysis Critical Control Programme and other quality control programme. The same is accounted as income in seminar/programme fee receipts in (Annexure-12).
 - 14. DCPS contribution of ₹ 10,90,583.00 (previous year ₹ 10,19,878.00) refers to contribution of the employer to contributory Pension Scheme for the benefit of employees falling under the category. Contribution received as employee's share together with employer's contribution for the period up to 31.03.2011 have already been transferred to the approved Fund Managers (Bank of India, Ernakulam) and the balance amount available i.e. ₹ 4,67,364.00 (interest accrued on deposits and employer's contributions for the employees resigned from service etc.) is kept in term deposit with SBT.

Grants/ Subsidies 15.

a) An amounts of ₹ 1,60,00,000.00 & ₹ 73,00,000.00 have been disbursed during the year as assistance to NETFISH and NaCSA respectively. Further, ₹ 30,00,00,000.00 was given as assistance to Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture towards Research and Development activity.







- b) Total subsidy disbursed for the year is ₹29,33,40,035.00 A list showing disbursement is annexed separately vide Annexure-18. Expenditure which were attributable/related to subsidy related activity but could not be directly considered as subsidy assistance have been classified under Annexure 19.
- **16.** The Authority follows accrual basis of accounting in the preparation of Income & Expenditure and Balance Sheet from the year 2007-08.
- 17. India is a member of the governing council of INFOFISH. India's membership contribution is fixed at US \$ 25,000.00 every year and the payment is made during the last quarter of the year. As this is a one time payment and is a continuing nature, this is not considered as pre-paid expense.
- **18.** Most of the investments were on short term deposits. However, out of the total deposit of ₹ 9,91,80,827.00 of GPF, an amount of ₹ 80,00,000.00 is kept for 10 years deposit in May 2005.

19. The figures have been clubbed together wherever necessary.

CHIEF ACCOUNTS OFFICER

V B. W/12

SECRETARY

CHAIRMAN









Earmarked / Endowment funds

		Critical Infr.astructure Fund	EPS e Fund	ASIDE Central Fund	GPF	Fund for replacement of Fishing Vessel	Indian Agri. Research Fund (MPRNL)	Others (UNCTAD)	National Fisheries Board Fund	PMNRF	INDAQUA	TOTAL
g 2	Opening balance of the funds	25000000	288813982	0	91300412	10280848	1551518	730972	0	0		417677732
(a	Additions to the Tunds i) Donations / grants	0		26300000			1448500	1148124	17500000	2500000	3969700	52866324
	ii) Income from investment made out of funds	0	1371473	211818	7869510	481971	0	0				9934772
	iii) Other additions	0	10143524		34723162	0	0	0				44866686
	TOTAL (a)+(b)	25000000	300328979	26511818 133893084	133893084	10762819	3000018	1879096	1879096 17500000	2500000	3969700	3969700 525345514
Ĉ	Utilisation / Expenditure towards											
	objectives of funds											
<u>-</u> :	Capital Expenditure											
	- Fixed Assets	0	0		0	0	0	0				0
	- Others	0	0	12300000	0	2400000	763295	0		2500000	3969700	21932995
	Total	0	0	12300000	0	2400000	763295	0		2500000	3969700	21932995
≔ਂ	Revenue Expenditure											
	- Salaries, Wages and allowances etc						732533	102000				834533
	- Rent	0	0	0	0	0	0	0				0
	- Other Administrative Expenses						19109	1643051	14525084			16187244
	- Refund/provisions				33725881							33725881
	- Others (EPS)		212752387	0								212752387
	Total	0	212752387	0	33725881	0	751642	1745051	14525084	0	0	0 263500045
	TOTAL (c)	0	212752387	12300000 33725881	33725881	2400000	1514937	1745051	14525084	2500000	3969700	3969700 285433040
H	NET BALANCE AS AT THE	25000000	87576592	14211818 100167203	100167203	8362819	1485081	134045	2974916	0	0	0 239912474
YEAR	YEAR - END (a)+(b)- (c)											







Annexures to Schedules

Annexure - 2

Advances Received	31.03.2011	31.03.2010
EMD HO	1552142	1469742
Security Deposit HO	1152400	1252400
TOTAL	2704542	2722142

Annexure - 3

Statutory Liabilities	31.03.2011	31.03.2010
CGIS / LIC on Deputaion	240	240
DCPS. Contributory PF Recovery	2122154	4377423
GIS Group Insurance Scheme	21885	52779
GPF Subscription Deputation	10300	0
GPF Loan Recovery on Deputation	2700	0
Income Tax	161000	109000
GPF liability	0	0
Medical Advance recovery	0	9465
Leave Salary & Pension	3040350	1881821
TOTAL	5358629	6430728

Other Current Liabilities	31.03.2011	31.03.2010
Court attachment	5397	5397
Credit Society	1378887	1055451
HDFC	2917	10146
LIC	232808	216269
MCA on deputation	1900	1313
MPEDA Consumer Society	1800	1800
MPEDA Employees welfare Fund	222470	203088
Salary payable	6520956	5718426
Staff Club Subscription	1572	1584
Urban Cooperative Society	97544	128793
Outstanding expenses	2658400	3186309
HBA on deputation	10000	10000
HRD	708	20094
Other Recoveries	0	24262
Others (Accounts Payable)	2853543	3963169
TOTAL	13988902	14546101









EPS - Equity Participation Fund Investment	31.03.2011	31.03.2010
EPS Investment in Equity shares at cost		
Andaman Fisheries, Port Blair	330000	330000
Bay Liners, Hyderabad	2700000	2700000
Blue Gold Maritech, Madras	500000	500000
Coromandel Fisheries, Hyderabad	2475000	2475000
DCL Maritech, Hyderabad	3500000	3500000
Fishing Falcons Ltd, Hyderabad	4900000	4900000
Indo Aquatics, Hyderabad	3600000	3600000
Integrated Rubian Exports Ltd	3000000	3000000
Kalyan sea foods, Hyderabad	3448000	3448000
King International Aqua Marine, Quilon	5000000	5000000
Koluthara Exports, Cochin	290000	290000
Lakshadeep Shilpi Aqua, Cochin	3000000	3000000
Oceanic Enterprises, BBNSR	400000	400000
Ocean Bounty, Cochin	440000	440000
Sudhesh Sea Foods, Bombay	3600000	3600000
Summura Maritime Trades, Hyderabad	1207700	1207700
Surya chakra Sea Foods, Hyderabad	2500000	2500000
Suvarna Aqua Farms, Hyderabad	5000000	5000000
Technomin Aqua Exports, Vijayawada	1600000	1600000
Thirumala Fuji Tech, Hyderabad	5000000	5000000
Vijaya Shrimp Farm, Hyderabad	2500000	2500000
Samudira Marine Farms	500000	500000
Sub Total	55490700	55490700
Increase in value of shares as per financial collaboration agreement	0	202608863
TOTAL	55490700	258099563







Others	31.03.2011	31.03.2010
EPS Fixed Deposit	32085892	4503917
FD Contributory Pension	467364	4826095
FD ASIDE Central	14211818	0
Replacement of fishing vessels investment	4162819	10280848
FD GPF	99180827	88837041
SB A/C GPF	4972318	6522653
TOTAL	155081038	114970554

Annexure - 7 A

	Cash Balance	31.03.2011	31.03.2010
Cash	Account (Head office)	25615	28385
Lab	Bhimavaram	0	0
Lab	Nellore	0	0
RC	Panvel	0	0
RC	Kochi	0	0
RC	Thanjavur	0	0
RC	Valsad	0	0
RC	Vijayawada	0	0
RC	Bhubaneswar	0	0
RO	Mumbai	1075	200
RO	Kolkata	3000	0
RO	Cochin	0	1614
RO	Chennai	0	14915
RO	Veraval	0	0
RO	Vizag	0	21000
SRC	Bhimavaram	0	0
SRC	Kolkata	0	0
SRC	Kannur	0	0
SRC	Karwar	0	0
SRO	Guwahati	0	0
SRO	Goa	0	0
SRO	Mangalore	0	0
SRO	Bhubaneswar	0	0
SRO	Kollam	821	3564
SRO	Tuticorin	0	0
TPO	New Delhi	0	287
TOTAL		30511	69965







Annexure - 7 B

lmp	rest Cash Balance	31.03.2011	31.03.2010
Imprest	Cash Account -HO	490	0
Lab	Bhimavaram	470	11
Lab	Nellore	153	2140
RC	Panvel	230	227
RC	Kochi	799	35
RC	Thanjavur	500	500
RC	Valsad	213	106
RC	Vijayawada	130	310
RC	Bhubaneswar	196	25
RO	Mumbai	555	284
RO	Kolkata	255	307
RO	Cochin	520	225
RO	Chennai	140	415
RO	Veraval	128	423
RO	Vizag	425	340
SRC	Bhimavaram	122	28
SRC	Kolkata	275	304
SRC	Kannur	2	485
SRC	Karwar	8	51
SRO	Guwahati	36	386
SRO	Goa	741	451
SRO	Mangalore	0	50
SRO	Bhubaneswar	183	282
SRO	Kollam	270	398
SRO	Tuticorin	680	2496
TPO	New Delhi	143	297
TOTAL		7664	10576
Total of	Schedule 7 A+ 7B	38175	80541







	Cash At Bank	31.03.2011	31.03.2010
Central	Bank of India - Ernakulam	214230	1793029
SBT	Panampilly Nagar	45778	536435
SBI	W-Island- Overseas Branch	87427	87427
Central	Bank of India - New Delhi	11058	11058
Lab	Bhimavaram	324255	938559
Lab	Nellore	417885	598022
RC	Panvel	366775	681411
RC	Bhubaneswar	114486	468359
RC	Cochin	55283	293142
RC	Thanjavur	264285	294952
RC	Valsad	374832	525265
RC	Vijayawada	241283	335497
RO	Mumbai	418136	366069
RO	Kolkata	488797	814148
RO	Cochin	271351	86592
RO	Chennai	239915	156835
RO	Veraval	4938244	792875
RO	Vizag	174194	49837
SRC	Bhimavaram	162470	317013
SRC	Kolkata	280860	308203
SRC	Kannur	22345	33929
SRC	Karwar	83369	609732
SRO	Guwahati	4142	26795
SRO	Goa	91967	354958
SRO	Mangalore	194470	385616
SRO	Bhubaneswar	134185	190023
SRO	Kollam	66152	150228
SRO	Tuticorin	232827	287143
TPO	New Delhi	267075	358327
TPO	New York	1950254	1619920
TPO	Tokyo	3864200	1875007
Fund in	transit	0	0
TOTAL		16402530	15346406







Loans, Advance	es & Other Assets	31.03.2011	31.03.2010
Staff			
Computer	Advance	179690	154370
House Building	Advance	3575552	4815298
Motor Car	Advance	321700	451240
Scooter	Advance	510817	534243
Bicycle	Advance	9475	25675
Festival	Advance	129645	157545
LTC	Advance	67000	0
Tour	Advance	67700	68500
Adjustable	Advance	34000	11100
Special	Advance (Onam)	0	0
TOTAL		4895579	6217971

	Deposits	31.03.2011	31.03.2010
Electricity	Deposit , HO	240590	236360
Electricity	Deposit , RO Mumbai	34080	34080
Electricity	Deposit , TCA Vallarpadom (RC)	164250	164250
Electricity	Deposit , SRC Kannur	212281	212281
Electricity	Deposit , Lab Nellore	44000	44000
Electricity	Deposit , RC Thanjavur	36474	36474
Electricity	Deposit , RC Valsad	94517	94517
Electricity	Deposit , SRO BBSR	483475	483475
Electricity	Deposit , SRO Mangalore	64659	64659
GAS	Deposit , Vallarpadom (RC)	10900	10900
GAS	Deposit , HO	6523	6523
GAS	Deposit , RO Cochin	3000	3000
GAS	Deposit , RO Vizag	2550	2550
GAS	Deposit , RO Mumbai	5000	5000
GAS	Deposit , SRO Quilon	1500	1500
GAS	Deposit , SRO BBSR	20000	20000
GAS	Deposit , SRO Tuticorin	1600	1600
GAS	Deposit , RC Thanjavur	10000	10000
GAS	Deposit , SRC Kannur	5000	5000







Petrol	Deposit , HO	56160	56160
Petrol	Deposit , RC Cochin	10000	10000
Rent	Deposit , HO	47234	17234
Rent	Deposit , RC/PF, BBSR	548640	146304
Rent	Deposit , SRO BBSR	91362	91362
Rent	Deposit , RO, Vizag	180000	180000
Rent	Deposit , RO, Kolkata	110340	98340
Rent	Deposit , RO Chennai	330000	330000
Rent	Deposit , RO Veraval	30000	30000
Rent	Deposit , SRC Karwar	10000	10000
Rent	Deposit , SRO Tuticorin	20000	20000
Rent	Deposit , SRO Goa	36000	21000
Rent	Deposit , TPO New York - OFFICE	457600	457600
Rent	Deposit , TPO New York - RESIDENCE	0	255400
Rent	Deposit , TPO Tokyo	1594165	3609600
Rent	Deposit , RC Thanjavur	91200	91200
Rent	Deposit , TPO New Delhi	611884	601884
Rent	Deposit , RC Panvel	151032	151032
Rent	Deposit , RC Vijayawada	52500	52500
Rent	Deposit , RO Cochin	191250	191250
Rent	Deposit , SRO Guwahati	15000	15000
Rent	Deposit , Lab Nellore	136500	136500
Rent	Deposit , RO Mumbai	23352	23352
Telephone	Deposit , RC Panvel	0	0
Telephone	Deposit , RO Veraval	10000	10000
Telephone	Deposit , RO Chennai	3033	3033
Telephone	Deposit , RC Valsad	10619	10619
Telephone	Deposit , SRC Karwar	220	220
Telephone	Deposit , RO Vizag	7632	15000
Telephone	Deposit , HO	22823	24713
Telephone	Deposit , SRC Kannur	4000	4000
Telephone	Deposit , RO Kochi	11030	0
Telegram	Deposit , HO	26240	26240
Telegram	Deposit , RC Vijayawada	324	324
Telegram	Deposit , Thanjavur	2200	2200
TOTAL		6332739	8128236







Annual fees / Subscription	31.03.2011	31.03.2010
Subscription for MPEDA Newsletter	46850	33926
Subscription for Prime	23400	14600
TOTAL	70250	48526

Annexure - 12

Seminar / Programme fee	31.03.2011	31.03.2010
Registration/GSP Certificate/Revalidation fee	6838747	6032089
HACCP Department Receipts	280000	396233
I U U Receipts	58500	0
TOTAL	7177247	6428322

Annexure - 13

Income from Publications	31.03.2011	31.03.2010
Sale of fishery hand book	61025	32750
Sale of other publication	209420	417614
Advertisement in MPEDA Newsletter	156068	45712
TOTAL	426513	496076

Income from Royalty, Publication etc	31.03.2011	31.03.2010
Others		
Sale of Forms	327900	330250
GSP Forms	98375	137841
TOTAL	426275	468091







Interest earned	31.03.2011	31.03.2010
On Loans to employees		
Bicycle / Fan Advance		0
НВА	1473275	1431961
Motor Car	42190	87270
Interest on Computer Advance	62439	51087
Scooter	54769	60077
TOTAL	1632673	1630395

Annexure - 16

Other expenses- others	Current year (2010-11)		Pre	vious year (20	09-10)	
	PLAN	NON PLAN	TOTAL	PLAN	NON PLAN	TOTAL
Bank Charges	39746	6300	46046	6350	8169	14519
Hindi Implementation	0	677279	677279	0	509583	509583
Misc. Admn. Expenses	10296305	2728943	13025248	4090405	2101039	6191444
Statistical Publications	0	0	0	0	0	0
Books & Periodicals	290822	549714	840536	266545	474265	740810
GSP Forms (Printing)	0	100000	100000	0	125000	125000
Leave Travel Concession	4645441	2635213	7280654	4473742	3741896	8215638
Medical Claim	2426834	942322	3369156	1559990	909487	2469477
Membership Fee	1136325	0	1136325	1164234	2941	1167175
Other Expenses	0	154337	154337		146156	146156
Training Programme	2386001	109846	2495847	6918453	41788	6960241
TOTAL	21221474	7903954	29125428	18479719	8060324	26540043

Other Grants	31.03.2011	31.03.2010
Assistance to Rajiv Gandhi Centre for Aquaculture	30000000	30000000
Assistance for availing Technical consultancy NaCSA	7300000	20000000
Assistance to Netfish	16000000	13000000
TOTAL	323300000	333000000







Subsidy given to Institutions / Organisation	31.03.2011	31.03.2010
Subsidy for Promotion of commercial hatcheries	2000000	600000
Subsidy for New farm development in under developed area	2285274	11332224
Subsidy for set up of effluent treatment system	1542328	2133151
Subsidy for taking up organic farming in selected/suitable area	11316	446730
Subsidy for development assistance for PCR. set up.	3973703	4067529
Subsidy for setting up cold storage	7493320	22569987
Subsidy for setting up of modern ice plant		9950202
Subsidy for setting up ornamental fish unit	9644574	32266254
Subsidy for construction / renovation of captive Pre-processing Centre	5297074	12320496
Subsidy for setting up mini lab	472592	1001354
Subsidy for insulated fish boxes	5719334	2774525
Subsidy for const/ Renovation of independent preprocessing centres	10680554	5394430
Subsidy for procurement of refrigerated Trucks/containers	979163	1707360
Subsidy given for Tuna long lining div. Fishing	50799619	67930786
Assistance to Fishermen for better preservation of catch	11511072	17259606
Assistance for Padasekharams of Kerala	500000	461226
Assistance to societies	6106418	3705246
Assistance for acquisition of all processing machineries	0	13166331
Infrastructure facilities (GS, WPS, ETP, FIMM, CR, UDS)	1415722	10520629
Dev. assistance for export of Ornamental Aquairum fishes	1472614	1764047
Upgradation seafood plants to EU Standards	9704980	10823150
Seafreight Assistance	100503328	19658648
Special Scheme for Technology upgradation	41227050	12119895
TOTAL	293340035	263973806







Expenditure on grant / subsidies	31.03.2011	31.03.2010
Others		
Seminar		0
Professional charges	8745872	4452916
Publicity & Market Promotion (Advt.& Publicity)	4189103	5452209
Hospitality		0
Insurance	0	0
Subscription		
PCR lab facility maintenance		
Promotion of ornamental fish products		
Development of new value added product		
MPEDA lab expenses (Kochi)		
MPEDA lab expenses (Bhimavaram & Nellore)		
Monitoring of residual level of pesticides		
Seafood quality development programme		
Data bank & collection		
Development Division		
Assistance to societies		
HPLCMS antibiotic test		
Chemicals	1678679	1504654
Glasswares	225425	158008
Other Expenses	49521536	57929387
NRCP	737003	406285
Total	65097618	69903459
Less: Collection received for space allotted	8962500	4877850
TOTAL	56135118	65025609

Note:

1. Other Expenses include all expenses incurred under Plan except Grants, Subsidies & Establishment expense









1. We have audited the attached Balance Sheet of the Marine Product Export Development Authority, Kochi as at 31 March 2011 and Income & Expenditure Account/ Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Services) Act, 1971 read with Section 19 of the MPEDAAct, 1972. These financial statements include the accounts of twelve Regional/Sub Regional Offices, ten Regional/Sub Regional Centres, three Laboratories, three Trade Promotion Offices and three societies. These financial statements are the responsibility of the MPEDA's management. Our responsibility is to express an opinion on theses financial statements based on our audit.

Authority (MPEDA), Kochi for the year ended 31 March 2011

- 2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our Audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An Audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimate made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 4. Based on our audit, we report that:
 - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - ii. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Marine Product Export Development Authority (MPEDA), Kochi, as required under Section 19 of the MPEDA Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv. We further report that:







A. Income & Expenditure

A. 1. Expenditure

A.1.1. Expenditure on Grants and subsidies - (Schedule -22) ₹ 67.27 Crore

This is overstated by ₹ 2.00 Crore due to inclusion of advance paid for participation in expo's during the year 2011-12. Consequently, balance being 'deficit carried over to corpus/capital fund' is overstated by the same amount, and 'Current Assets, loans and Advances' (Sch.11) is understated to the same extent.

B. Grants in Aid

Out of the grants in aid of $\stackrel{?}{\sim}$ 99.41 crore (including Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of $\stackrel{?}{\sim}$ 3.23 crore) received during the year ($\stackrel{?}{\sim}$ 22.50 crore was received in March), the organization could utilize a sum of $\stackrel{?}{\sim}$ 98.84 crore leaving a balance of $\stackrel{?}{\sim}$ 0.57 crore as unutilized grant as on 31 March 2011.

C. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Chairperson, MPEDA, Kochi through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/ Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure-I to this report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Marine Product Export Development Authority, Kochi as at 31 March 2011 and
- b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India

S/d.

Principal Accountant General (C&CA), Kerala

Place: Thiruvananthapuram

Date: 23 September 2011







1. Adequacy of Internal Audit System

Though the periodicity of the internal audit fixed by the Board is once in two years, it is in arrears in respect of 11 offices out of 28.

2. Adequacy of Internal Control System

The authority has not executed any MoU with the administrative ministry spelling out output targets as required in Rule 208 (vii) of General Financial Rules 2005.

3. System of physical verification of assets

Assets as on 31.3.2011 have been physically verified by the heads of the respective offices and Section Officers (Stores) in respect of assets held in the Head Office.

4. System of physical verification of inventory

The system existing in the authority is satisfactory.

5. Regularity in payment of statutory dues

Laboratories functioning under the authority and providing service to Aqua farmers are not paying Service Tax.

S/d.

Dy. Accountant General (Central Expenditure)





Replies/Comments



Replies to Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Marine Product Export Development Authority (MPEDA), Kochi for the year ended 31 March 2011

Audit Observation

- We have audited the attached Balance Sheet of the Marine Product Export Development Authority, Kochi as at 31 March 2011 and the Income & Expenditure Account / Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 19 of the MPEDA Act, 1972. These financial statements include the accounts of twelve Regional /Sub Regional Offices, ten Regional/Sub Regional Centres, three Laboratories, three Trade Promotion Offices and three societies. These financial statements are the responsibility of the MPEDA's management. Our responsibility is to express an opinion on theses financial statements based on our audit.
- 2. This Separate Audit Report contains the comments of Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
- 3. We have conducted our Audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An Audit includes examining on a test basis evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial

No comments

No comments

No comments







Audit Observation Replies/Comments

statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

- Based on our audit, we report that: 4.
- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- The Balance Sheet and Income and Expenditure ii. Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.
- In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Marine Product Export Development Authority (MPEDA), Kochi as required under Section 19 of the MPEDA Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.
- We further report that:
- Income & Expenditure

A. 1. Expenditure

A.1.1. Expenditure on Grants and subsidies - (Schedule -22) ₹ 67.27 Crore

This is overstated by ₹ 2.00 Crore due to inclusion of advance paid for participation in expo's during the year 2011-12. Consequently, balance being 'deficit carried over to corpus/capital fund' is overstated by the same amount and 'Current Assets, loans and Advances' (Sch.11) is understated to the same extent.

B. Grants in Aid

Out of the grants in aid of ₹ 99.41 crore (including Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹ 3.23 crore) received during the year (₹ 22.50 crore was received in March), the organization could utilize a sum of ₹ 98.84 crore leaving a balance of ₹ 0.57 crore as unutilized grant as on 31 March 2011.

C. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the

No comments

No comments

No comments

MPEDA has been participating in the Seafood Expo, Brussels every year. The Expo is being conducted generally in the month of May. Every year we have to make payment in advance for space rental etc. as this is a continuing process. As the expenditure is incurred every year for the Expo of next year, we are not showing the expenditure incurred in a particular year as prepaid expenses. However, the Audit observation is noted for future compliance.

No comments

Replies are being sent separately







Audit Observation Replies/Comments

Chairperson, MPEDA, Kochi through a management letter issued separately for remedial / corrective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in the Annexure I to this report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India
- In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Marine Product Export Development Authority, Kochi as at 31 March 2011
- b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

No comments

No comments

No comments

No comments

(J. RAMESH)
SECRETARY









Replies to the Annexure to Separate Audit Report 2010-11

Audit Observation

Replies/Comments

Adequacy of Internal Audit System

Though the periodicity of the Internal Audit fixed by the Board is once in two years, it is in arrears in respect of 11 offices out of 28.

All the unit offices are being taken up for internal audit once in two years on a rotation basis. During the last year out of 28 unit offices (including NaCSA, Netfish and RGCA) spread all over India, audit was conducted in 17 offices. The audit of the remaining offices are being taken up during the year 2011-12.

2. Adequacy of Internal Control System

The authority has not executed any MoU with the administrative ministry spelling out output targets as required in Rule 208 (vii) of General Financial Rules 2005.

MPEDA was formed under the Act of Parliament, MPEDA follows the Central Government Rules. Funds are received from Government of India through Ministry of Commerce. There is no MOU signed by MPEDA.

However, MPEDA is fixing specific targets and ensuring its achievements, and periodical reports are being furnished to Ministry.

3. System of Physical Verification of assets

Assets as on 31.03.2011 have been physically verified by the heads of respective offices and Section Officers (Stores) in respect of assets held in the Head Office.

No comments

System of physical verification of inventory

The system existing in the authority is satisfactory.

Regularity in payment of statutory dues 5.

Laboratories functioning under the authority and providing service to Aqua farmers are not paying service tax.

No comments

MPEDA has already taken action with the Central Excise authorities to get exemption from paying the service tax for the service rendered for the marine products industry with a special reference to exports and in the context of the income created or received by MPEDA is being exempted within the provision of taxable income under sections 10(29A) of Income Tax Act.

> (J. RAMESH) SECRETARY








VALUE ADDED PRODUCTS



Shrimp Vegetable Noodles (Asian Style)



Vannamei PD Tail on Skewered




Tiger Shrimp-Butterfly





वार्षिक रिपोर्ट 2010 - 11





समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)



वार्षिक रिपोर्ट

2010-2011



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

पनंपिल्लि एवन्यू कोच्ची - 682 036

विषय वस्तु

		पृष्ठ सं.
प्राधिक	रण	1
कार्याल	य संरचना	1
निर्यात	निष्पादन	2
3.1	समुद्री उत्पादों का समग्र निर्यात	2
3.2	निर्यात की मुख्य मदें	2
3.3	मुख्य निर्यात बाज़ार	5
3.4	मुख्य पत्तन-वार निर्यात	6
बजट ३	और व्यय के साथ वार्षिक योजना	10
पंजीकर		11
बाज़ार	संवर्धन	12
6.1	बाज़ार सेवाएं	12
6.2	प्रचार एवं बाज़ार संवर्धन	14
कैप्चर	मात्स्यिकी	19
कल्चर	मात्स्यिकी	21
8.1	जलकृषि द्वारा निर्यात उत्पादन	21
8.2	संवर्धनात्मक कार्यकलाप	27
8.3	वित्तीय सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन	31
8.4	भारतीय जैव जलकृषि परियोजनाएं (आई ओ ए पी)	32
8.5	निर्यात के लिए आलंकारिक मत्स्य प्रजनन का सर्वर्धन	35
संसाधन	न अवसंरचना तथा मूल्यवर्धन	38
9.1	कार्यान्वयन की प्रगति	41
9.2	विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना	43
गुणता	नियंत्रण	44
गुणता	नियंत्रण प्रयोगाालाएं	47
एम पी	ई डी ए के अधीन सोसाइटियाँ	51
12.1	राजीव गाँधी जलकृषि केंद्र	51
12.2	मत्स्य गुणता प्रबंधन एवं चिरस्थाई मत्स्यन के लिए नेटवर्क (नेटिफश)	55
12.3	राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा)	60
राजभाष	षा कार्यकलाप	65
प्रशिक्षण	ग कार्यक्रम	67
	क्ति	
परिशिष्ट	z 1-3	70
परीक्षित	न वित्तीय विवरण - 2010-11	81



1.0. प्राधिकरण

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है जिसे समुद्री उत्पादों के निर्यात को संवर्धित करने का प्राथमिक काम सौंपा गया है।

दिनांक 28 जुलाई 2010 को प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था तथा 31.03.2011 के अनुसार सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में दी जाती है। रिपोर्टाधीन अविध के दौरान सुश्री लीना नायर, आई ए एस, एम पी ई डी ए अध्यक्ष बनी रहीं।

दिनांक 31.03.2011 तक की कार्यकारिणी सिमिति, निर्यात संवर्धन सिमिति तथा तकनीकी सिमिति जैसी तीन स्थाई सिमितियों के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-II में दी जाती है।

वर्ष 2010-11 के दौरान प्राधिकरण की दो बैठकें (20.9.2010 को कोच्ची में प्राधिकरण की 119 वीं बैठक तथा 05.02.2011 को चेन्नई में प्राधिकरण की 120 वीं बैठक), तकनीकी समिति की एक बैठक (26.11.2010 को 52 वीं तकनीकी समिति) और निर्यात संवर्धन समिति की एक बैठक (31.01.2011 को 52 वीं निर्यात संवर्धन समिति) कोच्ची में आयोजित की गईं।

2.0. कार्यालय संरचना

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मुख्यालय एवं फील्ड कार्यालयों के अधिकारियों के एक दल के समर्थन के साथ अध्यक्ष के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता है।

प्राधिकरण के लिए निर्दिष्ट विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यों के निष्पादन के लिए भी सभी तटीय राज्यों में फील्ड कार्यालय हैं। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं समुद्री खाद्य व्यापार से जुडे आयातकों एवं अभिकरणों के बीच संपर्क रखने हेतु इसका व्यापार संवर्धन कार्यालय भी है।

दिनांक 31.03.2011 को प्राधिकरण के मुख्यालय, क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों, नई दिल्ली, टोकियो और न्यूयोर्क के व्यापार संवर्धन कार्यालयों, जलकृषि के क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय केन्द्रों तथा नेल्लूर व भीमवारम की प्रयोगशालाओं के अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-III में दी जाती है।

2.1. क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय कार्यालय/केंद्र

वेरावल, मुंबई, कोच्ची, चेन्नई, विशाख, कोलकत्ता के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं गोआ, माँगलूर, कोल्लम, तूत्तिकोरिन, भुवनेश्वर एवं गुवाहटी के उप क्षेत्रीय कार्यालयों ने व्यापार तथा संसाधन उद्योग को समर्थन एवं सहायता देते हुए निर्यात संवर्धन से संबंधित अपना कार्य निष्पादन जारी रखा।

क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों ने संबंधित राज्य सरकारों, समुद्री खाद्य उद्योग एवं निर्यात व्यापार से जुडे अन्य संगठनों के साथ निकट संबंध रखकर कार्य किया। वल्साद, पनवेल, कोच्ची, तंजावूर, विजयवाडा, भुवनेश्वर के जलकृषि के क्षेत्रीय केन्द्रों तथा कोलकत्ता, भीमवारम, कारवार एवं कण्णूर के उप क्षेत्रीय केन्द्रों ने निर्यात हेतु उत्पादन वृद्धि के लिए जलकृषि विकास को संवर्धित करने का कार्य जारी रखा। कोच्ची, नेल्लूर और भीमवारम की अपनी प्रयोगशालाओं द्वारा एम पी ई डी ए राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। समुद्री निर्यात उद्योग के प्रयोजनार्थ प्रबंधन संविदा आधार पर भुवनेश्वर में एक एल सी एम एस एम एस प्रयोगशाला तथा तटवर्ती राज्यों में सोलह एलिसा जाँच प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही हैं।

2.2. व्यापार संवर्धन कार्यालय (विदेश)

भारतीय समुद्री खाद्य के मुख्य बाज़ारों की सेवा करने के लिए टोकियो एवं न्यूयोर्क में एम पी ई डी ए के दो व्यापार संवर्धन कार्यालय (टी पी ओ) हैं। टोकियो एवं न्यूयोर्क के व्यापार संवर्धन कार्यालय क्रमशः 1978 एवं 1984 से कार्य करते आ रहे हैं। जापान और यू एस ए समुद्री उत्पादों के प्रमुख बाज़ारों के रूप में बने रहे तथा अन्य आपूर्तिकर्ता देशों की कड़ी प्रतियोगिता के बावजूद हमारे निर्यात को चिरस्थाई बनाये रखने में इन कार्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आयातकों, सरकारी अभिकरणों, संगरोध प्राधिकरणों, संघों आदि के साथ संपर्क करते हैं और हमारे देश और निकटवर्ती देशों के विभिन्न विकासों की सूक्ष्म निगरानी करते रहते हैं, जिनसे भारत से किए जानेवाले समद्री खाद्य व्यापार पर प्रभाव हो सकता है।










3.0. निर्यात निष्पादन

3.1. समुद्री उत्पादों का समग्र निर्यात

समुद्री उत्पादों के निर्यात ने वर्ष 2010-11 अप्रैल-मार्च के दौरान पिछले वर्ष की उपर्युक्त अवधि की तुलना में मात्रा में 19.85 प्रतिशत, ₹ मुल्य में 28.39 प्रतिशत एवं यू एस डॉलर वसुली में 33.95 प्रतिशत की वृद्धि रजिस्टर करते हुए 2.86 अरब यू एस डॉलर हासिल किया है। समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग के इतिहास में पहली बार हमने 2.8 अरब मार्क पार किया है। औसत इकाई मूल्य वसूली में भी 11.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निर्यात विवरण अप्रैल-मार्च 2010-11 (अनन्तिम) अप्रैल-मार्च 2009-10 वृद्धि प्रतिशत मात्रा टन में 813091 678436 19.85 मुल्य ₹ करोड में 12901.47 10048.53 28.39 दशलक्ष यू एस डॉ 33.95 2856.92 2132.84

2009-10 की तुलना में 2010-11 के दौरान निर्यात



3.2. निर्यात की मुख्य मदें

निर्यात आँकडों के अनुसार कुल यू एस डॉलर अर्जन के 44.17 प्रतिशत के साथ प्रशीतित श्रिम्प मुख्य निर्यात मद बना रहा। इस अवधि के दौरान श्रिम्प निर्यात में मात्रा, रुपए मूल्य एवं यू एस डॉलर मूल्य में क्रमशः 16.02 प्रतिशत, 36.72 प्रतिशत तथा 42.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इकाई मूल्य प्राप्ति (23.17 प्रतिशत) में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यू एस ए को किए गए प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात ने मात्रा में 86.27 प्रतिशत तथा यू एस डॉ में 140.47 प्रतिशत की बहुत बडी वृद्धि दर्शाई। जापान को किए गए प्रशीतित श्रिम्प के निर्यात ने मात्रा एवं यू एस डॉ मूल्य में भी क्रमशः 16.82 प्रतिशत एवं 39.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। वन्नामई श्रिम्प के निर्यात ने भी वृद्धि दर्शाई। इस अविध के दौरान हम ने लगभग 11875 मे.ट वन्नामई का निर्यात किया।

मात्रा में मुख्य निर्यात मद तथा मुल्य में द्वितीय सबसे बड़ी मद, मत्स्य, जो मात्रा में लगभग 38.42 प्रतिशत तथा यू एस डॉलर उपार्जन में 20.42 प्रतिशत का हिस्सेदार है, ने पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में 19.68 प्रतिशत तथा यू एस डॉलर उपार्जन में 35.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई।







प्रशीतित स्क्विड ने मात्रा एवं यू एस डॉलर में क्रमशः लगभग 42.53 प्रतिशत, तथा 69.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। प्रशीतित कट्टलिफश ने मात्रा में लगभग 6.84 प्रतिशत की कमी दर्शाई, परन्तु यू एस डॉलर प्राप्ति में 25 प्रतिशत वृद्धि तथा इकाई मूल्य प्राप्ति में 34.18 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई। मात्रा में कमी मुख्यतः पश्चिम तट में विशेषतः कम अवतारण के कारण हुई। पिछले वर्ष की इसी अविध की तुलना में सूखी मदों ने मात्रा में 68.02 प्रतिशत की वृद्धि एवं यू एस डॉलर मूल्य में 1.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कट्टलिफश, प्रशीतित श्रिम्प, स्क्विड, ज़िदा एवं ठंडी मदों आदि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक मुख्य पत्तन के मदवार निर्यात संकलन (मा: मात्रा टनों में, मू: मूल्य करोड़ रुपए में, डॉ: दशलक्ष यू एस डॉलर, इ.मू. डॉ: इकाई मूल्य डॉलर/कि.ग्रा में)

मद		हिस्सा %	अप्रैल-2010-	अप्रैल-2009-	परिवर्तन	(%)
			मार्च-2011	मार्च-2010		
1		2	3	4	5	6
प्रशीतित श्रिम्प	माः	18.63	151465	130553	20912	16.02
	मू:	44.32	5718.13	4182.35	1535.77	36.72
	डाँः	44.17	1261.81	883.03	378.79	42.90
	इ.मू.डॉः		8.33	6.76	1.57	23.17
प्रशीतित मत्स्य	माः	38.42	312358	260988	51370	19.68
	मू:	20.34	2623.89	2032.51	591.39	29.10
	मूः डॉः	20.42	583.48	430.98	152.51	35.39
	इ.मू.डॉः		1.87	1.65	0.22	13.12
प्रशीतित कट्टलिफश	माः	7.28	59159	63504	-4346	-6.84
	मू:	8.56	1104.57	923.83	180.74	19.56
	मूः डॉः	8.56	244.62	195.69	48.92	25.00
	इ.मू.डॉः		4.13	3.08	1.05	34.18
प्रशीतित स्क्विड	माः	10.77	87579	61445	26135	42.53
	मू:	7.83	1010.57	622.63	387.94	62.31
	मू: डॉ	7.83	223.67	132,24	91.43	69.14
	इ.मू.डॉः		2.55	2.15	0.40	18.67
सूखी मदें	माः	9.72	79059	47053	32006	68.02
	मू:	7.40	954.94	981.11	-26.17	-2.67
	मूः डॉः	7.43	212.22	208.72	3.50	1.68
	इ.मू.डॉः		2.68	4.44	-1.75	-39.49
ज़िन्दा मदें	माः	0.64	5208	5492	-284	-5.17
	मू:	1.10	142.15	139.14	3.01	2.17
	डॉः	1.10	31.46	29.52	1.95	6.60
	इ.मू.डॉः		6.04	5.37	0.67	12.42
ठंडी मदें	माः	2.60	21118	28817	-7699	-26.72
	मू:	2.00	257.54	264.49	-6.95	-2.63
	मूः डॉः	1.99	56.93	55.87	1.06	1.90
	इ.मू.डॉः		2.70	1.94	0.76	39.05











1		2	3	4	5	6
अन्य	माः	11.95	97145	80584	16561	20.55
	मू:	8.45	1089.67	902.47	187.20	20.74
	डाँः	8.50	242.72	196.81	45.92	23.33
	इ.मू.डॉः		2.50	2.44	0.06	2.31
कुल	माः	100.00	813091	678436	134655	19.85
	मू:	100.00	12901.47	10048.53	2852.94	28.39
	डॉः	100.00	2856.92	2132.84	724.07	33.95
	इ.मू.डॉः		3.51	3.14	0.37	11.77











3.3. मुख्य निर्यात बाज़ार

यू एस डॉलर प्राप्ति में 26.78 प्रतिशत के हिस्से के साथ यूरोपीय संघ (ई यू) सबसे बडा बाज़ार बना रहा। इसके बाद 16.43 प्रतिशत के हिस्से के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन 15.41 प्रतिशत, यू एस ए 15.35 प्रतिशत, जापान 13.06 प्रतिशत, मध्य पूर्व 5.19 प्रतिशत तथा अन्य देश 7.79 प्रतिशत आते हैं। यू एस ए को किए गए निर्यात में यू एस डॉ प्राप्ति में 105.36 प्रतिशत तथा मात्रा में 49.79 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में प्रशीतित श्रिम्प तथाप्रशीतित स्किवड के निर्यात में हुई वृद्धि का भी योगदान रहा। जापान को किए गए निर्यात ने भी मात्रा में 12.80 प्रतिशत तथा यू एस डॉ में 33.90 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई। जापानी बाजार में शीतित मद को छोड़कर सभी मदों के निर्यात ने बढता रुख दर्शाया। दिक्षण पूर्वी एशियाई देशों ने भी मात्रा में 56.65 प्रतिशत तथा यू एस डॉ प्राप्ति में 49.08 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई। चीन को किए गए निर्यात ने मात्रा में केवल 10.30 प्रतिशत तथा यू एस डॉ में 15.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई। मध्य पूर्व देशों को किए गए निर्यात ने भी मात्रा में 25.85 प्रतिशत तथा यू एस डॉ प्राप्ति में 26.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई।


अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक बाज़ार वार निर्यात (माः मात्रा टनों में, मृः मृल्य करोड़ रुपए में, डॉः दशलक्ष यू एस डॉलर में)


देश		हिस्सा प्रतिशत	अप्रैल-2010-	अप्रैल-2009-	परिवर्तन	(प्रतिशत)
			मार्च-2011	मार्च-2010		
जापान	माः	8.70	70714	62690	8024	12.80
	मू:	13.05	1683.39	1289.58	393.81	30.54
	डाँः	13.06	373.00	278.56	94.44	33.90
यू एस ए	माः	6.16	50095	33444	16651	49.79
	मू:	15.43	1990.26	1012.52	977.75	96.57
	डॉः	15.35	438.49	213.52	224.97	105.36
यूरोपियन संघ	माः	21.03	170963	164800	6163	3.74
-	मू:	26.81	3459.40	3013.33	446.07	14.80
	डॉंः	26.78	765.15	637.40	127.75	20.04
चीन	माः	19.57	159147	144290	14857	10.30
	मू:	15.33	1977.81	1790.89	186.92	10.44
	मूः डॉः	15.41	440.10	379.70	60.41	15.91
दक्षिण पूर्व एशिया	माः	28.77	233964	149353	84611	56.65
.	मू:	16.39	2114.48	1479.55	634.93	42.91
	मूः डॉः	16.43	469.36	314.85	154.51	49.08
मध्य पूर्व	माः	5.41	43950	34924	9027	25.85
•	मू:	5.19	669.90	553.59	116.31	21.01
	मूः डॉः	5.19	148.21	117.06	31.15	26.61
अन्य	माः	10.36	84257	88937	-4679	-5.26
	म्:	7.80	1006.23	909.07	97.16	10.69
	मूः डॉः	7.79	222.60	191.76	30.85	16.09
कुल	माः	100	813091	678436	134655	19.85
•	मू:	100	12901.47	10048.53	2852.94	28.39
	मूः डॉः	100	2856.92	2132.84	724.07	33.95











3.4. मुख्य पत्तनवार निर्यात

कुल 21 समुद्री/हवाई/स्थल पत्तनों से निर्यात किए गए। पिछले वर्ष की तुलना में पिपवाव, जे एन पी, चेन्नई, कोच्ची, कोलकत्ता, विज़ाग, तूत्तिकोरिन, माँगलूर/आई सी डी एवं गोआ से निर्यात में सुधार हुआ। ब्योरा निम्निलिखित तालिका में दिया जाता है:







अप्रैल 2010 से फरवरी 2011 तक पत्तन-वार निर्यात (माः मात्रा टन में, मूः मूल्य ₹ करोड में, \$ः दशलक्ष यू एस डॉ)

पत्तन		हिस्सा %	अप्रैल 2010-	अप्रैल-2009-	परिवर्तन	(%)
			फरवरी-2011	फरवरी-2010		
1		3	4	5	6	7
पिपवाव	माः	24.29	197478	182052	15425	8.47
	मू:	15.70	2025.72	1673.74	351.98	21.03
	डॉः	15.83	452.22	361.21	91.01	25.20
जे एन पी	माः	19.16	155829	129318	26510	20.5
	मू:	15.27	1970.65	1564.42	406.23	25.97
	डॉः	15.32	437.73	331.46	106.27	32.06
चेन्नै	माः	6.88	55961	46009	9952	21.63
	मू:	15.35	1979.76	1314.62	665.14	50.60
	डॉः	15.29	436.77	277.91	158.86	57.16
कोच्ची	माः	14.95	121550	104281	17270	16.56
	मू:	14.67	1892.14	1576.19	315.95	20.05
	डॉः	14.63	418.10	333.02	85.08	25.55
कोलकत्ता	माः	6.89	56060	46901	9159	19.53
	मू:	10.18	1313.67	892.48	421.19	47.19
	डॉः	10.17	290.50	188.10	102.40	54.44
विज़ाग	माः	4.70	38217	31863	6354	19.94
	मू:	10.08	1300.28	943.29	356.98	37.84
	डॉः	10.03	286.44	199.24	87.21	43.77
तूत्तिकोरिन	माः	3.72	30220	27782	2438	8.77
	मू:	6.82	880.41	686.45	193.96	28.26
	डॉः	6.79	194.12	145.22	48.91	33.68
माँगलूर/आई सी डी	माः	12.89	104821	59000	45820	77.66
	मू:	5.34	688.32	400.33	287.99	71.94
	डॉः	5.34	152.45	85.43	67.02	78.45
गोआ	माः	4.39	35728	29409	6319	21.49
	मू:	2.13	275.30	219.24	56.06	25.57
	डॉः	2.14	61.04	46.49	14.56	31.31
मुंबई	माः	0.24	1965	2349	-384	-16.35
	मू:	2.12	273.49	462.67	-189.19	-40.89
	डॉः	2.13	60.73	97.97	-37.24	-38.01







POLE INC.
एमपीईडीए

1		3	4	5	6	7
अहम्मदाबाद	माः	0.05	432	1145	-714	-62.29
	मू:	0.97	124.94	153.98	-29.04	-18.86
	डॉः	0.97	27.81	32.80	-4.99	-15.21
त्रिवेन्द्रम	माः	0.36	2932	2985	-53	-1.77
	मू:	0.82	105.61	92.66	12.94	13.97
	डॉः	0.82	23.33	19.66	3.68	18.70
मिड सी	माः	0.93	7600	6289	1311	20.85
	मू:	0.40	52,23	36.82	15.42	41.88
	डॉः	0.40	11.44	7.86	3.58	45.58
हिल लैंड कस्टम्स	माः	0.46	3714	8236	-4521	-54.9
	मू:	0.06	8.35	19.12	-10.76	-56.3
	डॉः	0.06	1.85	3.83	-1.98	-51.78
कालिकट	माः	0.02	132	28	104	373.02
	मू:	0.03	4.36	1.16	3.19	273.95
	डॉः	0.03	0.97	0.24	0.73	307.41
मुंड्रा	माः	0.03	263	671	-408	-60.84
	मू:	0.03	3.79	11.02	-7.22	-65.56
	डॉः	0.03	0.84	2.34	-1.49	-63.91
कांडला	माः	0.02	124	0	124	111
	मू:	0.01	1.75	0.00	1.75	111
	डॉः	0.01	0.40	0.00	0.40	111
ट्रिच्ची	माः	0.00	10	0	10	111
	मू:	0.00	0.31	0.00	0.31	111
	डॉः	0.00	0.07	0.00	0.07	111
बैंगलूर	माः	0.00	3	0	3	111
	मू:	0.00	0.22	0.00	0.22	111
	डॉः	0.00	0.05	0.00	0.05	111
करिंगन्ज	माः	0.01	51	117	-66	-56.82
	मू:	0.00	0.14	0.25	-0.10	-42.41
	डॉः	0.00	0.03	0.05	-0.02	-37.36
हैदराबाद	माः	0.00	2	0	2	111
	मू:	0.00	0.03	0.00	0.03	111
	डॉः	0.00	0.01	0.00	0.01	111
दिल्ली	माः	0.00	0	0	0	-100
	मू:	0.00	0.00	0.07	-0.07	-100
	डॉः	0.00	0.00	0.02	-0.02	-100.00











1		3	4	5	6	7
ओखा		0.00	0	1	-1	-100
		0.00	0.00	0.02	-0.02	-100
		0.00	0.00	0.00	0.00	111
कुल	माः	100	813091	678436	134655	19.85
	मू	100	12,901.47	10,048.53	2,852.94	28.39
	डाँः	100	2,856.92	2,132.84	742.07	33.95













4.0. बजट और व्यय के साथ वार्षिक योजना

4.1. योजना स्कीम कार्यान्वयन की प्रगति

विकासात्मक/संवर्धनात्मक कार्यकलाप छः मुख्य शीर्षो अर्थात् (i) बाज़ार संवर्धन (ii) कैप्चर मात्स्यिकी (iii) कल्चर मात्स्यिकी (vi) संसाधन अवसंरचना व मूल्य परिवर्धन (v) गुणता नियंत्रण (vi) अनुसंधान व विकास के तहत कार्यान्वित किए गए।

वर्ष 2010-11 का योजना बजट (संशोधित आकलन) ₹ 90 करोड था। वाणिज्य विभाग ने योजना स्कीम के तहत ₹ 89.33 करोड़ की राशि प्रदान की।

क्रम सं	शीर्षों का नाम	राशि
1.	बाज़ार संवर्धन	₹ 1843.84
2.	कैप्चर मात्स्यिकी	₹ 771.66
3.	कल्चर मात्स्यिकी	₹ 1338.17
4.	संसाधन अवसंरचना व मूल्य परिवर्धन	₹ 1041.53
5.	गुणता नियंत्रण	₹ 1006.03
6.	अनुसंधान व विकास	₹ 3000.00
	कुल:	₹ 9001,23

गत वर्षों के दौरान हुए योजना व्यय को दर्शानेवाला विवरण निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:-

वर्ष	बजट प्रावधान	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई योजना निधियाँ	एम पी ई डी ए द्वारा योजना व्यय	वर्षांत में अप्रयुक्त निधि
1	2	3	4	5
2001-02	3000.00	3000.00	3007.14	- 62.19*
2002-03	4000.00	4090.00	4061.84	- 8.11*
2003-04	4100.00	4100.00	4005.00	+ 643.70**
2004-05	4400.00	4400.00	4382.19	+661.51
2005-06	5400.00	4738.00	5209.00	214.80
2006-07	5835.00	4785.00	4952.25	- 47.72*
2007-08	8000.00	7666.60	7807.82	- 31.85
2008-09	9000.00	8763.00	8706.52	58.14#







1	2	3	4	5
2009-10	9050.00	8991.86	9018.37	66.93##
2010-11	9000.00	8933.07	9001.23	71.92###

- (*) नकारात्मक आंकडा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधियों पर योजना व्यय का अधिशेष दर्शाता है। अतिरिक्त बजटीय स्रोतों का यदि कोई है तो, समायोजन करने के बाद अंतशेष बनाया जाता है।
- (**) 31.3.2004 तक के अंतरोष में एच पी एल सी एम एस-एम एस उपस्कर खरीदने के लिए एसैड निधि से प्रतिपूर्ति की गई। ₹ 6.00 लाख की राशि शामिल है जो मूल रूप से वर्ष 2002-03 की योजना निधियों से खर्च की गई।
- (#) 31,3,2009 तक के ₹ 58,14 लाख अंतरोष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुदेशानुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधियों के सामान्य जमा पर प्राप्त ₹ 25,00 लाख का ब्याज शामिल है।
- (##) 31,3.2010 तक के ₹ 66.93 लाख अंतरोष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आदेशानुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि के सामान्य जमा पर प्राप्त ₹ 35,30 लाख का ब्याज शामिल है।
- (###) 31.3.2010 तक के ₹ 71.92 लाख अंतरोष में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त योजना निधि के मुख्य जमा पर प्राप्त ₹ 73.15 लाख का ब्याज शामिल है।

5.0. पंजीकरण

एम पी ई डी ए अधिनियम व नियम के सांविधिक प्रावधानों के तहत 2010-11 के दौरान प्राधिकरण ने निर्यातकों, मत्स्यन यानों, संसाधन संयंत्रों, शीत भंडारों तथा हैंडलिंग केंद्रों आदि के पंजीकरण/विपंजीकरण का काम जारी रखा। विभिन्न संवर्गों के तहत दिनांक 31.3.2001 तक किए गए पंजीकरणों एवं विपंजीकरणों के विवरण नीचे दिए जाते हैं:-

1.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि के दौरान किए गए पंजीकरण, विपंजीकरण एवं रद्दीकरण

संवर्ग	01.04.2010 तक पंजीकृत	किया गया पंजीकरण	किया गया विपंजीकरण	किया गया रद्दीकरण	31.03.2011 तक पंजीकृत	क्षमता मे.टन में
1	2	3	4	5	6	7
निर्माता निर्यातक	403	51	16	12	426	ला.न
व्यापारी निर्यातक	428	93	34	22	465	ला.न
मार्गस्थ व्यापारी निर्यातक	27	7	1	2	31	ला.न
आलंकारिक मत्स्य निर्यातक	50	8	7	0	51	ला.न
मत्स्यन यान	6809	1409	52	27	8139	ला.न
संसाधन संयंत्र	411	18	13	0	416	15621.33
हिम संयंत्र	65	9	1	0	73	2016.80







prain form
Y
-JADIA - LLI
एमपीर्दद्वीए

1	2	3	4	5	6	7
पीलिंग शेड	586	20	15	0	591	5474.84
वाहन	154	6	1	0	159	1112.77
भंडारण	490	28	19	0	499	170011.91
ताजा/शीतित मत्स्य	27	4	0	0	31	1417.40
जिन्दा मत्स्य हैंडलिंग केंद्र	24	8	3	1	28	2347.73
लवणित/सूखा मत्स्य हैंडलिंग केंद्र	43	8	1	0	50	1020.98

6.0. बाज़ार संवर्धन

6.1. बाज़ार सेवाएँ

6.1.1. प्रशीतित उष्णजल श्रिम्प आयात पर यू एस एन्टी डंपिंग शुल्क

भारतीय प्रशीतित श्रिम्प पर लगाए गए एन्टी डॉपेंग शुल्क पर सनसेट पुनरवलोकन के लिए अपेक्षित सूचना, यू एस आई टी सी सनसेट पुनरवलोकन के उत्तर में प्रश्नावली फाइल करने के लिए अटार्नी को दी गई।

यू एस डी ओ सी ने एन्टीडंपिंग शुल्कों के रद्द किए जाने पर डंपिंग पुनरावृत्ति की संभाव्यता की जाँच की एवं निर्णय लिया कि ऐसे रद्दीकरण से डंपिंग जारी रह सकता है या उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। अतः निश्चय किया कि दिनांक 1.2.2005 में निर्धारित 10.17% के एन्टी डॉपेंग शुल्क की मूल दर, प्रारंभिक प्रतिवादी के अलावा निर्यातकों के लिए भी लागू रहेगी।

फलस्वरूप, यू एस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद ने दिनांक 5 अगस्त 2010 की अपनी अधिसूचना में, ब्रसील, चीन, भारत, थाईलैंड एवं वियतनाम देशों के प्रशीतित उष्णजल श्रिम्प पर एन्टी डंपिंग शुल्क के आदेशों को रद्द किए जाने से एक यथोचित अनुमानित समय के भीतर भौतिक क्षति का पुनरारंभ या उसकी पुनरावृत्ति होती है या नहीं इसका पता लगाने हेत् 1930 (19 यू एस सी 1675 (सी) (5)) (अधिनियम के शुल्क अधिनियम की धारा 751 (सी) (5) के अनुसरण में, इन देशों के प्रशीतित उष्णजल श्रिम्प पर एन्टी डंपिंग शुल्क के आदेशों के सम्बन्ध में पूरी पंच वर्षीय समीक्षाओं की समय-सारणी के नियतन के लिए नोटिस दी।

यू एस आई टी सी ने अपनी सनसेट समीक्षा के पश्चात् 5 -1 वोट दिया कि, एन्टी डंपिंग ड्यूटी रद्द किए जाने से घरेलू श्रिम्प उत्पादन उद्योग को नुकसान पहुँचने की संभावना है। इसका अर्थ है कि ए डी डी अगले 5 वर्षों अर्थात् अगले सनसेट पुनरवलोकन तक भारत सहित 5 प्रतिवादी राष्ट्रों के लिए जारी रहेगा।

यू एस डी ओ सी ने 1.2.2009 से 31.3.2010 तक की अवधि में एन्टी डिंपिंग पर पाँचवें प्रशासनिक पुनरवलोकन के प्रारंभिक परिणाम की घोषणा भी की। चतुर्थ पुनरवलोकन के बाद समीक्षा विशेष औसत दर 2.67% से 1.67% में लाई गई।

एन्डी डंपिंग के छठवें प्रशासनिक पुनरवलोकन पर यू एस वाणिज्य विभाग से प्राप्त अधिसूचना व्यापारियों को भी परिचालित की गई।

6.1.2. रिटोर्ट पाउच उत्पादों को डी ई पी वी लाभ

डिब्बाबंद समुद्री उत्पादों एवं रिटोर्ट पाउच समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यातकों से प्राप्त यह प्रतिवेदन कि डी जी एफ टी अधिकारियों ने ये उत्पाद ग्रूप मत्स्य एवं मात्स्यिकी उत्पादों के अधीन उपयुक्त न होने के कारण डी ई पी बी देने से इन्कार कर दिया है, को डी ई पी बी लाभ के लिए इन्हें अर्ह मदों के रूप में शामिल किए जाने हेतु वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के समक्ष रखा।







6.1.3. ब्याज आर्थिक सहायता में संशोधन

प्रमुख निर्यातकों ने प्रतिवेदन किया है कि भारतीय रुपये के मूल्यवर्धन की वजह से कुछ बैंक दस्तावेजों के मोलतोल करने तथा ऋण सुविधाओं को बढाने के लिए अनिच्छुक हैं। उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए एम पी ई डी ए ने ब्याज आर्थिक सहायता की मौजूदा 2% दर को 2.75% तक बढाने की सिफारिश की है।

6.1.4. योजनाएँ

1) समुद्री भाडा सहायता योजना

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल्य वर्धित समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए 73 निर्माता निर्यातकों को इस योजना के तहत ₹ 9.54 करोड़ की सहायता दी गई।

2) लॉगो संवर्धन योजना

दिनांक 7.1.2011 को आयोजित सिमिति ने मेसर्स निला सी फुड्स लिमि. तूत्तिकोरिन को जापान में एम पी ई डी ए गुणता लॉगो के साथ उनके दो मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के संवर्धन के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ₹ 8,63,072 प्रदान करने की सिफारिश की।

3) संसाधन कामगरों के लिए बीमा कवरेज

वर्ष 2010-11 के दौरान 13,367 कामगरों को इस योजना के तहत लाया गया। एक मृत्यु एवं 30 चिकित्सा दावे के लिए कुल ₹ 1,57,442 भी वितरित किए गए।

यह योजना यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमि. कोच्ची के सहयोग के साथ चालू है। यह योजना 1 जनवरी 2011 से ₹ 200 के उसी प्रीमीयम के साथ संशोधित की गई है।

संशोधित योजना के तहत अप-मृत्यु लाभ ₹ 50,000 से ₹ 1,00,000 तक तथा चिकित्सा दावा ₹ 10,000 से ₹ 20,000 तक बढा दिया गया है। दुर्घटना में स्थाई एवं आंशिक विकलांगता भी शमिल है।

4) आलंकारिक/अक्वेरियम मत्स्यों के निर्यात के लिए विकास सहायता

वर्ष 2010-11 के दौरान इस योजना के तहत 10 निर्यातकों को ₹ 14.72 लाख की सहायता दी गई।

6.1.5. व्यापारिक शिकायतें

वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त 16 व्यापारिक शिकायतों में से 7 शिकायतों का निपटारा किया गया।

6.1.6. व्यापारिक पूछताछ

वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त 163 व्यापारिक पूछताछ व्यापारियों के बीच परिचालित की गईं।

6.1.7. अन्य

इंडिया ई यू - बी टी आई ए नेगटीव लिस्ट पर निवेश, इंडिया ई एफ टी ए व्यापार करार तथा मेरकुसोर के इंडियन विश लिस्ट, कोरियन एस पी एस मार्गदर्शन पर टिप्पणी, 2014 तक निर्यात को दुगना करने के लिए योजना, 2011-12 के लिए मुख्य लक्ष्य आदि एम ओ सी आई को प्रदान किए गए। एस पी एस/टी बी टी चैप्टरों पर भारत इ यू बी टी आई ए समझौते के तहत भारतीय निर्यात अभिरुचि की दृष्टि से उत्पादों को पहचानने के लिए एम ओ सी आई को टिप्पणियां भी प्रस्तुत की गईं।









केरल स्टेट सहकारिता मात्स्यिकी संघ विकास लिमि (मत्स्यफेड) से प्राप्त एक प्रतिवेदन के आधार पर उनकी नेट फैक्टरी की उत्पादन सीमा के विकास के लिए तथा कण्णूर, केरल में प्रस्तावित उनकी नई नेट फैक्टरी के लिए भी उच्च गुणतावाली मशीनों के आयात के लिए शुल्क में छूट हेतु नेट निर्माण मशीनरी के आयात के लिए 0% ई पी सी जी योजना पर विचार करने के लिए एम पी ई डी ए ने, डी जी एफ टी से सिफारिश की।

6.2. प्रचार एवं बाज़ार संवर्धन

6.2.1. भारत एवं विदेश के मेलाओं में भागीदारी

वर्ष 2010-11 के दौरान एम पी ई डी ए ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मेलाओं में भाग लिया:-

- 1. यरोपीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, ब्रसल्स, 27-29 अप्रैल 2010
- 2. 12 वीं जापान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, टोकियो, जापान, जुलाई 21-23, 2010 (टी पी ओ द्वारा आयोजित)
- 3. एशियन फिशरीस प्रदर्शनी, हाँगकोंग, 7-9 सितंबर 2010
- 4. सियाल मेला, पैरिस, 17-21, अक्तूबर 2010
- 5. दुबाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य एवं मात्स्यिकी प्रदर्शनी, 25-27 अक्तूबर 2010
- चीनी मात्स्यिकी एवं समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, चीन, 2-4, नवंबर 2010
- बुसान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य एवं मात्स्यिकी प्रदर्शनी, दक्षिण कोरिया, 11-13 नवंबर 2010
- अंतर्राष्ट्रीय बोस्टन समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, न्यूयोर्क, 20-22, मार्च 2011

अंतर्राष्ट्रीय मेलाओं में सहभागिता भारत को नए उत्पादों, संसाधन, मत्स्यन, जलकृषि पर उन्नत प्रौद्योगिकी आदि का परिचय कराने का एक सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। नए बाज़ारों में प्रवेश करने के लिए व्यापार को एक अवसर भी मिलता है। अलावा इसके, आयातक, भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के आयात में बहुत उत्सुक प्रतीत होते हैं। भारतीय भागीदारों का व्यापार अच्छा रहा क्योंकि बडी तादाद में लोग भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों पर चर्चा करते नज़र आए।

भागीदारों ने रिपोर्ट किया है कि विभिन्न देशों से बडी तादाद में समुद्री खाद्य आयातकों के प्रतिनिधियों ने एम पी ई डी ए स्टाल का संदर्शन किया तथा भारत के प्रशीतित उत्पादों, विशेषतः मत्स्य मदों के स्रोत के बारे में पूछताछ की। भारत के कुछ निर्यातकों ने वहीं पर व्यापारिक पूछताछों के जवाब भी दिए। प्रदर्शनी के दौरान बडी संख्या में प्राप्त पूछताछ, व्यापारियों को वेबसाइट एवं एम पी ई डी ए प्रकाशन, न्यूसलेटर द्वारा दिए गए।

6.2.2. प्रतिनिधि मंडल का दौरा

अध्यक्ष, एम पी ई डी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने महासचिव, एस ई ए आई के साथ अक्तूबर 2010 के दौरान जापान का दौरा किया।

भारत में पंजीकरण तथा कॉपीराइट/ट्रेड मार्क के साथ एम पी ई डी ए के गुणता लॉगो का पंजीकरण किया गया। बाद में लॉगो का पंजीकरण सभी तीन मुख्य बाज़ारों में अर्थात् यू एस ए, यूरोपीय संघ एवं जापान में किया गया। लॉगो प्रदान किए गए भारत के प्रथम निर्माता निर्यातक है - मेसर्स निला सी फुड्स तथा जापान में प्रतिनिधि मंडल के दौरे के दौरान अध्यक्ष, एम पी ई









श्रीमती के एम वीणा, संयुक्त निदेशक, एम पी ई डी ए तथा श्री के एन विमलकुमार, उप निदेशक (सांख्यिकी) बुसान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी 2010 में एम पी ई डी ए स्टॉल में एक संदर्शक के साथ चर्चा करते हुए



श्री सुबोध कांत सहाय, खाद्य संसाधन उद्योग मंत्री (आर), नई दिल्ली - सी आई आई प्रदर्शनी 'भारत संसाधित खाद्य- एड़वांटेड 2010' में एम पी ई डी ए स्टॉल का संदर्शन करते हुए

डी ए ने जापान में लॉगो संवर्धन कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह कार्यक्रम ग्राहकों के बीच उत्पाद के महत्व को उजागर करने के लिए मेसर्स निला सी-फुड्स के साथ साथ जापानी बाज़ार में थोकदारों एवं खुदरा व्यापारियों को सहायक होगा। इस तरह पकड़ने से लेकर भोजन परोसने तक सर्वेश्रेष्ठ गुणता सुनिश्चित की जा सकती है।

दिनांक 21-24 फरवरी 2011 के दौरान एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल जिसमें संयुक्त निदेशक (वि) एवं उप निदेशक (वि) थे, ने मौरिशियस का दौरा किया। अधिकारियों ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, मौरीशियस सरकार, मौरीशियस के भारतीय राजदूतावास के उच्चायुक्त एवं उप उच्चायुक्त मौरीशियस के समुद्री खाद्य आयातक, निवेश बोर्ड आदि के साथ चचाएँ कीं। इससे समुद्री खाद्य व्यापार के लिए व्यवसाय के कई अवसर खुल गए जिन्हें भावी प्रतिनिधि मंडलों द्वारा और मज़बूत किया जाएगा।

6.2.3. इन्फोफिश शासी परिषद बैठक

संयुक्त सचिव, एम ओ सी आई के साथ दिनांक 13-15 सितंबर 2010 के दौरान बाँगकोक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्डट्यूना ट्रेड कॉनफॅरेन्स व एक्सिबिशन में अध्यक्ष, एम पी ई डी ए ने भाग लिया।











गुणता लॉगो

6.2.4. स्वदेशी मेलाओं में सहभागिता

इस अवधि के दौरान एम पी ई डी ए ने मात्स्यिकी क्षेत्र की बृहत संभाव्यताओं तथा इस क्षेत्र के निवेश अवसरों के प्रचार के लिए 16 स्वदेशी मेलाओं में भाग लिया।

इन प्रदर्शनियों में भाग लेने से बाज़ार प्रवेश अवसरों तथा भारत के बाज़ार हिस्सा बढाने और मज़बूत बनाने के लिए विभिन्न मात्स्यिकी से संबंधित अभिकरणों के साथ आपसी चर्चा के लिए एम पी ई डी ए को एक अच्छा अवसर मिला था।

6.2.5. मुद्रण कार्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशनों/पुस्तिकाओं आदि का प्रकाशन किया गया:-

- 1) कॉर्परेट बुकलेट
- 2) भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यातक निदेशिका
- 3) जापानी में भारतीय समुद्री खाद्य सर्वर्धन पुस्तिका
- 4) चिरस्थाइता के साथ निर्यात (लघु पुस्तिका)
- 5) जलकृषि/आलंकारिक मत्स्य के लिए एम पी ई डी ए इमदाद योजनाओं पर पत्रक
- 6) अक्वा अक्वेरिया इंडिया पत्र शीर्ष आदि
- 7) अक्वा अक्वेरिया स्मरणिका

6.2.6. विज्ञापन देना

2010 अप्रैल से मार्च 2011 तक के दौरान विदेशी बाज़ार में भारतीय समुद्री उत्पादों को विपुल प्रचार देने के लिए 86 आंतरिक एवं 21 बाहरी विज्ञापन दिए गए तथा भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी, अक्वा अक्वेरिया इंडिया जैसे इवेंट के संवर्धन के लिए प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं आदि में भी विज्ञापन दिए गए।







6.2.7. विद्यार्थियों/प्रतिनिधि मंडल का दौरा

27 शैक्षिक/अन्य संस्थानों से विद्यार्थियों/अधिकारियों ने एम पी ई डी ए के कार्यकलापों से परिचित होने के लिए एम पी ई डी ए का दौरा किया एवं एम पी ई डी ए के अधिकारियों ने उन्हें संक्षिप्त विवरण दिया।

श्रीलंका से 10 एफ ए ओ सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एम पी ई डी ए कार्यकलापों से परिचित होने के लिए एम पी ई डी ए का दौरा किया ।

6.2.8. अक्वा अक्वेरिया भारत 2011

एम पी ई डी ए ने 6-8 फरवरी 2011 के दौरान चेन्नई ट्रेड सेन्टर, चेन्नई में अक्वा अक्वेरिया भारत का पहला संस्करण-अक्वाकल्चर एवं अक्वारिकल्चर के एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय इवेन्ट का आयोजन किया। एम पी ई डी ए इन 2 इवेन्टों, अर्थात् इन्डक्वा का द्वैवार्षिक रूप से एवं इन्डअक्वेरिया का वार्षिक रूप से आयोजन करता आ रहा है।



सुश्री. लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए स्वागत भाषण करती हुई

तीन दिवसीय इवेंट में अक्बाकल्चर एवं आलंकारिक मत्स्य के विख्यात अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ द्वारा आयोजित तकनीकी सत्र शामिल थे तथा दोनों क्षेत्रों में तकनीकी तथा विपणन सहायता दी गई। अंतर्राष्ट्रीय तथा भारतीय प्रतिनिधियों और प्रदर्शकों के अलावा इस इवेन्ट में श्रिम्प तथा आलंकारिक मत्स्य कृषि में भिन्न राज्यों से 800 से ज्यादा कृषकों ने भाग लिया। दोनों क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी एवं पद्धितयों की प्रगित के बारे में सीखने के लिए इस प्रदर्शनी ने कृषकों को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए। इस मेले में बडी तादाद में प्रदर्शकों ने भाग लिया। कुल 230 स्टॉलों से कुछ स्टॉल, मात्र अक्वाकल्चर, आलंकारिक मत्स्य, मशीनरी एवं उपस्कर, चारा, पैकेजिंग, संयोजी, अक्वेरियम उपांग उपकरण, अक्वा उत्पादों के लिए थे, जिनमें नवीनतम प्रवृत्ति तथा प्रौद्योगिकी भी प्रदर्शित की गई। एम पी ई डी ए के विभिन्न विस्तारण कार्यकलाप, गली नाटक एवं अन्य दृश्य माध्यम द्वारा प्रदर्शित किए गए, जिससे बहुत अधिक दर्शक आकर्षित हुए। स्कूल विद्यार्थियों के लिए अक्वेरियम की स्थापना हेतु अलग प्रदर्शन आयोजित किया गया तथा इसमें करीब सौ विद्यार्थियों ने भाग लिया।

6 फरवरी 2011 को प्रो. के.वी. तोमस, माननीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक वितरण राज्य मंत्री ने कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान खारापानी आलंकारिक मत्स्यों के हरित प्रमाणीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रकाशित किया तथा डॉ









प्रो. के.वी. तोमस, माननीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य व लोक वितरण राज्यमंत्री, भारत सरकार प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए। सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए (दायें) एवं श्रीमती एम पी निर्मला, आई ए एस, सचिव (मात्स्यिकी) तमिलनाडु सरकार (बायें) भी दिखाई दे रही हैं

दामोदर राउत, माननीय कृषि, सहकारिता, मात्स्यिकी एवं ए आर डी मंत्री, उडीसा सरकार ने आलंकारिक मत्स्य प्रजनकों/ व्यापारियों की निदेशिका प्रकाशित की। विविध किस्मों के मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के सर्वोत्तम निष्पादन के लिए वर्ष 2009- 10 के निर्यात पुरस्कार भी वितरित किए गए। प्रो. के.वी. तोमस ने जलकृषि एवं आलंकारिक मत्स्यों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।



डॉ. दामोदर राउत, माननीय कृषि, सहकारिता व मात्स्यिकी मंत्री, उड़ीसा सरकार आशंसा भाषण देते हुए

7 फरवरी अपराह्न को आलंकारिक मत्स्य प्रजनकों, व्यापारियों एवं निर्यातकों के लिए एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई तथा भारतीय उद्यमकर्ताओं को यू.के., जर्मनी, नेथरलैंड, इस्रायेल एवं जापान के विदेशी क्रेताओं के साथ संयुक्त उद्यम एवं व्यवसाय-संबंध विकसित करने का एक बेहतरीन प्लैटफार्म प्रदान किया।

इस इवेन्ट में विविध राज्यों से कुल 1300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।









श्री श्रीपद भालेराव, आई ए एस, विशेष मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार आशंसा भाषण देते हुए



अक्वा अक्वारिया 2011 - प्रदर्शन स्टॉलों का एक दृश्य

7.0. कैप्चर मात्स्यिकी

देश के समुद्री उत्पाद निर्यात में कैप्चर मात्स्यिकी सेक्टर की मुख्य भूमिका है। चूँिक तटवर्ती जलाशयों का अधिकतम उपयोग हो चुका है, अतः बाद में तटदूर जलाशयों के उपयोग पर ध्यान दिया गया है तथा गभीर सागर मत्स्यन विशेषतः टयूना एवं अन्य अल्प प्रयुक्त किस्मों पर खास ज़ोर दिया गया है। यह प्रतीक्षा की जाती है कि भारत आगामी वर्षो में संपदाओं के चिरस्थाई प्रबंधन द्वारा अपनी संभाव्यताओं का अधिकतम उपयोग करेगा एवं विश्व बाज़ार में ट्यूना के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभर आएगा।

कैप्चर मात्स्यिकी द्वारा निर्यात उत्पादन बढ़ाने हेतु एम पी ई डी ए द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

7.1. मौजूदा मत्स्यन यानों को ट्यूना लोंग लाइनरों में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय सहायता :

यह योजना मत्स्यन यान मालिकों को मौजूदा मत्स्यन यानों को ट्यूना लोंग लाइनरों में परिवर्तित करके मोनो फिलामेन्ट लोंग लाइन प्रणाली के उपयोग से विविधीकृत मत्स्यन के तहत गभीर समुद्री ट्यूना के संग्रहण को प्रोत्साहन करने के लिए है।

वर्ष 2010-11 के दौरान 126 यानों को ट्यूना लोंग लाइनरों में परिवर्तित किया गया। ₹ 508 लाख की कुल वित्तीय सहायता दी गई।









7.2. नए ट्यूना लोंग लाइनरों के निर्माण के लिए ब्याज इमदाद योजना :

प्राधिकृत वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करके ट्यूना लोंग लाइनरों के निर्माण के लिए मछुआरों को प्रोत्साहन देना इस योजना का लक्ष्य है। वर्ष 2010-11 के दौरान इस शीर्ष के तहत कोई इमदाद प्रदान नहीं की गई है, तथापि, कुछ लाभग्राहियों ने इस प्रयोजन के लिए बैंक से ऋण प्राप्त किया है।

7.3. यंत्रीकृत मत्स्यन यानों में रोधीकृत/रिफ्रजरेटड फिश होल्ड/रिफ्रजरेटड समुद्रीजल प्रणाली (आर एस डब्ल्यू) तथा बर्फ बनानेवाली मशीन के संस्थापन के लिए वित्तीय सहायता :

यह योजना, पकड का बेहत्तर परिरक्षण करने तथा उसके द्वारा निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए मछुआरों की सहायता करने पर लक्षित है। यह बह दिवसीय मत्स्यन करने तथा संग्रहणोत्तर हानि कम करते हुए पकड को बेहतर गुणवत्ता में लाने में मछुआरों की सहायता करेगी। वर्ष 2010-11 के दौरान इस योजना के तहत, 220 यान मालिकों की सहायता की गई तथा इमदाद के रूप में ₹ 115.12 लाख की राशि प्रदान की गई।

7.4. पकड प्रमाणपत्र योजना

ई यू नियमन 1005/2008 के तहत आनेवाली पकड प्रमाणपत्र योजना अवैध, गैर रिपोर्ट किए तथा अनियमित (आई ई यू) मत्स्यन का निरोध करने, उसे रोकने तथा दूर करने के लिए बनाई गई है। यह आई यू यू विनियमन का एक अभिन्न अंग है जो ई यू समुदाय के साथ व्यापार किए जानेवाले सभी मात्स्यिकी उत्पादों की अनुमार्गणीयता का सुधार करेगा। यह अनुरक्षण तथा प्रबन्धन उपायों के साथ उनके अनुपालन का नियंत्रण भी सुचारू करेगा। पकड प्रमाणपत्र योजनाओं के मुख्य लक्ष्य हैं:

- 1. उत्पादन के सभी चरणों पर अनुमार्गणीयता सुनिश्चित करना ।
- अनुरक्षण तथा प्रबन्धन नियमों के अनुपालन का एक साधन तथा
- इस प्रकार के उत्पादों के संसाधन तथा विपणन करनेवाले देशों के बीच सहयोग का समर्थन करना ।

इस प्रमाणपत्र के द्वारा निर्यातक यह प्रमाणित करेगा कि समुद्री मात्स्यिकी उत्पादों को लागू नियमों, विनियम तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुरक्षण एवं प्रबन्धन उपायों के अनुसार पकडा गया है। यह पकड प्रमाणपत्र फ्लैग स्टेट के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैधीकृत किया जाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 11.12.2009 के पत्र सं.10/1/2009-ई पी (एम पी) के जरिए पकड प्रमाणपत्र के वैधीकरण के लिए भारत में सक्षम प्राधिकारी एम पी ई डी ए है।

31.3.2011 के अनुसार (जनवरी 2010 से) हमने अपने फील्ड कार्यालयों द्वारा 11301 पकड प्रमाणपत्रों को वैधीकृत किया।

7.5. गुजरात के मछुआरों को सहायता

घर चलानेवालों के कैदी बने रहने की स्थिति के कारण होती कठिनाइयों को सुधारने तथा पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा नाव पकडे जाने के कारण होनेवाली आजीविका समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार से पी एम एन आर निधि तथा एम ओ ए योजना द्वारा सहायता उपलब्ध की गई। प्रधान मंत्री कार्यालय ने इस योजना के लिए कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में एम पी ई डी ए को निर्दिष्ट किया है।

इस योजना के तहत, वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध करके पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए नावों को बदलने के लिए इच्छुक नाव/ट्रॉलर मालिकों को यान की लागत का 30 प्रतिशत या अधिकतम ₹ 6 लाख की पूँजी इमदाद।







आवेदनों की संवीक्षा करके एम पी ई डी ए द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद कृषि मंत्रालय के सुलभ ऋण पैकेज के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध की जाएगी।

ख) पूँजी इमदाद के अलावा, प्रत्येक लाभग्राही, प्रतिस्थापन के लिए नए मत्स्यन यान के अर्जन हेतु उपांतिक धन के रूप में पी एम ओ निधि से ₹ 5 लाख के एकमुश्त अनुदान के लिए अर्ह है। एम ई ए ने 326 मत्स्यन यान मालिकों को खोज निकाला है जिनके अपने मत्स्यन यान पाकिस्तान में नष्ट हो गए।

एम पी ई डी ए ने गुजरात के 11 मत्स्यन यान मालिकों को उनके मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 121 लाख दिलवाने की सहायता की (कृषि मंत्रालय से ₹ 66 लाख और पी एम एन आर निधि से ₹ 55 लाख)।

7.6. यू एन सी टी ए डी परियोजना का कार्यान्वयन

वर्ष 2010-11 के दौरान, आलंकारिक मत्स्य प्रजनकों एवं निर्यातकों के लाभार्थ, देश के विभिन्न भागों में निर्यात के लिए आलंकारिक मत्स्यों के संग्रहणोत्तर तकनीकों पर 10 अग्रवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। यू एन सी टी ए डी की सहायता के साथ मुद्रित आलंकारिक मत्स्य प्रजनकों/व्यापारियों की निदेशिका फरवरी 2011 में चेन्नई में आयोजित अक्वा अक्वेरिया इंडिया 2011 के दौरान प्रकाशित की गई।

क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केन्द्रों (अक्वा) द्वारा श्रिम्प फार्मो में प्रतिजैविकी अपशिष्ट और सूक्ष्मजीव पर 10 अवबोध कार्यक्रम आयोजित किए गए।

8.0. कल्चर मात्स्यिकी

8.1. जलकृषि द्वारा निर्यात उत्पादन

वर्ष 2010-11 के दौरान देश से किए जाने वाले समुद्री खाद्य निर्यातों में जलकृषि उत्पादन का योगदान महत्वपूर्ण बना रहा। वर्द्धित उत्पादन मुख्य रूप से ब्लैक टाइगर के मामले में प्रित इकाई क्षेत्र औसतन उत्पादकता में एक उपांतिक वृद्धि, रोग के होने में तुलनात्मक कमी तथा बेहतर प्रबन्धन प्रक्रियाओं को अपनाने से होता है। विदेशी एस पी एफ एल वन्नामेई को सन्निविष्ट करने के साथ आंध्रप्रदेश, तिमलनाडु, गुजरात एवं महाराष्ट्र के जल कृषकों ने वर्ष 2010-11 के दौरान एल वन्नामेई श्रिम्प की कृषि के लिए 2930.32 हे. क्षेत्र का उपयोग किया जिसका भी देश के समुद्री खाद्य निर्यात की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

8.1.1. जलकृषि उत्पादन की स्थिति

एम पी ई डी ए के क्षेत्रीय केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार तटवर्तीय राज्यों, तटीय एवं अन्तःस्थलीय क्षेत्रों के जलकृषि उत्पादन में श्रिम्प जलकृषि के महत्वपूर्ण योगदान के साथ 2009-10 की तुलना में उत्पादन में 39.71 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि, टाइगर श्रिम्प फार्मों से सुधरे संग्रहण, परंपरागत फार्मों, ग्रामीण तालाबों, जल संभरणियों एवं पाडशेखरों से स्कैम्पी के विद्धित उत्पादन तथा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एल वन्नामेई के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि आदि के परिणाम स्वरूप हैं।

8.1.2. श्रिम्प उत्पादन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान टाइगर श्रिम्प का कुल अनुमानित उत्पादन 113852.39 हे. क्षेत्र से लगभग 118575.00 मे.टन है। श्रिम्प कृषि क्षेत्र तथा उत्पादन का राज्यवार ब्योरा तालिका-1 में दिया जाता है:

गत वर्ष 102259.98 हे. क्षेत्र से 95,918.89 मे.ट के उत्पादन की तुलना में श्रिम्प उत्पादन में 22656 मे.ट अर्थात् 23.62% वृद्धि हुई जबिक 11,592.41 हे. अतिरिक्त क्षेत्र कृषि के अधीन लाया गया जिससे अतिरिक्त उत्पादन तथा क्षेत्र









तालिका - 1: श्रिम्प उत्पादन का राज्यवार विवरण - 2010-11

क्रम सं	राज्य	विकसित क्षेत्र (हे.)	उपयोग किया गया क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.ट)	उत्पादकता (मे.ट/हे./वर्ष)
1	पश्चिम बंगाल	51,659.00	47588.00	40725.00	0.86
2	उडीसा	15174.00	5324.00	7520.00	1.41
3	आंध्रप्रदेश	58,145.00	42055.00	49030.00	1.17
4	तमिलनाडु	6,109.00	2281.16	4020.00	1.76
5	केरल	15,099.39	11787.90	8075.00	0.69
6	कर्नाटक	3708.84	1715.00	2090.00	1.22
7	गोआ	867.00	305.80	320.00	1.05
8	महाराष्ट्र	1,329.56	829.88	1120.00	1.35
9	गुजरात	2,247.92	1965.65	5675.00	2.89
	कुल	1,54,339.91	1,13,852.39	1,18,575.00	1.04

उपयोगिता में 11.34% की वृद्धि का योगदान हुआ। इसका श्रेय जलकृषकों द्वारा बेहतर प्रबन्धन प्रक्रियाएं अपनाने, कल्चर्ड श्रिम्प के लिए वर्धित माँग तथा आयातक देशों की आर्थिक स्थिति का पुनरुत्थान जिसके परिणामस्वरूप वर्द्धित इकाई मुल्य तथा उत्पादकों को बेहतर कच्चा माल मूल्य का प्रस्ताव दिए जाने को जाता है। यह अनुमानित है कि वर्ष 2009-10 से लगभग 682.00 करोड की वृद्धि के साथ वर्ष 2010-11 के दौरान 3080.00 करोड मूल्य के श्रिम्प का निर्यात किया गया (तालिका-2)।

तालिका - 2: जलकृषि द्वारा श्रिम्प उत्पादन

वर्ष	जिन्दा वज़न (मे.ट)	उत्पाद वज़न (मे.ट)	अनुमानित मूल्य (₹ करोड में)
2009-2010	95,918.89	60,429.00	2,398.00
2010-2011	1,18,575.00	74,702.00	3,080.00
वृद्धि	22,656.11	14,273.00	682.00
% में अन्तर	23.62	23.62	28.44

बेहतर प्रबन्धन प्रक्रियाएं अपनाने में जलकृषकों को प्रोत्साहित करने तथा जैव सुरक्षा नवाचार अपनाने में एम पी ई डी ए द्वारा किए गए प्रयास से प्रति इकाई क्षेत्र का औसतन श्रिम्प उत्पादन प्रति हेक्टर 940 कि.ग्रा. तक सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान मिला जिसके परिणाम स्वरूप प्रति हेक्टर 10.6% उत्पादकता की वृद्धि हुई।

गुजरात में उत्पादन में एक महत्वपूर्ण वृद्धि नोट की गई जहाँ उत्पादकता वर्ष 2009-10 में 1.88 मे.ट प्रति हे.से 2010-11 में 2.89 मे.ट प्रति हेक्टर हुई जो 53.6% होता है।









जैव सुरक्षित श्रिम्प फार्म का एक दृश्य

8.1.3. एल वन्नामेई उत्पादन

प्रजनन हेतु एस पी एफ एल वन्नामेई ब्रूड स्टॉक के आयात के लिए 24 हैचरियों को अनुमित पत्र जारी करके विदेशी एस पी एफ एल वन्नामेई को सावधानी पूर्वक देश में लाने के बाद, आयातित ब्रूड स्टॉक के संगरोध का कार्य आर जी सी ए, नीलंकरै, चेन्नै के अक्वाफार्म में ले लिया गया जहाँ मत्स्यों को ओ आई ई सूचीबद्ध पाथोजेन के लिए स्क्रीन किया गया और बाद में प्रजनन के लिए अनुमित प्राप्त हैचरियों को दिया गया। अनुमित प्राप्त 24 हैचरियों में से 21 में बीज उत्पादन शुरू किया गया है जो तटीय जलकृषि प्राधिकरण की शर्तों के अनुसार एल वन्नामेई कृषि के लिए अनुमित प्राप्त फार्मों को दिया गया।

वर्ष 2010-11 के दौरान 2930.32 हे. क्षेत्र में कृषि कार्य किया गया और 6.2 मे.ट/प्रति हे. औसतन उत्पादकता के साथ 18,247 मे.ट का उत्पादन हासिल किया गया। गुजरात से एल वन्नामेई के उच्चतर उत्पादन की रिपोर्ट प्राप्त हुई जहाँ सी ए ए द्वारा विनिर्दिष्ट सख्त जैव-सुरक्षा नवाचार के अन्तर्गत आनुक्रमिक आवर्तित प्रक्रियाओं द्वारा कृषि का संचालन किया गया जिसका परिणाम तालिका में दर्शाए अनुसार 11.3 मे.ट की उच्चतर उत्पादकता थी।

			, ¢	
क्रम सं	राज्य	उपयोगित क्षेत्र (हे)	उत्पादन (मे.ट)	उत्पादकता (मे.ट/हे./वर्ष)
1	गुजरात	63.60	717.00	11.3
2	महाराष्ट्र	93.62	508.00	5.4
3	आंध्रप्रदेश	2739.25	16913.00	6.2
4	तमिलनाडु	33.85	109.00	3.2
	कल	2930.32	18,247.00	6.2

तालिका - 3: वर्ष 2010-11 में लिटोपीनस वन्नामेई किष का राज्यवार विवरण

समुद्री खाद्य निर्यात को एल वन्नामेई के उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान रहा जो तालिका-4 में सूचित किए अनुसार लगभग ₹ 365 करोड मूल्य के 10,000 मे.ट से अधिक रहा। यह रिपोर्ट किया जाता है कि बड़े आकार के श्रिम्प का बड़ी मात्रा में संग्रहण किए जाने से औसतन पैदावार गत वर्ष से अधिक हुआ जिसका परिणाम प्रति कि.ग्रा. लगभग ₹ 200 के फार्म गेट मूल्य के लिए उच्चतर प्रतिफल मिला था।











एल. वन्नामई संग्रहण पर

तालिका - 4: जलकृषि द्वारा लिटोपेनियस वन्नामेई उत्पादन

वर्ष	जिन्दा वज़न (मे.ट)	उत्पाद वज़न (मे.ट)	अनुमानित मूल्य (₹ करोड में)
2009-2010	1,731.00	952,00	27.70
2010-2011	18,247.00	10,948.00	365.00
वृद्धि	16,516.00	9,996.00	337.30

8.1.4 स्कैम्पी

यद्यपि वर्ष 2009-10 की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्कैंपी उत्पादन में उपांतिक रूप से वृद्धि हुई तो भी वैज्ञानिक स्कैंपी कृषि के अधीन के उपयोग क्षेत्र में कमी हुई जिसका परिणाम उत्पादन में कमी थी। इस उत्पादन कमी के दो मुख्य कारण बताए जाते हैं - कृषि के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की कमी तथा संगृहीत उत्पाद को छोटी मात्रा में विपणन करने से होती कठिनाई आदि। तथापि यह पाया जाता है कि स्कैंपी के कुल उत्पादन में ग्रामीण तालाबों, जलाशयों तथा पाडशेखरों का महत्वपूर्ण योगदान है। वृद्धि का एक मुख्य कारण है बहुकृषि तालाबों एवं पाडशेखरों में जलकृषि कृषकों द्वारा प्रमुख कार्पस के साथ साथ स्कैंपी बीजों की कम संभरण सघनताओं को अपनाना तथा महाराष्ट्र, गुजरात के जलाशयों में स्कैंपी बीजों का रैंचन जिससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है तथा उत्पादन और निर्यात से जोडी जाती है। गत वर्ष के 6567.92 मे.ट के उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष का उत्पादन 8,778 मे.ट (तालिका-5 एवं तालिका-6) है जो गत वर्ष से 33.64% अधिक है तथा गत वर्ष से 33.33 की वृद्धि रजिस्टर करते हुए मूल्य ₹ 140.00 करोड है (तालिका-1)।

8.1.5. कुल जलकृषि उत्पादन

इस सेक्टर में निवेश करके कार्यकलापों को पुनरुज्जीवित करने में बढ़ती संख्या में कृषकों के प्रयास के कारण वर्ष 2010-11 के दौरान निर्यातोन्मुख जलकृषि से जलकृषि उत्पादन में पिछले वर्ष से बहुत सुधार हुआ है। जलकृषि से कुल उत्पादन अनुमानतः ₹ 3538 करोड के कुल मुल्य के साथ 1,45,600 मे.ट है जो गीले वज़न के प्रति कि.ग्रा ₹ 246.00 का औसतन फार्म गेट मुल्य होता है। उत्पादन पिछले वर्ष से क्रमशः मात्रा में 39.71 (41381.19 मे.ट) तथा मुल्य में 41.66 (₹1054.30 करोड) की वृद्धि दर्शाता है।







तालिका - 5: स्कैंपी कृषि का राज्यवार विवरण - 2010-11

क्रम सं.	राज्य	विकसित क्षेत्र (हे.)	उपयोग किया गया क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.ट)	उत्पादकता (मे.ट/हे./वर्ष)
1	पश्चिम बंगाल	5,300.00	3,355.00	2,258.00	0.67
2	उडीसा	3,786.00	516.81	475.00	0.92
3	आंध्रप्रदेश	10,913.00	863.50	688.00	0.80
4	तमिलनाडु	465.60	455.46	141.00	0.31
5	केरल	2,594.17	301.57	150.00	0.50
6	कर्नाटक	285.00	0.00	0.00	0.00
7	महाराष्ट्र	86.49	19.84	9.00	0.45
8	गुजरात	34.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	23,464.26	5,512.18	3,721.00	0.68

तालिका - 6: वर्ष 2010-11 में कृषि की परंपरागत पद्धतियों तथा जलाशयों द्वारा स्कैंपी का राज्य-वार उत्पादन

क्रम सं	राज्य	कृषि के प्रकार	उपयोग किया गया क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.ट)
1	पश्चिम बंगाल	बहु कृषि व गाँव का तालाब	1600	340.00
2	उडीसा	बहु कृषि व गाँव का तालाब	6825	917.00
3	आंध्रप्रदेश	बहु कृषि व जलसंभरणी	कोई रिपोर्ट नहीं	1500.00
4	केरल	पाडशेखरम	कोई रिपोर्ट नहीं	425.00
5	केरल	जलसंभरणी	कोई रिपोर्ट नहीं	145.00
6	महाराष्ट्र	जलसंभरणी	कोई रिपोर्ट नहीं	630.00
7	गुजरात	जलसंभरणी	कोई रिपोर्ट नहीं	1100.00
	कुल			5057.00

तालिका - 7: वर्ष 2010-11 में जलकृषि द्वारा स्कैंपी का उत्पादन

वर्ष	जिन्दा वज़न (मे.ट)	उत्पाद वज़न (मे.ट)	अनुमानित मूल्य (₹ करोड)
2009-2010	6,567.92	3,283.96	105.00
2010-2011	8,778.00	4,388.00	140.00
वृद्धि	2,210.08	1,104.04	35.00
% में अन्तर	33.64	33.62	33.33







तालिका -	8:	जलकिष	द्वारा	कल	श्रिम्प	ਰ	स्केंपी	उत्पादन
सामालायम -	O.	अलाकुमध	8171	47(1	コンファマ	ч	रजग्ना	अभादन

वर्ष	जिन्दा वज़न (मे.ट)	उत्पाद वज़न (मे.ट)	अनुमानित मूल्य (₹ करोड)
2009-2010	1,04,217.81	64,664.96	2,530.70
2010-2011	1,45,600.00	90,038.00	3,585.00
वृद्धि	41,382.19	25,373.04	1,054.30
% में अन्तर	39.71	39.24	41.66

यद्यपि अनुमानित किया जाता है कि अक़्वा फार्मो से उत्पादित सभी श्रिम्प/स्क्रैंपी/वन्नामेई का निर्यात किया जाएगा तथापि, देशी बाज़ार में भी आकर्षक एवं लाभकारी मूल्य के साथ समुद्रीखाद्य की बढ़ती माँग के कारण, उत्पादित कुछ मात्रा देशी बाज़ार में बिक्री के लिए उपलब्ध की जाएगी।

प्रोत्साहनजनक परिणाम देने वाले प्रदर्शन कार्यक्रमों को करते हुए समुद्री बैस एवं केकडा का संवर्धन करके फील्ड केंद्रों द्वारा जलकृषि कार्यकलापों को विविधीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। फील्ड कार्यालयों ने इसका समर्थन किया एवं आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान की तथा जहाँ कहीं आवश्यक हो, आर जी सी ए के सहयोग में अवबोध अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। निर्यात योग्य फिनफिश एवं शेलिफिश किस्मों के जलकृषि उत्पादन की रिपोर्टों को समाकिलत करके तालिका-9 में दिया जाता है:-

तालिका - 9: निर्यात योग्य फिनफिश एवं शेलिफिश उत्पादन का राज्यवार विवरण उ.क्षे (हे.) उपयोगित क्षेत्र हेक्टर में, उ. (मे.ट) उत्पादन मे.ट.में

राज्य		गुजरात	महाराष्ट्र	केरल	तमिलनाडु	आंध्रप्रदेश	उडीसा	पश्चिम बंगाल	न कुल
समुद्री बैस	उ.क्षे. (हे)		4000.00		12.40	एन.आर	11.28	25000	
	उ (मे.ट)		85.00		4.09	160.00	7.25	110.00	306.94
पंगासियस एस पी	उ.क्षे. (हे)	10.00	7.00	एन.आर		एन.आर		600.00	
	उ (मे.ट)	10.00	470.00	1330.50		एन.आर		500.00	2310.50
तिलापिया एस पी	उ.क्षे. (हे)			एन.आर					
	उ (मे.ट)			52.80					52.80
केकडा एस पी	उ.क्षे. (हे)			एन.आर	70.00	एन.आर	11.16	370.00	
	उ (मे.ट)			77.071	9.00	445.00	4.80	135.00	670.871
मस्सल	उ.क्षे. (हे)			एन.आर					
	उ (मे.ट)			19000				1	9,000.00
अन्य श्रिम्प	उ.क्षे. (हे)			एन.आर	23.00				
	उ (मे.ट)			3594.44	41.00				3635.44







8.2 संवर्धनात्मक कार्यकलाप

जलकृषि के विकास के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलाप की योजना, समन्वयन तथा संवीक्षा मुख्यालय से की जाती है तथा उचित छानबीन के बाद वित्तीय सहायता सिंहत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए फील्ड कार्यालयों को उचित मार्गदर्शन जारी किए गए हैं। विभिन्न सरकारी संस्थानों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क कार्य किया जाता है तथा निर्यात के लिए चिरस्थाई जलकृषि कार्यकलाप करने के प्रयास किए जाते हैं।

8.2.1 राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा) के कार्यकलापों का समन्वयनः

चिरस्थाई उत्पादन के लिए नाक्सा द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को लघु स्तरीय कृषकों द्वारा बेहतर प्रबन्धन प्रक्रिया अपनाते हुए सहर्ष स्वीकार किया गया, तािक चिरस्थाई उत्पादन एवं उपांतिक लाभ में सुधार प्राप्त किया जा सके। यह नोटिस किया गया है कि सहकारी प्रयासों द्वारा विद्युतीकरण तथा वातकों के इंतज़ाम जैसी अवसंरचना सुविधाओं को सुधारने हेतु कृषकों को सक्षम बनाते हुए इन फामों से उत्पादकता काफी बढ़ गई है तािक ये लघुस्तरीय कृषक काफी बचत प्राप्त कर सकते हैं। चालू वर्ष के दौरान 4008 कृषकों को सम्मिलित करके तथा 2593.06 हे. समाविष्ट करके 241 सोसाइटियाँ बनाने में नाक्सा सहायता एवं समर्थन दे सका। अब तक नाक्सा की सहायता से बनी सोसाइटियों की संख्या 772 हैं जिसमें 6 तटवर्ती राज्यों (आंध्रप्रदेश, तिमलनाडु, उडीसा, केरल, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल) में लगभग 15168 हे. (टी ए) क्षेत्र एवं 15930 कृषक समाविष्ट हैं।

इस वर्ष के दौरान पंजीकृत 109 सोसाइटियों सिंहत अब तक एम पी ई डी ए के साथ 317 सोसाइटियों ने अस्थाई तौर पर पंजीकरण किया है।

चालू वर्ष के दौरान सोसाइटी फार्मों के लिए विकसित प्रमाणीकरण नयाचार के परीक्षण पर एम पी ई डी ए-नाक्सा-एन ए सी ए की एक पायलट परियोजना पूरी की गई। कार्यशाला के परिणाम और विचार-विमर्श के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि नाक्सा पंजीकृत सोसाइटियों के बीच प्रमाणीकरण नयाचार पर एक चरणबद्ध रूप में कार्य करना जारी रखेगा।

8.2.2. श्रिम्प कृषि क्षेत्रों का जी आई एस मैपिंग

एक डेटाबेस तैयार करने तथा जलकृषि क्षेत्रों तथा जल कृषकों के डिजिटलीकरण पर जी आई एस परियोजना, केरल, कर्नाटक एवं गोआ, उडीसा, तिमलनाडु, आंध्रप्रदेश तथा गुजरात में पूरी हो चुकी है तथा डेटा एवं सैटलाइट इमेजरी तथा डेटा का प्रित सत्यापन प्रगित पर है। महाराष्ट्र में यह कार्यक्रम प्रगित पर है जबिक पश्चिम बंगाल में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रयत्न शुरू किया गया है। राज्य रिमोट सेन्सिंग अभिकरणों द्वारा उत्पन्न डेटा को उद्यम जी आई एस सर्वर लगाते हुए एम पी ई डी ए मुख्यालय में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।

जी आई एस डेटा के संचालन से सुपिरिचित होने के लिए, एम पी ई डी ए अधिकारियों के लिए एन आर एस सी, हैदराबाद की तकनीकी सहायता के साथ जी आई एस के मूल तत्वों तथा प्रदत्त डेटा तथा उनकी व्याख्या की जांच करने की सोफ्टवेयर उपयोगिता को शामिल करते हुए एक 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

8.2.3. स्कैंपी विकास के लिए केरल के पाडशेखरों के लिए सहायता

चालू वर्ष के दौरान केरल राज्य के निम्नस्थ जलाशयों के विस्तृत क्षेत्रों को स्कैंपी कृषि का उपयोग करने के लिए सहायता जारी रही। खेतों में स्कैंपी कृषि के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए फील्ड केंद्रों के प्रयासों के बावजूद इस प्रकार की कोलि ज़मीन के बांधों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त संपदा उठाने में होती कठिनाइयों के कारण इस योजना के लाभ उपलब्ध करने में कृषकों की











नेल्लूर, आन्ध्र प्रदेश के कुछ तटवर्ती श्रिम्प फार्मों के जी आई एस नक्शे

तरफ से कठिनाई हो रही थी। चालू वर्ष के दौरान मात्र 33.23 हे. क्षेत्र ही इस योजना के तहत लाया गया था। चालू वर्ष के दौरान पाडशेखरों से उत्पादन 1311.1 हे. क्षेत्र से लगभग 426.25 मे.ट रिपोर्ट किया गया।

8.2.4 हैचरियों का पंजीकरण

हैचरियों का पंजीकरण प्रगति पर है तथा चालू वर्ष के दौरान 10 हैचरियाँ सी ए ए अधिनियम के अनुसार एम पी ई डी ए के साथ अनिन्तम रूप से पंजीकृत की गईं। जिन हैचरियों में निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार एक इन-हाउस नैदानिक प्रयोगशाला और बहिस्राव अभिकरण प्रणाली स्थापित है, उन्हें स्थाई पंजीकरण देने के लिए फील्ड केंद्रों द्वारा सिफारिश की जा रही है। तदनुसार, इस अधिनियम के तहत स्थाई पंजीकरण के लिए 8 हैचरियों पर विचार किया जा रहा है। 31.3.2011 के अनुसार, विभिन्न तटवर्ती राज्यों में स्थित कुल 175 हैचरियाँ एम पी ई डी ए द्वारा पंजीकृत की गई हैं। पंजीकृत हैचरियों से अनुबंधों के अनुसार व्यवहार संहिता का पालन करने की प्रतीक्षा की जाती है। एम पी ई डी ए के फील्ड कार्यालय गुणता जाँच केलिए नमूनों का समाहरण करके इन हैचिरयों का तिमाही मानीटरिंग करने में लगे हुए हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया के अतिरिक्त, एम पी ई डी ए के अधिकारी अन्य समिति सदस्यों के साथ इन हैचरियों/फार्मों का निरीक्षण दौरा कर रहे हैं जिन्होंने एल वन्नामेई प्रजनन और पालन के लिए सी ए ए से संपर्क किया है।

8.2.5 समुद्रीबैस कृषि, कीचड केकडा एवं मस्सल कृषि का प्रदर्शन

जलकृषि कार्यकलापों का विविधीकरण करने के प्रयासों के भाग के रूप में चालू वर्ष के दौरान फील्ड कार्यालय, प्रदर्शन कार्यक्रमों द्वारा अन्य संभाव्य जलकृषि किस्मों के संवर्धन से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान शुरू किए गए प्रदर्शन कार्यक्रम पुरे हो चुके हैं तथा इन प्रदर्शन कार्यक्रमों के परिणाम प्रोत्साहन जनक पाए गए हैं। उप क्षेत्रीय केंद्र, कारवार द्वारा कुमटा में किए गए प्रदर्शन से करीब 1750 कि.ग्रा समुद्रीबैस का उत्पादन किया गया जिससे स्थानीय कृषकों के बीच कृषि पद्धतियों के बारे में अवबोध जगाया जा सका। यह रिपोर्ट किया जाता है कि इस क्षेत्र के अनेक जल कृषकों ने समुद्रीबैस कृषि करने में दिलचस्पी व्यक्त की है। उप क्षेत्रीय केन्द्र, भीमवारम द्वारा आयोजित प्रदर्शन से 720 कि.ग्रा. पैदावार प्राप्त हुई है तथा उप क्षेत्रीय केंद्र, कण्णूर द्वारा किए गए प्रदर्शन से करीब 603 कि.ग्रा. पैदावार प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय केंद्र तंजावूर द्वारा अलवण जल में आयोजित प्रदर्शन के परिणाम में 1400 कि.ग्रा. से अधिक उत्पादन हुआ है जो बहुत ही प्रोत्साहनजनक है।









संगृहणीय आकार के मड क्रैब को पकडता हुआ एक कृषक

समुद्रीबैस प्रदर्शनों के अतिरिक्त कोच्ची, कोलकत्ता, भीमवारम, भुवनेश्वर एवं विजयवाडा के फील्ड केंद्रों ने आर जी सी ए से छोटे केकडों के प्रापण द्वारा केकडा कृषि के फील्ड प्रदर्शन का प्रयास किया। देश में कीचड केकडा कृषि में प्रथम होने के कारण इन प्रदर्शनों ने ग्रामीण जनता को गाँवों में केकडा कृषि के लिए उपलब्ध छोटे जलाशयों का उपयोग करने में आशा प्रदान की है, जिससे काफी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। पाँच प्रदर्शनों के परिणाम स्वरूप करीब 1.02 मे.ट का कुल उत्पादन किया गया है। उचित योजनाओं एवं क्रैबलेटों की उपलब्धता केकडा कृषि संचालन को बढ़ाने में निश्चय ही काफी लाभदायक होगी।

कनार्टक क्षेत्र में मस्सल कृषि के संवर्धन के प्रयासों के अनुसार, कारवार फील्ड केंद्र द्वारा सात मस्सल कृषि प्रदर्शन किए गए जिससे कृषकों को बेहतर लाभ प्राप्त हुए। उप क्षेत्रीय केंद्र, भीमवारम द्वारा 'मिल्क फिश' पर एक अलग प्रदर्शन किया गया जिससे करीब 1110 कि.ग्रा उत्पादन रिपोर्ट किया गया।

8.2.6 पणधारियों की बैठक

एम पी ई डी ए के फील्ड केंद्रों ने काकिनडा, नेल्लूर, चैन्ने, गोपालपुर एवं कोच्ची के हैचरी संचालकों के साथ किसी भी प्रतिजैविकियों तथा निरोधित औषधों का उपयोग किए बिना श्रिम्प बीजों के उत्पादन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए 19 जागरूकता बैठकें आयोजित कीं।



बढ़ते हुए ग्रीन मस्सल









8.2.7. फील्ड कार्यालयों द्वारा विस्तारण कार्यक्रम

चिरस्थाई जलकृषि का सूजन करने के प्रयासों के भाग के रूप में फील्ड कार्यालय, जल कृषकों के लाभार्थ प्रशिक्षणों, कृषक बैठकों, संगोष्ठियों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे का आयोजन, निरोधित औषधों एवं रासायनों आदि के दुरुपयोग/दुर्गन्थ पर जागरूकता अभियान जैसे लक्षित विस्तारण संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुडे हुए हैं।

8.2.8. जलकृषि के लिए विकसित क्षेत्र

संवीक्षाधीन वर्ष के दौरान जलकृषि के लिए विकसित करीब 2153.62 हे. क्षेत्र मुख्यतः श्रिम्प कृषि के लिए गुजरात में और स्कैंपी के लिए उडीसा और पश्चिम बंगाल में है। एल वन्नामेई कृषि की शुरुआत के साथ यह समझा जाता है कि पिछले कुछ वर्षो से बेकार पडे फार्म अब पुनरुज्जीविता की प्रक्रिया में हैं।

8.2.9. प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष के दौरान फील्ड कार्यालयों ने चिरस्थाई कृषि, मस्सल कृषि, स्कैंपी कृषि के लिए पाडशेखरों की उपयोगिता, समुद्रीबैस कृषि, केकडा कृषि, स्कैंपी कृषि आदि के लिए बेहतर प्रबन्धन प्रक्रियाओं को अपनाने पर 14 कार्यक्रमों की लक्षित संख्या के स्थान पर, 345 लाभग्राहियों को लाभ पहुँचाते हुए 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। उपरोक्त के अलावा फील्ड केंद्रों ने 185 अनुसूचित जाति/जनजाति लाभग्राहियों केलिए बेहतर प्रबन्धन प्रक्रियाओं, स्कैंपी कृषि आदि पर वर्ष 2010-11 में 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।



संगृहित पनगेशियस को पकडता हुआ एक कृषक

8.2.10. कृषक बैठकें/सेमिनार/कार्यशालाएं

फील्ड केंद्रों ने जलकृषि सेक्टर के विभिन्न कार्यकलापों, विशेषतः जैवकृषि की संकल्पना, जलकृषि में बेहतर प्रबन्धन प्रक्रियाओं को अपनाने, विविधीकरण आदि पर 11 कृषि बैठकों तथा 7 सेमिनारों का आयोजन किया।

8.2.11. प्रतिजैविकियों का दुरुपयोग/दुर्गन्थ के विरुद्ध जागरूकता अभियान

फील्ड केंद्रों से प्राप्त रिपोर्टें सूचित करती हैं कि चालू वर्ष के दौरान जलकृषि में निरोधित प्रतिजैविकियों तथा औषधि के रूप में सिक्रय तत्वों/रासायनों के उपयोग के विरुद्ध 255 अभियानों तथा कृषि श्रिम्प में दुर्गन्ध हटाने के लिए प्रबन्धन प्रक्रियाओं पर 15 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।







8.2.12. जलकृषि के विविधीकरण पर जागरूकता अभियान

जलकृषि के विविधीकरण पर किए जा रहे प्रयासों के भाग के रूप में फील्ड केंद्रों ने प्रत्येक केंद्र की विशिष्ट ज़रूरतों के आधार पर जल कृषकों के फायदे के लिए तालाब आधारित पिंजरों में समुद्रीबैस कृषि, केकडा कृषि, जैव कृषि आदि पर संकेद्रित विविधीकरण कार्यक्रमों पर 21 जागरूकता अभियानों का आयोजन किया है।

8.2.13. अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरा

जैवकृषि पद्धतियाँ, जलकृषि सोसाइटी कृषि की संकल्पना, समुद्रीबैस पंजर कृषि प्रौद्योगिकी आदि पर अवबोध जगाने के लिए फील्ड केंद्रों द्वारा 8 अंतर्राज्यीय अध्ययन दौरे आयोजित किए गए जिससे आर जी सी ए सुविधाओं और अन्य राज्यों के कृषि क्षेत्रों का दौरा करके 65 जलकृषकों/उद्यमकर्ताओं ने लाभ उठाया।

8.2.14. विषाणुयुक्त रोगजनकों एवं प्रतिजैविकियों के लिए श्रिम्प बीज नमूनों का मानीटरिंग

चालू वर्ष के दौरान फील्ड कार्यालय, बीज नमूनों का समाहरण करके और रोगजनक विषाणुओं एवं प्रतिजैविकी अपिशष्टों की उपिस्थित के लिए प्रत्यायित प्रयोगशालाओं में उनका विश्लेषण करते हुए हैचिरियों का तिमाही मानीटिरंग करने में लगे हुए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 175 एवं 153 नमूनों का क्रमशः विषाणुयुक्त रोगजनकों तथा प्रतिजैविकी अपिशष्टों की उपिस्थित का पता लगाने के लिए जाँच की गई तथा इन विश्लेषणों के परिणाम आगे की कार्रवाई के लिए पणधारियों और संबन्धित अभिकरणों को परिचालित किए गए।

8.2.15. अन्य संस्थानों एवं अभिकरणों के साथ संपर्क

मुख्यालय का जलकृषि अनुभाग जलकृषि विकास से संबन्धित कार्यो में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी), तटीय जलकृषि प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, एन ए सी ए, यू एस एफ डी ए जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ निकट सहयोग रखता आ रहा है। एम पी ई डी ए अध्यक्ष तथा संगठन के विरष्ठ अधिकारी एन एफ डी बी, सी ए ए की कार्यकारिणी/ तकनीकी समितियों के सहयोजित सदस्य हैं। निरीक्षण/मानीटिरंग के दौरान राज्यस्तरीय समितियों में तथा सी ए ए द्वारा गठित उप समितियों में भी फील्ड केंद्रों के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व जारी रहता है।

8.2.16 प्रकाशन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी फील्ड कार्यालयों ने यू एन सी टी ए डी कार्यक्रम के तहत जलकृषकों के लाभार्थ प्रबन्धन प्रिक्रयाएं, समुद्रीबैस, कीचड केकडा कृषि, मस्सल कृषि एवं हैचरी संचालन के लिए आचार संहिता को शामिल करके स्थानीय भाषाओं में प्रकाशन निकाले हैं।

8.3 वित्तीय सहायता योजनाओं का कार्यान्वयन

विभिन्न फील्ड कार्यालयों को विनिर्दिष्ट लक्ष्यों के आधार पर, श्रिम्प एवं स्कैंपी के लिए नए फार्म विकास, रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं का संस्थापन, जलकृषि फार्मों एवं हैचरियों में बहिस्राव अभिक्रिया इकाइयों का संस्थापन तथा श्रिम्प/स्कैंपी बीज उत्पादन के लिए हैचरियों का संस्थापन आदि के लिए वित्तीय सहायता देकर जलकृषि क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

8.3.1. नए फार्म विकास के लिए वित्तीय सहायता

श्रिम्प एवं स्कैंपी कृषि के अन्तर्गत 340 हे.क्षेत्र के विकास के लिए ₹ 170 लाख के लक्ष्य के स्थान पर इस वर्ष के दौरान 509.95 हे. क्षेत्र का विकास करने के लिए जलकृषकों को ₹ 220.48 लाख की राशि दी गई। सी ए ए द्वारा अनुमोदन दिए जाने









से, गुजरात, तिमलनाडु राज्यों के जलकृषकों ने यह सहायता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, उडीसा, केरल राज्यों में स्कैंपी कृषि विकसित करनेवाले श्रिम्प जलकृषकों ने भी इस योजना के तहत दी जानेवाली सहायता से लाभ उठाया है।

8.3.2. रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के संस्थापन के लिए सहायता

विदेशी श्रिम्प, जिसके लिए ₹ 60.00 लाख का परिव्यय उद्दिष्ट किया गया था, को लाने के कारण इस सेक्टर की मांग के मद्देनज़र 12 पी सी आर प्रयोगशाला संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के स्थान पर आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में हैचरी संचालकों तथा निजी सेवा प्रबन्धकों ने 10 प्रयोगशालाओं की स्थापना की जिसके लिए 49.84 लाख की राशि प्रदान की गई।

8.3.3. वाणिज्यिक हैचरियों और नर्सरियों की स्थापना के लिए सहायता

संवीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र में एक स्कैंपी नर्सरी, तिमलनाड् तथा उडीसा में संस्थापित ₹ 20 लाख के कुल परिव्यय की स्कैंपी एवं श्रिम्प हैचरियों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया गया।

8.3.4. हैचरियों में बहिस्राव अभिक्रिया प्रणाली (ई टी एस) की स्थापना के लिए सहायता

निकासी जल की जैव मात्रा काफी कम और अनुमत्य सीमा के अन्दर अन्दर है। यह सुनिश्चित करने हेतु जलकृषि फार्मों एवं हैचरियों में एक बहिस्राव अभिक्रिया प्रणाली स्थापित करने हेतु सहायता देने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। स्थाई पंजीकरण का विचार करने के लिए हैचरियों में ई टी एस संस्थापन की अनिवार्य मांग के कारण हैचरियां एक उचित डिज़ाइन के अनुसार ई टी एस स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही हैं जिससे इकाइयों से बहिस्राव को कम किया जा सकता है। चालू वर्ष में 18 इकाइयों के स्थान पर 14 इकाइयां स्थापित की गईं जिनके लिए इमदाद सहायता के रूप में ₹ 15.43 लाख प्रदान किए गए।

8.3.5. पाडशेखरों में स्कैंपी कृषि के लिए सहायता

वर्ष 2010-11 के दौरान केरल के फील्ड कार्यालय, पाडशेखरों के कृषकों को धान की कृषि के बाद स्कैंपी बीजों के अतिरिक्त संभरण के लिए उस क्षेत्र का उपयोग करने हेत् ₹ 5.00 लाख की वित्तीय सहायता के साथ 32.23 हे.क्षेत्र का विकास करने के लिए प्रेरित कर पाए।

8.3.6. जलकृषि सोसाइटियों को सहायता

पंजीकृत सोसाइटियों को अनिन्तम पंजीकरण पूरा करने तथा तदनन्तर स्थाई पंजीकरण के बाद वित्तीय सहायता दी जाती है। तदनुसार चालू वर्ष के दौरान प्रति सोसाइटी ₹ 50,000 की दर पर 65 सोसाइटियों को प्रारंभिक अनुदान दिया गया। आगे, 16 सोसाइटियों को तकनीशियनों के वेतन, फार्मो के विद्युतीकरण, अन्तर्ग्राही नाले को गहरा करने तथा वातकों की खरीद के लिए अनुदान के रूप में ₹ 26.56 लाख दिए गए।

8.4 भारतीय जैव जलकृषि परियोजनाएं (आई ओ ए पी)

खाद्य सुरक्षा पर उत्पन्न अवबोध को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जैव उत्पादों की मांग बढ़ रही है। मत्स्य को मूलतः एक स्वास्थ्यकर प्रोटीनभरा आहार माना जाता है, अतः जैव मत्स्य की बहुत खास मांग है। देश में जैव जलकृषि कार्यकलापों का संवर्धन करने के लिए एम पी ई डी ए द्वारा वर्ष 2007 में शुरू किया गया भारत जैव जलकृषि कार्यक्रम (आई ओ ए पी) से देश में जैव जलकृषि की संभावनाओं पर एक विस्तृत अवबोध जगाने में सफलता प्राप्त हुई है। जैव स्कैंपी का उत्पादन एवं सार्वभौमिक बाज़ार में निर्यात का मार्ग प्रशस्त करने में आई ओ ए पी सहायक रहा।







उत्पादन कड़ी में पश्चगामी एवं पुरोगामी अनुबंधों के साथ जैव उत्पादन एवं संसाधन के लिए यथा प्रमाणित सिप्पो समर्थित पिरयोजना वर्ष 2010 में समाप्त हुई। वर्ष 2010-11 के दौरान भी एम पी ई डी ए ने भारत में जैव जलकृषि संवर्धनात्मक कार्यक्रमों का अनुपालन करना जारी रखा है। तटवर्ती राज्यों में जैव श्रिम्प एवं स्कैंपी के संवर्धन के लिए एम पी ई डी ए द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है। इसकी प्रगित को और त्विरत बनाने के लिए जैव जलकृषि पर एम पी ई डी ए द्वारा कार्यान्वित योजना का संशोधन करके एक संशोधित बजट परिव्यय के साथ एस एफ सी फोर्माट में अनुमोदनार्थ मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। इस वर्ष के दौरान एम पी ई डी ए ने मेसर्स डब्ल्यू ए बी ट्रेडिंग इन्टरनेशनल (एशिया) लि. हांगकांग के समर्थन के साथ जैव श्रिम्प कृषि का संवर्धन किया। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल तथा आंध्रप्रदेश जैसे राज्यों में जैव श्रिम्प कृषि कार्यकलाप तीव्रगित से होने लगा है। इस वर्ष के दौरान हुए महत्वपूर्ण विकासों के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए जाते हैं:

8.4.1 जैव श्रिम्प एवं स्कैंपी कृषि के लिए चुने गए नए क्षेत्र

एम पी ई डी ए तटवर्ती राज्यों में जैवकृषि विकसित करने के लिए संभाव्य क्षेत्रों को चुनता रहता है। परिणामस्वरूप इस वर्ष के दौरान 247.38 हे. खारापानी क्षेत्र तथा 909.70 हे. अलवणजल क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया तथा जैवकृषि परियोजना के लिए उचित पाया गया।

8.4.2 कृषि के अधीन लाया गया क्षेत्र

वर्ष 2010 के दौरान केरल में 21.6 अलवण जल क्षेत्र तथा 9.8 खारा पानी क्षेत्र में क्रमशः जैव स्कैंपी तथा जैव श्रिम्प बीजों का संग्रहण किया गया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि की गई तथा पैदावार का संग्रहण किया गया। इस वर्ष के दौरान एम पी ई डी ए ने कुट्टनाडु जैव स्कैंपी समूह के एक उद्यमकर्ता को जैव स्कैंपी कृषि करने के लिए निवेश सहायता के रूप में ₹ 11,316 की राशि प्रदान की।

इसके अलावा मार्च 2011 के दौरान डब्ल्यू ए बी सहायता प्राप्त जैव श्रिम्प कृषि परियोजना के अन्तर्गत आंध्रप्रदेश में 31 हे. तथा पश्चिम बंगाल में 80 हे. में जैव श्रिम्प बीज का संभरण किया गया। इन राज्यों से अनुबन्ध क्षेत्रों को जैव कार्यकलापों के लिए प्रमाणीकृत किया जा रहा है।

8.4.3 जैव फार्मों का मानीटरिंग

कृषकों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए एम पी ई डी ए द्वारा जैव जलकृषि परियोजनाओं का आविधक रूप से मानीटिरंग किया जा रहा है। कृषक समूहों द्वारा अपनाई गई आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली (आई सी एस) यूरोपीय संघ (ई यू) तथा मेसर्स नेचरलैंड, जर्मनी द्वारा निर्धारित जैव मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। मानदंडों को अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक तथा बाहरी दलों द्वारा आई सी एस के सदस्यों का निरीक्षण किया जाता है।

8.4.4. जैव फार्मों का संग्रहण

केरल के कुट्टनाड क्षेत्र के जैव स्कैंपी फार्मों से लगभग 2795 कि.ग्रा जैव स्कैंपी का संग्रहण किया गया तथा प्रमाणीकृत जैव संसाधक को उत्पाद की आपूर्ति की गई। दिनांक 13.10.2010 को एम पी ई डी ए मुख्यालय में एक मूल्य निर्धारण सिमिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें एम पी ई डी ए अधिकारियों के साथ कुट्टनाड कृषक समूह के प्रतिनिधियों तथा प्रमाणीकृत जैव संसाधक ने भाग लिया। इस सिमिति ने परंपरागत मूल्य के 20% प्रीमियम पर जैव स्कैंपी ग्रेडों का मूल्य निर्धारित किया।









जैव ब्लैक टाइगर श्रिम्प

8.4.5 मेसर्स ओ एस ई सी, स्विटज़रलैंड को परामर्श शुल्क का भुगतान

भारत जैव जलकृषि कार्यक्रम (आई ओ ए पी) के लिए सिप्पो, स्विटज़रलैंड के साथ तकनीकी सहयोग समाप्त किया गया। एम पी ई डी ए ने सिप्पो सहायता के साथ आई ओ ए पी के कार्यान्वयन के लिए परामर्श शुल्क की शेष रकम के रूप में ₹ 7,33,234 की राशि प्रदान की।

8.4.6 वित्तीय सहायता योजना का संशोधन करने का प्रस्ताव

इस वर्ष के दौरान जैव जलकृषि की सहायता के लिए एम पी ई डी ए की योजना का संशोधन करने का एस एफ सी प्रस्ताव तैयार किया गया तथा मंत्रालय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना का कार्यान्वयन करने हेतु जैव कृषि के लिए वर्धित इमदाद पैकेज के साथ अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

8.4.7. भारत में जैव जलकृषा के विकास के लिए कार्य योजना

भविष्यकालीन विकास की योजना के लिए एम पी ई डी ए द्वारा तटीय राज्यों में जैव जलकृषि का संवर्धन करने की एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यह कार्य योजना अगले तीन वर्ष के दौरान अन्य अनुबन्ध सेक्टरों की प्रगति के साथ-साथ जैव ब्लैक टाइगर तथा स्कैंपी के संवर्धन पर विचार करती है।

8.4.8 परियोजना मानीटरिंग समिति बैठक (पी एम सी)

इस वर्ष के दौरान परियोजना की प्रगति की संवीक्षा करने तथा जैव कृषि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य मदों पर चर्चा करने हेतु दो परियोजना मानीटरिंग समिति बैठकें आयोजित की गईं।

8.4.9. जैव जलकृषि पर पुस्तिका

इस वर्ष के दौरान, एम पी ई डी ए द्वारा संभाव्य उद्यमकर्ताओं तथा जैव कृषकों के बीच परिचालित करने के लिए जैव जलकृषि पर एक पुस्तिका मुद्रित करके प्रकाशित की गई।

8.4.10 कार्यशालाएं व अवबोध कार्यक्रम

 सहायक निदेशक (अक्वा) आई ओ ए पी ने जैव जलकृषि विकास पर इन्फोफिश द्वारा बैंगकोक में 3-5 मार्च के दौरान आयोजित सी एफ सी क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया तथा भारत में जैव जलकृषि के विकास पर एक प्रस्तुतीकरण किया।









जैव श्रिम्प हैचरी का आंतरिक दृश्य

- अाई ओ ए पी अनुभाग ने क्षेत्रीय केंद्र (अक्वा) कोच्ची के सहयोग से दिनांक 11.12.2010 से 13.12.2010 तक कोच्ची में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि एक्स्पो में जैवकृषि प्रदर्शनी में भाग लिया। एम पी ई डी ए स्टॉल ने भारत में जैव जलकृषि के संवर्धन के लिए आई ओ ए पी की पहल का प्रदर्शन किया।
- इस वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों के फील्ड कार्यालयों ने अपने क्षेत्रों के उद्यमकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों को जैवकृषि
 पर अवबोध जगाने के लिए कई स्थानों में कार्यशालाओं और अवबोध कार्यक्रमों का आयोजन किया।

8.5 निर्यात के लिए आलंकारिक मत्स्य प्रजनन का संवर्धन

8.5.1 ओ एफ बी यू (आलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाई) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

- क) बजट शीर्ष 300.05 के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस योजना का कार्यान्वयन करनेवाले राज्यों में 24 ओ एफ बी यू स्थापित करने के लिए ₹ 96.44 लाख की कुल सहायता दी गई।
- ख) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने इस योजना का कार्यान्वयन करनेवाले पांच राज्यों में 38 आलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता देने हेतु एम पी ई डी ए को 175 लाख का निधीयन समर्थन उपलब्ध कराया।



ज़ीब्रा डानिओ (ब्रान्काइडानियो रेरियो)









सभी इकाइयां स्थापित की गईं तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में 35 ओ एफ बी यू को ₹ 145.25 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।

8.5.2 ओ एफ एम एस (आलंकारिक मत्स्य विपणन सोसाइटियां) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

वित्तीय वर्ष 2010-11 में केरल के कालिकट में ₹ 2.81 लाख की कुल सहायता के साथ एक आलंकारिक मत्स्य विपणन सोसाइटी स्थापित की गई।

8.5.3 आलंकारिक मत्स्य विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान एम पी ई डी ए ने दो मूल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। एम पी ई डी ए ने यू एन सी टी ए डी के सहयोग में केरल, कनार्टक, तिमलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में आलंकारिक मत्स्य प्रजनन व पालन पर 10 अग्रिम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

इसके अतिरिक्त तिमलनाड् पश्चिकित्सा एवं प्राणी विज्ञान विश्वविद्यालय (तनुवास), मार्त्स्यकी कॉलेज, रत्निगिरि तथा कृषि विज्ञान केंद्र, मैंगलूर को आलंकारिक मत्स्य प्रजनन व कृषि पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए निधीयन समर्थन भी दिया गया।

8.5.4 आलंकारिक मत्स्य विकास पर जन अभियान एवं सामान्य अवबोध कार्यक्रम

इस योजना के प्रति जनता को सचेत बनाने के लिए एम पी ई डी ए ने योजना कार्यान्वयन करने वाले पांच राज्यों में 14 अवबोध कार्यक्रमों का आयोजन किया।

8.5.5 आलंकारिक मत्स्यों का हरित प्रमाणीकरण

सामृहिक एवं पर्यावरणिक समस्याओं का सामना करने तथा अन्त तक व्यापार की चिरस्थायिता सुनिश्चित करने के लिए एम पी ई डी ए ने एक नए विचार 'आलंकारिक मत्स्यों का हरित प्रमाणीकरण' का प्रस्ताव रखा है।

अलवणजल आलंकारिक मत्स्यों के हरित प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय कार्यदल द्वारा तैयार किया गया मार्गदर्शन विभिन्न राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय संगठनों को उनकी टिप्पणियों एवं सुझावों के लिए भेज दिया गया है। इसको समाविष्ट करने के बाद अंतिम मार्गदर्शन को अक्वा-अक्वेरिया भारत 2011 के उद्घाटन समारोह के दौरान औपचारिक रूप से प्रकाशित किया गया।

8.5.6 आलंकारिक मत्स्य प्रजनकों एवं व्यापारियों की निदेशिका का प्रकाशन

किसी व्यापार की सफलता के लिए मूल अपेक्षाओं में से एक है, उस क्षेत्र के सभी खंडों की जरूरतों को पूरा करने वाली सूचना की एक सूची की उपलब्धता। इसके अनुसार, एम पी ई डी ए ने यू एन सी टी ए डी के सहयोग में आलंकारिक मत्स्य प्रजनकों और व्यापारियों की एक निदेशिका तैयार की तथा अक्वा-अक्वोरिया भारत 2011 के उद्घाटन समारोह के दौरान उसका प्रकाशन किया।

8.5.7 हैंडबुक का प्रकाशन

संप्रति जन सामान्य और प्रजनकों द्वारा आसानी से समझी जा सकने वाली आलंकारिक मत्स्यों पर लागत प्रभावी संदर्भ मैन्अल/हैंडबुकों की कमी है। इस दिशा में एम पी ई डी ए 'आलंकारिक मत्स्यों पर हैंडबुक' शीर्षक की एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना कर रहा है, जो प्रकाशन के अन्तिम चरण में है।







8.5.8 आलंकारिक मतस्य के निर्यात परेषण का स्वास्थ्य प्रमाणीकरण

भारत सरकार ने ई यू के लिए निर्यात किए जाने वाले आलंकारिक मत्स्य के लदान-पूर्व निरीक्षण तथा स्वास्थ्य प्रमाणीकरण के लिए एम पी ई डी ए तथा ई आई सी को केंद्रीय सक्षम प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया है। ई यू को प्रेषित किए जाने वाले आलंकारिक मत्स्य परेषणों के लिए एम पी ई डी ए द्वारा नामांकित स्थानीय सक्षम प्राधिकारी स्वास्थ्य-प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं। एम पी ई डी ए ने वर्ष 2010-11 के दौरान आलंकारिक मत्स्य परेषणों के लिए 13 स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

अन्य क्रेता देश भी मूल देश से स्वास्थ्य-प्रमाणीकरण पर आग्रह करने लगे हैं। अतः एम पी ई डी ए ने वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय से अनुरोध किया है कि लक्षित देश पर ध्यान दिये बिना आलंकारिक मत्स्य परेषणों के लदान-पूर्व निरीक्षण तथा स्वास्थ्य प्रमाणीकरण के लिए एम पी ई डी ए को केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी बनाते हुए आदेश का संशोधन करें।

8.5.9 ऑस्ट्रेलिया में निर्यात के लिए सक्षम प्राधिकारी की हैसियत

संप्रति, ऑस्ट्रेलिया को किए जाने वाले आलंकारिक मत्स्यों के निर्यात के लिए अनुमित प्राप्त देशों की सूची में भारत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को परेषित आलंकारिक मत्स्य के प्रमाणीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में एम पी ई डी ए को मान्यता देने के लिए ए क्यू आई एस (ऑस्ट्रेलियाई संगरोध तथा निरीक्षण सेवाएं) से संपर्क किया गया। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय जलीय प्रशिक्षण संस्थान (एन ए टी आई) ऑस्ट्रेलिया की सेवाओं की भी मांग की गई।

8.5.10 पीटर गुन्नल, जर्मनी के साथ विदेशी सहयोगी परियोजना

टेट्रा की विभिन्न किस्मों के उत्पादन पर एम पी ई डी ए एक विदेशी सहयोग परियोजना को सुसाध्य बना रहा है। इस सिलिसिले में जर्मनी के विदेश विशेषज्ञ श्री पीटर गुन्नल ने दिसंबर 2010 में केरल, तिमलनाडु एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों में प्रारंभिक स्थल दौरा किया।

8.5.11 निर्यातक-प्रजनक बैठकें

एम पी ई डी ए क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकत्ता ने दिनांक 16.09.2010 को आलंकारिक मत्स्य निर्यातकों तथा एम पी ई डी ए समर्थित प्रजनकों के बीच व्यापार संबन्ध स्थापित करने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की।

8.5.12 भौगोलिक संकेत (जी आई) पर सम्मेलन

उप निदेशक (वि.से) तथा सहायक निदेशक (ओ एफ डी) ने भौगोलिक संकेत पर यू एन सी टी ए डी द्वारा दिनांक 16-17 नवंबर 2010 को ताज महल होटेल, नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।

8.5.13 प्रदर्शनियों/मेलाओं में भागीदारी

एम पी ई डी ए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी) द्वारा दिनांक 9 से 12 जुलाई 2011 तक पीपिल्स प्लाज़ा, हैदराबाद में आयोजित तीसरे 'इनिफश 2010' में भाग लिया। एम पी ई डी ए ने सी आई एफ ई, कोलकत्ता केंद्र द्वारा दिनांक 27-28 अगस्त 2010 को कोलकत्ता में आयोजित 'स्थानीय रूप से उपलब्ध मत्स्य किस्मों द्वारा जलकृषि के विविधीकरण' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी में भाग लिया।

एम पी ई डी ए ने मात्स्यिकी विभाग, पश्चिम बंगाल द्वारा 1-4 अक्तूबर 2010 को आयोजित बेन अक्वा 2010, राष्ट्रीय मत्स्य मेले में भाग लिया।

आलंकारिक मत्स्य सेक्टर में एम पी ई डी ए के कार्यकलापों को इन प्रदर्शनियों में लगाए गए स्टालों द्वारा बखूबी प्रदर्शित किया गया।









8.5.14 समुद्री आलंकारिक मत्स्य प्रजनन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

एम पी ई डी ए ने सी एम एफ आर आई, मंडपम कैंप द्वारा समुद्री आलंकारिक मत्स्य प्रजनन एवं कृषि पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार्यक्रम प्रबन्धक को प्रतिनियुक्त किया।

8.5.15 राजस्थान में कार्यकलाप

एम ओ सी आई के निदेशानुसार, एम पी ई डी ए ने अपने आलंकारिक मत्स्य विकास कार्यकलापों का विस्तारण राजस्थान में भी किया है। प्रारंभिक कदम के रूप में, राज्य सरकार से परामर्श करके इस उद्यम की संभावनाओं के बारे में 5 संभाव्य जिलों में (उदयपुर, राजसमन्ड, बनसबारा, जोधपुर एवं हनुमानगढ़) अवबोध कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एम पी ई डी ए ने श्री गंगानगर, राजस्थान में 'कृषि उत्सव 2010' (7 व 8 सितंबर 2010) में भी भाग लिया। इस प्रदर्शनी के दौरान, एम पी ई डी ए के कार्यकलाप, विशेष रूप से राजस्थान के आलंकारिक मत्स्य सेक्टर के विकास के लिए, प्रभावी रूप से प्रदर्शित किए जा सके। एम पी ई डी ए, राज्य में इस सेक्टर के विकास हेतु कार्यकलापों का समन्वयन करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबन्धक को तैनात करने की प्रक्रिया में है।



नियोन टेट्रा (पाराकेयोडोन इन्नेसी)

8.5.16 एम पी ई डी ए सहायता प्राप्त कृषक द्वारा अरोवाना का सफल प्रजनन

अरोवाना (ओस्टियोग्लोसम बिसिर्रोसम), एक अति मूल्यवान आलंकारिक मत्स्य, जिसका वाणिज्यिक स्तर पर अभी तक भारत में प्रजनन नहीं किया गया है, को केरल में एम पी ई डी ए से सहायता प्राप्त एक आलंकारिक मत्स्य प्रजनक के फार्म में सफलतापूर्वक प्रजनित किया गया।

9.0. संसाधन अवसंरचना तथा मूल्यवर्धन

समुद्री खाद्य उत्पादों के बाज़ार में कई परिवर्तन हुए हैं। उपभोक़्ताओं की पसंद और रुचि 'रेडी टू कुक' तथा 'रेडी टू ईट' सुविधाजनक आहार के पक्ष में है तथा रेस्तरॉ में खाना बहुत ही लोकप्रिय हो गया है। सुविधाजनक समुद्री खाद्य मदें अब ज्यादातर सूपर बाज़ारों से खरीदी जाती हैं। सुविधाजनक रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य मदों की माँग बढ़ जाने के कारण खाद्य सेवा सेक्टर में काफी बडा परिवर्तन हुआ है। भारत के रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट मुल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों का उत्पादन 10% से कम है। अतः विभिन्न रेडी-ट्-कुक और रेडी-ट्-ईट सुविधावाले समुद्री खाद्य के संसाधन एवं निर्यात के लिए समुद्री खाद्य संसाधन उद्योग में आश्चर्यजनक गुंजाइश है।








समुद्री खाद्य भोजन किट







श्रिम्प - वनस्पति (एशियन स्टाइल उत्पाद)

मूल्यवर्धन के प्रतिशत को बढ़ाने तथा रेडी-टु-कुक तथा रेडी-टु-ईट मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात संवर्धन को उच्च वरीयता देने के उद्देश्य से, एम पी ई डी ए ने हस्तन, पूर्व संसाधन, संसाधन, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग एवं परिवहन में अपेक्षित अत्याधुनिक सुविधाओं के संस्थापन के लिए प्रयास जारी रखा। इसको सुविधाजनक बनाने के लिए एम पी ई डी ए मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के संसाधन और निर्यात के लिए अपेक्षित अवसंरचना सुविधाएं बनाने हेतु मौजूदा निर्यातकों तथा नए उद्यमकर्ताओं की सहायता के लिए विभिन्न इमदाद योजनाएं चलाता है। विभिन्न विकासात्मक इमदाद योजनाओं का सार नीचे दिया जाता है:

विभिन्न विकासात्मक इमदाद योजनाओं का सार

1	लक्ष्य 2	सहायता की मात्रा 3				
समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	यह योजना निर्यातकों को नई इकाइयाँ स्थापित करने (संवर्ग I) मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए मौजूदा	सहायता का प्रकार	संवर्ग I	संवर्ग II	संवर्ग III	
	उत्पादन क्षमता बढ़ाने (संवर्ग II) तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने (संवर्ग III) का प्रयास है। यह सहायता विशेष रूप से अधिसूचित मूल्यवर्धित उत्पाद शामिल करते हुए एक वार्षिक निर्यात बाध्यता पूरा करते हुए निर्यातक की पूर्ण	ब्याज इमदाद पूँजी इमदाद न्यूनतम अर्ह	150 লাख 100 লাख ਜਿਕੇश: ਾ	125 लाख 85 लाख पुँजी इमदाद	125 लाख 85 लाख	
बडे शीत भंडार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता	की दर पर पूँजी इमदाद (या) 5 प्रतिशत पॉइन्ट तक ब्याज इमदाद है। अधिक समुद्री खाद्य रखने के लिए शीत भंडार	र ₹ 100 लाख और ब्याज इमदाद के लिए र ₹ 200 लाख				







1

रफ्रिजरेटड ट्रक/कंटेनरों के उपार्जन के लिए वित्तीय सहायता

रोधीकृत फिश बोक्स का इमदादी वितरण।

नए हिम संयंत्र स्थापित करने/मौजूदा संयंत्रों के नवीकरण के लिए इमदाद

ट्यूना कैनरी/मूल्यवर्धित ट्यूना उत्पादों के संसाधन के लिए मशीनरी के अर्जन हेतु इमदाद

निर्यात के लिए शीतित मत्स्य/शीतित ट्यूना की मूल सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता

निर्यात के लिए मत्स्य अभिसाधन/सुखाना/ पैकिंग/भंडारण के लिए मूल सुविधाएं बनाने हेतु वित्तीय सहायता कच्चे माल/अंतिम उत्पादों के परिवहन के लिए रफ़िजरेटेड ट्रक/कंटेनरों के उपार्जन के लिए समुद्री

मत्स्यन यानों पर, श्रिम्प फार्मों, पीलिंग शेडों और संसाधन संयंत्रों में प्रशीतित स्थिति में कच्चे मालों का उचित परिरक्षण।

2

खाद्य संसाधनों को प्रोत्साहन देना।

हिम संयंत्रों के उन्नयन तथा मछुआरों, संसाधकों और श्रिम्प कृषकों को गुणवत्ता वाले बर्फ की आपूर्ति की क्षमता विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता

ट्यूना कैनरी/मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए संसाधन सुविधा लगाने के लिए समुद्री खाद्य संसाधकों की सहायता करना

शीतित मत्स्य मदों के निर्यात को बढ़ाना तथा देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा का अर्जन करना, भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में शीतित मत्स्य मदों का हिस्सा बढ़ाना और शीतित मत्स्य निर्यात के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य पर्याप्त सुविधाएं तैयार करना तथा निर्यात बाज़ारों के लिए गुणवत्ता वाले उत्पाद सुनिश्चित करना।

सूखे मत्स्य संसाधन, पैकिंग एवं भंडारण के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य पर्याप्त सुविधाओं का निर्माण करना तथा निर्यात बाज़ारों के लिए गुणवत्तावाले उत्पाद सुनिश्चित करना। सूखी मत्स्य मदों के निर्यात को बढ़ाना तथा देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा का अर्जन करना। 3

रिफ्रजरेटेड ट्रक/कंटेनरों की लागत का 25%, अधिकतम ₹ 3.50 लाख

सांचे में ढ़ाली हुई विभिन्न क्षमताओं वाली पेटियाँ 50% इमदाद पर वितरित की जाती हैं।

एक नई ब्लॉक हिम इकाई के लिए लागत के 25% की दर पर ₹ 31 लाख। मौजूदा इकाई के नवीकरण की लागत के 50% की दर पर ₹ 26 लाख। फ्लेक/चिप/ट्यूब बर्फ इकाई के लिए लागत के 25% की दर पर ₹ 14 लाख।

मशीनरी एवं उपस्कर की लागत का 25%, अधिकतम ₹ 65.25 लाख तक

प्रति लाभग्राही को खर्च की गई वास्तविक लागत के $33 V_3$ % की दर पर ₹ 35 लाख अधिकतम सहायता। इस योजना के तहत एक लाभग्राही को एक ही बार वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

योजना - कः सूखे मत्स्य हैंडलिंग की सुविधा स्थापित करने केलिए वित्तीय सहायता। प्रति लाभग्राही को खर्च की गई वास्तविक लागत के 33% की दर पर ₹ 23.50 लाख की अधिकतम सहायता।

योजना - खः सूखा मत्स्य पैकिंग एवं भंडारण सुविधा स्थापित करने केलिए वित्तीय सहायता। प्रति लाभग्राही को खर्च की गई वास्तविक लागत के 33% की दर पर ₹ 8.25 लाख की अधिकतम सहायता।







9.1 कार्यान्वयन की प्रगति

वर्ष 2010-11 के दौरान 'संसाधन अवसंरचना तथा मूल्यवर्धन' शीर्ष के तहत सहायता के रूप में ₹ 5.68 करोड की राशि प्रदान की गई। संवितरित वित्तीय सहायता का योजना-वार विवरण नीचे दिया जाता है:-

9.1.1. मुल्यवर्धन के लिए निर्यातकों को सहायता

क) समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं (टी यू एस एम पी)

वर्ष 2010-11 के दौरान टी यू एस एम पी योजना के तहत 6 संसाधकों को नई इकाई स्थापित करने, मूल्यवर्धित उत्पादों की मौजूदा उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा अपेक्षित मशीनरी एवं उपस्करों की स्थापना करते हुए मूल्यवर्धन में विविधीकरण के लिए ₹ 394.77 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इसके परिणामस्वरूप लाभग्राही निम्नलिखित निर्यात बाज़ारों के लिए उच्च मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य का उत्पादन कर सके:

- 1) आई क्यू एफ श्रिम्प बर्गर
- 2) आई क्यू एफ ब्रेडेड श्रिम्प
- 3) श्रिम्प नगेटस
- 4) श्रिम्प पॉप कॉर्न
- 5) श्रिम्प लोलिपॉप
- 6) ब्रेडेड फिश फिंगर्स
- 7) सीफुड मील किट इन मेडिटरेनियन स्टाइल
- 8) सीफुड मील किट इन एशियन स्टाइल
- 9) माइक्रो क्युज़ीन स्कैंपी
- 10) माइक्रो क्युज़ीन लेमण हेर्ब तिलापिया
- 11) आई क्यू एफ कुक्ड पी यू डी श्रिम्प
- 12) आई क्यू एफ कुक्ड पी डी श्रिम्प
- 13) पास्चरैस्ड क्रैब मीट इन प्लास्टिक/मेटल कैन्स
- 14) ऐक्सिलरेटेड फ्रीज़ ड्राइड श्रिम्प व
- 15) आई क्यू एफ ट्रे पैक श्रिम्प

चूँकि इस योजना का कार्यान्वयन एक धीमी गित से हुआ, अतः एम पी ई डी ए के प्रस्ताव के अनुसार, मंत्रालय ने योजना में निम्निलिखित दो संशोधन करने की अनुमित दीः










मसालेदार बारबिक्यु बट्टरफ्लाई श्रिम्प

संवर्ग I, II, III के लाभग्राहियों को क्रमशः 7 वर्ष के लिए वार्षिक रूप में निर्यात प्रतिबद्धता अपेक्षा में ₹ 20 करोड, ₹ 15 करोड एवं ₹ 28 करोड से 10 वर्ष के लिए वार्षिक रूप में ₹ 7 करोड, ₹ 5.3 करोड एवं ₹ 2.8 करोड की कटौती।

- पूँजी इमदाद सहायता ग्रहण करने के लिए बैंक प्रतिभृति में अर्ह इमदाद के 50% के मौजूदा स्तर से अर्ह इमदाद i) के 10% तक की कटौती।
- परिणामतः, इस योजना के तहत और निर्माता निर्यातकों ने मशीनरी मदों के उपार्जन के लिए अपने प्रस्ताव ii) प्रस्तृत किए हैं तथा इससे निश्चित रूप से आगामी वर्षों में मुल्यवर्धित समुद्री खाद्य के उत्पादन में वृद्धि होगी।



तिलापिया लेमन हेर्ब उत्पाद

सभी संसाधन मशीनरी एवं उपस्करों के लिए इमदाद ख)

पूर्व वर्षों में दी गई मंजूरी के आधार पर, हमने मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के उत्पादन के लिए सभी संसाधन मशीनरी एवं उपस्करों के अर्जन हेत् इमदाद नामक पिछली योजना के तहत एक यूनिट को ₹ 17.50 लाख की इमदाद दी थी।







9.1.2. शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) के रख-रखाव के लिए सहायता

क) रेफ्रिजरेटेड ट्रक/कंटेनेर्स के अर्जन के लिए वित्तीय समर्थन

परिवहन के दौरान, शीत श्रृंखला में अपेक्षित तापमान बनाए रखने हेतु कच्चे माल/अन्तिम उत्पादों के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेटेड ट्रक/कंटेनर्स के अर्जन के लिए तीन संसाधकों को 9.79 लाख दिए गए।

ख) बडे शीत भण्डार की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता

प्रशीतित समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता को 20° से. पर बनाए रखने के लिए विभिन्न समुद्री खाद्य उत्पादों के 3,747 टनों के भंण्डारण हेतु आधुनिक बडे शीत भण्डार की स्थापना के लिए 5 यूनिटों को ₹ 74.93 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।

ग) रोधीकृत मत्स्य डिब्बों का इमदादी वितरण

श्रिम्प फार्मों, पीलिंगशेडों, संसाधन संयंत्रों एवं शीतित मत्स्य हैंडलिंग केंद्रों के उचित परिरक्षण की योजना के विभिन्न संवर्गों के तहत 1486 लाभग्राहियों को ₹ 57.19 लाख की वित्तीय सहायता दी गई।

घ) अवसंरचना सुविधा के लिए इमदाद (जनरेटर सेट, डब्ल्यू पी एस, ई टी पी आदि)

पिछले वर्षों के दौरान दी गई मंजूरी के आधार पर हमने शुद्धीकरण प्रणाली, बहिस्राव अभिक्रिया प्रणाली की स्थापना एवं जनरेटर सेट के अर्जन के लिए पिछली योजना के तहत एक यूनिट को ₹ 14.16 लाख इमदाद दी थी।



केकडा करी

9.2. विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

मेसर्स आई एल व एफ एस इन्फ्रास्ट्रक्चर, बैंगलूर के, पहले की गई पूर्व संभाव्यता अध्ययन के आधार पर एम पी ई डी ए द्वारा अन्य मूल्यवर्धित समुद्री उत्पाद संक्रेंन्द्रित बिन्दु की स्थापना के उद्देश्य के लिए इफको किसान एस ई ज़ेड (सेज़) को उपयुक्त स्थान पाया गया। तदनुसार, हमारे अनुरोधानुसार, इफको किसान सेज़ लिमिटेड ने सैद्धान्तिक रूप से एन एफ डी बी को आबंटित किए जाने वाले स्थान के समीप मूल्यवर्धित समुद्री उत्पाद संक्रेंद्रित बिन्दु के विकास के लिए 125 एकड़ एवं आलंकारिक मत्स्य पार्क के विकास के लिए 50 एकड़ आबंटित करने की सहमित दी है। तथािप, विस्तृत संभाव्यता एवं व्यवसाय योजना की तैयारी के एक भाग के रूप में कार्यान्वयन हेत् परियोजना तैयार करने से पहले एक विस्तृत माँग मूल्यांकन एवं संभाव्यता विश्लेषण किए







जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी) ने भी मुख्य रूप से घरेलू बाजारों के लिए मूल्यविधित समुद्री खाद्य उत्पादों के संसाधन के लिए, सेज़ में संकेंद्रित बिन्दु की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा है अतः एम पी ई डी ए ने किसी संभाव्य आवृत्ति से बचने एवं सहक्रिया प्रभाव के लिए संयुक्त अध्ययन का प्रस्ताव दिया है। एन एफ डी बी द्वारा अध्ययन कार्य किया गया एवं रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है।



मत्स्य संयंत्र का एक दृश्य

10.0. गुणता नियंत्रण

गुणता नियंत्रण, समुद्री खाद्य उद्योग में एक अति महत्वपूर्ण घटक है। एम पी ई डी ए का, देश से निर्यातित समुद्री खाद्य की गुणता के सुधार के लिए ऐसे कदम उठाने का अधिदेश है। गुणता नियंत्रण अनुभाग, निर्यात बाज़ार के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य गुणवत्तापूर्ण मात्स्यिकी उत्पादों के उत्पादन हेतु समुद्री खाद्य उद्योग को मज़बूत करने के लिए लक्षित है। वर्ष 2010-11 के दौरान अनुभाग द्वारा किए गए कार्य की रूपरेखा नीचे दी जाती है:

10.1. छोटी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए इमदाद

मौजूदा गुणता नियंत्रण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, एम पी ई डी ए प्रित यूनिट लागत के 25% तक अर्थात् अधिकतम ₹ 1,50,000 इमदाद देकर अपनी खुद की गुणता नियंत्रण प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु संसाधन संयंत्रों को सहायता देता है। वर्ष 2010-11 के दौरान 6 संसाधन संयंत्रों को ₹ 4.73 लाख की मंजूरी दी गई/प्रदान की गई।

10.2. कैप्टीव पूर्व-संसाधन केंद्र के लिए इमदाद

यह योजना पूर्व-संसाधन कार्यकलापों को संसाधकों के नियंत्रण के अधीन लाने एवं सुविधाओं को एच ए सी सी पी तथा ई सी विनियमों के अनुसार उन्नत करने के लिए लक्षित है। इमदाद सहायता नए निर्माण के लिए वास्तविक व्यय के 50% की दर पर अधिकतम ₹ 15.00 लाख तक एवं नवीयन जिसके साथ पूर्व-संसाधन कक्ष का क्षेत्र भी जुडा है, के लिए वास्तविक व्यय के 45% की दर पर ₹ 13.50 लाख तक है। स्वतंत्र पूर्व-संसाधन केंद्रों के लिए अधिकतम सीमा ₹ 22 लाख है। कैप्टीव पूर्व संसाधन केंद्र के निर्माण के लिए 6 लाभभोगियों को इमदाद के रूप में ₹ 52.96 लाख की मंजूरी दी गई/वितरित की गई।







10.3. पूर्व-संसाधन केंद्र के लिए इमदाद

इस योजना का लक्ष्य एच ए सी सी पी एवं ई सी विनियमों के अनुसार पूर्व-संसाधन सुविधाओं का उन्नयन है। इमदाद सहायता, नए निर्माण के लिए वास्तिवक व्यय के 50% की दर पर अधिकतम $\ref{22.00}$ लाख तक एवं नवीयन के लिए वास्तिवक व्यय के 45% की दर पर अधिकतम $\ref{19.80}$ लाख तक इमदाद सहायता दी जाती है। इस अविध के दौरान स्वतंत्र पूर्व संसाधन केंद्र के निर्माण के लिए 16 लाभग्राहियों को इमदाद/अतिरिक्त इमदाद के रूप में $\ref{106.80}$ लाख वितरित किए गए।

10.4. ब्याज इमदाद सहायता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुमोदन के साथ एम पी ई डी ए ने, संयंत्र मालिकों द्वारा जिन बैंकरों से, ई ओ/जी ओ आई मानकों की समतुल्यता प्राप्त करने के लिए सुविधाओं के उन्नयन हेतु ऋण लिया था, उन्हें देय ब्याज की कुछ मात्रा की प्रतिपूर्ति हेतु ब्याज इमदाद योजना शुरू की थी। ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारी पूँजी निवेश अपेक्षित है। सांस्थानिक पूँजी होते हुए भी ऐसे साविध ऋणों केलिए 14 से 18.5% तक उच्च ब्याज लगता है। सहायता की मात्रा, 7% के अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज से अधिक बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज की दर का 7% या अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज से अधिक ब्याज की वास्तविक दर (अर्थात् 7%), इनमें से जो भी कम हो, अर्थात् प्रति यूनिट अधिकतम ₹ 15.00 लाख है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, समुद्री खाद्य संसाधन संयंत्र के उन्नयन के लिए ब्याज इमदाद सहायता के लिए 15 लाभग्राहियों को ₹ 97.04 लाख की मंजूरी दी गई/वितरित की गई।



अंबलपुषा में सामान्य पूर्व-संसाधन केंद्र का बाहरी दृश्य

10.5 ई यू द्वारा द्रुत सतर्कता अधिसूचनाएं (आर ए एस एफ एफ)

वित्तीय वर्ष के दौरान 34 द्रुत सतर्कता अधिसूचनाएं प्राप्त हुईं एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों ने जाँच की एवं अपनी रिपोर्ट दी।

10.6 अम्बलप्पुषा एवं शक्तिकुलंगरा में सामान्य पूर्व संसाधन केंद्र

अम्बलप्पुषा एवं शक्तिकुलंगरा में सामान्य पूर्व संसाधन केंद्र पूरा हो गया है।

10.7. एच ए सी सी पी प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत में एक सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के रूप में एम पी ई डी ए, उद्योग के तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर एच ए सी सी पी कार्यान्वयन में समुद्री खाद्य उद्योग को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कोचिन, चेन्नै











कोच्ची में आयोजित एच ए सी सी पी प्रशिक्षण का समापन समारोह

एवं गोआ में तीन एच ए सी सी पी (बृनियादी) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें समुद्री खाद्य उद्योग के 90 प्रौद्योगिकीविदों/गुणता नियंत्रण कार्मिकों ने भाग लिया।

10.8. एच ए सी सी पी मैनुअल जाँच

इस वर्ष के दौरान 14 एच ए सी सी पी मैनुअलों की जाँच की गई। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 2 यूनिटों को एच ए सी सी पी जाँच प्रमाणपत्र जारी किए गए एवं दो यूनिटों को एच ए सी सी पी अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किए गए।

10.9 ई यू अनुमोदित स्थापनाएं

एम पी ई डी ए वेबसाइट में ई यू को किए जानेवाले निर्यात के लिए अनुमोदित समुद्री खाद्य संसाधन स्थापनाओं की सूची को अद्यतन बनाया गया। वित्तीय वर्ष के अन्त में ई यू द्वारा 236 समुद्री खाद्य संसाधन स्थापनाएं एवं 31 स्वतंत्र शीत भण्डारों का अनुमोदन किया गया।

10.10 रूस को समुद्री उत्पादों का निर्यात (एफ एस वी पी एस)

पशुचिकित्सा एवं पादप स्वास्थ्य निगरानी फेडरल सेवा ने अब तक रिशयन फेडरेशन को किए जाने वाले समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए 78 भारतीय समुद्री खाद्य संसाधन स्थापनाओं का अनुमोदन किया।

10.11. वियतनाम को समुद्री उत्पादों का निर्यात

वियतनाम को किए जानेवाले समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए 188 भारतीय समुद्री खाद्य संसाधन स्थापनाएं अनुमोदित हैं।

10.12 मत्स्यन पत्तनों का उन्नयन

प्रस्तावित 19 मत्स्यन पत्तनों में से 5 मत्स्यन पत्तन (केरल में 3 एवं कर्नाटक में 2) फ्लेक बर्फ/ ट्यूब बर्फ बनाने वाली मशीन एवं नीलामी हाल में शीत कक्ष उपलब्ध कराकर उसका उन्नयन किया गया।

अन्य राज्य सरकारों (जैसे आन्ध्र प्रदेश, तिमलनाडु, गुजरात एवं गोआ) को उन राज्यों में चुने गए मत्स्यन पत्तनों में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि शेष 14 चुने हुए पत्तनों में भी हिम संयंत्र/ शीत कक्ष संस्थापित किए जा सकें।







10.13. लॉगो योजना

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, आई डी पी द्वारा तूत्तिकोरिन के एक यूनिट का मूल्यांकन किया गया एवं एम पी ई डी ए की समुद्री उत्पाद (गुणता अंकन) योजना के तहत अनुमोदन किया गया।

10.14. खाद्य और चारे के लिए ई यू दूत सतर्कता प्रणाली पर प्रशिक्षण (आर ए एस एफ एफ)

एम पी ई डी ए द्वारा यूरोपीय कमीशन स्वास्थ्य व उपभोक्ता महा निदेशालय के सहयोग से (डी जी एस ए एन सी ओ) खाद्य और चारे के लिए ई यू द्रुत सतर्कता प्रणाली पर 15 से 16 नवंबर 2011 तक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 21 भागीदारों ने प्रशिक्षण/कार्यशाला में भाग लिया (निर्यात निरीक्षण अभिकरण एवं एम पी ई डी ए दोनों मे से 8-8 भागीदार, स्पाइसेस बोर्ड से 2 भागीदार, ए पी ई डी ए, तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (सी ए ए) तथा एन आई एफ पी एच ए टी टी) में से 11 भागीदार।

ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय आर ए एस एफ एफ कॉनटैक्ट पॉइन्ट से सुश्री कैरोलिन क्रेजी एवं ए ई टी एस के परियोजना प्रबंधक, श्री सेबास्टिन रॉक्स (गुणता, अनुरूपता, मूल्यांकन एवं सुरक्षा विभाग) संकाय सदस्य थे।

11.0. गुणता नियंत्रण प्रयोगशालाएं

11.1. राष्ट्रीय अपशिष्ट नियंत्रण योजना (एन आर सी पी) 2010

अपशिष्ट नियंत्रण कार्यक्रम एन आर सी पी 2010 के अधीन एम पी ई डी ए, गुणता नियंत्रण की 3 गुणता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा 1981 नमूनों के लक्ष्य में से 2017 नमूनों का विश्लेषण किया गया (कोच्ची, भीमवारम एवं नेल्लूर)। प्रत्येक प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किए गए नमूनों के विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम सं	प्रयोगशाला	नमूनों की	संख्या
		लक्ष्य	उपलब्धि
क	गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, कोच्ची	732	746
ख	गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, नेल्लूर	646	667
ग	गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमवारम	603	604
	कुल	1981	2017



एम पी ई डी ए प्रयोगशाला में एच पी एल सी, जी सी एम एस व जी सी उपकरणों का एक दृश्य









11.2. परिणामों की संसूचना एवं गैर-अनुपालन परिणामों पर सतर्कता सूचना

नमुना विश्लेषण के पश्चात इसके परिणाम ऑन लाइन उपलब्ध किए जाते हैं (तत्काल इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण)। गैर-अनुपालन (अपशिष्ट सकारात्मक मामले) जॉच किए गए नमूनों के मामले में सतर्कता सूचनाएं तुरंत उपलब्ध/संसूचित की जाती हैं।

एम पी ई डी ए प्रयोगशाला, कोच्ची के दौरे के दौरान एक विदेशी प्रतिनिधि मंडल (बाएं से दाये तक): श्री साबी (प्रबंध निदेशक, फ्लायिंग सीफुड ग्रूप, दुबै-यु ए ई), श्री जॉन साफी (महा प्रबंधक, निप्पोन सुईसान कैषा लिमिटड, टोकियो, जापान) तथा श्री जेन्स पीटर क्लाउसन (प्रबंध निदेशक, जे पी क्लाउसन एवं कॉ ए/एस, डेनमार्क) के साथ श्री एन रमेश, निदेशक (विपणन), एम पी ई डी ए तथा श्री वी आई जोर्ज, उप निदेशक (प्रयोगशाला)।

11.3. एलिसा जॉच प्रयोगशालाएं (16 एलिसा प्रयोगशालाएं)

- आन्ध्र प्रदेश काक्किनडा, अमलापुरम, भीमवारम, बापटला, ऑन्गोल एवं नेल्लूर (अप्रैल 2009 से परिचालन में) में i) 6 प्रयोगशालाएं
- अन्य राज्य : (10 प्रयोगशालाएं) नवंबर 2009 से प्रवृत्त ii)
 - 1. पश्चिम बंगाल में 3 प्रयोगशालाएं (खरीबेरी, हरोआ एवं कोंटई)
 - 2. उड़ीसा में 2 प्रयोगशालाएं (बालासोर व पारादीप)
 - 3. तमिल नाडु (नागपट्टिनम)
 - 4. केरल (पय्यन्नूर)
 - 5. कर्नाटक (कुम्ता)
 - 6. महाराष्ट्र (पालघर)
 - 7. गुजरात (वल्साद)

11.4. संग्रहण पूर्व जाँच

संग्रहण-पूर्व जाँच कार्यक्रम के तहत, जलकृषि कृषकों को नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइटस एवं क्लोरामफेनिकॉल जैसे प्रतिबन्धित/ निषिद्ध प्रतिजैविकियों के लिए अपने उत्पाद (श्रिम्प/मत्स्य) की जाँच कराना होगा एवं संसाधकों/निर्यातकों को देने से पहले प्रमाणित करना होगा। संग्रहण-पूर्व जाँच के लिए 8 तटवर्ती राज्यों में स्थापित 16 एलीसा जाँच प्रयोगशालाएं सक्षम रूप से कार्य कर रही हैं। वर्ष 2010 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान संग्रहण पूर्व जाँच कार्यक्रम के अधीन (पी एच टी) 16 प्रयोगशालाओं ने 21,670 नमूनों का विश्लेषण किया, जो निम्न प्रकार हैं:

11.5. गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला भीमवारम द्वारा वाणिज्यिक नमुनों की जाँच

वर्ष 2010-11 के दौरान, भीमवारम प्रयोगशाला ने कुल 76 वाणिज्यिक नमुनों का विश्लेषण किया।

11.6. प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन

24 सितंबर 2012 एवं 24 अक्तूबर 2012 की अवधि के लिए कोचिन एवं भीवराम की एम पी ई डी ए प्रयोगशालाओं के एन ए बी एल प्रत्यायन को नवीकृत किया गया। नेल्लूर प्रयोगशाला के प्रत्यायन की वैधता 11 जनवरी 2011 तक है। प्रत्यायन







2010-11 के दौरान पूर्व-संग्रहण परीक्षण

क्रम सं.	एलिसा प्रयोगशाला	एलिसा द्वारा परीक्षित नमूनों की संख्या	सकारात्मक एलिसा की संख्या	गैर-अनुपालन नमूनों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश (6)	14660	58	14
2	पश्चिम बंगाल (3)	2243	100	8
3	उड़ीसा (2)	1427	0	0
4	तमिलनाडु	1163	0	0
5	केरल	23	0	0
6	कर्नाटक	57	0	0
7	महाराष्ट्र	323	3	0
8	गुजरात	2101	6	0
	कुल	21997	167	22

के नवीकरण के लिए 8 एवं 9 जनवरी 2011 में एन ए बी एल लेखा परीक्षकों द्वारा नेल्लूर प्रयोगशाला की पुर्नमूल्यांकन लेखा परीक्षा की गई।

11.7 शेलिफश पनपने वाले पानी का मानीटरिंग

कण्णूर जिले के पड़न्ना क्षेत्र में शेलिफश पनपने वाले पानी के मानीटरिंग अध्ययन का काम चालू वर्ष (2010-11) के दौरान जारी समझौते के अनुसार मेसर्स सी लैब को सौंपा गया। रिपोर्टाधीन अविध के दौरान पानी के विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण किए गए।

11.8 वेरावल के तट दूर क्षेत्र में सेफलोपोड में कैडिमयम का मानीटरिंग

वेरावल के तट दूर क्षेत्रों से पकडे गए सेफलोपोड (कट्टलिफश/स्क्वड/अक्टोपस) में कैडिमियम तत्व के ज्यादा पाए जाने की रिपोर्ट मिलने के कारण नमूनों की मौसमी उपलब्धता के अनुसार 7 अवतारण केंद्रों (वेरावल, खाराकुआं, मंगरोल, पोरबंदर, ओखा, भिंदिया एवं दियु) से नमूने एकित्रत करके गुजरात में अवतारण की गई पकड़ का मानिटिरंग किया जाता है एवं एम पी ई डी ए गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला में इनकी जाँच की जाती है। 2010-11 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त 80 सेफलोपोड् नमूनों के विश्लेषण किए गए।

11.9 राष्ट्रीय स्तर पर पीडकनाशी अपशिष्टों का मानीटरिंग (एम पी आर एन एल)

कृषि विभाग द्वारा निधिबद्ध परियोजना जारी है एवं वर्ष 2010-11 के दौरान भारत के तटवर्ती राज्यों में अन्तर्स्थलीय मत्स्यों एवं क्रस्टैशियनों, समुद्री क्रस्टेशियनों के नमूनों के विश्लेषण किए गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 480 नमूनों (अन्तर्स्थलीय मत्स्य एवं क्रस्टेशियन, समुद्री क्रस्टेशियन आदि) के विश्लेषण किए गए एवं परिणाम संसूचित किए गए।

11.10 भुवनेश्वर की एम पी ई डी ए गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला

मेसर्स इन्टरफील्ड लबॉरटरी को प्रबन्धन ठेके के आधार पर पट्टे पर दी गई, भुवनेश्वर की एम पी ई डी ए गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला वाणिज्यिक नमूनों का विश्लेषण कर रही है।









11.11 तमिलनाडु एवं उडीसा में नई गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव

प्रस्तावित दो नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए खुद की सुविधाएं बनाने हेतु भुवनेश्वर (उडीसा) एवं चेन्नई (तिमलनाड़) के (खरीद द्वारा या दीर्घकालिक पट्टे पर) राज्य सरकारों को आबंटित सरकारी भूमि की उपलब्धता हेतू कार्रवाई शुरू की गई।

11.12 आन्ध्र प्रदेश में नेल्लूर व भीमवारम गुणता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को अन्तरित करने के लिए खुद की सुविधाएं स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

नेल्लूर में गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु खुद की सुविधा बनाने के प्रस्ताव के लिए नेल्लूर में राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि को एम पी ई डी ए द्वारा खरीदा/अधिकार में लिया जा रहा है। भीमवारम में गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए खुद की सुविधा के निर्माण हेतु भीमवारम में उपयुक्त भूमि का पता लगाने एवं उसे आबंटित कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

11.13 गुणता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के कार्मिकों का प्रशिक्षण

वर्ष 2010-11 के दौरान कोच्ची, भीमवारम एवं नेल्लूर के कार्मिकों को 2 विदेशी कार्यक्रमों सहित 18 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों (प्रबन्धन एवं तकनीकी) में प्रशिक्षण दिए गए।

11.14 ई आई सी/एन ए बी एल द्वारा लेखा-परीक्षा

- एन ए बी एल लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी अनुमोदित योजना के तहत प्रत्यायन के नवीकरण के लिए 8 व 9 जनवरी 2011 i) को नेल्लुर प्रयोगशाला की पुनर्मुल्यांकन लेखा-परीक्षा की गई। भीमवारम एवं कोच्ची प्रयोगशालाओं के अधिकारियों द्वारा 17 एवं 18 मार्च 2011 को गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, नेल्लूर की आन्तरिक लेखा-परीक्षा की गई।
- ई आई सी ने गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमवारम का ई आई सी के अधीन अनुमोदन के नवीकरण के लिए लेखा परीक्षा ii) की। नेल्लूर एवं कोच्ची प्रयोगशालाओं के अधिकारियों द्वारा 20 एवं 21 फरवरी 2011 को गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमवारम की आन्तरिक लेखा-परीक्षा की गई।
- आई एस ओ: आई ई सी: 17025:2005 के अधीन अनुपालन के लिए एन ए बी एल द्वारा 26 एवं 27 जून 2010 को iii) कोच्ची प्रयोगशाला की लेखा-परीक्षा की गई एवं 28.9.2012 तक प्रत्यायन वैध है। कोच्ची प्रयोगशाला की आन्तरिक लेखा परीक्षा नेल्लुर एवं भीमवारम प्रयोगशाला के अधिकारियों द्वारा की गई।

11.15 अंतर-प्रयोगशाला तुलना कार्यक्रम

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोच्ची, भीमवारम एवं नेल्लूर की गुणता नियंत्रण प्रयोगशालाओं ने निम्नलिखित अन्तर-प्रयोगशाला जाँच कार्यक्रमों का आयोजन किया:-

- कोच्ची (1) सल्फाडयाजिन (2) गामा बी एच सी एवं क्लोरडेन (3) ए एच डी एवं ए एम ओ ज़ेड (4) ऑक्सी i) टेट्रासाइक्लिन (5) क्लोरामफेनिकॉल
- भीमवारम (1) एच सी बी-4, 4 डी डी टी (2) अर्सेनिक व लेड (3) ए ओ ज़ेड (4) सेमीकार्बज़ाइड (5) बी एच सी ii) (6) एलिंड्न (7) आर्सीनक व कैडिमयम (8) सल्फाडायिजन
- नेल्लूर (2) क्लोरामफेनिकॉल (2) कैडिमयम (3) मेर्कुरी (4) ऑक्सोलिनिक अम्ल iii)







11.16 657/2002/ई सी के अनुसार विधिमान्यकरण अध्ययन

विभिन्न पैरामीटरों के लिए अनिश्चितता उपायों की पुनर्गणना की गई एवं आँकडे, ई आई सी, नई दिल्ली को प्रस्तुत किए गए।

12.0. एम पी ई डी ए के अधीन सोसाइटियाँ

12.1. राजीव गाँधी जलकृषि केन्द्र

राजीव गाँधी जलकृषि केन्द्र, समुद्री उत्पाद केलिए निर्यात विकास प्राधिकरण की अनुसंधान एवं विकास योजना स्कीम के अधीन आता है। आर जी सी ए फिनफिश एवं शेलिफिश के लिए जलकृषि प्रौद्योगिकी के विकास में विशेष तौर पर देश में जलकृषि उत्पादन आधार को मज़बूत करने के लिए निर्यातोन्मुख कई किस्म विशेष अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इस सिलिसिले में आर जी सी ए ने समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा इन परियोजनाओं में विकसित प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए तिमलनाडु के नागपट्टिनम, सिरकाली में एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अंतरण प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के कार्यकलापों एवं कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण नीचे दिया जाता है:

12.1.1 प्रौद्योगिकी अंतरण प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स (टी टी टी ए सी) सिरकाली

सिरकाली के प्रौद्योगिकी अंतरण प्रशिक्षण एवं प्रशासिनक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य मार्च 2010 में पूरा हुआ एवं 28 जुलाई 2010 से आर जी सी ए मुख्यालय ने इस कॉम्प्लेक्स से कार्य करना शुरू किया है। आधुनिक जलकृषि पुस्तकालय, केन्द्रीय रोग विज्ञान प्रयोगशाला एवं केन्द्रीय आनुवंशिक प्रयोगशाला का विकास प्रगति पर है।

वर्ष 2010-11 के दौरान, आर जी सी ए के प्रौद्योगिकी अंतरण एवं प्रशिक्षण स्कन्ध ने 48 लाभग्राहियों के लिए एशियाई समुद्रीबैस जलकृषि में उत्तम पशुपालन प्रक्रिया में 5 सत्रों एवं 10 लाभग्राहियों के लिए कीचड केकड़ा जलकृषि में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा, टी टी टी स्कंध ने कृषकों, मछुआरों, टेक्नोक्रैटों, छात्रों एवं सरकारी कर्मचारियों के फायदे के लिए समुद्रीबैस एवं कीचड़ केकड़ा कृषि में 7 अवबोध एवं अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया एवं इन कार्यक्रमों से करीब 178 लोगों को फायदा हुआ।

12.1.2 टाइगर श्रिम्प परियोजना का प्रदर्शन - अंडमान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, डी टी एस पी - केन्द्रक प्रजनन केन्द्र (एन बी सी) के मुख्य भाग का सिविल निर्माण पूरा हो चुका है। आर जी सी ए ने प्रजनक गुणन केन्द्र के विकास के लिए कन्याकुमारी में तिमलनाडु सरकार द्वारा प्रदत्त 33 एकड भूमि का आधिपत्य भी किया।

मध्य अंडमान के अमकुंज के पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक संगरोध सुविधा में जारी टाइगर श्रिम्प परियोजना प्रचालन के संपूर्ण पालतूकरण हेतु नए प्रवर्तक वंश का विकास जारी रहा एवं सुविधा में 8 वंशों का सफलतापूर्वक विकास किया गया। परियोजना ने अंडमान में पयलटस्केल प्रचालन में एस पी एफ वंश की चौथी पीढी का सफलतापूर्वक विकास किया। उड़ीसा के समुद्र में गोपालपुर की उड़ीसा राज्य श्रिम्प उत्पादन व अनुसंधान केंद्र (ओसपार्क) सुविधा का आर जी सी ए ने अंडमान से चौथी पीढ़ी के एस पी एफ संग्रह को पयलट स्केल प्रजनक गुणन केंद्र (बी एम सी) के प्रचालन हेतु लिया।

फील्ड स्थिति में आर जी सी ए द्वारा उत्पादित एस पी एफ बीजों के निष्पादन के अध्ययन के लिए आर जी सी ए प्रदर्शन, करैक्कल, पोंडिच्चेरी में अंडमान से जी 4 एस पी एफ बीज का उपयोग करके एक फील्ड परीक्षण किया गया।







12.1.3. स्कैंपी प्रजनक विकास परियोजना

आन्ध्रप्रदेश के कृष्णा जिले के किन्कपाडु में स्थापित आर जी सी ए की स्कैंपी प्रजनक विकास परियोजना ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से संगृहीत तीन भौगोलिक रूप से विभिन्न प्राकृतिक वंश से विकसित स्कैंपी के उत्तम भारतीय वंश की पहचान के लिए डयलल संकरण परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

संपूर्ण नर स्कैंपी बीज उत्पादन के लिए अपेक्षित संदिग्ध नियोफीमेल्स की बडी मात्रा के विकास एवं प्रजनन में परियोजना सफल रही। संप्रति, इन संदिग्ध नियोफीमेल्स से संपूर्ण नर बीज के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता जाँच जारी है।

12.1.4. जलीय संगरोध सुविधा - नीलंकरै, चेन्नई

इस सुविधा में संगरोध कार्यकलाप जारी रहे एवं समीक्षाधीन अविध के दौरान, सी ए ए द्वारा अनुमोदित 21 पणधारियों द्वारा 42 बैचों में 17299 प्रजनक (8618 नर एवं 8618 मादा) आयातित किए गए। सुविधा में संगरोधित एवं भेजे गए प्रजनकों की संख्या 16443 रिकार्ड की गई (8209 नर व 8234 मादा) संगरोध सुविधा द्वारा प्राप्त जीवित प्रजनक के आधार पर उपलब्ध अन्तिम उत्तरजीविता दर 96.73% थी।



संगरोध क्यूबिकल का भीतरी दृश्य



कीचड केकडा हैचरी का भीतरी दृश्य







12.1.5. कीचड केकडा हैचरी परियोजना - तोडुवाय

इस वर्ष हासिल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, पायलट स्केल कीचड़ केकड़ा हैचरी सुविधा ने 3% के सामान्य सार्वभौमिक औसत के स्थान पर 14% की सर्वोच्च उत्तर जीविता दर रिकार्ड की। प्रोबयोटिस के उपयोग सिहत उन्नत प्रबन्धन नीति को अपनाना, उत्तर जीविता की दर को बढ़ाने में सहायक हुआ है। सुविधा में केकडा इन्स्टार - उत्पादन जारी रहा तथा समीक्षाधीन अविध के दौरान 13 चक्र पूरे किए गए एवं 2.27 लाख केकडा इंस्टार उत्पादित किए गए।

जुलाई 2010 के दौरान शुरू किया गया मुख्य कीचड़ केकडा हैचरी का निर्माण प्रगति पर है।

12.1.6. अर्टीमिया परियोजना - तूत्तिकोरिन

तूत्तिकोरिन के तरुवायकुलम में स्थित आर जी सी ए - अर्टीमिया परियोजना, अर्टीमिया बयोमास एवं सिस्ट के उत्पादन को मानकीकृत करने में सफल हुए। परियोजना ने आलंकारिक मत्स्य प्रजनन यूनिटों, श्रिम्प एवं अन्य फिनफिश हैचरियों को प्रशीतित डब्ल्यू एस एस वी (सफेद धब्बा संलक्षण वायरस) मुक्त बायोमास की आपूर्ति भी की। उपर्युक्त यूनिटों में यह उत्पाद अत्यधिक लोकप्रिय एवं इसकी अत्यधिक माँग है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परियोजना करीब 1.6 टन अर्टीमिया बयोमास उत्पादित एवं इसकी आपूर्ति करने में सफल रही। सिस्ट उत्पादन भी जारी रहा एवं वर्ष के दौरान करीब 32 किलो गीले अर्टीमिया सिस्ट का उत्पादन किया गया। संसाधन प्रणाली विज्ञान को मानकीकृत किया गया एवं इस वर्ष करीब 19 किलो सूखे सिस्ट उत्पादित किए गए।

इस क्षेत्र में एस एच जी के प्रसारणार्थ अर्टीमिया सिस्ट एवं बयोमास उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु एक पैकेज तैयार किया गया।

12.1.7. समुद्रीबैस हैचरी परियोजना

समुद्र जल जलाशयों, समुद्रीबैस एवं कीचड़ केकड़ा कार्यालय इमारत एवं सुविधा तक पहुँचने के लिए बिकंगहम कैनाल के आर पार नए लिंक का निर्माण जुलाई 2010 के दौरान शुरू किया गया। समुद्र जल जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है। परंतु कार्यालय एवं बिकंगहम कैनाल के आर पार लिंक का निर्माण शुरू किया जा रहा है।



हैचरी में उत्पादित समुद्रीबैस बीज







इस बीच, हैचरी सुविधा में सीबास बीज उत्पादन जारी रहा एवं समीक्षाधीन अविध के दौरान सुविधा में करीब 4.88 फिंगर लिंग्स उत्पादित किए गए एवं उनकी आपूर्ति की गई। समुद्रीबैस प्रजनकों के लिए संस्थापित आर ए एस - पुर्नपिरचालन जलकृषि प्रणाली को पूरी तरह प्रचालन में लाया गया एवं प्रणाली में मत्स्यों से सफलतापूर्ण अंडजनन हासिल किया गया। वर्ष के दौरान हैचरी में लाए जाने वाले प्राकृतिक मत्स्य की संगरोध प्रक्रियाओं को भी मानकीकृत किया गया।

12.1.8. जलकृषि प्रदर्शन फार्म - कारैक्कल, पोंडिच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र

करैक्कल के प्रदर्शन फार्म में जलकृषि तालाबों में समुद्रीबैस पिंजडा कृषि प्रदर्शन जारी रहा। जनवरी 2010 में संभिरत बैच का संग्रहण जुलाई 2010 में शुरू किया गया एवं इस बैच से करीब 4300 किलो पैदावार का उत्पादन हुआ।

तोडुवाई में आर जी सी ए के कीचड केकडा हैचरी में उत्पादित केकडा इंस्टार्स को कृषकों, एम पी ई डी ए प्रदर्शन एवं सी आई बी ए जैसे अनुसंधान संस्थानों को उनकी अनुसंधान जाँच के लिए देने हेतु प्रदर्शन फार्म के हापास में पाला गया। समीक्षाधीन अविध के दौरान करीब 21500 क्रैबलेट्स उत्पादित किए एवं प्रदर्शन फार्म से बेचे गए।

जलकृषि तालाबों में समुद्रीबैस की पिंजडा कृषि में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा इस अवधि के दौरान सुविधा में कई सीबास एवं कीचड केकडा कृषि में कई अवबोध एवं अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

12.1.9. ग्रूपर परियोजना - अंडमान

हैचरी में उत्पादित ग्रूपर फिगरिलंग्स की ग्रो-आउट कृषि जाँच करने के साथ साथ ग्रूपर प्रजनकों को रखने एवं अनुकूलित करने के लिए ग्रूपर पिंजडा स्टेशन में मौजूदा 13 एच डी पी ई पिंजडा राफ्ट के साथ एक अतिरिक्त 8 एच डी पी ई पिंजडा रॉफ्ट तैयार एवं नौबन्ध किया गया। कार्य करने के मौजूदा लकडी के चबूतरे के अतिरिक्त कार्य करने का लकडी का एक अलग चबूतरा (5 मी. \times 5 मी. विस्तार) स्टेशन में अलवण जल प्रक्षालन अभिक्रिया के दौरान हैंडलिंग, उन्हें रखने एवं अंडजिनत अंडों को पैक करने के लिए मुख्य रूप से नौबन्ध किया गया।

समीक्षाधीन अविध के दौरान हैचरी सुविधा में तीन सफल लार्वा अभिपोषण चक्र पूरे किए गए एवं करीब 2500 फिंगरिलंग्स उत्पादित किए गए।

ग्रूपर परियोजना में खुले समुद्री पिंजडों में हैचरी उत्पादित बीज से ग्रूपर कृषि में दो परीक्षण प्रगति पर है। संप्रति, परियोजना में करीब 600 किलो विपणन योग्य टाइगर ग्रुपर है।



वाई वाई तिलापिया







देश में पहली बार, चौकोर पूँछ कोरल ट्राउट-प्लेक्ट्रोपोमस एरोलाटस का प्राकृतिक अंडजनन, प्रजनक रख-रखाव पिंजडों में एवं इस किस्म का लार्वा अभिपोषण 26 दिनों तक हैचरी में किया गया।

12.1.10. तिलापिया परियोजना - कृष्ण जिला, आन्ध्रप्रदेश

दिसंबर 2009 में विश्व मत्स्य केंद्र, मलेशिया से आयातित जी आई एफ टी तिलापिया, आन्ध्रप्रदेश के कृष्णा जिले के मणिकोंडा ग्राम में स्थित तिलापिया परियोजना में प्रजनक आकार में बडा किया गया। जी आई एफ टी नस्ल तिलापिया के प्रजनक कार्यकलापों के लिए तिलापिया परियोजना में एक प्रजनक यूनिट भी स्थापित किया गया। परियोजना में जी आई एफ टी प्रजनकों की अगली पीढ़ी सफलतापूर्वक विकसित की गई। नवंबर 2011 में मेसर्स फिशजेन यू के से रेड लाइन वाई वाई तिलापिया के करीब 568 फिंगरिलंग्स आयात किए गए एवं फार्म में इन्हें प्रजनक में अभिपोषित किया जा रहा है।

12.1.11. समुद्री फिनफिश हैचरी परियोजना

इस वर्ष कोबिया के प्रजनन में आर जी सी ए के समुद्री फिनफिश परियोजना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। फलस्वरूप, लार्वा अभिपोषण प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने के प्रयास में मत्स्य पोषण की विभिन्न प्रचिलत विधि के साथ लार्वा अभिपोषण परीक्षण किया गया। नर्सरी अभिपोषण प्रचालन भी किया गया तथा पोष़ियूर के समुद्र में 12 से.मी. के 500 फिंगरलिंग्स रैंच किए गए।

खुले समुद्री पिंजडों में कोबिया प्रजनक रख-रखाव एवं ग्रो-आउट कृषि के लिए ज्यादा उपयुक्त स्थानों को खोजने हेतु तटवर्ती क्षेत्रों में एक विस्तृत सर्वेक्षण भी किया गया।

12.2. मत्स्य गुणता प्रबन्धन एवं चिरस्थाई मत्स्यन के लिए नेटवर्क (नेटिफश)

मत्स्य गुणता प्रबन्धन एवं चिरस्थाई मत्स्यन के लिए नेटवर्क (नेटिफिश) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), कोच्ची के संरक्षण के अधीन आने वाली एक पंजीकृत सोसाइटी है जो मत्स्य गुणता प्रबन्धन एवं चिरस्थाई मत्स्य को और अधिक उत्तम बनाने के लिए मछुआरों एवं अन्य पणधारियों को उपयोगी सूचना एवं विचार प्रदान करने के लक्ष्य से बनाया गया था। नेटिफिश का मुख्य उद्देश्य गुणता प्रबन्धन, फसलोत्तर हैंडिलिंग एवं मात्स्यिकी संपदाओं के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में मात्स्यिकी एवं मत्स्य संसाधन क्षेत्रों के मछुआरों एवं अन्य कामगारों के बीच विस्तारण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण है।

12.2.1. नेटफिश कार्यकलाप

वर्ष 2010-11 के दौरान, नेटिफश ने चुने हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बार-बार आयोजन किया। इन क्षेत्रों का चुनाव मत्स्य पत्तनों/नौभरण केंद्रों की सिन्नकटता एवं मत्स्यन के हिसाब से इनके महत्व तथा निर्यात के लिए उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए किया गया। इन चुने हुए क्षेत्रों में मत्स्य गुणता प्रबन्धन एवं चिरस्थाई मत्स्यन पर विभिन्न मुद्दों को पहचानकर, अपेक्षाओं के आधार पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2010-11 (तालिका -1) के दौरान भारत के तटवर्ती राज्यों में नेटिफश 3005 विस्तारण कार्यक्रम आयोजित किए। मत्स्य गुणता प्रबन्धन संरक्षण एवं चिरस्थाई मत्स्यन के विभिन्न पहलुओं पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा नेटिफश ने दीर्घकाल तक याद रखने हेतु मछुआरों के लिए गली नाटक (368), चिकित्सा कैंप (1), पत्तन/तटवर्ती सफाई (2), रैली (2), स्कूल कार्यक्रम (16), द्वार से द्वार कार्यक्रम (3), जनसंचार (24) एवं अन्य विशेष कार्यक्रम(19) आदि आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के अलावा बोट पंजीकरण पर एक गहन अभियान आयोजित किया गया एवं इन पहलुओं में करीब 209 कार्यक्रम











तृत्तिकोरिन में मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान नेटफिश ने वृत्तचित्र (एक) एनिमेशन फिल्म (1) एवं प्रशिक्षण मैनुअल (एक) जैसे नए विस्तारण साधन विकसित किए।

12.2.2 अन्य कार्यकलाप

वेरावल में जन संचार 1)

'श्री अखिल गुजरात मच्छीमार महा मंडल' द्वारा 6 मार्च 2011 को वेरावल में आयोजित 'मछुआरा दिन' में नेटिफश ने भाग लिया। 125 से ज्यादा बडे एवं छोटे अवतारण केन्द्रों से करीब 1 लाख मछुआरों ने भाग लिया। नेटिफश ने अपने कार्यकलापों के व्यापक प्रचार के लिए इस अवसर को लिया। मछ्आरों को मत्स्य गुणता प्रबन्धन, संरक्षण एवं चिरस्थाई मत्स्यन के विभिन्न पहलुओं एवं एम पी ई डी ए की विभिन्न इमदाद योजनाओं पर सूचना प्रदान करने हेतु एक स्टॉल लगाया गया। नेटिफश पोस्टर्स, पर्चियाँ, एवं हस्वचित्र वितरित किए गए एवं स्टॉल में प्रदर्शित किए गए।

व्यापक बोट सफाई कार्यक्रम 2)

नेटिफश ने बर्तनों एवं मत्स्य संपर्क में आनेवाली सतहों की सफाई पर मछुआरा समुदाय को संदेश देने के लक्ष्य के साथ वेरावल एवं मंगरोल में व्यापक बोट सफाई कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कर्मीदल सदस्यों को प्रक्षालक, ब्रश, पोंछन आदि प्रदान किए गए। मात्स्यिकी विभाग ने बोट साफ करने के लिए पानी एवं कामगार प्रदान करके अपना समर्थन दिया। मात्स्यिकी कॉलेज, वेरावल के स्नातकोत्तर छात्र ने भी मत्स्यन यान, क्रेट एवं मत्स्य संपर्क सतह की सफाई एवं व्यक्तिगत स्वच्छता रखने के महत्व पर कर्मीदल सदस्य को शिक्षित करते हुए सिक्रय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 141 मत्स्यन यानों को साफ किया गया।

फील्ड दिवस एवं प्रदर्शन 3)

नेटिफश ने कर्नाटक पशुपालन तथा अन्कोला एवं बी एफ डी ए के मात्स्यिकी विश्व विद्यालय के समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान स्कंध के सहयोग के साथ उत्तर कन्नडा जिले के श्रिम्प कृषकों के लिए अन्कोला में 20 मई 2010 को 'फील्ड दिवस' का आयोजन किया। नेटिफश राज्य समन्वयन ने कल्चर्ड श्रिम्प के संभरण एवं संग्रहणोत्तर हैंडलिंग पर एक व्याख्यान दिया। बाद में कृषकों को एक फील्ड दिखाने के लिए ले जाया गया जहाँ संभरण के बाद चारा देने एवं परिरक्षण पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।







	1	2010 11	1 1	1 0	10	, ,	
ताालका -	ाः वष	2010-11	क दारान	नेटफिश द्वारा	आयााजत	कायक्रमा का	ाववरण

			٢					ाटाचम्स									
			1	नेयमित	। कायः	ян					ાવશ	ष का	यक्रम			巨	
क्रम सं	राज्य/क्षेत्र	लैंडिंग केन्द्र-गुणता	संरक्षण	ऑन बोर्ड	पूर्व संसाधन	अक्वा फार्म	सखा मत्स्व	गली नाटक	चिकित्सा कैंप	हार्बर/तटवर्ती सफाई	जलूस/रैली	विद्यालय कार्यक्रम	द्वार से द्वार कार्यक्रम	जन संचार	अन्त	नाव पंजीकरण अभियान	वित्तीय वर्ष कुल
1	केरल-दक्षिण	59	43	10	103			45		1				4	5	52	322
2	केरल-उत्तर	101	96	7				95						11		20	330
3	कर्नाटक/गोआ	94	89	8	12	16	27	27					3	2	1		279
4	महाराष्ट्र	73	92	11	27	9	28	45		1	1	5			2	7	301
5	गुजरात	117	64	6	36		22	5						1	2	29	282
6	तमिलनाडु (द)	100	103	22	20	11		48				5					309
7	तमिलनाडु (उ)	113	85	10	8							2					218
8	आन्ध्र प्रदेश	96	67	8	22	10	12	55						3		18	291
9	उड़ीसा	43	85	104	24	12	6		1						9	58	342
10	पश्चिम बंगाल	84	39	18	21	73	15	48			1	4		3		25	331
	ब्योरा	880	763	204	273	131	110	368	1	2	2	16	3	24	19	209	3005

4) कारवार में 'एग्री-मत्स्य मेला' में भागीदारी

कर्नाटक में जलकृषि, उद्यान कृषि एवं मात्स्यिकी विभाग, कर्नाटक पशुपालन, पशु एवं मात्स्यिकी विज्ञान विश्वविद्यालय, बिदर तथा एन एफ डी बी, हैदराबाद ने संयुक्त रूप से 9 से 11 अक्तूबर 2010 तक कारवार में कृषि उत्सव, पृष्प प्रदर्शनी एवं मत्स्य मेले का आयोजन किया। इस क्षेत्र में मत्स्य एवं मात्स्यिकी के महत्व के बारे में जानकारी फैलाने के प्रयास में नेटिफश ने मेले में एक स्टॉल लगाया। कार्यक्रम के सभी भागीदारों को क्षेत्र में एम पी ई डी ए एवं नेटिफश के कार्यकलापों को विस्तृत रूप से समझाया। भागीदारों के लिए शाम के दौरान 'चिरस्थाई मत्स्यन एवं संरक्षण' पर नेटिफश गलीनाटक प्रदर्शित किया गया एवं उपस्थित लोगों को वृत्तिचित्र भी दिखाया गया।

5) अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तट सफाई दिवस समारोह

मात्स्यिक कॉलेज, रत्निगिरि के सहयोग से नेटिफिश ने 20 सितंबर 2010 को अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तट सफाई दिवस के रूप में मनाया। इसके पीछे का प्रमुख लक्ष्य मछुआरों के बीच, समुद्री संपदाओं के संरक्षण एवं समुद्र तट, पत्तन एवं उसके चारों ओर की स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करना है। नेटिफिश राज्य समन्वयक, एन जी ओ सदस्य, प्राध्यापक एवं रत्निगिरि मात्स्यिकी कॉलेज से 35 छात्रों एवं रत्निगिरि पत्तन क्षेत्र के मछुआरों ने कार्यक्रम में सिक्रिय रूप से भाग लिया। रत्निगिरि पत्तन से प्रारंभ हुई रैली के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें छात्रों एवं अन्य भागीदारों ने समुद्री संरक्षण, स्वच्छ परिसर एवं मत्स्यों की









स्वास्थ्यकर हैंडलिंग, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि के महत्व पर नारों सहित प्लैकार्ड का उपयोग किया। रैली के पश्चात् भागीदारों ने रत्निगिरि पत्तन के पास के समुद्र तट को साफ किया। भागीदारों ने तटवर्ती क्षेत्र में बिखरे प्लास्टिक अपशिष्टों, पोलिथीन बैगों, थर्मोकोल के टुकडों, मिनॅरल वाटर बोतलों जैसी रद्दी वस्तुओं को साफ करने में सहायता दी। तटवर्ती सफाई कार्यक्रम ने मछुआरों को तट साफ रखने हेतु रही वस्तुओं का उचित निपटारा करने के लिए प्रेरित किया।

बी आर डी का प्रदर्शन **6**)

रत्नगिरि एवं हर्ने क्षेत्र में नेटिफश द्वारा बी आर डी (उप-पकड घटौती उपकरण) के उपयोग पर प्रदर्शन कक्षाओं का आयोजन किया गया। मत्स्य संग्रहण कोड सिरे में 20 मि.मी. के मेश आकार वाले बी आर डी का उपयोग मछुआरों को किशोरों एवं उप-पकड को न्यूनतम करने के लिए सिखाया गया। कार्यक्रम के भाग के रूप में किशोरों एवं लुप्त होती किस्मों को पहचानने के लिए मछुआरों को प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्हें प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण तथा चिरस्थाई मत्स्यन का महत्व समझाया गया।

पारदीप में मुफ्त चिकित्सा कैंप 7)

पारदीप मत्स्यन पत्तन में दिनांक 24 दिसंबर 2010 को मछुआरों के लिए एक चिकित्सा कैंप आयोजित किया गया। ट्रालर मालिकों, मत्स्यन बोट के कर्मीदल सदस्यों एवं मछुआरों ने कैंप से फायदा उठाया एवं रुधिर वर्ग एवं मुफ्त चिकित्सा जाँच करवाई। ऐसे चिकित्सा कैंप, नेटिफश को मछुआरा समुदाय के बीच एक घनिष्ठता स्थापित करने में सहायता देता है एवं यह नेटिफश कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावी बनाता है।



पारद्वीप में मुफ्त चिकित्सा कैंप

नेटिफश ने मत्स्यन यानों में बाँस टोकरियों के उपयोग को खत्म करने के लिए विशाखपट्टनम मत्स्यन पत्तन में 8) प्लास्टिक की छोटी टोकरियाँ शुरू कीं।

नेटिफिश ने पत्तन में 22 जनवरी 2011 को आयोजित एक कार्यक्रम में विशाखपट्टणम मत्स्यन पत्तन में छोटे किस्म की प्लास्टिक की टोकरियों को सफलतापूर्वक शुरू किया। ये प्लास्टिक टोकरियाँ अब तक पत्तन में उपयोग की गई बाँस टोकरियों की प्रतिकृति हैं। बोट मालिकों ने सूचित किया कि जैसे ही बाज़ार में नई प्लास्टिक टोकरियों का स्टॉक उपलब्ध होगा तुरंत ही सभी यानों में बाँस टोकरियों को बदल दिया जाएगा।







9) जुलूस/रैली

25 अप्रैल 2010 को नेटिफिश ने जल संपदाओं और उसके संरक्षण, समुद्र एवं तटवर्ती क्षेत्र के प्रदूषण आदि के महत्व पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए नेटिफिश बैनरों एवं पोस्टरों का प्रदर्शन करते हुए दिघा से बाजकुल तक मोटोर साइकिल रैली का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन सरबोदय संघ द्वारा 'जनता के लिए पानी' एवं 'पश्चिम बंगाल गाँधी शांति संस्थापन' के सहयोग के साथ किया।

10) रेडियो कार्यक्रम

6 सितंबर 2010 को ऑल इंडिया रेडियो, कोलकत्ता के माध्यम से तीन बृहत् जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे पश्चिम बंगाल में 13 सितंबर 2010 को समुद्री संपदाओं का संरक्षण एवं चिरस्थाई मत्स्यन पर एक 30 मिनट भाषण प्रसारित किया गया। ऑल इंडिया रेडियो, कोलकत्ता से एक महीने के लिए 'फार्म में पालन-पोषण किए गए श्रिम्प में कीचड़दार-फफूँदार गंध की समस्या' एवं 'फार्म में पालन-पोषण किए गए श्रिम्प के लिए प्रतिजैविकी के दुरुपयोग एवं संभरण पूर्व जाँच' विषय पर लघु भाषण प्रतिदिन प्रातः 6.30 बजे प्रसारित किया गया।

11) अक्वा फार्म कार्यक्रम

नेटिफिश ने पश्चिम बंगाल में अक्वा फार्मों में राज्य मात्स्यिक विभाग तथा एम पी ई डी ए के उप क्षेत्रीय केंद्र (अक्वा), कोलकत्ता के सहयोग से पालन-पोषण किए गए श्रिम्पों में कीचड़दार - फफूँददार गंध समस्याओं तथा 'प्रतिजैविकियों का दुरुपयोग तथा संग्रहण पूर्व परीक्षण', अक्वा फार्मों में स्वास्थ्यकर हैडिलंग एवं संग्रहण आदि पर अक्वा कृषकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अक्वा फार्मों में विस्तृत कार्यक्रमों का आयोजन किया। अक्वा फार्मों में जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान नेटिफिश ने भारतीय तटीय अक्वाकल्चर प्राधिकरण (सी ए ए आई) के साथ फार्म/भेरियों के पंजीकरण एवं पी एच टी पर अभियान चलाया। अक्वा फार्मों में प्रतिजैविकियों के दुरुपयोग पर निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के बाद, पश्चिम बंगाल में प्रतिजैविकी अपशिष्ट की उपस्थित के कारण ब्लैक टाइगर श्रिम्प के किसी भी परेषण को अस्वीकृत नहीं किया गया। पूर्वा मेदिनिपुर के सभी फार्मों में श्रिम्प के संग्रहण के लिए पर्याप्त बर्फ शामिल है। पूर्वा मेदिनिपुर के 70% अक्वा फार्मों में संग्रहण के बाद श्रिम्प को शीतित करके मारना तथा ठंडे पानी में उचित रूप से धोना, आदि का पालन किया जा रहा है। पूर्वा मेदिनिपुर में पकड़ पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ने से रोकने हेतु संग्रहण के बाद श्रिम्प का पृथक्करण पॉलथीन शीट से ढ़के हुए शेडों में किया जाता है। जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने के बाद, कृषक अब संभरण के लिए तालाब तैयार करने से पहले तालाब तल से कीचड हटा रहे हैं।

12) नेटफिश का मत्स्यफेड के साथ मिलकर मछुआरों केलिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

नेटफिश ने मत्स्यफेड जिला कार्यालय, कण्णूर के साथ मिलकर दिनांक 13 अक्तूबर 2010 को कण्णूर जिले के मोप्ला बे हार्बर, में मछुआरों केलिए एक जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मछुआरों, नीलामीकर्ताओं तथा नाव मालिकों सिहत पणधारी समूहों ने भाग लिया। सत्र के दौरान, ओनबोर्ड तथा पत्तनों में मत्स्य हैंडलिंग के दौरान लिए जाने वाले गुणवत्ता-उपायों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मछुआरा समुदाय ने अपने संदेह और उनका स्पष्टीकरण मॉगते हुए कार्यक्रम में सिक्रय रूप से भाग लिया। नेटिफिश द्वारा विकसित विभिन्न जागरूकता साधनों जैसे वृत्तिचित्र, पोस्टर आदि प्रतिभागियों को दिखाए गए। मत्स्यफेड ने भविष्य में भी नेटिफिश के साथ मिलकर कण्णूर जिले के विभिन्न भागों में मछुआरों तथा मछुआरा समुदायों के लिए इसी तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने में दिलचस्पी व्यक्त की।







13) अक्वा-अक्वारिया 2011 में भागीदारी

नेटिफिश ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए) द्वारा दिनांक 6-8 फरवरी, 2011 तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित एशिया की सबसे बडी अक्वेरियम प्रदर्शनी 'अक्वा अक्वारिया 2011' में भाग लिया। नेटिफिश ने लोगों केलिए अपने सारे विस्तारण कार्यकलापों को प्रस्तुत करने हेतु इस मौके का सही इस्तेमाल किया तथा विस्तारण साधन जैसे पोस्टर, पर्ची, वृत्त चित्र, एनिमेशन फिल्म, प्रशिक्षण मैनुअल आदि स्टॉल में प्रदर्शित किए। कृषक, वैज्ञानिक, व्यापारी व्यक्ति, राज्य मात्स्यिकी अधिकारियों तथा स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने नेटिफिश स्टॉल का दौरा किया। लोगों को मत्स्य की स्वास्थ्यकर हैंडिलिंग एवं संरक्षण पर नेटिफिश के विभिन्न वृत्त चित्र तथा ऐनिमेशन फिल्म एक अलग मंच पर दिखाए गए जिसने समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। मत्स्य संसाधनों का संरक्षण, गुणता प्रबंधन तथा चिरस्थाई मत्स्यन पर नेटिफिश के संदेश को गली नाटक के रूप में जनता के लिए प्रस्तुत किया गया। कर्नाटक टीम की यक्षगान शैली और आन्ध्र तथा केरल टीम का गली नाटक और तिमलनाटु टीम का लोकनृत्य आदि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण थे। नेटिफिश अधिकारियों ने प्रदर्शनी के दौरान विविध तटवर्ती राज्यों के सैकड़ों कृषकों से बातचीत की और उनके साथ जलकृष्टि में स्वास्थ्यकर प्रवर्तन पर विस्तार से चर्चा की।

14) विस्तारण उपकरणों का विकास

नेटिफश ने विस्तारण कार्यक्रम मज़बूत करने हेतु विविध विस्तारण साधन जैसेकि गली नाटक, पर्ची, वृत्त चित्र, पोस्टर तथा ऐनिमेशन फिल्म आदि विकसित किए हैं।

नेटफिश ने गली नाटक कार्यक्रम मलयालम, तिमल, तेलुगु, कन्नड तथा बंगला में रिकार्ड करके दूरदर्शन तथा अन्य स्थानीय टीवी चैनलों में प्रसारण करने हेतु उसको डीवीडी में परिवर्तित किया। वर्ष के दौरान संरक्षण तथा चिरस्थाई मत्स्यन पर एक नया गली नाटक भी तैयार किया गया।

15) वृत्त-चित्र तथा ऐनिमेशन फिल्में

नेटफिश ने पूर्व-संसाधन केन्द्रों में स्वास्थ्यकर हैंडलिंग प्रथाओं पर एक वृत्त चित्र का निर्माण किया। उत्तरदायित्वपूर्ण मत्स्यन पर एक ऐनिमेशन फिल्म का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

16) प्रशिक्षण मैनुअल

वित्तीय वर्ष के दौरान मत्स्य गुणता प्रबंधन तथा समुद्री मत्स्य संपदाओं पर एक प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किया गया था।

12.3. राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा)

राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केंद्र (नाक्सा) को एम पी ई डी ए के एक आउटरीच संगठन के रूप में बेहतर प्रबंधन प्रक्रिया (बी एम पी), क्लस्टर निर्माण एवं प्रबंधन के सामूहिक प्रयोग द्वारा श्रिम्प स्वास्थ्य तथा गुणता प्रबंधन हेतु लघुतम श्रिम्प कृषकों के क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं केलिए संस्थापित किया गया था।

नाक्सा का समग्र लक्ष्य, लघुतम स्तर के कृषकों को सशक्त बनाकर चिरस्थाई जलकृषि हासिल करना है तथा इसके उद्देश्य हैं:

- 💠 भागीदारी रुख द्वारा जलकृषि चिरस्थायिता को बेहतर बनाने केलिए विज्ञान आधारित प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- 💠 लघुतम स्तर के जलकृषि कृषकों का क्षमता निर्माण एवं उन्हें सशक्त करना।







- 💠 लघुतम स्तर के जलकृषि कृषकों को बेहतर सेवा प्रावधान प्रदान करना।
- 💠 अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषकों को जोड़ना।
- 💠 पणधारियों के बीच बातचीत सुसाध्य करना।

12.3.1 जलकृषि कृषक सोसाइटियों की स्थापना

2010-11 के वित्तीय वर्ष के दौरान नाक्सा ने 250 सोसाइटियों का पंजीकरण प्राप्त किया। आज की तारीख में नाक्सा के अधीन 772 सोसाइटियाँ शामिल हैं, इनमें 15432 हे. क्षेत्र के 16760 कृषक शामिल हैं। सीओपी अपनाने हेतु 315 सोसाइटियों ने अनिन्तम रूप से एम पी ई डी ए के साथ पंजीकरण किया है। पंजीकृत सोसाइटियों का विवरण तालिका - 1 में दिया जाता है। सी ए ए तथा एम पी ई डी ए के साथ पंजीकृत सोसाइटियों का विवरण तालिका - 2 में दिया जाता है।

तालिका - 1: सोसाइटी पंजीकरण की राज्यवार स्थिति

राज्य	सोसाइटियाँ	कृषक	क्षेत्र (हे.)
आन्ध्र प्रदेश	605	13240	12082
उड़ीसा	54	1168	786
तमिलनाटु	42	1013	1796
पश्चिम बंगाल	50	980	358
कर्नाटक तथा केरल	21	359	410
कुल	772	16760	15432

तालिका - 2: अब तक पंजीकृत सोसाइटियों का विवरण

वर्ष	पंजीकृत राज्य	एम पी ई डी ए	अपूर्ण					
	राज्य	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	ु ए कुल	
2004-05	2	1	-	-	-	-	1	1
2005-06	0	0	-	-	-	-	0	0
2006-07	27	7	7	7	-	-	21	6
2007-08	52	-	21	26	2	3	52	0
2008-09	143	-	-	56	51	9	116	27
2009-10	245	-	-	-	35	48	83	162
2010-11	105	-	-	-	-	42	42	63
आवेदित	78	-	-	-	-	-	-	-
संसाधित	120	-	-	-	-	-	-	-
कुल	772	8	28	89	88	102	315	259









12.3.2 वर्ष 2010 में पैदावार की स्थित

नाक्सा के तकनीकी कर्मचारी पैदावार का उत्पादन बढ़ाने हेतु सोसाइटियों को सहायता दे रहे हैं। नाक्सा सोसाइटियों से पैदावार की तुलना का सार तालिका - 3 में दिया जाता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सोसाइटियों के आर्थिक निष्पादन तालिका-4 में दिए जाते हैं।

तालिका - 3: नाक्सा सोसाइटियों में पैदावार तुलना का सारांश

घटक	2009	2010
औसत भंडारण संख्या	58660	71621
डी ओ सी	94 दिन	124 दिन
उत्तरजीविता	89%	70%
एफ सी आर	1.4	1.4
औसत उत्पादन	1058.274 कि.ग्रा.	1479.842 कि.ग्रा.
औसत शरीर वज़न	20.27 ग्रा.	27.2 ग्रा.
उत्पाद शुल्क रु./कि.ग्रा.	157.57	174.22
राजस्व रु./कि.ग्रा.	251.87	276.21
लाभ रु./कि.ग्रा.	94.3	101.99
खर्च किया हुआ हर 1000 के लिए लाभ	₹ 599	₹ 585

नाक्सा द्वारा तकनीकी सहायता प्रदत्त प्रत्येक तालाब से एकत्रित तालाब निष्पादन आँकडे तुलना के लिए लिया गया था।

तालिका - 4: सोसाइटियों में श्रिम्प कृषि का आर्थिक निष्पादन

राज्य	जिला	ए वी जी संग्रहण	प्रति किलो सी ओ पी	प्रति किलो राजस्व
		आकार का औसत	का औसत	का औसत
आन्ध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	25.8	184.99	249.99
	गुंटूर	26.2	182.62	286.32
	कृष्णा	29.2	146.89	285.62
	प्रकाशम	27.0	164.12	320.32
	एस पी एस आर नेल्लूर	31.6	175.31	305.62
	पश्चिम गोदावरी	25.1	170.87	267.40
	कुल	27.2	174.37	277.01
कर्नाटक	साउथ कैनरा	36.2	181.20	363.00
	उडुप्पी	24.4	135.80	219.99
	नोर्थ कैनरा	22.5	272.00	220.04
	कुल	23.8	169.48	223.82
	कुल योग	27.2	174,22	276.21







12.3.3 नाक्सा द्वारा निष्पादित अन्य कार्यकलाप

i) नेल्लूर में श्रिम्प कृषकों की बैठक

दिनांक 14.07.2010 को सोसाइटी के अध्यक्षों तथा नेल्लूर जिले के कृषकों के साथ श्रिम्प की खेती से संबंधित विभिन्न समस्याओं तथा आन्ध्र प्रदेश में, विशेषतः नेल्लूर जिले में श्रिम्प खेती की स्थित का मूल्यांकन आदि के लिए बैठक आयोजित की गई थी। श्री दुवुरु राधाकृष्ण रेड्डी, अध्यक्ष, श्रिम्प कृष्ण संघ तथा श्री समन्तुला गोपाल रेड्डी, भूतपूर्व अध्यक्ष तथा नाक्सा के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कवाली, मयापडु, रमुदुपालम तथा पुडीपर्ती क्षेत्र सिंहत विभिन्न कृषिरत गाँवों/पंचायतों आदि के 35 सोसाइटी कृषकों ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक में, विभिन्न समस्याओं जैसे सी ए ए पंजीकरण, वन्नामई कल्चर केलिए लाइसेंस, जैव सुरक्षा उपायों के महत्व, पी एच टी प्रमाण-पत्र, प्रतिजैविकियों के दुरुपयोग आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कृषकों ने बिजली की अनुपलब्धता, सी सी ए पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु अनापित्त प्रमाण-पत्र पाने में हो रही अत्यधिक देरी आदि के बारे में अपनी शिकायतें व्यक्त कीं। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को यथाशीघ्र स्थानीय विधायक के सम्मुख लाया जाएगा।



नाक्सा ने श्री राधाकृष्ण रेड्डी, अध्यक्ष, नेल्लूर श्रिम्प कृषक संघ के साथ नेल्लूर जिला कृषकों की बैठक का आयोजन सुसाध्य बनाया

ii) दिनांक 27 से 28 अक्तूबर तक काक्किनाड़ा में क्लस्टर प्रमाणीकरण परियोजना पर आयोजित एम पी ई डी ए-नाक्सा/नाका की अंतिम कार्यशाला

दिनांक 27 व 28 अक्तूबर को काक्किनाडा में अंतिम परियोजना कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें एम पी ई डी ए के अध्यक्ष तथा नाक्सा के अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश के मात्स्यिकी आयुक्त तथा अन्य पणधारियों के साथ पायलट रूप से जाँच की गई जलकृषि सोसाइटियों के नेता, अन्य जलकृषि सोसाइटियों के चुने हुए नेता, प्रमाणीकरण निकायों के प्रतिनिधि, संसाधक एवं निर्यातक, श्रिम्प हैचरी प्रचालकों के प्रतिनिधि, आई सी ए आर संस्थाओं के शोधकर्ताओं (सी आई बी ए, सी आई एफ ए) तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (तिमलनाटु, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश के मात्स्यिकी कॉलेज), एम पी ई डी ए, नाक्सा, नाका, एन एफ डी बी, सी ए ए, राज्य मात्स्यिकी विभागों तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे।









परियोजना का परिणाम

- ग्रुप/क्लस्टर प्रमाणीकरण में मौजूदा कार्य तथा लघु कृषक क्लस्टर/सोसाइटियों को अपनी क्षमता बनाने तथा भविष्य में ग्रुप प्रमाणीकरण कार्यक्रमों में भाग लेने हेत् तकनीकी सहायता प्रदान करना जारी रहा।
- आई सी एस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एक संरचित तरीके से प्रशिक्षण को कार्यान्वित करना ताकि आई सी एस सिमितियों की क्षमता काफी मज़बूत हो जाएं।
- एक व्यवस्थित अनुपालन विश्लेषण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना ताकि आई सी एस कार्यकलापों के अनुसार अनुपालन तथा मानकों के अनुसार अनुपालन केलिए चुने हुए क्लस्टरों का मानीटरिंग एवं मूल्यांकन किया जा सके।
- लघु कृषकों को सक्षम तथा चिरस्थाई बने रहने केलिए आधुनिक बाज़ारों से जुड़ा रहना चाहिए।
- कार्यशाला इस विचार का दृढ़ता से समर्थन करता है कि नाक्सा के जारी कार्यक्रमों में आई सी एस कार्यकलापों पर क्लस्टरों/सोसाइटियों के क्षमता निर्माण तथा ग्रुप प्रमाणीकरण में दस्तावेजों का उपयोग करना चाहिए।
- भारत के लघ् कृषकों के फायदे केलिए ग्रूप प्रमाणीकरण कार्यक्रम एवं ग्रूप/क्लस्टर प्रबंधन रुख द्वारा बी एम पी अपनाने के विचार को आगामी वर्षों में भी जारी रखा जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश के माननीय मात्स्यिकी मंत्री के साथ कृषक बैठक का आयोजन iii)

नाक्सा ने दिनांक 09.06.2010 को विजयवाडा में आन्ध्र प्रदेश के माननीय मात्स्यिकी मंत्री, श्री पार्थसारथी के साथ कृष्णा तथा गुंडूर जिले के जलकृषि कृषकों के साथ एन एफ डी बी से विद्युतीकरण केलिए इमदाद योजना के प्रावधान के बारे में चर्चा करने हेत् एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में भाग लिए किसानों द्वारा उनको एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। माननीय मंत्री ने राज्य में की जा रही श्रिम्प कृषि के बारे में पूछा तथा संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाने की सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

भारत सरकार के माननीय कृषि राज्य मंत्री के साथ कृषकों की बैठक

एन एफ डी बी, एम पी ई डी ए, नाक्सा ने भारत में जलकृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु प्रोफसर के वी तोमस, माननीय कृषि राज्य मंत्री, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं लोक वितरण, भारत सरकार के साथ आन्ध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले के जलकृषि कृषकों की संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया। फार्मों में उत्पादन की लागत को कम करने के लिए विद्युतीकरण हेतु इमदाद का अनुरोध करते हुए माननीय मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया।

पूर्व, पश्चिम गोदावरी तथा गुंटूर जिले में आयोजित कृषक फील्ड दिवस

नाक्सा में सोसाइटी कृषकों के सफल पैदावार का संदेश प्रचारित करने हेतू दिनांक 09.08.2010 को चिन्नमैनलंका विल्लेज, नरसापुर मंडल, पश्चिम गोदावरी जिले में एक फील्ड दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 कृषकों ने भाग लिया। नाक्सा, क्षेत्रीय केन्द्र विजयवाडा तथा एलुरु के मात्स्यिकी विभाग के अधिकारियों ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया तथा किसानों के लिए विभिन्न संदेहों एवं सवालों को स्पष्ट किया। कृषकों को पी एच टी प्रमाण-पत्र, प्रतिजैविकी का दुरुपयोग, सी ए ए लाइसेंस आदि के बारे में भी समझाया गया। दिनांक 10.08.2010 को पूर्वी गोदावरी जिले के केसनाकुरु गाँव में एक समतुल्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 250 कृषकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में नबार्ड तथा आन्ध्र बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया और कृषकों केलिए उपलब्ध विविध योजनाओं के बारे में बताया। बी एम पी को अपनाने से हुई







सोसाइटी संकल्पना की सफलता को प्रसारित करने के लिए समतुल्य कार्यक्रम दिंडी अडुवुला गुंटूर जिले में आयोजित किया गया। नबार्ड तथा एल डी एम आन्ध्र बैंक के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में 200 कृषकों ने भाग लिया।

अन्य कृषकों को बी एम पी अपनाने एवं सोसाइटी संकल्पना की सफलता का प्रसार करने के लिए एक समतुल्य फील्ड दिवस अविरकाडु, तिमलनाटु में आयोजित किया गया। लगभग 200 कृषकों ने इस फील्ड दिवस में भाग लिया। इसमें गणमान्य व्यक्ति नागपट्टणम जिले के माननीय कलेक्टर श्री मुनियानाथन ने भाग लिया तथा सभा को संबोधित किया और सोसाइटी संकल्पना के माध्यम से निम्नलिखित बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं द्वारा जलकृषि फार्मिंग की सफलता का संदेश दिया।

क्षमता निर्माण

- बेहत्तर प्रबंधन प्रथाओं का कार्यान्वयन विस्तारण कार्यकलाप में नाक्सा ने आंध्र प्रदेश के सोसाइटी फामों में 19 मात्स्यिकी डिप्लोमा छात्रों को प्रशिक्षण दिया।
- 16.12.2010 को क्षमता निर्माण के भाग के रूप में नाक्सा ने अंडमान व निकोबार के 7 कृषकों को "खारा पानी जलकृषि" पर प्रशिक्षण दिया।
- 9.12.2010 को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरे के भाग के रूप में नाक्सा ने तिमलनाडु के तंजावूर के 10 कृषकों को बेहत्तर प्रबंधन प्रथाओं पर प्रशिक्षण दिया।
- सोसाइटियों की परिकल्पना एवं बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के बारे में सेंट्रल इनस्टिट्यूट ऑफ फिशरीज़ एड्यूकेशन से चौबीस
 (24) छात्रों ने उनके अध्ययन दौरे के भाग के रूप में नाक्सा का भी दौरा किया।
- 💠 🛾 क्षमता निर्माण के भाग के रूप में नाक्सा कर्मचारियों को प्रीमीयर एक्स्टन्शन इन्स्टिट्यूट मैनेज, हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया।

vi) विस्तारण सामग्रियों को तैयार करना

अक्वा कृषकों के बीच विस्तारण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जलकृषि में बेहत्तर प्रबंधन प्रथाओं पर (बी एम पी) एक वीडियो प्रस्तुत किया गया है।

सोसाइटी परिकल्पना और बी एम पी को स्वीकार करने के लिए एक विस्तारण सामग्री के रूप में कलेंडरों का उपयोग किया गया है।

13.0. राजभाषा कार्यकलाप

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित एक कार्यालय है। प्राधिकरण के 22 फील्ड कार्यालय भी राजभाषा नियम 10 (4) के तहत अधिसूचित हैं। राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 केलिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित राजभाषा कार्यकलापों की लगभग सभी मदों का प्राधिकरण में कार्यान्वयन हो चुका है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने केलिए सभी फील्ड कार्यालयों के साथ निकट संपर्क रखा गया। प्राधिकरण के 99.37% कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। राजभाषा विभाग द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाएं प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। उत्कृष्ट राजभाषा निष्पादन केलिए एम पी ई डी ए द्वारा 10 राजभाषा ट्रोफियाँ संस्थापित की गई हैं 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित फील्ड कार्यालयों केलिए 3, 'ग' क्षेत्र केलिए 4 तथा मुख्यालय अनुभागों केलिए 3।

इसके अलावा, राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन केलिए निम्निलिखित शुरू की गईं प्रोत्साहन योजनाएं रिपोर्टाधीन अविध के दौरान रखी गई:-









- फाइलों व रजिस्टरों में 10000 हिन्दी शब्द लिखनेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों को ₹ 1000 की दर पर नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- राजभाषा विभाग के आदेशानुसार हिन्दी/हिन्दी टाइपराइटिंग/हिन्दी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- हिन्दी सप्ताह समारोह के सिलसिले में आयोजित विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं में उच्च अंक प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी को ₹ 600 के नकद पुरस्कार के साथ 'राजभाषा प्रतिभा' की उपाधि दी जाती है।
- हिन्दी सप्ताह समारोह के सिलसिले में आयोजित विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त अनुभाग को राजभाषा ट्रोफी दी जाती है।
- हिन्दी कार्यशालाओं के सिलसिले में आयोजित परीक्षा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- एस एस एल सी/सी बी एस ई/आई सी एस ई 10 वीं कक्षा एवं प्लस 2 परीक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त कर्मचारियों के बच्चों को ₹ 400 की दर पर नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- ग्रूप 'ग' के कर्मचारी जो कार्यालय के प्रवेश द्वार पर रखे श्याम/श्वेत पट्ट में हिन्दी शब्द उसके पर्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द के साथ 'आज का शब्द' लिखते हैं उनको हर वर्ष ₹ 750 का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान उत्तम राजभाषा निष्पादन केलिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संस्थापित इन्दिरा गाँधी राजभाषा शील्ड (तृतीय पुरस्कार) जीत लिया। प्राधिकरण ने वर्ष 2009-10 के दौरान उत्तम राजभाषा निष्पादन के लिए कोचिन टोलिक द्वारा संस्थापित राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार) भी जीत लिया। वर्ष 2009-10 के दौरान कोचिन टोलिक के सदस्य संगठनों में से प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित हिन्दी गृहपत्रिका "सागरिका" को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

वर्ष 2010-11 के दौरान हिन्दी में मूल टिप्पण व आलेखन लिखनेवाले 38 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए गए। दिनाक 14 से 28 सितंबर 2010 तक विविध हिन्दी प्रतियोगिताओं के साथ हिन्दी पखवाड़ा समारोह आयोजित किया गया और विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिए गए। हिन्दी पखवाडे के सिलसिले में आयोजित हिन्दी प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त विपणन सेवा अनुभाग को राजभाषा शील्ड प्रदान किया गया।

28 सितंबर 2010 को कर्मचारियों के बच्चों एवं निकटवर्ती स्कूल के बच्चों के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। बच्चों की हिन्दी प्रतियोगिताओं में सबसे उच्चतम अंक प्राप्त स्कूल के लिए एक राजभाषा रोलिंग ट्रोफी भी आरंभ की गई। टोक एच स्कूल को राजभाषा रोलिंग ट्रोफी से पुरस्कृत किया गया। हिन्दी प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत बच्चों के लिए दिनांक 8.5.2010 को तुम्बोरमोष्ट्री में एक हिन्दी संवर्धन पिकनिक का आयोजन किया गया।

हिन्दी गृह पत्रिका "सागरिका" के चार अंक प्रकाशित किए गए और प्राधिकरण के कर्मचारियों, कोचिन टोलिक के सदस्यों और हिन्दी सलाहकर सिमिति के सदस्यों और विविध मंत्रालयों के बीच वितरित किए गए।

वर्ष के दौरान 10 फील्ड कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और संबद्ध कार्यालयों को हिन्दी कार्यान्वयन में हुई किमयों की पुष्टि के बारे में निर्देश दिए गए।









हिंदी पखवाड़ा समारोह 2010 के सिलसिले में आयोजित बच्चों की हिंदी प्रतियोगिताओं में सबसे अधिक अंक प्राप्त स्कूल के लिए संस्थापित एम पी ई डी ए राजभाषा रोलिंग ट्रोफी स्वीकार करते हुए टोक एच स्कूल के छात्र

वर्ष के दौरान मुख्यालय के 2 दिनों के 4 और फील्ड कार्यालयों में 18 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। पिछले वर्षों की तरह कार्यशाला में चर्चा किए गए विषयों के आधार पर कार्यशाला के दूसरे दिन एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई और प्रत्येक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त अधिकारियों/कमचारियों को नकद पुरस्कार भी दिए गए।

14.0. प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को क्षमता निर्माण के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/संगोष्ठी का विवरण नीचे दिया जाता है:

क्रम	ा सं. प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण का विषय	भाग लिए गए अधिकारियों की संख्या	संकाय सदस्यों का नाम
1	2	3	4	5
1.	17 से 24 अप्रैल 2010 तक आठ (8) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	कीचड केकडा जलकृषि पर मज़दूर प्रशिक्षण	5	आर जी सी ए द्वारा आयोजित
2.	22 मई 2010 को सी एम एफ आर आई, कोच्ची में एक दिवसीय संगोष्ठी	"जीव विविधता"	1	केरल वन विभाग के साथ केरल राज्य जीव विविधता बोर्ड
3.	3 से 14 मई 2010 तक बारह (12) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	दूरवर्ती संवेदी एवं जलकृषि के लिए जी आई एस उपयोग	15	एन आर एस सी, हैदराबाद
4.	26.5.2010 से 28.5.2010 तक तीन (3) दिवसीय परिसंवाद	इंडियन अक्वा इन्वेस्ट काँग्रेस एवं एक्स्पो 2010	2	सी आई एफ ई, मुंबई







वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

5.	21 से 25 जून 2010 तक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	लेखा सहायक के पद की पदोन्नति	29	एम पी ई डी ए
6.	25 जून 2010 को एक दिवसीय सेमिनार	सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पर सेमिनार	2	सी आई एफ ई मुंबई
7.	25 जून 2010 को एक दिवसीय कार्यशाला	निर्यात-आयात प्रलेख और प्रक्रिया पर एक दिवसीय कार्यशाला	1	प्रबंध अध्ययन केन्द्र, चेन्नई
8.	02 से 3 जुलाई 2010 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण	"भारत में एम रोसनबर्गी में आनुवंशिकी विकास" पर प्रशिक्षण	1	सी आई एफ ए, भुवनेश्वर
9.	6.7.2010 को एक दिवसीय कार्यशाला	"बीज उत्पादन का परिचय तथा भारत में एल वन्नामई की कृषि" पर कार्यशाला	1	सी आई बी ए एवं सी ए ए
10.	17 से 18 जुलाई 2010 तक दो दिवसीय कार्यशाला	"बाहरी समुद्री पिंज़रा कृषि से समुद्रीबैस के संग्रहण कार्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा "बाहरी समुद्री पिंज़रा कृषि" पर राष्ट्रीय कार्यशाला	3	सी एम एफ आर आई एवं एन एफ डी बी
11.	28.7.2010 को एक दिवसीय कार्यशाला	भारत में एल.वन्नामई कृषि पर कार्यशाला	1	सी आई बी ए, चेन्नई
12.	27 से 28 अगस्त 2010 तक दो दिवसीय सेमिनार	"स्थानीय रूप से उपलब्ध मत्स्य किस्मों के द्वारा जलकृषि का विविधीकरण" पर राष्ट्रीय सेमिनार	2	केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षण संस्थान, कोलकत्ता
13.	27.8.2010 को चेन्नई में एक दिवसीय पुनरीक्षण कार्यशाला	भारत में एस पी एफ एल वन्नामई कृषि में वाणिज्यिक परिचय पर पुनरीक्षण कार्यशाला	7	सी ए ए
14.	25.8.2010 से 3.9.2010 तक दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	एशियन समुद्रीबैस जलकृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ पशुपालन आचरण पर प्रशिक्षण	4	आर जी सी ए
15.	06 से 10 सितंबर 2010 तक पाँच (5) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	डी ओ पी टी, एरणाकुलम के तत्वावधान में प्रत्यक्ष प्रशिक्षक प्रवीणता (डी टी एस) पाठ्यक्रम	2	भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिमिटड
16.	15.9.2010 को संसाधन संयंत्र, हैचरी, कृषकों, एम पी ई डी ए एवं नाक्सा अधिकारियों के प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण	आई एन डी ओ आर सी इ टी, आलवाई द्वारा जैव उत्पादन के लिए ई यू मार्गदर्शन	20	एम पी ई डी ए





वार्षिक रिपोर्ट 2010-11



17. 13 से 17 सितंबर 2010 तक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	निर्यात-आयात प्रक्रिया एवं प्रलेख	2	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
18. 3.10.2010 को एक दिवसीय प्रशिक्षण	अक्वा उद्योग - एक अग्रदर्शी	5	सी आई एफ ई, कोलकत्ता
19. 11 से 12 अक्तूबर 2010 तक दो दिवसीय कार्यक्रम	सरकार में संभूति लेखा	1	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान (एन आई एफ एम), फरीदाबाद
20. 29 से 30 अक्तूबर 2010 तक चेन्नई में दो दिवसीय प्रशिक्षण	भारतीय जलकृषि में प्रगति एवं लाभ - अक्वा भारत 2010	1	जलकृषि व्यवसायी संघ (एस ए पी)
21. 01 से 03 दिसंबर 2010 तक तीन दिवसीय कार्यक्रम	अंतर्राष्ट्रीय परक्रामक पर प्रबंध विकास कार्यक्रम	1	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
22. 18 दिसंबर 2010 को एक दिवसीय कार्यक्रम	वाणिज्यिक/तटवर्ती विवाचन तथा विवाद समाधान प्रक्रम के रूप में मध्यस्थता पर राष्ट्रीय सम्मेलन	7	केरल चेम्बर हॉल, कोचिन
23. 21 से 25 मार्च 2011 तक पाँच (5) दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	सहायक निदोक (प्रशा) एवं लेखा अधिकारी के पद की पदोन्नति के लिए अनुभाग अधिकारियों एवं विरष्ठ लेखाकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	एम पी ई डी ए

15.0. आभारोक्ति

निर्यात क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां प्राधिकरण में इस व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों सहित समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग के बहुमूल्य प्रयासों से संभव हो पाई हैं।

प्राधिकरण को सभी मंत्रालयों, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों का सिक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है तथा प्राधिकरण उनका आभारी है। भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ई आई सी) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी जी एफ टी), आई सी ए आर संस्थान (सिफ्ट/सी एम एफ आर आई/सिबा) राष्ट्रीय मात्स्यिकी फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफ एस आई), केन्द्रीय मात्स्यिकी नाविक व इंजिनीयरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), महासागर विकास विभाग, जीव प्रौद्योगिकी विभाग आदि ने भी इस व्यवसाय के विकास एवं समुद्री उत्पादों का निर्यात उपलब्ध कराने में सिक्रिय भूमिका निभाई है। महत्वपूर्ण विदेशी बाजारों के हमारे दूतावासों ने समुद्री खाद्य निर्यात विपणन से संबंधित विभिन्न समस्याएं सुलझाने में अपना सहयोग दिया है तथा उन बाज़ारों में हमारा निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राधिकरण इन संगठनों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता है। प्राधिकरण समुद्री खाद्य निर्यात उद्योग एवं व्यवसाय द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग केलिए भी अत्यंत आभारी है।

एम पी ई डी ए के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों, जलकृषि संवर्धन केन्द्रों, गुणता नियंत्रण प्रयोगशालाओं तथा विदेशों एवं दिल्ली के व्यापार संवर्धन कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समर्पित सेवाओं ने एम पी ई डी ए के समग्र कार्यनिष्पादन केलिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा प्राधिकरण उनके योगदान की कदर करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता है।







परिशिष्ट - 1

31-3-2011 को प्राधिकरण के सदस्यों की सूची

- सुश्री लीना नायर, आई ए एस अध्यक्ष एम पी ई डी ए एम पी ई डी ए हाउस पनंपिल्लि एवन्यू कोचिन-682 036
- श्री के पी धनपालन संसद सदस्य (लोक सभा) कलित्तल हाउस नोर्थ परवृर, एरणाकुलम-683513
- श्रीमती टी रत्नाबाई संसद सदस्य (राज्य सभा)
 मीना बाग, मौलाना आज़ाद रोड नई दिल्ली-110 011
- सुश्री अमृत राज निदेशक (वित्त) वाणिज्य विभाग उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय कमरा सं. 224, उद्योग भवन नई दिल्ली-110 011
- 9. श्री राजबीरसिंह पनवर, आई ए एस निदेशक खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय कमरा सं. 101 बी पंचशील भवन अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110 049
- 11. श्री श्रीपाद बालेरॉव, आई ए एस विशेष मुख्य सचिव (ए एच, डी डी व मात्स्यिकी विभाग) आन्ध्रप्रदेश सरकार, कमरा सं. 236-ए पहला तल, डी ब्लोक ए पी सचिवालय हैदराबाद, आन्ध्रप्रदेश-500 022

2. निदेशक (रिक्त)

- 4. श्री बिष्णु पाद रॉय संसद सदस्य ((लोक सभा) 12 अंडमान व निकोबार हाउस नई दिल्ली-110 001
- 6. श्री तरुण श्रीधर, आई ए एस संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, पशु पालन, दुग्ध व मास्यिकी विभाग कमरा सं.221, कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड नई दिल्ली -110 001
- श्री सनोज कुमार झा, आई ए एस उप सचिव ई पी (एम पी) वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य विभाग वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय कमरा सं. 221, उद्योग भवन नई दिल्ली-110 011
- 10. श्री एस जी भंडारे उप महा निदेशक महानिदेशालय, नौ-परिवहन जहाज भवन, वालचंद हीराचंद मार्ग मुंबई-400 001
- 12. डॉ राजीव कुमार गुप्ता, आई ए एस सरकार का सिचव (ए एच, सी बी, दुग्ध व मात्स्यिकी) गुजरात सरकार ब्लॉक सं. 5 दूसरा तल सचिवालय, गांधीनगर-382 010





वार्षिक रिपोर्ट 2010-11



- श्री के आर ज्योतिलाल, आई ए एस सरकार का सचिव मात्स्यिकी विभाग, केरल सरकार कमरा सं. 394 सचिवालय, तिरुवनन्दपुरम-695 001
- 15. श्री डी वी प्रसाद, आई ए एस प्रधान सचिव (पशुपालन व मात्स्यिकी) उडीसा सरकार, सचिवालय कमरा सं. 404 चौथा तल, विकास सौदा, डॉ. बी आर अम्बेदकर वीथि बैंगलूर-560 001
- 17. श्रीमती एम पी निर्मला, आई ए एस सरकार का सचिव पशुपालन दुग्घ व मात्स्यिकी विभाग तिमलनाडु सरकार सचिवालय फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई, तिमलनाडु-600 009
- 19. डॉ वसन्त कुमार, आई ए एस सचिव (मात्स्यिकी) लक्षद्वीप संघराज्य क्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन कवरती-682 555
- 21. श्री मनीष मावजी लोधारी पुराने बिजली घर के सामने बुन्दर रोड पोरबन्दर, गुजरात-360 575
- 23. श्री एस वेणुगोपाल 63/28 पी वी कोल स्ट्रीट रोयापुरम, चेन्नई तमिलनाडु-600 013
- 25. श्री एम एस राउतर 'क्रसेन्ट' सी एस एम नगर

- 14. श्री राजेश अगरवाल, आई ए एस सरकार का सचिव (पशुपालन, दुग्घ विकास व मात्स्यिकी विभाग) महाराष्ट्र सरकार 5 वाँ तल, कमरा सं. 524 (उपभवन) मंत्रालय, मुंबई-400 032
- 16. श्री सत्यब्रता साहु, आई ए एस आयुक्त व सचिव (मात्स्यिकी व ए आर डी विभाग) उडीसा सरकार, उडीसा सचिवालय सचिवालय मार्ग, भुवनेश्वर-751 001
- 18. श्री आर पी एस कहलॉन, आई ए एस प्रधान सचिव पश्चिम बंगाल सरकार (मात्स्यिकी विभाग) नीचा तल (गेट सं. 6 के समीप) राइटेर्स बिल्डिंग कोलकत्ता-700 001
- 20. श्री अनवर हाषिम प्रबन्ध निदेशक आबाद फिशरीज़ प्राइवेट लिमिटेड आबाद बिल्डिंग, 13/681, जू टाउन रोड कोच्चंगाडी, कोच्ची-682 002
- 22. श्री के जी लॉरेन्स प्रबन्ध साझेदार एवं, अध्यक्ष एस ई ए आई (केरल क्षेत्र) मेसर्स जियो सीफुड्स, पिल्चिल रोड पल्लुरुत्ति, कोच्ची-682 006
- 24. श्री अनीस अहमद खान साझेदार मेसर्स एस ए एक्स्पोर्टस 548 जेस्सोर रोड, कोलकत्ता पश्चिम बंगाल-700 055
- 26. डॉ के वी प्रसाद प्रबन्ध निदेशक मेसर्स सन्ध्या मराइन लिमिटेड









- इडपष्रंजी शास्तामंगलम-पी ओ तिरुवनन्दपुरम-695 010
- 27. डॉ. बी मीनाकुमारी
 उप महा निदेशक (मात्स्यिकी)
 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
 मात्स्यिकी विभाग
 कृषि अनुसंधान भवन II
 डॉ. के एस कृष्णन मार्ग
 पूसा, नई दिल्ली-110 012
- 29. रिक्त

- 402, वान्टेज अपार्टमेन्ट्स ईस्ट पोयंट कोलनी, विशाख आन्ध्र प्रदेश-530 017
- 28. प्रोफ. विनोद रामकृष्ण बोन्दे किशोर अप्पास फार्म नक्ने रोड, देवपुर धुले महाराष्ट्र-424 002
- 30. श्री आई. मूसा इरक्कुनियिल वेल्लिकुलंगरा ओरकाटेरि पी.ओ. वडकरा (मार्गे) कालिकट-673 101







परिशिष्ट - 2

दिनांक 31.3.2011 को कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सुची

- 1. सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए, एम पी ई डी ए हाउस, पर्निपल्लि एवन्यू, कोचिन-682 036
- 2. श्री अनवर हाषिम, उपाध्यक्ष, एम पी ई डी ए एवं प्रबन्ध निदेशक, आबाद फिशरीज़ प्राइवट लिमिटेड, आबाद बिल्डिंग, 13/681, जू टाउन रोड, कोच्चंगाडी, कोचिन-682 002
- 3. श्री के पी धनपालन, संसद सदस्य (लोकसभा)कलित्तल हाउस, नोर्थ परवूर, एरणाकुलम-683 513
- 4. निदेशक (रिक्त)
- 5. श्री सनोज कुमार झा, उप सचिव, ई पी (एम पी) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कमरा सं. 221, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011
- 6. श्री के आर ज्योतिलाल, आई ए एस, सरकार का सिचव, मात्स्यिकी विभाग, कमरा सं. 394 केरल सरकार, सिचवालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001
- 7. श्री जे रमेश, सचिव, एम पी ई डी ए, एम पी ई डी ए हाउस, पर्नापिल्लि एवन्यू, कोचिन 682 036

दिनांक 31.3.2011 को निर्यात संवर्धन सिमिति के सदस्यों की सूची

- 1. सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए, एम पी ई डी ए हाउस, पर्नापिल्लि एवन्यू, कोचिन-682 036
- 2. श्री अनवर हाषिम, उपाध्यक्ष, एम पी ई डी ए व प्रबन्ध निदेशक, आबाद फिशरीज़ प्राइवेट लिमिटेड, आबाद बिल्डिंग, 13/681, जू टाउन रोड, कोच्चंगाडी कोचिन 682 002
- 3. निदेशक (रिक्त)
- 4. श्री बिष्णु पाद रॉय,संसद सदस्य (लोक सभा) 26, नोर्थ एवन्यू, नई दिल्ली-110 001
- 5. श्री एम एस राउतर, क्रेसेन्ट, सी एस एम नगर, इडप्पषन्जि, शास्तमंगलम-पी ओ, तिरुवनन्दपुरम-695 010
- 7. श्री डी वी प्रसाद, आई ए एस, प्रधान सचिव, (पशुपालन व मात्स्यिकी), कर्नाटक सरकार सचिवालय, कमरा सं. 404, चौथा तल, विकास सौधा डॉ. बी आर अम्बेदकर वीथि, बैंगलूर-560 001

दिनांक 31.3.2011 को तकनीकी समिति के सदस्यों की सूची

- 1. सुश्री लीना नायर, आई ए एस, अध्यक्ष, एम पी ई डी ए, एम पी ई डी ए हाउस, पर्निपिल्लि एवन्यू, कोचिन-682 036
- 2. श्री अनवर हाषिम, उपाध्यक्ष, एम पी ई डी ए व प्रबन्ध निदेशक, आबाद फिशरीज़ प्राइवट लिमिटेड, आबाद बिल्डिंग, 13/681, जू टाउन रोड, कोच्चंगाडी, कोच्चिन-682 002
- 3. निदेशक रिक्त
- 4. श्रीमती टी रत्ना बाई, संसद सदस्य (राज्य सभा) 36, मीना बाग, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110 011
- 5. श्री आई. मूसा, इरकुनियिल, वेल्लिकुलंगरा, ओरकाटेरी पी.ओ., वडकरा (मार्ग) कालिकट 673 101







- 6. श्री के जी लॉरेन्स, प्रबन्ध साझेदार व अध्यक्ष एस ई ए आई (केरल क्षेत्र) मेसर्स जियो सीफुड्स, पिल्लिचल रोड, पल्लुरुत्ति, कोच्ची-682 006
- 7. श्री तरुण श्रीधर, आई ए एस, संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, दुग्ध व मात्स्यिकी विभाग, कमरा सं. 221, कृषि भवन, डॉ राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110 001
- 8. श्री एस जी भंडारे, उप महा निदेशक सामान्य, महा निदेशालय, नौपरिवहन, जहाज़ भवन, वालचन्द हीराचन्द मार्ग, मुंबई-400 001
- 9. डॉ. बी मीनाकुमारी, उप महा निदेशक, (मात्स्यिकी) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मात्स्यिकी प्रभाग अनुसंधान भवन-II, डॉ. के एस कृष्णन मार्ग, पूसा, नई दिली - 110 012
- 10. श्रीमती एम पी निर्मला, आई ए एस, सरकार का सचिव, पशुपालन, दुग्ध व मात्स्यिकी विभाग, तिमलनाडु सरकार, सिचवालय, फोर्ट सेन्ट जॉर्ज, चेन्नई 600 009 तिमलनाडु
- 11. श्री एस वेणुगापाल, 63/28 पी वी कोल स्ट्रीट, रोयापुरम, चेन्नई 600 013, तिमलनाडु







परिशिष्ट - 3

दिनांक 31.3.2011 को प्राधिकरण के अधिकारियों की सूची

मुख्यालय:

1. अध्यक्ष : सुश्री लीना नायर,आई ए एस

2. निदेशक (विपणन) : श्री एन रमेश, आई टी एस

3. निदेशक : रिक्त

4. सचिव : श्री जे रमेश

5. संयुक्त निदेशक (गु.नि) : श्री जॉय आइप कुरियन

6. संयुक्त निदेशक (विपणन) : श्री एस शशिधरन पिल्लै

7. संयुक्त निदेशक (अक्वा व प्रशिक्षण) : श्री वाई सी तंपी सामराज

8. संयुक्त निदेशक (अक्वा) : डॉ. ए एस उपाध्याय

9. उप निदेशक (कार्मिक) : श्री टी टी जयन

10. मुख्य लेखा अधिकारी : श्री वी ए कृष्णकुमार.

11. उप निदेशक (अक्वा) : डॉ. अल मुत्तुरामन

12. उप निदेशक (रा.भा) : श्रीमती ए के इन्दिरा देवी

13. उप निदेशक (अक्वा) : श्री एस एक्स प्रिन्स

14. उप निदेशक (सांख्यिकी) : श्री के एन विमलकुमार

15. उप निदेशक (पी व एम पी) : श्रीमती आशा सी परमेश्वरन

16. उप निदेशक (वि.से) : डॉ. एम के राममोहन

17. उप निदेशक (प्रशा) : श्री पी के उण्णिकृष्णन

18. उप निदेशक (सी व जी) : श्री के जे आन्टणी

19. उप निदेशक (गु.नि) : श्री वी एल पाट्रिक

20. उप निदेशक (विकास) : श्री टी एस बेबी

21. उप निदेशक (सोसाइटी) : डॉ. एस विजयकुमार





एमपीईडीए

वार्षिक रिपोर्ट 2010-<u>11</u>

22. उप निदेशक (गु.नि) : श्री वी आई जॉर्ज

23. सहायक निदेशक (कार्मिक) : श्री के मुरलीधरन

24. सहायक निदेशक (विकास) : श्री टी वासुदेवन पिल्लै

25. सहायक निदेशक (प्रचार) : श्री एन चन्द्रशेखरन

26. सहायक निदेशक (ए व आई) : श्री राजु के जोसफ

27. सहायक निदेशक (ए व आई) : श्री षाजी जॉर्ज

28. सहायक निदेशक (वि.से) : श्री टी राजगोपालन

29. सहायक निदेशक (गृ.नि) : श्री के शशिधरन नायर

30. सहायक निदेशक (गु.नि) : श्री पी डी सतीशन

31. सहायक निदेशक (गु.नि) : श्री जी महेश

32. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री जे पुरुषोत्तम साई

33. सहायक निदेशक (साँख्यिकी) : श्री के वी प्रेमदेव

34. सहायक निदेशक (ओ एफ डी) : डॉ. के के अनिकुट्टन

35. सहायक निदेशक (विकास) : श्री अशोक कुमार

36. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री एम षाजी

37. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री पी एन विनोद

38. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री आर शंकर पिल्लै

39. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री एम विश्वकुमार

40. सिस्टम अनिलस्ट : श्रीमती उषा सिंह

41. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्री वाल्टर जॉन मेइन

42. तकनीकी अधिकारी (ग्.नि) : श्री वी विनोद

43. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्री पी उत्तिरापित

44. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्रीमती ए सुमा

45. लेखा अधिकारी : श्रीमती वेरिलन पाट्रिक





वार्षिक रिपोर्ट 2010-11



46. लेखा अधिकारी : श्री पी के विनु

47. लेखा अधिकारी : श्री जी राजेन्द्रन

48. हिन्दी अधिकारी : श्रीमती मल्लिका उण्णिकृष्णन

49. अनुभाग अधिकारी : श्रीमती ए आर सजीबाई

50. अनुभाग अधिकारी : श्री दर्शन लाल थोंडीयाल

51. वरिष्ठ लेखापाल : श्री के ए जेकब

52. वरिष्ठ लेखापाल : श्री के एस उण्णिकृष्णन

53. पुस्कालय सहायक व सूचना अधिकारी : श्री आर प्रभाकरन

54. वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक : श्रीमती तुलसी नायर

क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्चीः

1. संयुक्त निदेशक : श्रीमती के एम वीणा

2. सहायक निदेशक (ई पी) : श्रीमती वी के विजयकुमारी

3. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्री एस एस षाजी

क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नईः

1. उप निदेशक : श्री सी आर राजन

2. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री ए जयबाल

3. तकनीकी अधिकारी : श्री वी लक्ष्मीकान्तन

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई:

1. उप निदेशक : श्रीमती पी वी कार्तियायनी

2. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री वी वी राजु

3. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्री राजेश ए डगरे

4. वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक : श्रीमती मृणालिनी पी अरेकर

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकत्ताः

1. उप निदेशक : श्रीमती पी एस उमादेवी





ADIL POPULATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

2. सहायक निदेशक (गु.नि)

.नि) : श्री बरुण कुमार दास

3. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्री पी के प्रमाणिक

क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखः

1. उप निदेशक : श्री विजयकुमार सी यारगल

2. सहायक निदेशक (गु.नि) : श्री पी जी श्रीनाथ

3. सहायक निदेशक (गु.नि) : श्री पी पी सुरेश बाबु

क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावलः

1. सहायक निदेशक (ई पी) : डॉ. सी एस षैन कुमार

2. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्री एम श्रीमाली विनोदकुमार

उप क्षेत्रीय कार्यालय, माँगलूरः

1. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री राजकुमार एस नायिक

उप क्षेत्रीय कार्यालय, गोआः

1. सहायक निदेशक (ई पी) : डॉ. ए अन्सार अली

उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लमः

1. उप निदेशक (ई पी) : श्रीमती आर विजयलक्ष्मी (छुट्टी पर)

उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वरः

1. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री एस के पत्रा

उप क्षेत्रीय कार्यालय, तूत्तिकोरिनः

1. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री के राजेन्द्रमणि

उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटीः

1. सहायक निदेशक (ई पी) : कोई अधिकारी नहीं

क्षेत्रीय केन्द्र, (अक्वाकल्चर)

कोच्चीः

1. उप निदेशक (अक्वा) : श्री के वी रघु



2. सहायक निदेशक (ए ई) : श्री के शिवराजन

3. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्रीमती एलसम्मा इत्ताक

भुवनेश्वरः

1. उप निदेशक (अक्वा) : श्री सी विल्सन

2. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री यू सी महापात्र

विजयवाडाः

1. उप निदेशक (अक्वा) : श्री जी रित्तनाराज

2. सहायक निदेशक (ए ई) : श्री राम अधर गुप्ता

तंजावूरः

1. उप निदेशक (अक्वा) : श्री सी जे संपत्कुमार

2. सहायक निदेशक (अक्वा) : डॉ. एस कंडन

3. सहायक निदेशक (ए ई) : श्री रज़ाक अलि

वल्सादः

1. उप निदेशक (अक्वा) : श्री सेफुद्दीन अनीस

2. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री ब्रह्मेश्वर राव

3. सहायक निदेशक (ए ई) : श्री धीरित एक्का

पनवेलः

1. उप निदेशक (अक्वा) : श्री मारुति डी यिलगर

2. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री रेजी मात्यु

3. सहायक निदेशक (ए ई) : श्री के षण्मुख राव

उप क्षेत्रीय केन्द्र (अक्वाकल्चर):

कारवारः

1. सहायक निदेशक (अक्वा) : डॉ. जी गोपकुमार

कोलकत्ताः

1. उप निदेशक (अक्वा) : श्री दिलीपकुमार विश्वास







भीमवारम:

1. सहायक निदेशक (अक्वा) : श्री वासा सुब्बराव

कण्णूर:

1. सहायक निदेशक (अक्वा) : कोई अधिकारी नहीं

गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, भीमवारमः

1. उप निदेशक (गु.नि) : श्री के विजयकुमार

2. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्री डी वेणुगोपाल

गुणता नियंत्रण प्रयोगशाला, नेल्लूरः

1. सहायक निदेशक (गु.नि) : श्री वी विवेकानन्दन

2. तकनीकी अधिकारी (गु.नि) : श्री ज्योतिरंजन नायक

व्यापार संवर्धन कार्यालयः

नई दिल्ली

1. सहायक निदेशक (ई पी) : श्री टी आर जिबिन कुमार

न्यूयोर्कः

1. आवासी निदेशक : कोई अधिकारी नहीं

जापानः

1. आवासी निदेशक : श्री के प्रेमचन्द्रन







वित्तीय विवरण 2010-11



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण







वार्षिक लेखे 2010-11

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	तुलनपत्र	83
2.	आय व व्यय लेखा	84
3.	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	85
4.	तुलनपत्र की अनुसूचियाँ (अनुसूचियाँ 11-12 तक)	87
5.	आय व व्यय लेखे की अनुसूचियाँ (अनुसूचियाँ 12-23 तक)	96
6.	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची 24 व 25)	102
7.	लेखाओं पर संलग्न टिप्पणियाँ	106
8.	अनूसूचियों के परिशिष्ट - 1 से 19 तक	112
9.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं उसका परिशिष्ट	124
10.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रत्युत्तर	127







वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31-03-2011 को तुलन पत्र	l s.		(राशि - रै)
समग्र/पूँजीनिधि और देयताएं	अनुसूची	चालूवर्ष (2010-11)	गत वर्ष (2009-10)
समग्र/पूँजी निधि		123313761	118950318
रिजर्व और अधिशोष	2	0	
विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधियाँ	33	239912474	417677732
प्रतिभूत ऋण व ऋणदान	4	0	
अप्रतिभूत ऋण व ऋणदान	\$	0	
आस्थागित उधार देयताएं	9	0	
चालू देयताएं और प्रावधान	7	1119007179	955140771
क के व		1482233414	1491768821
परिसंपत्तियां			
स्थाई परिसंपत्तियां	8	114740863	128428035
विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेश	6	235571738	398070117
निवेश - अन्य	10	0	0
चालू परिसंपत्तियाँ, उधार, अग्रिम आदि	111	247718094	33828869
विविध व्यय (कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति व सेवांत लाभों केलिए प्रावधान)		884202719	931441800
(बट्टे खाते में डाले गए या समायोजन न किए गए मामलों में)			
कुल		1482233414	1491768821
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणी	25		
भे या भे का अधिकारी सचिव सचिव			्रेमा नाभूर अध्यक्ष

(साधा - है)





वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31.03.2011 को समाप्त वर्ष का आय व व्यय लेखा

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
बिक्रयों और सेवाओं से आय	12	13057797	9328114
अनुदान/इमदाद	13	957736235	908340688
शुल्क/ अभिदान	14	7247497	6476848
निवेशों से आय (निधियों में अंतरित विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से किए गए निवेश पर आय)	15	0	0
रायल्टी/प्रकाशनों आदि से आय	16	852788	964167
अजिंत ब्याज	17	8947556	5160680
अन्य आय	18	2697755	12184768
तैयार मालों के स्टॉक में हुई वृद्धि/(कमी) और प्रगति पर काम	19	0	0
कुल (क)		990539628	942455265
व्यय			
संस्थापना व्यय	20	209251346	177890265
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	86897126	95113672
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय	22	672775153	661999415
ब्यान	23	0	0
मूल्यहास (अनुसूची 8 से संबंधित वर्षांत का शुद्ध जोड)		28108137	28043986
कुल (ख)		997031762	963047338
व्यय से अधिक आय के रूप में शेष (क-ख)		(6492134)	(20592073)
पूर्वाविध समायोजन		211861	2350369
विशेष रिज़र्व को अंतरित (प्रत्येक को स्पष्ट करें)			
सामान्य रिज़र्व को/से अंतरित			
अधिशेष/(घाटे) के रूप में समग्र/पूँजीनिधि में लाया गया बकाया		(6280273)	(18241704)
महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ	25		
मुख्य लेखा अधिकारी		**E	त्रीता न्यापर अध्यक्ष
			÷





संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को समाप्त वर्ष का आय व व्यय लेखा

				(सांश - ₹)
	प्राप्तियाँ	2010-11 ₹	भुगतान	2010-11 ₹
_	अध शेष	15426947.00	1 व्यय	296266941.00
	i. नकद	80541.00	j. संस्थापना व्यय	209251346.00
	ii. बैंक खाता; चालू खाते में	15346406.00	ii. प्रशासनिक व्यय	86897126.00
			iii. लेखन सामग्रियों की लागत	118469.00
			(स्टॉक में निवल)	
7	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	1017170605.00	2 विभिन्न परियोजनाओं की निधि में से	716722725.00
	i. मंत्रालय से अनुदान (योजना व गैर योजना)	963307000.00	किए गए भुगतान	
	ii. अन्य (इन्डक्वा)	3969700.00	i. अनुदान/इमदाद से व्यय	681737653.00
	iii. विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थायी निधियाँ	49893905.00	ii. विशेष प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट निधियों	34985072.00
	क. एसैड केन्द्रीय निधि	26300000.00	की उपयोगिता/व्यय	
	ख. एम पी आर एन एल	1448500.00		
	ग. यूएन सी टी ए डी	1148124.00		
	घ. एन एफ डी बी	17500000.00		
	ङ. पी एम एन आर एफ	2500000.00		
	च. सामान्य भविष्य निधि खाता	997281.00		
3	निवेशों से आय	9423561.00	3 किए गए निवेश और जमा	44312397.00
	i. विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधि	2108678.00	i. सामान्य भविष्य निधि स्थाई जमा	3841856.00
	ii. निजी निधि	7314883.00	ii. स्थायी जमा में ई पी एस निवेश (निवल)	26362680.00
			iii. एसैड केन्द्रीय	14107861.00







संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को समाप्त वर्ष का आय व व्यय लेखा

					(राशि - र्
	प्राप्तियाँ	2010-11		भुगतान	2010-11
		₩			₩
4	अन्य आय	33010788.00	4	स्थाई परिसंपत्तियों पर व्यय और पूँजी	13510165.00
	ं बिक्री से आय (सेवाएं)	22020297.00		काम प्रगात पर i. स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद	13510165.00
	ii. शृल्क/अंशदान	7247497.00			
	ंगं. रोयल्टी/प्रकाशन से आय	852788.00			
	iv. अन्य (परिसंपतियों की बिक्री पर आय सिमिलित है)	2890206.00			
N	अन्य प्राप्तियाँ	1322392.00	S	अग्रिम व प्राप्य (निवल)	2973901.00
	i. ई पी एस निवेश	00.00		अग्रिम व प्राप्य अन्य राशि	1327003.00
	ii. कर्मचारियों के ऋणों की वसूली (निवल)	1322392.00		अन्य चालू देयताएं	1646898.00
9	अन्य स्रोत	13660680.00	9	अन्तःशेष	16440705.00
	i. मत्स्यन यानों का प्रतिस्थापन	6118941.00		i. हाथ में रोकड	38175.00
	ii. सामान्य भविष्य निधि बचत बैंक	1550335.00		ii बैंक शेष; चालू खाते में	16402530.00
	iii. कर्मचारियों के अग्रिम से ब्याज	1632673.00			
	iv. सावधि जमा अंशदायी पेंशन	4358731.00			
7	पूर्व अवधि समायोजन	211861.00			
	က်ရာ	1090226834.00		ક	1090226834.00





मिन नाभर अध्यक्ष





संगठन का नाम : समुद्री	का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36	सि प्राधिकरण, को न	च्ची - 36	
7.03.4	2	5 5 5 5 5		(सांश - ह
	चालू वर्ष (2010-11)	2010-11)	गत वर्ष	गत वर्ष (2009-10)
अनुसूची 1 - समग्र/पूँजी निधि वर्षारंभ की शेष राशि	118950318	118950318	96346710	96346710
समग्र/पूँजी निधि के रूप में अंशदानों को जोड दिया जाए	10643716	10643716	40845312	40845312
व्यय से अधिक आय को जोड दिया जाए	(6280273)	(6280273)	(18241704)	(18241704)
वर्षांत में शेष		123313761		118950318
	चालू वर्ष	वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष (2009-10)
अनुसूची 2 - रिज़र्व व अधिशेष 1. पूँजी रिज़र्वः	नहीं	क्ष		नहीं

इस वर्ष के दौरान कटौतियों को कम किया जाए इस वर्ष के दौरान परिवर्धन गत लेखे के अनुसार \vec{c}

गत लेखे के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व

इस वर्ष के दौरान परिवर्धन इस वर्ष के दौरान कटौतियों को कम किया जाए विशेष रिज़र्व 3

गत लेखे के अनुसार इस वर्ष के दौरान परिवर्धन इस वर्ष के दौरान कटौतियों को कम किया जाए

गत लेखे के अनुसार इस वर्ष के दौरान परिवर्धन इस वर्ष के दौरान कटौतियों को कम किया जाए सामान्य रिज़र्व



संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि - र्

अनुसूची 3 -विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधि (अनुसूची - 1)	चालू वर्ष (2010-11)	गत वर्ष (2009-10)
क) निधियों का अथशोष	417677732	414031114
ख) इन निधियों में वृद्धि		
i. अंशदान/अनुदान	52866324	13938418
ii. लेखा निधियों के निवेश से आय	9934772	12821214
iii. अन्य वृद्धियाँ (प्रकार स्पष्ट करें)	44866686	40883307
कुल (क + ख)	525345514	481674053
ग) निधियों के लक्ष्य के रूप में उपयोग/व्यय		
i. पूँजी व्यय		
- स्थाई परिसंपत्तियाँ		
- अन्य	21932995	30181755
केल	21932995	30181755
i. राजस्व व्यय		
- वेतन, मज़दूरियाँ और भत्ते आदि	834533	692673
- किराया	0	0
- अन्य प्रशासनिक व्यय	16187244	1878225
- वापसी	33725881	31243668
- अन्य (ई पी एस)	212752387	246478268
क्रिय	263500045	33814566
कुल (ग)	285433040	63996321
वर्षांत में शुद्ध बकाया (क + ख - ग)	239912474	417677732







संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(सांश - है)

चालू वर्ष (2010-11)

गत वर्ष (2009-10)

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधार

- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार (स्पष्ट करें)
- वित्तीय संस्थाएं
- क) आवधि ऋण
- ख) प्रोद्भूत ब्याज और देय
- कें ब्रे 4.
- क) आवधि ऋण
- प्रोद्भूत ब्याज और देय
- अन्य ऋण (स्पष्ट करें) অ
- प्रोद्भूत ब्याज और देय अन्य संस्थाएं व अभिकरण
- ऋणदान और बंधपत्र
 - अन्य (स्पष्ट करें)

ညတ်

टिप्पणी: एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि



गत वर्ष (2009-10)



वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(सांशि - है)

चालू वर्ष (2010-11)

अनुसूची 5 - प्रतिभूतिरहित ऋण और उधार

- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार (स्पष्ट करें)
- वित्तीय संस्थाएं
- क) आवधि ऋण
- ख) अन्य ऋण (स्पष्ट करें)
 - अन्य संस्थाएं व अभिकरण
- ऋणपत्र व बंधपत्र 6.
- स्थाई परिसंपत्तियाँ
- अन्य (सपट करें)

ह ह

टिप्पणी एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि

चाल वर्ष

गत वर्ष

अनुसूची 6 - आस्थागित उधार देयताएं:

- क) पूँजी उपस्कर व अन्य परिसंपत्तियों के मालबंधन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ
- ख) अन्य

ह **ह**

टिप्पणी: एक वर्ष के अंतर्गत देय राशि





संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.	.03.2011 को तुलन	पत्र की अनुसूचियाँ		
				(राशि - ₹)
	चालू वर्ष	चालू वर्ष (2010-11)	गत वर्ष (गत वर्ष (2009-10)
अनुसूची 7 - चालू देयताएँ व प्रावधान				
क. चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियाँ				
2. विविध ऋणदाता :				
क) मालों केलिए				
명) अन्य				
3. प्राप्त अग्रिम (परिशिष्ट - 2)	2704542	2704542	2722142	2722142
4. प्रोद्भूत ब्याज, पर प्राप्य नहीं :				
क) प्रतिभूत ऋण/उधार				
ख) प्रतिभूतिरहित ऋण/उधार				
5. सांविधिक देयताएँ:				
क) अतिदेय				
ख) अन्य (परिशिष्ट - 3)	5358629	5358629	6430728	6430728
6. अन्य चालू देयताएँ (परिशिष्ट - 4)	13988902	13988902	14546101	14546101
7. अन्य (ई पी एस)	212752387	212752387		
कुल (क)	234804460	234804460		23698971
ন্ত্র. সাতখান				
1. उपदान	111514149	111514149	102518758	102518758
2. अधिवर्षिता/पेंशन	720881867	720881867	780357701	780357701
3. संचित छुट्टी भुनाना	51806703	51806703	48565341	48565341
4. व्यापार वारन्टियां/दावे				
5. अन्य (स्पष्ट करें)				
कुल (ख)	884202719	884202719		931441800
कुल (क + ख)	1119007179	1119007179		955140771







संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(साधा - ₹)

अनुस	अनुसूची 8				,		ś)				O	(सांश - है)
वम्	प्रकार		€,	कुल ब्लॉक			े में भ	मूल्यहास			निवल ब्लॉक	ल्लॉक
		वर्षारंभ में मूल्य/	वर्ष के दौ	न वर्षके	वर्षात में मूल्य/	100	वर्षारंभ	वर्ष के	वर्ष भे	वर्षात	चाउ	गत
		मूल्यांकन	परिवर्धन	दौरान	मूल्यांकन		/ ‡	दौरान	दौरान	तक कुल	वर्षात में	वर्षांत में
				कटौतियाँ					कटौतियाँ			
П	पुस्तकें	1733755	41576	44	1774687	10	1000783	75594	449	1075733	698954	732972
2	इमारते	25831823	0	0	25831823	5	13491360	617023	0	14108383	11723440 12340463	12340463
С	कंप्यूटर परिधीय	23728353	1359807	731599	24356561	09	19266241	2778667	714984	21329924	3026637	4462112
4	फर्नींचर व जुड़नार (चल)	19872538	1271607	771424	20372721	10	7232173	1333728	726248	7839653	12533068 12640365	12640365
5	हैचरी कॉम्लेक्स वल्लारपाटम	10143895	0	0	10143895	5	5555790	229406	0	5785196	4358699	4588105
9	हैचरी उपस्कर, वल्लारपाटम	207120	0	176920	30200	25	190497	1177	1177 163170	28504	1696	16623
7	प्रयोगशाला व फार्म उपस्कर	219620585	2877737	1946042	220552280	25	146049865 18791758 1918094 162923529	18791758	1918094	162923529	57628751 73570720	73570720
∞	ज़मीन	1968738	0	0	1968738	0	0	0	0	0	1968738	1968738
6	कार्यालय वाहन	6235253	7675	1286667	4956261	25	4629141	319149 1265823	1265823	3682467	1273794	1606112
10	अन्य परिसंपत्तियां	3256763	17285	325647	2948401	25	2317298	228585	314879	2231004	717397	939465
11	संयंत्र मशीनरी व सूखा मत्स्य भंडार	1085246	0	0	1085246	10	1025529	5455	0	1030984	54262	59717
12	कार्यालय उपस्कर	9610553	202103	934683	8877973	20	7543997	412290	877333	7078954	1799019	2066556
13	जुडनार (अचल)	19442893	5339627	435770	24346750	20	9959531	3223367	435770	3223367 435770 12747128	11599622	9483362
	कुल चालू वर्ष	342737515	11117417	9686099	347245536		218262205	28016199	6416945	239861459	218262205 28016199 6416945 239861459 107384077 124475310	24475310
	गत वर्ष	302271585	40845312	379382	342737515		190289515 28043986	28043986	71296	218262205	71296 218262205 124475310 111982070	11982070







संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियाँ (सांश - र्

	चालू वर्ष (2010-11)	गत वर्ष (2009-10)
अनुसूची 9 - विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेवर (परिशिष्ट-5)	55490700	258099563
4. ऋणपत्र और बंधपत्र		
5. नियंत्रित कंपनियाँ व संयुक्त उद्यम	2500000	25000000
6. अन्य (स्पष्ट किया जाए) (परिशिष्ट-6)	155081038	114970554
कुल	235571738	398070117
	चाल वर्ष	गत वर्ष

अनुसूची 10 - निवेश - अन्य

- 1. सरकारी प्रतिभूतियों में
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
- श्रोयर
- 1. ऋणपत्र और बंधपत्र
- . नियंत्रित कंपनियाँ व संयुक्त उद्यम
- अन्य (स्पष्ट किया जाए)

<u>દ</u>





संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36

31.03.2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

				(राशि - ₹)
	चाल वर्ष	चालू वर्ष (2010-11)	गत वर्ष (गत वर्ष (2009-10)
अनुसूची 11 - चालू परिसंपतियाँ, ऋण, अग्रिम आदि क.				
1. सामान-सूचियाँ क) स्टोर व स्पेअर	981709	981709	863240	863240
ख) दीले औज़ार)
ग) व्यापार में स्टॉक				
तैयार माल				
काम प्रगति पर				
कच्चे माल				
2. विविध ऋणी				
क) छः महीने से अधिक कालावधि केलिए बकाया ऋण				
ख) अन्य - सींदग्ध ऋण (ई पी एस)	212752387	212752387		
3. हाथ में रोकड बाकी (चेक/ड्राफ्ट व अग्रदाय सहित) (परिशिष्ट-7)	38175	38175	80541	80541
क) अनुसूचित बैंकों में:				
- चालू खातों में (परिशिष्ट-8)	16402530	16402530	15346406	15346406
- जमा खातों में (अतिरिक्त राशि इसमें सिम्मिलत है)				
- बचत खातों में				
ख) गैर अनुसूचित बैकों में				
- चालू खातों में				
- जमा खातों में				
- बचत खातों में				
5. डाकघर बचत खाते				
कुल (क)		230174801		16290187





संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

					(सांश - ₹)
		चालू वर्ष (2010-11)	2010-11)	गत वर्ष (गत वर्ष (2009-10)
अनुसूची	अनुसूची 11 - चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (क्रमागत)				
(현 왕	ख. ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ				
I.	1. ऋणः				
	क) कर्मचारी (परिशिष्ट-9)	4895579	4895579	6217971	6217971
	ख) इस संगठन के समान कार्यकलापों/लक्ष्यों में लगे अन्य संगठन				
	ग) अन्य (स्पष्ट करें)				
2.	नकद में या किस्म में वसूली योग्य अग्रिम व अन्य राशि या प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
	क) पूँजी खाते पर				
	ख) पूर्वभुगतान	1151758	1151758	493780	493780
	ग) अन्य (परिशिष्ट - 10)	6332739	6332739	8128236	8128236
3.	प्रोद्भूत आयः				
	क) विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से प्राप्त निवेशों पर				
	ख) निवेशों पर - अन्य				
	ग) ऋणों व अग्रिमों पर				
	घ) अन्य				
	(वसूल न की गई ₹ की आय बकाए इसमें सिम्मिलत है)				
4.	प्राप्य दावे	5163217	5163217	2698695	2698695
	कुल (ख)	17543293		17538682	
	योग (क + ख)		247718094		33828869





96

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष की आय-व्यय की अनुसूचियाँ

(साधा - है)

	चालू वर्ष (2010-11)	0-11)	गत वर्ष	गत वर्ष (2009-10)	0)
अनुसूची 12 - बिक्रियों/सेवाओं से आय	योजना गैर योजन	ए क	योजना गै	गैर योजना	ह
1) बिक्रयों से आय					
क) तैयार मालों की बिक्री					
ख) कच्चे माल की बिक्री					
ग) रद्दी मालों की विक्री (पुरानी मदों की बिक्री)	87388	87388		16409	16409
घ) अन्य (मत्स्य/झींगा की बिक्री)				73033	73033
2) सेवाओं से आय					
क) मज़दूरी व संसाधन प्रभार					
ख) संव्यावसायिक/परामर्श सेवाएं					
ग) अभिकरण कमीशन व दलाली					
घ) अनूरक्षण सेवाएं (उपस्कर/संपत्ति)					
ङ) अन्य (स्पष्ट करें) (पट्टे पर किराया- भुवनेश्वर प्रयोगशाला - एलीसा प्रयोगशाला	п) 12970409	12970409	92	9238672	9238672
कुल		13057797			9328114

		वालू वष (2010-11	$\overline{}$	F	गत वर्ष (2009-10)	
	योजना	गैर योजना	केल	योजना	गैर योजना कु	केल
अनुसूची 13 - अनुदान/इमदाद						
(गैर वसली योग्य अनदान व स्वीकत इमदाद)						

- । वाप्य अनुपान प केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार (रें) सरकारी अभिकरण
- संस्थाएं/कल्याण निकाय
- अन्य (स्पष्ट करें) ट्रस वर्क के लिए इंडक्वा अंतर्राष्ट्रीय संगठन 6 6 6 6 6 6

3969700

887626778



12821214 12821214

12821214

9934772 9934772 9934772

वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष की आय-व्यय की अनुसूचियाँ

₩
1
साभ

	चाज	ू वर्ष (2010-1	<u>.</u>	नं	गत वर्ष (2009-10)	<u>(</u>
	योजना	गैर योजना	कुव	योजना	गैर योजना	ए
अनुसूची 14 - शुल्क/अंशदान						
1) प्रवेश शुल्क						
2) वार्षिक शुल्क/अंशदान (परिशिष्ट - 11)		70250	70250		48526	48526
3) संगोष्टी/कार्यक्रम शुल्क (परिशिष्ट- 12)		7177247	7177247		6428322	_
4) परामशे शुल्क						
5) अन्य (स्पष्ट करें)						
क्रम			7247497			6476848
टिप्पणी : प्रत्येक मद केलिए की गई लेखाकरण नीतियों को स्पष्ट किया जाना है।	_					

निवेश - अन्य	चालू वर्ष	
उद्दिष्ट निधि से निवेश	गत वर्ष	
विशेष प्रयोजन केलिए	चाल वर्ष	

अनुसूची 15 - निवेशों से आय (निधियों में अंतरित विशेष प्रयोजनों केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधियों से किए गए निवेशों पर आय)

- আন
- क) सरकारी प्रतिभूतियों पर
- ख) अन्य बंधपत्र/ऋणपत्र
- लाभाशः 7
- क) श्रेयरों पर
- ख) म्यूच्वल फंड प्रतिभूतियों पर किराया
 - अन्य (सष्ट करें) £ 3
- कुल विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/सावधि निधियों में अंतरित



संगठन का नाम : समुद्री उत्याद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय-व्यय की अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

		चालू वर्ष (2010-11)	(1)	뇨	गत वर्ष (2009-10)	(01
	योजना	गैर योजना	ည်တိ	योजना	गैर योजना	ည်တိ
अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से लाभ 1) रॉयल्टी से आय						
2) प्रकाशनों से आव (परिशिष्ट- 13)		426513	426513		496076	496076
3) अन्य (स्पष्ट करें) (परिशिष्ट - 14)		426275	426275		468091	468091
केल			852788			964167
		चाल वर्ष (2010-11)	(1)	址	गत वर्ष (2009-10)	(01
	योजना	गैर योजना	ह्य कि	योजना	गैर योजना	हकु
अनुसूची 17 - अजिंत व्याज						
1) आवधि निक्षेपों पर	7314883		7314883			
क) अनुसूचित बैकों में				3530285		3530285
ख) गैर अनुसूचित बैकों में						
ग) संस्थाओं में						
घ) अन्य						
2) बचत खातों पर :						
क) अनुसूचित बैकों में						
ख) गैर अनुसूचित बैकों में						
ग) डाकघर बचत खाते						
되) अन्य						
3) ऋणों पर						
क) अधिकारी/कर्मचारी (परिशिष्ट-15)		1632673	1632673		1630395	1630395
명)						
4) ऋणियों व अन्य प्राप्य राशियों पर व्याज						
क्षेत्र	7314883	1632673	8947556	3530285	1630395	5160680





वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन) संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय-व्यय की अनुसूचियाँ

(साधा - है)

		चाल वर्ष (2010-11)	11)	ㅋ	गत वर्ष (2009-10)	10)
अनुसूची 18 - अन्य आय	योजना	ौर योजना	न कि	योजना	गैर योजना	ह क
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ						
क) अपनी ही परिसंपत्तियाँ		374257	374257		212378	212378
ख) अनुदान से या निःशुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ						
2) प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन						
3) विविध सेवाओं केलिए शुल्क						
4) विविध आय		2323498	2323498		11972390 11972390	11972390
হৈ ক			2697755			12184768

अनुसूचा 19 - तैयार माला क स्टाक म बृद्ध/(कमा) आर काम प्रगात पर

		चाल वर्ष			गत वर्ष	
	योजना	गैर योजना	किक	योजना	गैर योजना	कु
क) ओतम स्टॉक						
- तैयार माल, - काम प्रगति पर						
त् ः प्रार्						
- तैयार माल, - काम प्रगति पर						
मेर मिस् / कि - खे						

अनुसूची 20 - संस्थापना व्यय नट वाद्ध/(कमा) (क - ख)

		चाल वर्ष			गत वर्ष	
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कु क
क) वेतन व मज़दूरी	122578664	30238300	30238300 152816964	108345479 28461828 136807307	28461828	136807307
ख) भने व बोनस	1771675	980669	2470760	992038	992038 1505719 2497757	2497757
ग) भविष्य निधि केलिए अंशदान				0	0	0
		1090583	1090583	0	1019878	1019878
	42879	107138	150017	16677	175272	191949
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व सेवांत हितलाभों पर व्यय	19108340	33614682	52723022	12505491	24867883	37373374
सेवानिवृत्ति लाभौं केलिए प्रावधान				0	0	0
न) अन्य (स्पष्ट करें)				0	0	0
क्षेत्र	143501558		209251346	65749788 209251346 121859685	56030580 177890265	177890265





वित्तीय विवरण प्रपत्र (गैर लाभ संगठन) संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय-व्यय की अनुसूचियाँ

(राशि - ₹)

		0100/ 5-	11.	}	00000	101
		বালু বুধ (2010-11)	(11)		गत वर्ष (2009-10)	-IU)
अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	योजना	गैर योजना	केल	योजना	गैर योजना	केल
क) खरीदयाँ	0	0	0	0	0	0
ख) मज़दूरी व संसाधन व्यय	0	0	0	0	0	0
ग) गाडी भाड़ा व वाहन आवितयाँ	0	0	0	0	0	0
ঘ) বিঘুন ব জৰ্শা	2756686	1704500	4461186	2663480	1433737	4097217
ङ) पानी प्रभार	0	0	0	0	0	0
च) बीमा	1783401	28676	1812077	583250	39394	622644
छ) मरम्मत व अनुरक्षण	3859283	2701686	6960959	3871828	1798404	5670232
न) उत्पाद शूल्क	0	0	0	0	0	0
झ) किराया, दरें व कर	18950288	0	18950288	19899176	46791	19945967
जाहन चलाना व अनुरक्षण	965321	257474	1222795	829778	425894	1285672
ट) डाक प्रभार, टेलिफोन व संचार प्रभार	3232862	995279	4228141	2851681	845934	3697615
ठ) मुद्रण व लेखन सामग्री	2830340	487016	3317356	6408740	865243	7273983
	12927415	2195262	15122677	23180684	1222778	24403462
ढ़) संगोष्टी/कार्यशालाओं पर व्यय	0	0	0	0	0	0
ण) अंशदान व्यय	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
थ) लेंखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0	902100	902100	0	185770	185770
द) मेज़बानी व्यय (मनोरंजन)	489862	23273	513135	65436	15645	81081
ध) संव्यावसायिक प्रभार (कानूनी)	259290	421684	680974	715051	594935	1309986
न) अशोध्य व संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों केलिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0
प) बट्टेखाते में डाले गए और गैर वसूली योग्य बकाया	0	0	0	0	0	0
फ) पैंकिंग प्रभार	0	0	0	0	0	0
ब) मालभाडा व अग्रेषण व्यय	0	0	0	0	0	0
भ) वितरण व्यय	0	0	0	0	0	0
म) विज्ञापन व प्रचार	0	0	0	0	0	0
य) अन्य (परिशिष्ट - 16)	21221474	7903954	29125428	18479719	8060324	26540043
कुल	69276222	17620904	86897126	79578823	15534849	95113672





संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची - 36 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष के आय-व्यय की अनुसूचियाँ (राशि - ₹)

	<u>च</u>	चालू वर्ष (2010-11)		गत	गत वर्ष (2009-10)	-10)
अनुसूची 22 - अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय	योजना	गैर योजना	केल	योजना	गैर योजना	कुल
क) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान (परिशिष्ट - 17)	323300000	0	•	333000000	0	333000000
ख) संस्थाओं/संगठनों को दिए गए इमदाद (परिशिष्ट- 18)	293340035	0	•	263973806	0	263973806
ग) अन्य (परिशिष्ट - 19)	56135118	0		62025609	0	65025609
किल	672775153	6727	75153 (672775153 661999415	0	661999415

टिप्पणी : संगठनों के नाम और अनुदान/इमदाद रकम सहित उनके कार्यकलाप स्पष्ट किया जाना है।

गत वर्ष	योजना गैर योजना कुल	
चालू वर्ष	गैर योजना कुल	
	योजना	
	अनुसूची - 23 ब्याज	

क) आवधिक ऋणों पर

ख) अन्य ऋणों पर (बेंक प्रभार सहित)

ग) अन्य (स्पष्ट करें)

ह **ह**%





संगठन का नामः समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष की आय व व्यय की अनुसूचियाँ

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (निदर्शी)

1. लेखाकरण प्रथा

वर्ष 2007-08 से साधारणतया प्राधिकरण आय व व्यय और तुलन पत्र तैयार करने में लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार को अपनाता है। जब तक कि अन्यथा सूचित न हो, वित्तीय विवरण मूल्य प्रथा के आधार पर व लेखाकरण की प्रोद्भवन रीति पर तैयार किए जाते हैं। योजना निधि के हस्वकालीन सावधि निक्षेपों पर अर्जित ब्याज को छोडकर एम पी ई डी ए द्वारा प्राप्त सभी विभागीय आय (आई ई बी आर) गैर योजना से लिए जाते हैं।

2. सामान सूची का मूल्यांकन

- 2.1. भंडार और अतिरिक्त पूर्जे (मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जे इसमें शामिल हैं) का मुल्यांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है लागू नहीं।
- 2.2. कच्चे मालों, अर्ध तैयार मालों और तैयार मालों का मूल्यांकन उनके कम मूल्य पर और नेट वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। यह मूल्य उनके वज़न के औसत मूल्य पर आधारित है। तैयार मालों व अर्ध तैयार मालों का मूल्य सामग्री, मज़दूरी व संबंधित उपिर प्रभार के आधार पर किया जाता है लागू नहीं।

निवेश

- 3.1. "दीर्घकालिक निवेश' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को मूल्य आधार पर लिया जाता है। ऐसे निवेशों का मूल्य लगाने केलिए अस्थाई को छोड़कर ह्रास का प्रावधान किया जाता है।
- 3.2. 'चालू' के रूप में वर्गीकृत निवेश निम्नतर लागत व उचित मूल्य पर किए जाते हैं। ऐसे निवेशों की लागत पर होनेवाली कमी का प्रावधान प्रत्येक निवेश केलिए अलग रूप से किया जाता है और व्यापक आधार पर नहीं।
- 3.3. लागत में दलाली, अंतरण स्टॉप जैसे अर्जन व्यय शामिल है।

4. उत्पाद शुल्क

निर्यात को छोडकर, संगठन द्वारा उत्पादित मालों से संबंधित उत्पादन शुल्क की देयता का लेखाकरण उत्पादन के पूर्ण हो जोने पर किया जाता है और वर्षांत में उत्पादन शुल्क लगाए जानेवाले उत्पादित मालों केलिए प्रावधान बनाया जाता है।

5 स्थाई परिसंपत्तियाँ

- 5.1. स्थाई परिसंपत्तियाँ अधिग्रहण की लागत पर नियत की जाती हैं जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क, कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक व सीधे व्यय शामिल है। जिन परियोजनाओं में निर्माण की अपेक्षा है, संबंधित पूर्व प्रचालन व्यय (इस विशेष परियोजना के पूर्ण होने के पहले इस केलिए लिए गए ऋणों का ब्याज शामिल है) इन पूँजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग बनते हैं।
- 5.2. गैर-आर्थिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थाई परिसंपत्तियाँ, (समग्र निधि को छोड़कर) पूँजी रिज़र्व में तदनुरूप जमा द्वारा मूल्य आधार पर पूँजीकृत की जाती है।

6. मूल्यहास

6.1. स्थाई परिसंपित्तयों के अधिग्रहण केलिए विदेशी मुद्रा देयताओं के परिवर्तन के कारण उठनेवाले लागत समायोजन पर हुए मूल्यहास को छोड़कर, मूल्यहास हासित मूल्य (डब्ल्यू डी वी) पर दिया जाता है, जो संबंधित परिसंपित्तयों के अविशष्ट जीवन पर परिशोधित किया जाता है।







31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष की आय व व्यय की अनुसूचियाँ संगठन का नामः समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

अनुसूची 24 - महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ (निदर्शी) - जारी....

- 6.2. इस वर्ष के दौरान, स्थाई परिसंपत्तियों से की जानेवाली कटौतियों/परिवर्धनों के संबंध में, मूल्यहास यथानुपात आधार पर दिया जाता है।
- 6.3. परिसंपत्तियों की मूल लागत के 95 प्रतिशत तक डब्ल्यू वी डी आधार पर मूल्यहास दिया जाता है और उसके बाद बिना किसी मूल्यहास के अंकित मूल्य पर रखा जाता है।

7. विविध व्यय

इस शीर्ष के तहत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभों केलिए प्रावधान बनाए गए हैं।

8. बिक्रियों केलिए लेखाकरण

बिक्रियों में उत्पादन शुल्क सम्मिलित है और बिक्री प्रतिलाभ, रिबेट व व्यापार छूट की वास्तविक राशि है।

9. सरकारी अनुदान/इमदाद

- 9.1. परियोजनाओं की स्थापना की पूँजीकृत लागत केलिए अंशदान के रूप में दिए गए सरकारी अनुदान पूँजी रिज़र्व के रूप में समझे जाते हैं।
- 9.2. विशेष रूप से अधिग्रहण की गई विशेष स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से की गई कटौतियों के रूप में दर्शाए जाते हैं।
- 9.3. सरकारी अनुदानों/इमदादों का लेखाकरण वसूली आधार पर किया जाता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय

- 10.1. विदेशी मुद्रा में किए गए विनिमयों का लेखाकरण विनिमय की तिथि पर अभिभावी विनिमय दर पर किया जाता है।
- 10.2. चालू परिसंपित्तयों, विदेशी मुद्रा ऋणों व चालू देयताओं को वर्षांत अभिभावी विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामी लाभ/नुकसान को यिद विदेशी मुद्रा देयता स्थाई परिसंपित्तयों से संबंधित है, तो स्थाई परिसंपित्तयों की लागत में समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में उसे राजस्व में माना जाता है।

11. पड़ा

पट्टा किराए पट्टे की शर्तों के अनुसार व्यय किए जाते हैं।

12. सेवानिवृत्ति लाभ

12.1 & 12.2 प्रत्येक वर्ष उपदान, छुट्टी भुनाना, पेंशन परिवर्तन, पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों केलिए गैर योजना के तहत बजट प्रावधान बनाया जाता है और इसमें से व्यय किया जाता है। वर्ष के दौरान, 31.3.2011 को देय का मूल्यांकन प्रोद्भूत आधार पर किया गया है और लेखे में देयता का प्रबंध किया गया है। सेवानिवृत्ति/सेवांत हितलाभ केलिए कोई अलग निधि नहीं है। उपदान पर देयता आदि चालू वर्ष केलिए प्रोद्भूत नहीं की जा रही हैं अतः आय व्यय लेखे के अंतर्गत नहीं रखी गयी है। प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रयोजन केलिए सरकार द्वारा मुक्त निधि के अधीन है।

मुख्य लेखा अधिकारी

र्मे हैं। सचित

तीता न्।भय अध्यक्ष







संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 31.03.2011 को समाप्त अवधि/वर्ष की आय व व्यय की अनुसूचियाँ

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं व लेखाओं पर टिप्पणियाँ (निदर्शी)

J 6/	
1.	आकस्मिक देयताएं
1.1.	संगठन के दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं है - ₹ (गत वर्ष ₹)
1.2.	से संबंधितः
	- संगठन की ओर से/द्वारा की गई बैंक गारंटियाँ - ₹ (गत वर्ष ₹)
	- संगठन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र - ₹ (गत वर्ष ₹)
	- बैंकों के साथ बिलों का मिती-काटा - ₹ (गत वर्ष ₹)
1.3.	से संबंधित विवादास्पद माँग
	आयकर - ₹ (गत वर्ष ₹)
	बिक्री कर - ₹ (गत वर्ष ₹)
	मुनिसपल कर - ₹ (गत वर्ष ₹)
1.4.	संगठन द्वारा विरोध किए गए पर आदेशों का पालन न करनेवाले पार्टियों के दावों से संबंधित - लागू नहीं
2.	पूँजी वचनबद्धता
	पूँजी लेखे पर निष्पादित किए जाने केलिए शेष संविदाओं का आकलित मूल्य जिसका प्रबंधन न किया गया है ₹
3.	पट्टा बाध्यताएँ
	संयंत्र व मशीनरी केलिए की गई वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए की भावी बाध्यताएं ₹ (गत वर्ष ₹)
4.	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व अग्रिम
	प्रबंधन की राय में, व्यापार की सामान्य दिशाओं में उगाही पर चालू परिसंपत्तियों, ऋणों व अग्रिमों का एक मूल्य है जो कम से कम, तुलन पत्र में दिखाई गई एकत्रित राशि के समतुल्य है।
5.	कराधान
	आयकर अधिनियम, 1961, के तहत कर-योग्य आय के न होने के कारण, आयकर केलिए कोई प्रावधान आवश्यक महसूस न किया गया है।







संगठन का नाम : समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 31.03.2010 को समाप्त अवधि/वर्ष की आय व व्यय की अनुसूचियाँ

अनुसूची 25 - आकस्मिक देयताएं व लेखाओं पर टिप्पणियाँ (निदर्शी) - जारी....

6. विदेशी मुद्रा विनिमय

चालू वर्ष

गत वर्ष

- 6.1. सी आई एफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य:
 - तैयार मालों की खरीदी
 - कच्चे माल व संघटक (मार्गस्थ सहित)
 - पूँजी माल
 - भंडार, स्पेअर व उपभोज्य
- 6.2. विदेशी मुद्रा में व्यय

क) यात्रा (प्रति दैनिक भत्ता)

यू एस डोलर 8279

यू एस डोलर 12190

ख) विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को प्रेषण व ब्याज भुगतान

ग) अन्य व्यय:

यू एस डोलर 1241044 यू एस डोलर 1129064

- बिक्री पर कमीशन
- कानूनी व व्यावसायिक व्यय
- विविध व्यय
- 6.3. उपार्जन:

एफ ओ बी आधार पर निर्यातों का मूल्य

6.4. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक:

लेखा परीक्षकों के रूप में

- कराधान मामले
- प्रबंधन सेवाओं केलिए
- प्रमाणीकरण केलिए

अन्य

जहाँ तक आवश्यक हो, पूर्व वर्ष के संगत आँकडों को पुनर्समूहित, पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

दिनांक 31.3.2011 को तुलन पत्र का एक समग्र भाग बनाने के उद्देश्य से 1 से 25 तक की अनुसूचियाँ और उस तिथि को समाप्त आय व्यय लेखा संलग्न है।

मुख्य लेखा अधिकारी

र्म द्वा सचिव तीन नापर अध्यक्ष







अनुसूची - 25

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए) के वर्ष 2010-2011 के लेखाओं पर संलग्न टिप्पणियाँ

1. पूँजी निधि

दिनांक 01.04.2010 को निधि शेष ₹ 11,89,50318.00 था। निधि का संपूर्ण स्रोत केन्द्रीय सरकार से प्राप्त विनिधान था। इस वर्ष में आय से अधिक व्यय ₹ 62,80,273.00 रुपए है। इस वर्ष के दौरान योजना एवं गैर योजना के तहत स्थिर परिसंपत्तियों के अर्जन केलिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को विशेष उद्देश्य केलिए उद्दिष्ट नहीं माना गया है क्योंकि यह किसी विशेष परिसंपत्ति केलिए नियत नहीं है, पर यह एम पी ई डी ए की सामान्य निधि से परिसंपत्तियों के अर्जन केलिए पूँजीगत निधि है। परिसंपत्तियों के अर्जन केलिए प्रयुक्त ऐसे अनुदानों को (₹ 95,40,465.00) पूँजी निधि में जोडा गया है।

- **2.** वर्ष 2010-2011 के घाटे को देखते हुए इस वर्ष के दौरान संगठन ने कोई पूँजी रिज़र्व/पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व का सजन नहीं किया है। कोई सामान्य रिज़र्व भी सुजित/विनियुक्त नहीं किया गया है।
- 3. इस वर्ष के दौरान चालू विशेष कार्य केलिए उद्दिष्ट निधियाँ हैं:-

क्रांतिक अवसरंचना निधि क)

यह निधि एम ओ सी से सहायता - अनुदान के रूप में वर्ष 1998-1999 में प्राप्त हुई थी। इस वर्ष के दौरान निधि की कोई प्राप्तियाँ नहीं की गईं। संयुक्त उद्यम कंपनी (मिडकोन) के शेयरों में इस निधि का निवेश किया गया। वर्ष के दौरान कोई आय प्राप्त नहीं हुई। वर्ष के दौरान निधि की उपयोगिता नहीं की गई। दिनांक 31.3.2011 को बकाया निधि ₹ 2,50,00,000.00 है।

इक्विटी सहभागिता योजना ख)

दिनांक 01.04.2010 को निधि लेखे का बकाया ₹ 28,88,13,982.00/- रुपए था जिसमें मुख्य इक्विटी राशि तथा उस तिथि तक का ब्याज समाविष्ट है। इस वर्ष के दौरान ब्याज एवं सहयोग समझौते के कारण शेयरों के मुल्य में हुई वृद्धि के रूप में प्राप्त/निर्धारित आय ₹ 1,15,14,997.00 थी। वर्ष 2010-2011 के दौरान इस निधि का कोई उपयोग नहीं किया गया। शेयर का मूल्य ₹ 554,90,700.00 है। ₹ 3,20,85,892 की राशि निवेश करने के बाद 31.3.2011 के अनुसार निधि खाते में ₹ 8,75,76,592.00 शेष है।

शेयर मुल्य ₹ 54,90,700.00 की लागत पर रखा गया। प्राधिकरण द्वारा ई पी एस के तहत देय राशि के निपटान के समाधान निकालने केलिए एक समिति का गठन किया गया है। सभी ग्यारह मामलों में जहाँ शेयरों की पुनः खरीदी की गई, हमें पूरी रकम प्राप्त हुई थीं आगे सभी मामलों में जहाँ पंचाट निर्णय दिए गए थे, वे सभी एम पी ई डी ए के पक्ष में हैं। उपर्युक्त के मछेनज़र वर्ष 2010-11 के दौरान, संदेहास्पद ऋण केलिए कोई प्रावधान नहीं है। यह मामला मंत्रालय में लंबित है।







ग) एसैड निधि

दिनांक 01.04.2010 को बकाया निधि शून्य थी। इस वर्ष के दौरान सरकार से प्राप्त निधि ₹ 2,6300,000.00 थी। इस वर्ष के दौरान निवेशों से आय ₹ 2,11,818.00 थी। वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि ₹ 1,23,00,0000.00 थी। दिनांक 31.03.2011 को बकाया निधि ₹ 1,42,11,818.00 थी।

घ) सामान्य भविष्य निधि

दिनांक 01.04.2010 को निधि लेखे में बकाया ₹ 9,13,00,412.00 था। यह निधि कर्मचारियों का संचित अंशदान तथा उस पर ब्याज है। चन्दा, ऋण वापसी आदि के रूप में कुल अंशदान ₹ 3,47,23,162.00 है। वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज ₹ 78,69,510.00 है। तदनुसार, इस वर्ष की कुल उपयोगिता ₹ 3,37,25,881.00 है। दिनांक 31.03.2011 को निधि लेखे में बकाया ₹ 10,01,67,230.00 है।

ङ) पाकिस्तानी कैद में पड़े मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन केलिए निधि (एम ओ ए)

इसके तहत दिनांक 01.04.2010 के अनुसार बकाया ₹ 1,02,80,848.00 है। इस योजना केलिए इस वित्तीय वर्ष के दौरान कोई निधि प्राप्त नहीं की गई। इस योजना के तहत, पाकिस्तान में पकडे गए मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन केलिए प्रत्येक यान मालिक को प्रत्येक यान की लागत का 30% - याने, अधिकतम 6,00,000.00 रुपए तक पूंजी इमदाद उपलब्ध की जाएगी। इस वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि ₹ 24,00,000.00 है। वर्ष के दौरान निवेशों से आय ₹ 4,81,971.00 है। दिनांक 31.03.2011 को बकाया निधि ₹ 83,62,819.00 है। इसमें से ₹ 41,62,819.00 साविध जमा में रखा गया तथा दिनांक 31.03.2011 को ₹ 42,00,000.00 का बकाया क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल के चालू खाते में रखा गया।

च) अन्य निधियाँ

i. यू एन सी टी ए डी निधि

दिनांक 01.04.2010 को यू एन सी टी ए डी निधि के अधीन बकाया ₹ 7,30,972.00 था। इस वर्ष के दौरान प्राप्त निधि ₹ 11,48,124.00 थी। इस वर्ष के दौरान ₹ 17,45,051.00 खर्च/प्रयुक्त किए गए। दिनांक 31.03.2011 को ₹ 1,34,045.00 बकाया था।

ii. एम पी आर एन एल निधि

एम पी आर एन एल निधि के तहत दिनांक 01.04.2010 को ₹ 15,51,518.00 बकाया था। इस वर्ष के दौरान प्राप्त निधि ₹ 14,48,500.00 थी। इस वर्ष के दौरान ₹ 15,14,937.00 का उपयोग किया गया और दिनांक 31.03.2011 को ₹ 14,85,081.00 रुपए बकाया था।

iii. प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि (एम ओ ए)

वर्ष 2010-2011 के दौरान प्राप्त निधि ₹ 25,00,000.00 है। इस वर्ष के दौरान इस राशि का पूरा उपयोग किया गया। दिनांक 31.03.2011 को बकाया शून्य है।









iv. एन एफ डी बी निधि

38 आलंकारिक मत्स्य प्रजनन इकाइयों की स्थापना के लिए वर्ष 2010-11 के दौरान एन एफ डी बी से ₹ 1,75,00,000.00 की राशि प्राप्त हुई। वर्ष 2010-11 के दौरान उपयोगिता ₹ 1,45,25,084.00 थी। दिनांक 31.03.2011 को इस निधि के तहत बकाया ₹ 29.74,916.00 है।

v. इन्डक्वा निधि ₹ 39,69,700.00

वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त निधि ₹ 39,69,700.00 थी। इस पूर्ण राशि को एम पी ई डी ए मुख्यालय इमारत के ट्रस वर्क के लिए अग्रिम के रूप में दी गई।

स्थाई परिसंपत्तियाँ 4.

- स्थाई परिसंपत्तियों को लेखा बहियों में अर्जन या निर्माण केलिए आकस्मिक या आनुषंगिक रूप में उपगत खर्च के साथ क) अर्जन लागत पर रिकार्ड किया जाता है। मुल्यहास को ह्रासित मुल्य पद्धित (डब्ल्य डी वी) के अंतर्गत लेखाओं में डाला जाता है। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की तिथि से आनुपातिक रूप से मृल्यहास दिया जाता है। मृल्यहास की दर संगठनों द्वारा नियत की जाती है तथा स्थायी परिसंपत्तियों की प्रतीक्षित उपयोगिता/जीवनकाल के आधार पर डब्ल्यू डी वी के तहत नियत की जाती है।
- इस वर्ष के दौरान बेची गई पुरानी परिसंपत्तियों से ₹ 5,66,708.00 प्राप्त हुए। बिक्री तारीख के अनुसार बेची गई ख) परिसंपत्तियों का अंकित मूल्य ₹ 1,92,451.00 था। परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ ₹ 3,74,257.00 को आय व व्यय खाते में रखा गया है।
- दिनांक 31.3.2011 को समाप्त वर्ष के पुँजीगत काम की प्रगति (अनुसूची 8 में सम्मिलित है) ₹ 73,56,786.00 (गत ग) वर्ष - ₹ 39,52,725.00) है। यह राशि मुख्यालय बिल्डिंग के ऊपर ट्स वर्क के लिए इन्डक्वा से प्राप्त ₹ 39,69,700.00 और प्रयोगशाला उपकरणों के आयात के लिए एल सी खोलने हेत् प्रयुक्त ₹ 33,87,086.00 का प्रतिनिधित्व करती है।
- वर्ष 2010-11 के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों केलिए प्रयुक्त निधि का विवरण निम्नलिखित है:-घ)
- अनुसूची 8 के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त परिसंपत्तियाँ 1. : ₹1,11,17,417.00
- 2. प्रयोगशाला के उपकरणों के आयात के लिए एल सी खोलने हेतू प्रयुक्त राशि को जोड़ा जाए : ₹ 33,87,086.00 : ₹1,45,04,503.00 कुल

3. कम किया जाए:

- (i) वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त, पर वर्ष 2010-11 लेखा में रखी गई परिसंपत्ति (वर्ष 2009-10 के लिए मुल्यहास के बाद निवल)
- (ii) वर्ष 2010-11 में लेखा में ली गई परिसंपत्ति की खरीदी के लिए वर्ष 2010-11 के पहले दिया गया अग्रिम

प्रयुक्त निवल निधि

₹ 95,40,465.00



- ङ) वर्ष 2009-10 के दौरान प्रयोगशाला और फार्म उपकरणों के तहत ₹ 11,03,251.00 की राशि की कुछ पिरसंपित्तयाँ (एलीसा प्रयोगशालाएँ) प्राप्त हुईं पर उन्हें वर्ष 2009-10 के दौरान 1.04.2010 के अनुसार पिरसंपित्त के खाता मूल्य पर लेखा में ली गयी। प्राप्ति की तिथि से 31.03.2010 तक की अविध के लिए मूल्यहास लगाया गया है। एलीसा जाँच किट, मानकों, कॉलम ग्लास वेयर्स आदि महँगी मदों को उपभोज्य के रूप में लिया गया है।
- च) अनुसूची 8 में दी गई स्थाई संपत्तियों में से एल सी एम एस एम एस मशीन निर्यात निरीक्षण अभिकरण चेन्नई, कोलकत्ता एवं मुंबई तथा एक एम पी ई डी ए प्रयोगशाला, भुवनेश्वर में लगाए गए हैं एवं इनका संचालन प्रबंधन निविदा पर मेसर्स इंटरफील्ड लबोरटरी द्वारा किया गया। एम पी ई डी ए द्वारा लगाए गए 16 एलीसा प्रयोगशालाओं में से 13 का सी लैब एवं 3 का इंटर फील्ड द्वारा प्रबंधन निविदा पर संचालन किया गया है, इनमें से 6 आन्ध्र प्रदेश में, 3 पश्चिम बंगाल में, 2 उड़ीसा में एवं तिमलनाटु, कर्नाटक, केरल, गुजरात एवं महाराष्ट्र में एक एक स्थापित है।
- छ) स्थाई परिसंपत्ति अनुसूची में तमिलनाटु सरकार द्वारा तूत्तिकोरिन में पट्टे पर दिए गए स्थान में स्थापित सूखा मत्स्य भंडार भी शामिल है।

5. दिनांक 31.03.2011 को विशिष्ट प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधि निवेश

निधियों का ब्यौरा तथा निवेश के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है:

क्रम र	नं. निधि	₹	निवेश	₹
(ক)	(i) क्रांतिक अवसंरचना निधि	25000000	संयुक्त उद्यम के शेयरों में निवेश	25000000
(ख)	ई पी एस निधि	87576592	(1) इक्विटी शेयरों में निवेश (शेयरों में मूल्यवृद्धि सहित)	55490700
			(2) ई पी एस सावधि निक्षेप	32085892
			(3) चालू खाता	0
(ঘ)	एसैड केन्द्रीय निधि	14211818	सावधि निक्षेप में निवा	14211818
(ङ)	जी पी एफ निधि		निवेश	
	1. 31.3.2010 को निवल देयता	86240843	(1) सी एस बी	5172353
	2. 31.3.2010 को ब्याज देयता	6870356	(1) एस बी टी	40855614
	3. देयता के अतिरिक्त निवेश पर	11041946	(2) आई डी बी आई	32059947
	अधिक ब्याज		(3) के टी डी एफ सी	21092913
	4. मार्च 2011 को सामान्य भविष्य	2536165	(4) एस बी टी में बचत बैंक खाता	4972318
	निधि देयता		(5) मार्च 2010 को प्राप्य राशि	2536165
		106689310		106689310
(च)	भारतीय कृषि अनुसंधान निधि	1485081	सावधि निक्षेप में निवेश	0
	(एम पी आर एन एल)			
(ন্ত)	मत्स्यन यानों के प्रतिस्थापन केलिए निर्	ध 8362819	सावधि निक्षेप में निवेश	4162819
			क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल का चालू खाता	4200000
(ज)	यू एन सी टी ए डी	134045	स्थायी निक्षेप में निवेश	0
(झ)	एन एफ डी बी निधि	2974916	स्थायी निक्षेप में निवेश	0









यू एन सी टी ए डी, एम पी आर एन एल और एन एफ डी बी में बकाया निधि सावधि निक्षेपों में जमा नहीं की गई है क्योंकि ये सब चालू खाते हैं जिनमें से राजस्व प्रकार का भुगतान आवधिक रूप से किया जाना है।

दिनांक 31.03.2011 को स्टॉक व स्पेअर में ₹ 9,81,709.00 हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-6.

समुल्य प्रकाशन प्रपत्रों का स्टॉक i)

₹ 633795

स्टैंप का स्टॉक

₹ 11387

iii) लेखन सामग्री का स्टॉक

₹ 336527

कुल

₹981709

स्टॉक एवं स्पेअर को कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है।

- कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम के रूप में दर्शाई गई बकाया ₹ 48,95,579.00 रुपए की राशि कर्मचारियों को 7. दिए गए विभिन्न अग्रिमों को सुचित करती है। पहले मुलधन की वसुली की जाती है। मुलधन को पूर्ण रूप से वापस किए जाने के बाद ही ब्याज की वसुली होती है। ब्याज-आय को प्राप्ति आधार पर ही स्वीकार किया जाता है। साधारण प्रक्रिया के समान वर्ष की प्राप्य राशि केलिए कोई प्रावधान नहीं बनाया जाता है।
 - हर वर्ष एम पी ई डी ए कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का खर्च उठाने केलिए गैर-योजना के ख) तहत उस वर्ष का बजट प्रावधान बनाता है तथा इसका खर्च गैर योजना के तहत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त निधियों से किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान भी ऐसा ही किया गया था। उपर्युक्त के अलावा वर्ष 2010-11 के दौरान कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति लाभ वास्तविक मुल्यांकन आधार पर दिए गए हैं तथा देयता का मौजुदा निवल मुल्य 31.3.2010 के अनुसार है। वर्ष 2010-11 के दौरान कर्मचारियों को दिनांक 31.3.2011 को देय सेवानिवृत्ति लाभों केलिए नया वास्तविक मुल्यांकन बनाया गया तथा लेखा बहियों में प्रावधान किए गए। सेवानिवृत्ति/सेवांत हितलाभ केलिए कोई अलग आरक्षित निधि नहीं है। चालू वर्ष केलिए उपदान, छुट्टी भुनाना, अधिवर्षिता पेंशन आदि पर देयता को प्रोदभुत नहीं किया जाता है। अतः आय और व्यय लेखे के अधीन दर्ज नहीं किया गया है। ये प्रतिबद्धताएं सरकार द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों केलिए प्रदत्त निधियों के अधीन हैं।
- स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री का लाभ ₹ 374257.00 पर अनुसूची 18 में अलग रूप से विचार किया गया है। 8.
- वर्ष के दौरान प्रतिभागियों (निर्यातकों) से वसूल किए गए स्टॉल किराया एवं पंजीकरण शुल्क व्यापार मेला योजना 9. शीर्ष (अन्य व्यय) में दर्ज किया गया है, अतः अनुसूची 19 में अन्य व्यय के अधीन कुल व्यय को निवल मात्र दर्शाया गया है।
- **10**. योजना निधि के अलावा स्थाई निधियों पर अर्जित ब्याज को विभागीय प्राप्तियों में दर्ज किया जाता है।
- वर्ष 2007-08 तक सभी विभागीय आय को (आई ई बी आर) गैर योजना के अधीन दर्ज किया गया था। तथापि, मंत्रालय 11. के आदेश के अनुसार वर्ष 2008-09 से योजना निधियों के ह्रस्वकालीन निक्षेपों पर अर्जित ब्याज को योजना (आई ई बी आर) के अधीन लिया जाता है।
- अनुदानों, इमदाद पर व्यय, (अनुसूची 22) में संस्थापन/प्रशासन और परिसंपत्तियों के अर्जन पर योजना व्यय सम्मिलित नहीं है।







- 13. 2,80,000.00 की एच ए सी सी पी विभागीय प्राप्तियाँ जोखिम विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण कार्यक्रम एवं अन्य गुणता नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रशिक्षण के भागीदारों से एकत्रित शुल्क को दर्शाती है। परिशिष्ट 12 में सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क प्राप्तियों की आय के रूप में इसका लेखाकरण किया गया है।
- 14. ₹ 10,90,583.00 का डी सी पी एस अंशदान (गत वर्ष ₹ 10,19,878.00) इस संवर्ग में आनेवाले कर्मचारियों के लाभार्थ अंशदाई पेंशन योजना के नियोक्ता के अंशदान को सूचित करता है। दिनांक 31.03.2011 तक की अविध के लिए नियोक्ता के अंशदान के साथ कर्मचारियों के हिस्से के रूप में प्राप्त अंशदान पहले ही अनुमोदन प्राप्त निधि प्रबंधक (बैंक ऑफ इंडिया, एरणाकुलम) में अंतरित किया गया है तथा उपलब्ध बकाया राशि अर्थात् ₹ 4,67,364.00 (निक्षेपों तथा सेवा से त्याग पत्र दिए कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के अंशदान पर प्रोद्भूत ब्याज आदि) एस बी टी में जमा किया गया है।

15. अनुदान/इमदाद

- क) इस वर्ष के दौरान नेटिफिश और नाक्सा को सहायता के रूप में क्रमशः ₹ 1,60,00,000.00 एवं ₹ 73,00,000.00 की राशि वितरित की गई। इसके अतिरिक्त, राजीव गाँधी जलकृषि केन्द्र को अनुसंधान व विकासात्मक कार्यकलापों केलिए सहायता के रूप में ₹ 30,00,00,000.00 दिए गए।
- ख) इस वर्ष कुल ₹ 29,33,40,035.00 की इमदाद वितिरत की गई। वितरण की सूची अलग रूप से परिशिष्ट -18 में दी गई है। इमदाद संबंधी कार्यकलापों केलिए देय/संबद्ध परंतु प्रत्यक्ष में सहायता के रूप में न माने जाने वाले व्यय को परिशिष्ट 19 में दिया गया है।
- 16. वर्ष 2007-08 से प्राधिकरण आय व व्यय तथा तुलन पत्र की तैयारी में लेखाविधि के प्रोद्भवन आधार को अपनाता है।
- 17. भारत इन्फोफिश के शासी परिषद का एक सदस्य है। भारत की सदस्यता अंशदान प्रतिवर्ष 25000.00 यू एस डोलर में नियत किया गया है तथा वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान इसका भुगतान किया जाता है। चूँकि यह एकमुश्त भुगतान है तथा सिलसिलेदार प्रकार का है अतः इसे पूर्व प्रदत्त व्यय नहीं माना जाता।
- 18. अधिकांश निवेश अल्पाविध निक्षेपों पर है। तथापि जी पी एफ के ₹ 9,91,80,827.00 के कुल निक्षेप में से ₹ 80,00,000.00 की राशि मई 2005 में 10 वर्ष के लिए जमा की गई है।
- 19. इन ऑकडों को जहाँ कहीं आवश्यक है, साथ जोडा गया है।

मुख्य लेखा अधिकारी

र्म है। सचिव

तीत न्।४२ अध्यक्ष









विशेष प्रयोजन केलिए उद्दिष्ट/स्थाई निधि

		क्रांतिक अवसंरचना निधि	ई पी एस निधि	एसैंड केन्द्रीय निधि	जी पी एफ निधि ब	जी पी एफ मत्स्वन यान निधि की प्रतिस्थापना केलिए निधि नि	भारतीय । कृषि अनुसंधान निधि (एम पी आर एन एल)	अन्य (यू एन सी टी ति एडी)	राष्ट्रीय मास्थिकी बोर्ड निधि	पी एन एम आर एफ निधि	हु कु इ.	ਣ ਫ•
खे भे	निधयों का अथशेष निधयों में परिवर्धन	25000000	288813982	0	91300412	10280848	1551518	730972	0	0		41767732
	(i) चंदे/अनुदान(ii) निधियों से किए गए निवेशों से आव	0 0 0	1371473	26300000 211818	7869510	481971		1148124	17500000	2500000	3969700	52866324 9934772
	(III) পাব ধাবতখন कु ল (क) + (ख)	0 25000000	300328979	26511818 133893084	34/23102 133893084	0 10762819	3000018	1879096	17500000	2500000	3969700 525345514	44800080 25345514
चे	निधियों के उद्देश्यों केलिए उपयोग/व्यय निधियों के उद्देश्य											
·-:	पूँजी व्यय - स्थाई परिसपीतवाँ	0	0		0	0	0	0				0
	- अय	0	0	12300000	0	2400000	763295	0		2500000	3969700	21932995
	િ	0	•	12300000	0	2400000	763295	0		2500000	3969700	21932995
::i	राजस्व व्यय नेन्य गन्नग्रीजा न शने शानि						737533	10200				834533
	- जाप, नश्रूरचा य नता जाप - किराया	0	0	0	0	0	0	000701				0
	- अन्य प्रशासिनक व्यय						19109	1643051	14525084			16187244
	- वापसी/प्रावधान		212752387	0	33725881							33725881
	- अन्य ई पी एस		212752387								.,	212752387
	केल	0	212752387	0	33725881	0	751642	1745051	14525084	0	0	0 263500045
	कुल (ग)	0	212752387	12300000 33725881	33725881	2400000	1514937	1745051	14525084	2500000	3969700 285433040	285433040
वर्षात ब	वर्षांत को नेट शेष (क) + (ख) - (ग)	25000000	87576592	14211818 100167203	100167203	8362819	1485081	134045	2974916	0	0	0 239912474





परिशिष्ट - 1



अनुसूचियों के परिशिष्ट

परिशिष्ट - 2

प्राप्त अग्रिम	31/03/2011	31/03/2010
- ई एम डी मुख्यालय	1552142	1469742
प्रतिभूति निक्षेप मुख्यालय	1152400	1252400
कुल	2704542	2722142

परिशिष्ट - 3

सांविधिक देयताएं	31/03/2011	31/03/2010
प्रतिनियुक्ति पर सी जी आई एस/ एल आई सी	240	240
डी सी पी एस अंशदाई भविष्य निधि वसूली	2122154	4377423
जी आई एस सामूहिक बीमा योजना	21885	52779
सामान्य भविष्य निधि अंशदान प्रतिनियुक्ति	10300	0
प्रतिनियुक्ति पर जी पी एफ ऋण वसूली	2700	0
आयकर	161000	109000
सामान्य भविष्य निधि देयता	0	0
चिकित्सा अग्रिम वसूली	0	9465
छुट्टी वेतन व पेंशन	3040350	1881821
कुल	5358629	6430728

परिशिष्ट - 4

अन्य चालू देयताएँ	31/03/2011	31/03/2010
न्यायालय कुर्की	5397	5397
क्रेडिट सोसाइटी	1378887	1055451
एच डी एफ सी	2917	10146
जीवन बीमा निगम	232808	216269
प्रतिनियुक्ति पर एम सी ए	1900	1313
एम पी ई डी ए उपभोक्ता सोसाइटी	1800	1800
एम पी ई डी ए कर्मचारी कल्याण निधि	222470	203088
देय वेतन	6520956	5718426
स्टॉफ क्लब अंशदान	1572	1584
अर्बन को-ओपरेटीव सोसाइटी	97544	128793
बकाया व्यय	2658400	3186309
प्रतिनियुक्ति पर एच बी ए	10000	10000
एच आर डी	708	20094
अन्य वसूलियाँ	0	24262
अन्य (देय लेखे)	2853543	3963169
कुल	13988902	14546101







परिशिष्ट - 5

ई पी एस - इक्विटी सहभागिता निधि निवेश	31/03/2011	31/03/2010
लागत के आधार पर इक्विटी शेयरों में ई पी एस निधि		
अंडमान फिशरीज़, पोर्ट ब्लेअर	330000	330000
बे लाइनेर्स, हैदराबाद	2700000	2700000
ब्लू गोल्ड मारिटेक, मद्रास	500000	500000
कोरोमन्डल फिशरीज़, हैदराबाद	2475000	2475000
डी सी एल मारिटेक, हैदराबाद	3500000	3500000
फिशिंग फाल्कन्स लिमिटड, हैदराबाद	4900000	4900000
इन्डो अक्वाटिक्स, हैदराबाद	3600000	3600000
इंटग्रेटड रूबियन एक्स्पोर्ट्स लिमिटड	3000000	3000000
कल्याण सीफुड्स, हैदराबाद	3448000	3448000
किंग इन्टरनैशनल अक्वा मराइन, कोल्लम	5000000	5000000
कोलुत्तरा एक्स्पोर्ट्स, कोचिन	290000	290000
लक्षद्वीप शिल्पी अक्वा, कोचिन	3000000	3000000
ओशियानिक एन्टेरप्राइसेस, भुवनेश्वर	400000	400000
ओशियन बाउंटी, कोचिन	440000	440000
सुदेश सीफुड्स, मुंबई	3600000	3600000
समुरा मारिटाइम ट्रेड्स, हैदराबाद	1207700	1207700
सूर्य चक्रा सीफुड्स, हैदराबाद	2500000	2500000
सुवर्णा अक्वा फार्मस, हैदराबाद	5000000	5000000
टेक्नोमिन अक्वा एक्स्पोर्ट्स, विजयवाडा	1600000	1600000
तिरुमला फुजी टेक, हैदराबाद	5000000	5000000
विजया श्रिम्प फार्म, हैदराबाद	2500000	2500000
समुदिरा मराइन फार्मस्	500000	500000
कुल योग	55490700	55490700
वित्तीय सहयोग करार के अनुसार शेयरों के मूल्य में वृद्धि	0	202608863
कुल	55490700	258099563







परिशिष्ट - 6

अन्य	31/03/2011	31/03/2010
बैंक में ई पी एस सावधि जमा	32085892	4503917
एफ डी अंशदाई पेंशन	467364	4826095
एफ डी एसैड केन्द्रीय	14211818	0
मत्स्यन यानों का प्रतिस्थापन निवेश	4162819	10280848
एफ डी सामान्य भविष्य निधि	99180827	88837041
सामान्य भविष्य निधि बचत बैंक खाता	4972318	6522653
कुल	155081038	114970554


परिशिष्ट - 7 क

नकद	: शेष	31/03/2011	31/03/2010
नकद	लेखा (मुख्यालय)	25615	28385
प्रयोगशाला	भीमवारम	0	0
प्रयोशाला	नेल्लूर	0	0
क्षेत्रीय केन्द्र	पनवेल	0	0
क्षेत्रीय केन्द्र	कोच्ची	0	0
क्षेत्रीय केन्द्र	तंजावूर	0	0
क्षेत्रीय केन्द्र	वल्साद	0	0
क्षेत्रीय केन्द्र	विजयवाडा	0	0
क्षेत्रीय केन्द्र	भुवनेश्वर	0	0
क्षेत्रीय कार्यालय	मुंबई	1075	200
क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकत्ता	3000	0
क्षेत्रीय कार्यालय	कोचिन	0	1614
क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नई	0	14915
क्षेत्रीय कार्यालय	वेरावल	0	0
क्षेत्रीय कार्यालय	विज़ाग	0	21000
उप क्षेत्रीय केन्द्र	भीमवारम	0	0
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कोलकत्ता	0	0
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कण्णूर	0	0
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कारवार	0	0
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गुवाहटी	0	0
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गोआ	0	0
उप क्षेत्रीय कार्यालय	माँगलूर	0	0
उप क्षेत्रीय कार्यालय	भुवनेश्वर	0	0
उप क्षेत्रीय कार्यालय	कोल्लम	821	3564
उप क्षेत्रीय कार्यालय	तूत्तिकोरिन	0	0
टी पी ओ	नई दिल्ली	0	287
कुल		30511	69965









अग्रदाय नव	कद शेष	31/03/2011	31/03/2010
उग्रदाय नकद	लेखा-मुख्यालय	490	0
प्रयोगशाला	भीमवारम	470	11
प्रयोगशाला	नेल्लूर	153	2140
क्षेत्रीय केन्द्र	पनवेल	230	227
क्षेत्रीय केन्द्र	कोच्ची	799	35
क्षेत्रीय केन्द्र	तंजावूर	500	500
क्षेत्रीय केन्द्र	वल्साद	213	106
क्षेत्रीय केन्द्र	विजयवाडा	130	310
क्षेत्रीय केन्द्र	भुवनेश्वर	196	25
क्षेत्रीय कार्यालय	मुंबई	555	284
क्षेत्रीय कार्यालय	कोलकत्ता	255	307
क्षेत्रीय कार्यालय	कोचिन	520	225
क्षेत्रीय कार्यालय	चेन्नई	140	415
क्षेत्रीय कार्यालय	वेरावल	128	423
क्षेत्रीय कार्यालय	विज़ाग	425	340
उप क्षेत्रीय केन्द्र	भीमवारम	122	28
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कोलकत्ता	275	304
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कण्णूर	2	485
उप क्षेत्रीय केन्द्र	कारवार	8	51
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गुवाहटी	36	386
उप क्षेत्रीय कार्यालय	गोआ	741	451
उप क्षेत्रीय कार्यालय	माँगलूर	0	50
उप क्षेत्रीय कार्यालय	भुवनेश्वर	183	282
उप क्षेत्रीय कार्यालय	कोल्लम	270	398
उप क्षेत्रीय कार्यालय	तूत्तिकोरिन	680	2496
टी पी ओ	नई दिल्ली	143	297
कुल		7664	10576
कुल परिशिष्ट 7क -	- 7 ख	38175	80541







परिशिष्ट - 8

बैंक में नकद	31/03/2011	31/03/2010
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एरणाकुलम	214230	1793029
एस बी टी, पनंपिल्ली नगर	45778	536435
एस बी आई, विल्लिंगटन आइलैंड - विदेशी शाखा	87427	87427
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	11058	11058
प्रयोगशाला, भीमवारम	324255	938559
प्रयोगशाला, नेल्लूर	417885	598022
क्षेत्रीय केन्द्र पनवेल	366775	681411
क्षेत्रीय केन्द्र भुवनेश्वर	114486	468359
क्षेत्रीय केन्द्र कोचिन	55283	293142
क्षेत्रीय केन्द्र तंजावूर	264285	294952
क्षेत्रीय केन्द्र वल्साद	374832	525265
क्षेत्रीय केन्द्र विजयवाडा	241283	335497
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	418136	366069
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकत्ता	488797	814148
क्षेत्रीय कार्यालय, कोचिन	271351	86592
क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	239915	156835
क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल	4938244	792875
क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	174194	49837
उप क्षेत्रीय केन्द्र भीमवारम	162470	317013
उप क्षेत्रीय केन्द्र कोलकत्ता	280860	308203
उप क्षेत्रीय केन्द्र कण्णूर	22345	33929
उप क्षेत्रीय केन्द्र कारवार	83369	609732
उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटी	4142	26795
उप क्षेत्रीय कार्यालय, गोआ	91967	354958
उप क्षेत्रीय कार्यालय, माँगलूर	194470	385616
उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	134185	190023
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम	66152	150228
उप क्षेत्रीय कार्यालय, तूत्तिकोरिन	232827	287143
टी पी ओ नई दिल्ली	267075	358327
टी पी ओ न्यूयोर्क	1950254	1619920
टी पी ओ टोकियो	3864200	1875007
मार्गस्थ निधि	0	0
कुल	16402530	15346406







ऋण, अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ	31/03/2011	31/03/2010
कर्मचारी		
कंप्यूटर अग्रिम	179690	154370
गृह निर्माण अग्रिम	3575552	4815298
मोटोर वाहन अग्रिम	321700	451240
स्कूटर अग्रिम	510817	534243
बाइसिकिल अग्रिम	9475	25675
उत्सव अग्रिम	129645	157545
छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	67000	0
दौरा अग्रिम	67700	68500
समायोज्य अग्रिम	34000	11100
ओणम विशेष अग्रिम	0	0
कुल	4895579	6217971

	निक्षेप	31/03/2011	31/03/2010
विद्युत	निक्षेप, मुख्यालय	240590	236360
विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	34080	34080
विद्युत	निक्षेप, टी सी ए वल्लारपाटम (क्षे. का.)	164250	164250
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कण्णूर	212281	212281
विद्युत	निक्षेप, प्रयोगशाला, नेल्लूर	44000	44000
विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, तंजावूर	36474	36474
विद्युत	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, वल्साद	94517	94517
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	483475	483475
विद्युत	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, माँगलूर	64659	64659
गैस	निक्षेप, वल्लारपाटम (क्षे. के.)	10900	10900
गैस	निक्षेप, मुख्यालय	6523	6523
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोचिन	3000	3000
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	2550	2550
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	5000	5000
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम	1500	1500
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	20000	20000
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, तूत्तिकोरिन	1600	1600
गैस	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, तंजावूर	10000	10000
गैस	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कण्णूर	5000	5000







पेट्रोल	निक्षेप, मुख्यालय	56160	56160
पेट्रोल	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, कोचिन	10000	10000
कराया	निक्षेप, मुख्यालय	47234	17234
किराया किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र/अक्वा, भुवनेश्वर	548640	146304
कराया कराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	91362	91362
किराया किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञाग	180000	180000
कराया कराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकत्ता	110340	98340
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	330000	330000
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल	30000	30000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कारवार	10000	10000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, तृत्तिकोरिन	20000	20000
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गोआ	36000	21000
किराया	निक्षेप, टी पी ओ, न्यूयोर्क, कार्यालय	457600	457600
किराया	निक्षेप, टी पी ओ, न्यूयोर्क - आवास	0	255400
किराया	निक्षेप, टी पी ओ, टोिकयो	1594165	3609600
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, तंजावूर	91200	91200
किराया	निक्षेप, टी पी ओ, नई दिल्ली	611884	601884
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, पनवेल	151032	151032
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, विजयवाडा	52500	52500
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोचिन	191250	191250
किराया	निक्षेप, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटी	15000	15000
किराया	निक्षेप, प्रयोगशाला, नेल्लूर	136500	136500
किराया	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	23352	23352
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, पनवेल	0	0
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल	10000	10000
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	3033	3033
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, वल्साद	10619	10619
टेलिफोन	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कारवार	220	220
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, विज़ाग	7632	15000
टेलिफोन	निक्षेप, मुख्यालय	22823	24713
टेलिफोन	निक्षेप, उप क्षेत्रीय केन्द्र, कण्णूर	4000	4000
टेलिफोन	निक्षेप, क्षेत्रीय कार्यालय, कोच्ची	11030	0
टेलिग्राम	निक्षेप, मुख्यालय	26240	26240
टेलिग्राम	निक्षेप, क्षेत्रीय केन्द्र, विजयवाडा	324	324
टेलिग्राम	निक्षेप, तंजावूर	2200	2200
कुल		6332739	8128236







वार्षिक शुल्क/चंदा	31/03/2011	31/03/2010
एम पी ई डी ए न्यूज़ लेटर केलिए चंदा	46850	33926
प्राइम केलिए चंदा	23400	14600
कुल	70250	48526

परिशिष्ट - 12

सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	3103/2011	31/03/2010
पंजीकरण/जी एस पी प्रमाण पत्र/पुनः वैधीकरण शुल्क	6838747	6032089
एच ए सी सी पी विभागीय प्राप्तियाँ	280000	396233
आई यू यू प्राप्तियाँ	58500	0
कुल	7177247	6428322

परिशिष्ट - 13

प्रकाशनों से आय	31/03/2011	31/03/2010
मात्स्यिको हैंड बुक को बिक्री	61025	32750
अन्य प्रकाशनों की बिक्री	209420	417614
एम पी ई डी ए न्यूज़ लेटर में विज्ञापन	156068	45712
कुल	426513	496076

रोयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	31/03/2011	31/03/2010
अन्य		
प्रपत्रों की बिक्री	327900	330250
जी एस पी प्रपत्र	98375	137841
कुल	426275	468091







प्राप्त ब्याज	31/03/2011	31/03/2010
कर्मचारियों को ऋणों पर		
बाइसिकिल/पंखा अग्रिम		0
गृह निर्माण अग्रिम	1473275	1431961
मोटोर कार	42190	87270
कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	62439	51087
स्कूटर	54769	60077
कुल	1632673	1630395

परिशिष्ट - 16

अन्य व्यय - अन्य	₹	गलू वर्ष (201 0-	-11)	,	गत वर्ष (2009 -	-10)
	योजना	ँगैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
बैंक प्रभार	39746	6300	46046	6350	8169	14519
हिन्दी कार्यान्वयन	0	677279	677279	0	509583	509583
विविध प्रशासनिक व्यय	10296305	2728943	13025248	4090405	2101039	6191444
सांख्यिकी प्रकाशन	0	0	0	0	0	0
पुस्तकें व पत्रिकाएं	290822	549714	840536	266545	474265	740810
जी एस पी प्रपत्र (मुद्रण)	0	100000	100000	0	125000	125000
छुट्टी यात्रा रियायत	4645441	2635213	7280654	4473742	3741896	8215638
चिकित्सा दावा	2426834	942322	3369156	1559990	909487	2469477
सदस्यता शुल्क	1136325	0	1136325	1164234	2941	1167175
अन्य व्यय	0	154337	154337		146156	146156
प्रशिक्षण कार्यक्रम	2386001	109846	2495847	6918453	41788	6960241
कुल	21221474	7903954	29125428	18479719	8060324	26540043

अन्य अनुदान	31/03/2011	31/03/2010
राजीव गाँधी जलकृषि केन्द्र केलिए सहायता	300000000	300000000
नाक्सा तकनीकी परामर्श केलिए सहायता	7300000	20000000
नेटिफश केलिए सहायता	16000000	13000000
कुल	323300000	333000000







नाराश≪ - 10		
संस्थाओं/संगठनों को दी गई इमदाद	31/03/2011	31/03/2010
वाणिज्यिक हैचरियों के उन्नयन केलिए सहायता	2000000	600000
अविकसित क्षेत्रों में नए फार्म विकसित करने केलिए इमदाद	22285274	11332224
बहिस्राव अभिक्रिया संयंत्र स्थापित करने केलिए इमदाद	1542328	2133151
चुने हुए/उपयुक्त क्षेत्र में जैव कृषि केलिए इमदाद	11316	446730
पी सी आर प्रयोगशालाएं स्थापित करने केलिए विकास सहायता हेतु इमदाद	3973703	4067529
शीतभंडार की स्थापना केलिए इमदाद	7493320	22569987
आधुनिक हिम संयंत्र की स्थापना केलिए इमदाद		9950202
आलंकारिक मत्स्य यूनिट की स्थापना केलिए इमदाद	9644574	32266254
कैप्टीव पूर्व संसाधन केन्द्रों के निर्माण/नवीकरण केलिए सहायता	5297074	12320496
छोटी प्रयोगशाला की स्थापना केलिए इमदाद	472592	1001354
रोधीकृत मत्स्य डिब्बों केलिए इमदाद	5719334	2774525
स्वतंत्र पूर्व संसाधन केन्द्रों के निर्माण/नवीकरण केलिए इमदाद	10680554	5394430
प्रशीतित ट्रकों/कन्टेनरों के अर्जन केलिए इमदाद	979163	1707360
ट्यूना लोंग लाइनिंग विविधीकृत मत्स्यन केलिए दी गई इमदाद	50799619	67930786
पकड के बेहतर परिरक्षण केलिए मछुआरों को सहायता	11511072	17259606
केरल के पाडशेखरम के लिए सहायता	500000	461226
सोसाइटियों केलिए सहायता	6106418	3705246
सभी संसाधन मशीनरियों के अर्जन केलिए सहायता	0	13166331
अवसंरचनात्मक सुविधाएं (जी एस, डब्ल्यू पी एस, ई टी पी,		
एफ आई एम एम सी आर, यू डी एस)	1415722	10520629
आलंकारिक अक्वेरियम मत्स्य के निर्यात केलिए विकास सहायता	1472614	1764047
समुद्री खाद्य संयंत्रों का ई यू स्तरों में उन्नयन	9704980	10823150
समुद्री भाडा सहायता	100503328	19658648
प्रौद्योगिकी उन्नयन केलिए विशेष योजना	41227050	12119895
कुल	293340035	263973806







अनुदान/इमदाद केलिए व्यय	31/03/2011	31/03/2010
अन्य		
संगोष्ठी		0
व्यावसायिक प्रभार	8745872	4452916
प्रचार व बाज़ार संवर्धन (विज्ञापन व प्रचार)	4189103	5452209
मेहमानदारी		0
बीमा	0	0
चंदा		
पी सी आर प्रयोगशाला सुविधा अनुरक्षण		
आलंकारिक मत्स्य उत्पादों का संवर्धन		
नए मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास		
एम पी ई डी ए प्रयोगशाला व्यय (कोच्ची)		
एम पी ई डी ए प्रयोगशाला व्यय (भीमवारम व नेल्लूर)		
पीडकनाशियों के अवशिष्ट स्तरों का मानीटरिंग		
समुद्रीखाद्य गुणता विकास कार्यक्रम		
डैटा बैंक व संग्रहण		
विकास प्रभाग		
सोसाइटियों केलिए सहायता		
एच पी एल सी एम एस प्रतिजैविकी जाँच		
रसायन	1678679	1504654
शीशे के सामान	225425	158008
अन्य व्यय	49521536	57929387
एन आर सी पी	737003	406285
कुल	65097618	69903459
कम किया जाएः		
आबंटित स्थल केलिए प्राप्त वसूली	8962500	4877850
कुल	56135118	65025609

नोटः

1. अन्य व्यय में अनुदान, इमदाद व संस्थापन व्यय को छोड़कर योजना व्यय में उपगत सभी व्यय शामिल हैं।







समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), कोच्ची के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर नियंत्रक और भारत के महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट

- 1. हमने एम पी ई डी ए अधिनियम 1972 की धारा 19 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शिक्त एवं सेवा की शतें) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के 31 मार्च 2011 तक के संलग्न तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखा/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। बारह क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, दस क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केन्द्रों, तीन प्रयोगशालाओं, तीन व्यापार संवर्धन केन्द्रों एवं तीन सोसाइटियों के वित्तीय विवरण इसमें शामिल हैं। ये वित्तीय विवरणियाँ एम पी ई डी ए के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरण पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।
- 2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्वित के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण, मानदंड आदि से संबंधित लेखाकरण निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि, नियम व विनियम (उपयुक्तता व नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादन पर लेखा टिप्पणियाँ और दक्षता और निष्पादन पहलू आदि, यदि है, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा अलग रूप से दिखाया जाता है।
- 3. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानदंडों तथा लागू नियमों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानदंडों की यह अपेक्षा है कि, वित्तीय विवरणों में विषय की दृष्टि से गलितयाँ नहीं हैं, यह पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की रूपरेखा तैयार करें। एक लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई रकम और प्रकटीकरणों का समर्थन करनेवाले प्रमाण को एक परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। एक लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन, तथा वित्तीय विवरण का समग्र मूल्यांकन व प्रस्तुतीकरण भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करती है।
- 4. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं किः
 - i. जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
 - ii. तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखा/ प्राप्ति व भुगतान लेखा की रिपोर्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फोर्माट में तैयार की गई है।
 - iii. हमारी राय में, लेखा बहियों और अन्य संबद्ध रिकार्डों की जाँच करने से यह दिखाई पडता है कि एम पी ई डी ए अधिनियम 1972 की धारा 19 के अधीन अपेक्षित रूप से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), कोच्ची द्वारा अब तक ऐसी बहियाँ उचित रूप से रखी गई हैं।
 - iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:







क. आय और व्यय

क. 1: व्यय

क. 1. I: अनुदानों और इमदादों पर व्यय - (अनुसूची 22) 67.27 करोड

इसे वर्ष 2011-12 के दौरान प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए दिए गए अग्रिम को शामिल करने की वजह से 2.00 करोड़ रुपए अधिक दर्शाया जाता है। फल्स्वरूप, जो कि समग्र/पूँजी निधि में ली गई कमी है को उसी रकम द्वारा दर्शाया जाता है एवं उसी सीमा तक चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिमों (अनुसूची 11) को कम दर्शाया जाता है।

ख. सहायता-अनुदान

31 मार्च, 2011 को, इस वर्ष के दौरान प्राप्त 91.41 करोड़ रुपए (3.23 करोड़ रुपए के आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट संपदाओं सिहत) की सहायता-अनुदानों में से संग न ने 0.57 करोड़ रुपए अप्रयुक्त अनुदान के रूप में शेष रखते हुए 98.84 करोड़ रुपए का उपयोग किया।

ग. प्रबन्धन पत्र

लेखा परीक्षा में जो किमयाँ शामिल नहीं की गई हैं, इन को प्रतिविधिक/दोष निवारक कार्रवाई के लिए अलग रूप से जारी एक प्रबन्धन पत्र द्वारा अध्यक्ष, एम पी ई डी ए, कोच्ची के ध्यान में लाया गया है।

- v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखाएं/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा बाहियों से मेल खाते हैं।
- vi. हमारी राय में तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पिठत तथा उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इसकी रिपोर्ट के साथ पिरिशिष्ट -1 में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप उक्त वित्तीय विवरण एक सच्चा एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है।
- क. जहाँ तक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के दिनांक 31 मार्च 2011 तक के कार्यकलापों से संबंधित तुलन पत्र के साथ इसका संबंध है: तथा
- ख. जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के घाटे के आय व व्यय लेखे के साथ इसका संबंध है।

भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से

प्रधान महालेखाकार (सी व सी ए), केरल

तिरुवनन्तपुरम 23 सितंबर 2011









आंतरिक लेखा परीक्षा पद्वति की पर्याप्तता 1.

यद्यपि बोर्ड द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा का आवर्तन काल दो वर्ष में एक बार नियत किया गया है, शेष 28 में से 11 कार्यालयों के संबंध में यह लंबित है।

आंतरिक नियंत्रण पद्वति की पर्याप्तता 2.

प्राधिकरण ने सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 208 (vii) की अपेक्षानुसार आउटपुट लक्ष्यों को बताते हुए प्रशासिनक मंत्रालय के साथ कोई समझौता ज्ञापन कार्यान्वित नहीं किया है।

स्थाई परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच पद्धति 3.

दिनांक 31.3.2011 तक के अनुसार परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच संबन्धित कार्यालय प्रमुखों द्वारा तथा मुख्यालय की परिसंपत्तियों की जाँच अनुभाग अधिकारियों (भंडार) द्वारा की गई।

वस्तुसूची की वास्तविक जाँच पद्धति 4.

प्राधिकरण की मौजूदा पद्धति सन्तोषप्रद है।

सांविधिक रूप में देय राशि के भुगतान की नियमितता 5.

प्राधिकरण के अधीन कार्यरत तथा जलकृषकों को सेवा प्रदान करनेवाली प्रयोगशालाएं सेवा कर का भुगतान नहीं करती हैं।

उप महालेखाकार (सी ई)







समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), कोच्ची के 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर नियंत्रक और भारत के महालेखा परीक्षक की अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रत्युत्तर

लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ

प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ

- हमने एम पी ई डी ए अधिनियम 1972 की धारा 19 के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्य, शक्ति एवं सेवा की शतें) अधिनियम 1971 के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के 31 मार्च 2011 तक के संलग्न तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय व व्यय लेखा/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की लेखा परीक्षा की है। बारह क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, दस क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय केन्द्रों, तीन प्रयोगाालाओं, तीन व्यापार संवर्धन केन्द्रों एवं तीन सोसाइटियों के वित्तीय विवरण इसमें शामिल हैं। ये वित्तीय विवरणियाँ एम पी ई डी ए के प्रबन्धन की जिम्मेदारी हैं। लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय विवरण पर राय प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है।
- इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्वित के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानक एवं प्रकटीकरण, मानदंड आदि से संबंधित लेखाकरण निरूपण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। विधि, नियम व विनियम (उपयुक्तता व नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय कार्य निष्पादन पर लेखा टिप्पणियाँ और दक्षता और निष्पादन पहलू आदि, यदि है, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/सी ए जी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा अलग रूप से दिखाया जाता है।
- उ. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानदंडों तथा लागू नियमों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानदंडों की यह अपेक्षा है कि, वित्तीय विवरणों में विषय की दृष्टि से गलितयाँ नहीं हैं, यह पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की रूपरेखा तैयार करें। एक लेखा परीक्षा में, वित्तीय विवरणों में दी गई रकम और प्रकटीकरणों का समर्थन करनेवाले प्रमाण को एक परीक्षण आधार पर जाँच करना शामिल है। एक लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण

कोई टिप्पणी नहीं

कोई टिप्पणी नहीं

कोई टिप्पणी नहीं







लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ

प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ

सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन, तथा वित्तीय विवरण का समग्र मूल्यांकन व प्रस्तृतीकरण भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करती है।

- हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- जहाँ तक हमारी जानकारी एवं विश्वास है, हमने अपनी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
- तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखा/प्राप्ति व भुगतान लेखा की रिपोर्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फार्मेट में तैयार की गई है।
- iii. हमारी राय में, लेखा बहियों और अन्य संबद्ध रिकार्डों की जाँच करने से यह दिखाई पडता है कि एम पी ई डी ए अधिनियम 1972 की धारा 19 के अधीन अपेक्षित रूप से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), कोच्ची द्वारा अब तक ऐसी बहियाँ उचित रूप से रखी गई हैं।
- iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
- आय और व्यय
- क. 1: व्यय
- क. 1. I: अनुदानों और इमदादों पर व्यय (अनुसूची 22) ₹ 67.27 करोड़

इसे वर्ष 2011-12 के दौरान प्रदीनियों में भागीदारी के लिए दिए गए अग्रिम को शामिल करने की वजह से 2.00 करोड़ रुपए अधिक दाीया गया है। फलस्वरूप, जो कि 'समग्र/पूँजी निधि में ली गई कमी' है को, उसी रकम द्वारा र्याया गया है एवं उसी सीमा तक 'चालू परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिमों' (अनुसूची 11) को कम दाीया गया है।

कोई टिप्पणी नहीं

कोई टिप्पणी नहीं

कोई टिप्पणी नहीं

एम पी ई डी ए हर वर्ष समुद्री खाद्य एक्स्पो, ब्रसल्स में भाग ले रहा है। यह एक्स्पो आम तौर पर मई महीने में आयोजित की जाती है। यह एक जारी रहनेवाली प्रक्रिया होने के कारण हर वर्ष हमें स्थल किराया आदि के लिए अग्रिम भुगतान करना पडता है। जैसा कि हर साल अगले वर्ष की एक्सपो केलिए व्यय आहरित किया जाता है, हम प्रत्येक वर्ष आहरित व्यय को पूर्वदत्त व्यय के रूप में नहीं दिखा रहे हैं। तथापि, लेखापरीक्षा अवलोकन भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।







लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ

प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ

ख. सहायता-अनुदान

31 मार्च, 2011 को, इस वर्ष के दौरान प्राप्त 99.41 करोड़ रुपए (3.23 करोड़ रुपए की आंतरिक एवं अतिरिक्त बजट-संपदाओं सहित) (मार्च में प्राप्त 22.50 करोड़ रु.) के सहायता-अनुदानों में से संगठन ने 0.57 करोड़ रुपए अप्रयुक्त अनुदान के रूप में ोष रखते हुए 98.84 करोड़ रुपए का उपयोग किया।

कोई टिप्पणी नहीं

ग. प्रबन्धन पत्र

लेखा परीक्षा में जो किमयाँ शामिल नहीं की गई हैं, इन को प्रतिविधिक/दोष निवारक कार्रवाई के लिए अलग रूप से जारी एक प्रबन्धन पत्र द्वारा अध्यक्ष, एम पी ई डी ए, कोच्ची के ध्यान में लाया गया है।

उत्तर अलग से भेजे जा रहे हैं।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र तथा आय व व्यय लेखाएं/प्राप्ति एवं भृगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं। कोई टिप्पणी नहीं

vi. हमारी राय में तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकरण नीतियों तथा लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपरोक्त महत्वपूर्ण विषयों तथा इसकी रिपोर्ट के साथ परिणिष्ट -1 में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप उक्त वित्तीय विवरण एक सच्चा एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है।

कोई टिप्पणी नहीं

क. जहाँ तक समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्ची के दिनांक 31 मार्च 2011 तक के कार्यकलापों से संबंधित तुलन पत्र के साथ इसका संबंध है: तथा

कोई टिप्पणी नहीं

ख. जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के घाटे के आय व व्यय लेखे के साथ इसका संबंध है।

कोई टिप्पणी नहीं

र्म हा (जे. रमेश) सचिव









लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ

प्रत्युत्तर/टिप्पणियाँ

आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति की पर्याप्तता 1.

यद्यपि बोर्ड द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा का आवर्तन काल दो वर्ष में एक बार नियत किया गया है, शेष 28 में से 11 कार्यालयों के संबंध में यह लंबित है।

सभी इकाई कार्यालयों के आंतरिक लेखा परीक्षा हर वर्ष दो बार चक्रानुक्रम आधार पर किया जाता है। पिछले वर्ष के दौरान पूरे भारत में फैले हुए 28 इकाई कार्यालयों (नाक्सा, नेटिफश तथा आर जी सी ए) में से 17 कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई। शेष कार्यालयों की लेखापरीक्षा वर्ष 2011-12 के दौरान की जाएगी।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता 2.

प्राधिकरण ने सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 208 (vii) की अपेक्षानुसार आउटपुट लक्ष्यों को बताते हुए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ कोई समझौता ज्ञापन कार्यान्वित नहीं किया है। एम पी ई डी ए का गठन संसद के अधिनियम के तहत किया गया है। एम पी ई डी ए केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों का पालन करता है। एम पी ई डी ए द्वारा हस्ताक्षरित कोई एम ओ यू नहीं है।

तथापि, एम पी ई डी ए विशेष लक्ष्यों को निर्धारित कर रहा है और उपलब्धियों को सुनिश्चित कर रहा है, तथा आवधिक रिपोर्टे मंत्रालय को प्रस्तृत की जा रही हैं।

स्थाई परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच पद्धति

दिनांक 31.3.2011 तक के अनुसार परिसंपत्तियों की वास्तविक जाँच संबन्धित कार्यालय प्रमुखों द्वारा तथा मुख्यालय की परिसंपत्तियों की जाँच अनुभाग अधिकारियों (भंडार) द्वारा की गई।

लागू नहीं

वस्तुसूची की वास्तविक जाँच पद्धति

प्राधिकरण की मौजूदा पद्धति सन्तोषप्रद है।

लागू नहीं

सांविधिक रूप में देय रााा के भुगतान की नियमितता

प्राधिकरण के अधीन कार्यरत तथा जलकृषकों को सेवा प्रदान करनेवाली प्रयोगशालाएं सेवा कर का भुगतान नहीं करती हैं। एम पी ई डी ए ने निर्यात के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के लिए की गई सेवा के लिए सेवा कर देने से छूट मिलने हेत् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ पहले से ही चर्चा शुरू की है एवं एम पी ई डी ए द्वारा उत्पन्न या प्राप्त आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (29 क) के तहत कर योग्य आय के प्रावधान के अंतर्गत छूट दी जा रही है।


सचिव







मूल्यवर्धित मद



श्रिम्प बिरियानी



होल कुकड वन्नामई



टाइगर पी डी स्कीवर्ड



